हरियाणा विधान सभा

की

कार्यवाही

26 फरवरी, 2013

खण्ड 1, अंक 2

अधिकृत विवरण

Haryana Vidhan Sabha Secretariat
LIBRARY
Chandigarh

विषय सूची

मंगलवार, 26 फरवरी, 2013

	पृष्ठ संख्या
तारांकित प्रश्न एवं उत्तर	(2)1
नियम 45(1) के अधीन सदन की मेज पर रखे गए तारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर	(2)27
अतारांकित प्रश्न एवं उत्तर	(2)30
अध्यक्ष महोदय द्वारा घोषणा– अनुपस्थिति के संबंध में सूचना	(2)92
स्थगन प्रस्तावों/ध्यानाकर्षण प्रस्तावों की सूचनाएं	(2)92
धन्यवाद प्रस्ताव	(2)95
ध्यानाकर्षण प्रस्ताव तथा उस पर वक्तव्य	(2)103
नियम 121 के अधीन प्रस्ताव	(2)131
डी.ए.वी. कालेज, नम्यौला, जिला अम्बाला के विद्यार्थियों एवं अध्यापकों तथा जे.सी. क्लब, करनाल के सदस्यों का अभिनन्दन	(2)132
राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर चर्चा	(2)133
बैठक का समय बढ़ाना	(2)171
राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर चर्चा (पुनरारम्भण)	(2)171

मूल्य :

619

हरियाणा विधान सभा

मंगलवार, 26 फरवरी, 2013

विधान सभा की बैठक, हरियाणा विधान सभा हाल, विधान भवन, सैक्टर-1, चण्डीगढ़ में दोपहर 2.00 बजे हुई। अध्यक्ष (श्री कुलदीप शर्मा) ने अध्यक्षता की।

तारांकित प्रश्न एवं उत्तर

Mr. Speaker : Hon'ble Members, Now the Questions Hour.

Functioning of Rai Sub-Division

***1264. Sh. Jai Tirth :** Will the Revenue & Disaster Management Minister be pleased to state the time by which Rai Sub-Division for which an announcement was made by the Hon'ble Chief Minister on 10.6.2012 is likely to start functioning ?

राजस्व एवं आपदा प्रबन्धन मंत्री (श्री महेन्द्र प्रताप सिंह) : जी, नहीं। माननीय मुख्य मंत्री महोदय द्वारा ऐसी कोई घोषणा नहीं की गई।

श्री जय तीर्थ : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय को बताना चाहता हूं कि इसमें सब डिवीजन वर्ड की बजाय सब तहसील लिखना था क्योंकि घोषणा सब तहसील की थी।

श्री महेन्द्र प्रताप : अध्यक्ष महोदय, जब इन्होंने खुद ही मान लिया है कि ऐसा गलती से हो गया है तो बात ही खत्म हो जाती है। इनसे गलती से सब तहसील लिखा गया था। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने दिनांक 10.6.2012 को अपने दौरे के दौरान राई को सब तहसील बनाने की घोषणा की थी। उसको उप तहसील का दर्जा दे दिया जाएगा।

श्री जय तीर्थ : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या इसके लिए कोई जगह वगैरह निर्धारित की गई है?

Mr. Speaker : Let them decide in due course.

श्री महेन्द्र प्रताप : अध्यक्ष महोदय, चूंकि यह मामला अभी विचाराधीन है, इसलिए घोषणा के बाद भूमि अधिग्रहण और पोस्ट क्रिएट करने के सारे प्रौसेस के बाद ही यह काम हो पाएगा। लेकिन फिर भी मैं माननीय सदस्य को आश्वस्त करूंगा कि जितना जल्दी हो पाएगा, हम इसको पूरा करेंगे।

Domestic Electricity Connections to the Dhanies

***1280. Master Dharampal Obra :** Will the Power Minister be pleased to state whether it is a fact that the decision to release domestic electricity connections to the Dhanies adjacent to villages has not been implemented in the State; if so, the time by which the aforesaid decision is likely to be implemented ?

Power Minister (Capt. Ajay Singh Yadav) :

No Sir,

Domestic electric connections are being released in Dhanies as per approved policy of the Nigams.

मास्टर धर्मपाल ओबरा : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि गांव के साथ लगते 15-20 और 50 घरों की ढाणियां जो होती हैं उनमें पहले बिजली के कनैक्शन दिये जाते थे, वे देने क्यों बंद कर दिये गये हैं? पहले यह कनैक्शन कंज्यूमर द्वारा राशि जमा कराने पर दिये जाते थे, वह भी अब बंद कर दिये गये हैं, ऐसा क्यों है?

कैप्टन अजय सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि गांव के साथ लगती 30 मीटर के दायरे में जो ढाणियां हैं, उनको कनैक्शन दे दिये गये हैं और जहां ढाणियां 30 मीटर के दायरे से अधिक दूर हैं और जहां पर 11 से कम आबादी है वहां कनैक्शन देने के बारे में यह नीति थी कि सारा खर्च कंज्यूमर वहन करेगा लेकिन जहां 11 से अधिक कंज्यूमर हैं वहां अब तक 50 परसैंट खर्च बोर्ड देता था और 50 परसैंट कंज्यूमर को देना होता था। मैं सदन की जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि मुख्यमंत्री जी से आज ही भिवानी के किसान मिले थे और मुख्यमंत्री जी ने आज ही फैसला लिया है कि इसके लिए 50 परसैंट खर्च बोर्ड देगा और शेष 50 में से 22.5 परसैंट एम.पी./एम.एल.ए. के डिस्क्रीशनरी कोटे से दिया जायेगा और शेष 22.5 परसैंट खर्च एच.आर.डी.एफ. उठाएगा। केवल मात्र 5 परसैंट खर्च कंज्यूमर को देना पड़ेगा। यह बड़ा ही ऐतिहासिक फैसला है।

मुख्यमंत्री (श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा) : मंत्री जी, आज जो और फैसले लिये गये हैं उनके बारे में भी आप सदन को बता दें।

कैप्टन अजय सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, दूसरा फैसला स्लैब प्रणाली का लिया गया है।

मास्टर धर्मपाल ओबरा : पहले आप इस सवाल के बारे में बताएं।

श्री अशोक कुमार अरोड़ा : एम.एल.ए. को तो कोई ग्रांट मिलती ही नहीं है। (शोर एवं व्यवधान)

कैप्टन अजय सिंह यादव : एम.एल.ए. को कोई ग्रांट नहीं मिलती है लेकिन एम.पी. के पास अपना कोटा होता है। एम.पी. के पास पांच करोड़ रुपये का कोटा होता है इसलिए

22.5 प्रतिशत एम.पी. दे दे और 22.5 प्रतिशत एच.आर.डी.एफ. से भी दे दिए जायेंगे। इसलिए कंज्यूमर को केवल पांच प्रतिशत ही देना पड़ेगा। यह फैसला माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज ही भिवानी के बारे में लिया है क्योंकि भिवानी के किसानों के प्रतिनिधि आज ही उनसे मिले थे। अगर दूसरे जिलों के किसान भी इस स्कीम में आना चाहें तो वे अपने आवेदन अपने एम.पी. से मिलकर कर सकते हैं।

मास्टर धर्मपाल ओबरा : अध्यक्ष महोदय, सारी व्यवस्था सरकार को करनी चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने ढाणियों को फ्री ऑफ कॉस्ट कनैक्शन दिए हैं।

कैप्टन अजय सिंह यादव : माननीय मुख्यमंत्री जी ने फ्री ऑफ कॉस्ट देने के लिए नहीं कहा है। उन्होंने रतिया में भी यही स्कीम लागू करने की घोषणा की थी। आज भी जब भिवानी जिले के किसान माननीय मुख्यमंत्री जी से मिले तो ट्यूबवैल्ज के कनैक्शन्ज के लिए इस प्रकार की स्लैब प्रणाली भिवानी जिले में लागू करने की घोषणा मुख्यमंत्री जी ने की है। इस स्लैब प्रणाली में जहां पर 12 हार्स पॉवर से कम की बिजली की मोटर हैं, उन मोटर्ज पर जो कनैक्शन मीटर के साथ लगे हैं उनका बिजली का रेट 25 पैसे प्रति यूनिट के हिसाब से रहेगा और जिन मोटर्ज के साथ मीटर नहीं लगे होंगे वहां पर बिजली का रेट 35 रुपये प्रति हार्स पॉवर रहेगा। जहां पर 12 से 15 हार्स पॉवर तक की मोटर्ज होंगी वहां पर उन मोटर्ज पर जो कनैक्शंज मीटर के साथ लगे हैं उनका 20 पैसे प्रति यूनिट का बिजली का रेट रहेगा और जिन मोटर्ज के साथ मीटर नहीं लगे होंगे वहां पर बिजली का रेट 30 रुपये प्रति हार्स पावर रहेगा। जहां पर 15 हार्स पॉवर से ऊपर की मोटर होंगी वहां पर उन मोटर्ज पर जो कनैक्शंज मीटर के साथ लगे हैं उनका 15 पैसे प्रति यूनिट के हिसाब से बिजली का रेट रहेगा और जिन मोटर्ज के साथ मीटर नहीं लगे होंगे वहां पर बिजली का रेट 20 रुपये प्रति हार्स पॉवर रहेगा। यह स्लैब प्रणाली फिलहाल भिवानी जिले में लागू की जायेगी। इस स्लैब प्रणाली के तहत यह कंडीशन है कि हम रात को बिजली देंगे। वहां अक्टूबर से मार्च तक बिजली रात को दी जायेगी और मार्च से सितम्बर तक शैड्यूल के हिसाब से एक दिन रात को बिजली दी जायेगी और अगले दिन जैसा शैड्यूल बनेगा उस हिसाब से दिन के दौरान बिजली दी जायेगी। इस स्लैब प्रणाली को भिवानी के किसानों ने तो मान लिया है अगर दूसरे जिलों के किसान इस प्रकार की स्लैब प्रणाली को अपनाना चाहते हैं तो वे आ सकते हैं, हम उनका स्वागत करेंगे।

श्री अशोक कुमार अरोड़ा : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जैसा कि माननीय विधायक जी ने अपना सवाल ढाणियों को बिजली देने के बारे में पूछा था, उसके बारे में माननीय मंत्री जी ने बताया कि इससे पहले 50 प्रतिशत खर्च तो कंज्यूमर द्वारा दिया जाता था और 50 प्रतिशत खर्च बोर्ड द्वारा दिया जाता था। अब आपने नई स्लैब प्रणाली के तहत साढ़े बाईस प्रतिशत एम.पी. के माध्यम से देने की बात की है, यह केवल एक पोलिटिकल डिसीजन है। इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि इस कंडीशन को हटाकर आप जैसा कि रतिया में माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी कि दस प्रतिशत कंज्यूमर द्वारा दिया जायेगा और 90 प्रतिशत सरकार द्वारा दिया जायेगा, वही बात पूरे प्रदेश में भी लागू की जाए।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय साथी को इस बारे में स्पष्ट कर देना चाहता हूं। मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा था बल्कि मैंने ऐसा कहा था कि 50 परसैंट पैसा कम्पनी देगी और बाकी 10 परसैंट पैसा कंज्यूमर देगा जिसको घटाकर अब हमने 5 परसैंट कर दिया है और rest of the money was given by the M.P. उस समय वहां का एम.पी. हाजिर था और उन्होंने कहा था कि मैं रतिया हल्के के कनैक्शंज के ये पैसे दूंगा। 40 परसैंट पैसा उनको देना था। अब हमने अमैंड किया है कि 40 परसैंट की बजाय एम.पी. लैड फण्ड से या मिनिस्टर अपने डिस्क्रशनरी फण्ड से 22.5 परसैंट पैसा देंगे और 22.5 परसैंट गवर्नमैंट देगी। कंज्यूमर को जो देना है वह तो 10 से घटाकर हमने 5 परसैंट किया है। (शोर एवं व्यवधान) इसलिए इनको मिस स्टेटमैंट ऑफ फैक्ट्स नहीं देने चाहिएं। जो मैंने कहा था, मैंने वही किया है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अशोक कुमार अरोड़ा : अध्यक्ष महोदय, एम.पी. या मिनिस्टर जो पैसा देंगे वह लोगों की डिवैल्पमैंट पर लगने वाला पैसा है जो गांव या शहर के विकास में लगना होता है। इसमें सरकार का किसी पर अहसान नहीं है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : अरोड़ा जी, अगर कोई एम.पी. यह पैसा देना चाहे तो उसमें आपको क्या एतराज है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अशोक कुमार अरोड़ा : अगर एम.पी. पैसा देगा तो वह पैसा भी तो उसी पैसे में से कटेगा जो गांव और शहर की डिवैल्पमैंट में लगना होता है। इसलिए मेरी मांग है कि सरकार इस पैसे को अपनी तरफ से क्यों नहीं खर्च करती।

कैप्टन अजय सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, क्या यह डिवैल्पमैंट नहीं है। (शोर एवं व्यवधान) अगर नहीं है तो ये बता दें।

तारांकित प्रश्न संख्या 1337

(यह प्रश्न पूछा नहीं गया क्योंकि इस समय माननीया सदस्या श्रीमती सुमिता सिंह सदन मे उपस्थित नहीं थी।)

New Govt. College in Narnaund Constituency

*1287. **Smt. Saroj Mor :** Will the Education Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to open a new Government College in Narnaund Constituency ?

शिक्षा मंत्री (श्रीमती गीता भुक्कल मातनहेल) :

नहीं, श्रीमान् जी।

श्रीमती सरोज मोर : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहती हूं कि नया कॉलेज खोलने का आधार क्या है?

श्रीमती गीता भुक्कल मातनहेल : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्या ने अपनी कांस्टीच्यूंसी नारनौंद में कॉलेज खोलने की बात की है और कॉलेज खोलने का आधार पूछा है तो मैं इनको बताना चाहूंगी कि बच्चों की संख्या, किलोमीटर और एवेलेबलिटी के हिसाब से नया कॉलेज खोला जाता है। हिसार में इस समय करीबन 6 सरकारी कालेजिज हिसार, कॉलेज फार वूमैन, हिसार, आदमपुर, हांसी, नलवा और बरवाला में चल रहे हैं। बरवाला में जो नया कॉलेज खुला है वहां से इनकी कांस्टीच्युंसी की दूरी 20-25 किलोमीटर की है। हिसार में 5 एडिड कॉलेजिज भी चल रहे हैं और जहां तक इन्होंने आधार की बात की है तो कोई भी नया कॉलेज खोलने के लिए हम वहां पर बच्चों की संख्या देखते हैं और आस पास के स्कूलों में पास आउट संख्या और इसके अलावा कॉलेजिज की अवेलेबिलिटी देखते हैं ताकि आस पास के बच्चों की जो जरूरतें हैं वे मीट आउट हो जाएं। इसलिए मैं माननीय सदस्या को कहना चाहूंगी कि सरकार के पास नारनौंद में कोई भी नया सरकारी कॉलेज खोलने का प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

श्रीमती सरोज मोर : अध्यक्ष महोदय, 30-30 किलोमीटर की दूरी बहुत ज्यादा होती है, इसलिए हमारे यहां की लड़कियों को बहुत दिक्कत होती है।

Mr. Speaker : Hon'ble Minister may consider that.

श्रीमती कविता जैन : अध्यक्ष महोदय, अभी इन्होंने 23 फरवरी को भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय में ब्यान दिया था कि सोनीपत में सरकारी कॉलेज खोलने की ड्यूटी नगर परिषद् की लगा दी गई है और ज्यों ही जमीन चिन्हित हो जाएगी वहां पर कॉलेज खोल दिया जाएगा। अध्यक्ष महोदय, नगर परिषद् के पास एक इंच भी जमीन खाली नहीं है, अवैध कब्जे हो चुके हैं। सैक्टर 12 में 10 एकड़ जमीन एजूकेशनल परपज के लिए रिजर्व रखी गई है। इसलिए मैं मंत्री जी से पूछना चाहूंगी कि क्या वहां पर सरकारी कॉलेज खोलने बारे विचार करेंगे या केवल घोषणा करके जनता को बहका रहे हैं।

Mr. Speaker : Please restrict your reply to this question.

श्रीमती गीता भुक्कल मातनहेल : अध्यक्ष महोदय, वैसे तो सोनीपत में खरखौदा में नया कॉलेज खोलने का शिलान्यास किया गया है। क्योंकि इसके लिए जमीन चिन्हित हो गई थी इसलिए जल्दी ही यह कॉलेज शुरू हो जाएगा। जहां तक माननीय सदस्या ने सोनीपत में कॉलेज खोलने की बात की है तो फिलहाल इन्होंने खुद ही माना है कि सोनीपत में जमीन नहीं है। यदि जमीन ही नहीं होगी तो कॉलेज कैसे बनेगा? सोनीपत में आलरेडी दो गवर्नमैंट कॉलेजिज हैं और करीबन 6 कॉलेजिज को गवर्नमैंट की एड जाती है और ये 6 कॉलेजिज प्रोपर सोनीपत में ही हैं। (विघ्न)

श्री नसीम अहमद : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीया मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि मेवात में लड़कियों का कोई भी कॉलेज नहीं है जिसकी वजह से वहां की लड़कियों को बहुत परेशानी होती है, इसलिए मैं मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि क्या सरकार के पास हमारे यहां लड़कियों के लिए कॉलेज खोलने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन है?

Mr. Speaker : It is a separate question.

मास्टर धर्मपाल ओबरा : अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी लोहारू में 27 मार्च, 2010 को घोषणा करके आये थे कि बहल में गवर्नमैंट कॉलेज बनाया जायेगा। वहां पर कॉलेज के लिए जमीन भी दे दी गई है लेकिन आज तक एक ईंट भी कॉलेज के नाम पर वहां नहीं लगी है। जहां तक दूसरे कॉलेजों की दूरी की बात है बहल से भिवानी 57 कि०मी० है, सिवानी 40 कि०मी० और लोहारू 36 कि०मी० है। इसके अतिरिक्त बहल के साथ राजस्थान के तीन जिले लगते हैं और वहां बच्चों को कॉलेज की शिक्षा लेने के लिए दूर जाना पड़ता है इसलिए बहल में गवर्नमैंट कॉलेज जल्द से जल्द बनना चाहिए।

श्रीमती गीता भुक्कल मातनहेल : अध्यक्ष महोदय, यह बात सही है कि बहल में गवर्नमैंट कॉलेज बनाने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा थी। वहां पर कॉलेज के लिए 6.5 एकड़ भूमि पंचायत ने ट्रांसफर करनी थी जो कि कॉलेज के लिए कम थी। हमने ज्यादा जमीन लेने के लिए कमेटी को लिखा हुआ है और मैं माननीय साथी को आश्वासन देना चाहूंगी कि इसी वर्ष 2013-14 में बहल का गवर्नमैंट कॉलेज शुरू करवा देंगे।

Number of National Highways

***1343. Shri Bharat Bhushan Batra :** Will the P.W.D. (B&R) Minister be pleased to state :—

(a) the length of National Highways in the State in the year 2005 togetherwith the names of the places in the State from where these National Highways pass through;

(b) the length of the National Highways extended and names of those National Highways on which four lanes and six lanes have been constructed in the State during the year from 2005 to 2012 together with the number of Railway over bridges and fly overs constructed/ under construction in the State during the year from 2005 till date; and

(c) the time by which the construction work of six lanes of road from village Khrawas to Bahu Akbarpur of district Rohtak, which is a part of National Highway, is likely to be completed and the construction work of six lanes of Bahadurgarh Bye-Pass is likely to be completed togetherwith the reasons for delay ?

Industries Minister (Shri Randeep Singh Surjewala) :

(a) There were 14 National Highways in the State in the year 2005 and total length was 1457 Km. The name of places from where these

National Highways pass through are as under :

Sr. No.	NH No.	Name of places passing through
1.	1	Delhi–Panipat–Karnal–Pipli–Ambala
2.	2	Delhi–Faridabad–Palwal–Hodal
3.	8	Delhi–Gurgaon–Dharuhera–Bawal
4.	10	Delhi–Bahadurgarh–Rohtak–Hisar–Sirsa–Dabwali
5.	21-A	Pinjore–Baddi
6.	22	Ambala–Dappar-Zirakpur-Panchkula–Pinjore–Kalka
7.	64	Dabwali
8.	65	Ambala–Pehowa–Kaithal–Narwana–Hisar–Siwani–Jhumpa
9.	71	Narwana–Jind–Rohtak–Jhajjar–Rewari–Bawal
10.	71-A	Rohtak–Gohana–Panipat
11.	71-B	Rewari–Dharuhera-Sohna–Palwal
12.	72	Ambala–Shahzadpur–Naraingarh-Kala Amb
13.	73	Yamuna Nagar–Jagadhari–Saha–Barwala–Panchkula
14.	73-A	Jagadhri–Chhachhrouli–Khizrabad
15.	709	Rohtak–Bhiwani–Lohani-Loharu

(b) • Length of the National Highway extended from 2005 to 2012 is 115 Km as new National Highway (NH 709 extension).

• Names of National Highways on which 4-laning with a total cost App. Rs. 472 Cr. has been done from 2005 to 2012 are as under :

(i) NH-10 Delhi–Sirsa–Dabwali in various stretches with total length of 18.70 Km.

(ii) NH-64 Dabwali–Bhatinda with length of 0.480 Km.

(iii) NH-65 Ambala–Pehowa–Kaithal–Hisar–Siwani in various stretches with total length of 5.650 Km.

(iv) NH-71 Narwana–Jind–Rohtak–Rewari–Bawal in various stretches with total length of 13.00 Km.

(v) NH-71B Rewari–Sohna-Palwal with length of 1.45 Km.

(vi) NH-72 Ambala–Naraingarh–Kala Amb in various stretches with total length of 3.91 Km.

(vii) NH-73A Jagadhari–Chhachhrouli–Khizrabad in various stretches with total length of 7.5 Km.

(viii) NH-22 Ambala–Zirakpur–Kalka–Parwanoo with total length of 28.3 Km.

[Shri Randeep Singh Surjewala]

- Names of National Highways on which six-laning with a total cost App. Rs. 905 Cr. has been done from 2005 to 2012 are as under :

(i) NH-1 Delhi–Panipat with length of 41.7 Km.

(ii) NH-8 Delhi–Gurgaon with length of 18 Km.

- Number of ROBs constructed by Haryana Govt. from 2005 to till date is 33.
- Number of ROBs under construction by Haryana Govt. is 38.
- Number of Flyovers constructed from 2005 to till date is 28.
- Number of flyovers under construction is 32.

(c) The construction work of six laning of road from village Kharawar (not Khrawas) to Bahu Akbarpur of District Rohtak is likely to be completed by 31st March, 2013.

The construction work of six laning of Bahadurgarh bypass is likely to be completed by 31st March, 2013 and delay in construction of Bahadurgarh bypass was due to non availability of land in a length of 1 km.

श्री भारत भूषण बतरा : आदरणीय स्पीकर सर, हरियाणा रोड इन्फ्रास्ट्रक्चर का जितना विस्तार कांग्रेस सरकार के समय में हुआ है उतना उससे पहले वाली गवर्नमैंट के समय में नहीं हुआ है। इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से यह भी अनुरोध करना चाहूंगा कि वे यह भी बतायें कि वर्ष 2000-2005 तक स्टेट हाईवेज के निर्माण पर कितनी धनराशि खर्च की गई क्योंकि उस समय हरियाणा में इंडियन नेशनल लोकदल और भाजपा गठबंधन की सरकार थी और केन्द्र में भी भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार थी जिसमें इंडियन नेशनल लोकदल भी भागीदार थी। इसके साथ-साथ उस समय प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना भी अस्तित्व में आ चुकी थी। (शोर एवं व्यवधान) स्पीकर सर, इसके साथ ही साथ मेरी दूसरी सप्लीमैंट्री यह है कि मैंने अपने क्वैश्चन में जिन दो सड़कों का जिक्र किया है उनके बारे में मैं मंत्री जी से पूरा आश्वासन चाहूंगा कि क्या इन दोनों सड़कों का निर्माण कार्य 31 मार्च, 2013 तक हर हालत में शुरू हो जायेगा? इसके अलावा मंत्री जी कृपया यह भी बता दें कि रोहतक-पानीपत सड़क की फोर लेनिंग का कार्य भी कब तक पूरा हो जायेगा?

Shri Randeep Singh Surjewala : Speaker Sir, he has asked three questions. As I understand correctly, Question No. 1 that my learned friend has asked is the details of the amount spent on the roads by the two Governments i.e. by the INLD-BJP Government between 2000-2005 as well as the Congress Government, Sir, that cumulative figure is with me. Between 2000-2005 both on construction of roads as also on widening of roads, the total amount spent by the then INLD-BJP Government was ₹1829 crores. Between 2005 upto 31st December, 2012 as against ₹1829 crores.

this Government has spent ₹11014 crores which is ten times the amount spent by the INLD-BJP Government. Sir, similarly on buildings, between 2000-2005 the then INLD-BJP Government made an investment of ₹397 crores. As against this, between 2005 upto 31st December, 2012 the current Congress Government has spent ₹3218 crores which is also ten times the amount spent during their last tenure. Sir, my learned friend has also asked about the length of national highways that were constructed or projects undertaken during the NDA regime and when INLD-BJP Government was in power. (Interruption) Sir, only if they will listen, I will be able to tell them. Till then I can wait. (Interruption) Sir, my learned friend has also asked as to what was the national highway extension or national highway construction during the National Democratic Alliance Government of which INLD was a partner and INLD-BJP Government was in power here between 1999-2005. I am sorry to say Sir, between 1999-2005 the national highway constructed or extended was zero. Between 2005-2012 *i.e.* UPA Govt. I have already told to my learned friend that we have completed national highway projects of ₹1905 crores, the length of which is 101 kilometres. Sir, I am happy to tell my learned friend that projects of 690.45 KM of National Highways are now in progress in Haryana with a total cost of ₹6495 crores and projects of 199 KM are in pipeline with a total investment of ₹2230 crores. It comes to over approximately ₹10,000 crores in Congress regime as against zero during the NDA-BJP-INLD regime.

श्री राजबीर सिंह बराड़ा : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि एन.एच.-73 यमुनानगर से बरवाला कब तक पूरा होने की सम्भावना है? किस कम्पनी को इसके टैण्डर दिये गये हैं तथा कब तक यह काम पूरा हो जायेगा?

Shri Randeep Singh Surjewala : Hon'ble Speaker Sir, although it is a separate question but since I had seen the file recently, I can tell my learned friend that as far as the Highway from Panchkula to Yamuna Nagar is concerned, in regard to this project, Government of India has recently awarded four laning of the entire road network. The land acquisition has already been done. The awards have already been announced day before yesterday and total project cost as far as I remember is over ₹2000 crores. Concessionaire has already come with the Government of India and within the concessionaire period it should be completed. As far as all other details are concerned they are not handy at present.

श्री कृष्ण लाल पंवार : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 71-ए रोहतक से पानीपत की वाईडनिंग के लिए जो जमीन एक्वायर की गई है उसमें रोहतक जिले में किसानों को 39 लाख रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से मुआवजा दिया गया है जबकि पानीपत के किसानों को 31 लाख रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से मुआवजा दिया गया है। क्या सरकार पानीपत के किसानों को भी बढ़ाकर 39 लाख रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से मुआवजा देने पर विचार करेगी?

Shri Randeep Singh Surjewala : Speaker Sir, this road is nearing completion. If any farmers have any grievance in this regard, the Government would stand by them. They have right to go to the Arbitrator under the National Highway Authority. If they go to the Arbitrator, the Government will certainly consider it.

श्री रामपाल माजरा : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्वाइंट ऑफ आर्डर है।

श्री अध्यक्ष : माजरा साहब, एक प्रश्न पर कितनी सप्लीमैंट्री पूछेंगे, इस पर पहले ही 5 सप्लीमैंट्री पूछी जा चुकी है? रूल के मुताबिक एक प्रश्न पर दो सप्लीमैंट्री पूछ सकते हैं। (विघ्न)

श्री आनन्द सिंह दांगी : अध्यक्ष महोदय, (विघ्न)....

श्री रामपाल माजरा : अध्यक्ष महोदय, यह कौन सी बात है, जब मैंने टाईम मांगा तो आपने मुझे तो टाईम दिया नहीं और दांगी साहब ने टाईम मांगा तो आपने टाईम दे दिया। यह अन्याय है, इस बारे में मैं कुछ नहीं कहूंगा लेकिन यहां पर सभी देख रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : माजरा साहब, आप प्लीज बैठ जाईये, अगली बारी आपकी ही है।

श्री आनन्द सिंह दांगी : अध्यक्ष महोदय, राष्ट्रीय राजमार्ग-10 के फोरलेनिंग के आदेश हुये हैं और जल्दी ही उसका शिलान्यास हो जायेगा। उस पर दो गांव मदीना और खरकड़ा लगते हैं। मदीना तो ऐसा गांव है जिसके चारों तरफ से 6 सड़कें आकर मिलती हैं। मैंने पिछली बार भी और उससे पिछली बार भी हाउस में माननीय मंत्री जी से पूछा था कि क्या गांव के बीच से जो सड़क निकलती है उसको भी फोरलेन करने का कोई प्रावधान है? वहां पर बहुत भीड़ रहती है और हर दिन दुर्घटना होने का बहुत ज्यादा खतरा बना रहता है। इसलिए मेरी यह प्रार्थना है कि इसको भी फोरलेन बनवा दिया जाये।

Shri Randeep Singh Surjewala : Speaker Sir, suggestion has been noted. We have taken up it with the National Highway Authority of India.

श्री रामपाल माजरा : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि हरियाणा की मेन थ्रस्ट 2004 में कुण्डली-मानेसर-पलवल एक्सप्रैस हाइवे का निर्माण कार्य शुरू हुआ था और यह 30 जुलाई, 2009 तक बन कर पूरा होना था। इस पर काफी पैसा खर्च हो चुका है। 4 साल हो गये अब वह कार्य ठंडे बस्ते में पड़ा है। उसके ठेकेदार इधर-उधर घूम रहे हैं। क्या मंत्री जी बतायेंगे कि यह कार्य कब तक पूरा हो जायेगा?

Shri Randeep Singh Surjewala : Speaker Sir, it is a separate question.

Reforms in the Police

***1344. Shri Aftab Ahmed :** Will the Chief Minister be pleased to state whether any reforms are under consideration of the Government to improve the functioning of the Police for providing security and safety in the State particularly for women; if so, the details thereof together with the time frame proposed for the Police reforms likely to be implemented ?

Industries Minister (Shri Randeep Singh Surjewala) :

Sir, a statement is laid on the table of the House.

Statement

The State Government is very serious towards safety and security of its citizens, in general and the women, in particular. The Government is committed to prevent all types of crimes and to provide complete sense of security to the citizens. The Government has already taken a number of steps to improve the functioning of the State police for providing safety and security in the State, particularly for women. Further, many reforms are under consideration of the Government in this regard.

1. **Increase in Police Strength :—** The State Government has accorded permission for filling up 11,000 posts of Constables *vide* their memo No. 16/10/2012-4HGI dated 23.8.12. Out of this strength, 9622 posts will be for male constables (General Duty), 334 for female constables (General Duty), 736 male constables (India Reserve Battalion), 298 male sportsperson and 10 female sportspersons.

2. **Increase in lady Police Strength :—** At present Haryana Police has approximately 6.5% lady police of the total posted strength. It is the endeavour of the Department to make it 10% in near future.

3. **Commissionerate system :—** The policing system in four districts of the State namely, Gurgaon, Faridabad and Ambala-Panchkula has been upgraded to officer intensive police Commissionerate system.

4. **Sanctioning new Police Stations :—** To bring the police services nearer to the doorsteps of the general public, new police stations and police posts are being regularly sanctioned and established.

5. **Establishing Mahila Police Stations :—** Two Women Police Stations have already been established and are functioning successfully in District Sonipat. Further, it is proposed to establish one Mahila Police Station each in Gurgaon, Faridabad and Jhajjar districts.

6. **Crime and Criminal Tracking Network and Systems (CCTNS) :—** Several steps are being taken to improve and modernize the police functioning and bring the latest sophisticated technology to enhance the quality and speed of investigation. CCTNS programme has been launched and pilot projects have started in 47 Police Stations of Ambala, Panchkula and Gurgaon districts. The system is sceduled to cover all the police stations in the State in near future.

7. **Reducing Response Time :—** Global Positioning System has been provided in all PCR vehicles and all prisoners vehicles to monitor the exact movement of such vehicles. This technology helps in improving the police functioning by reducing the response time of local police.

[Shri Randeep Singh Surjewala]

8. Automated Finger Print Identification system (AFIS) :— This latest technology is being introduced in the State Police for on the spot identification of suspects through automated matching of their finger prints with mother data stored in State Crime Records Bureau, Madhuban. Besides, Finger prints of the arrested accused persons are being recorded on live scanners (a computer based programme).

9. Connecting with the Courts through video conferencing :— Approximately 10% under-trial prisoners are being produced before the competent judicial courts through video-conferencing from 18 jails of the State. A proposal is under consideration of the Government to extend this facility to produce almost all prisoners through video-conferencing in future.

10. Connecting with the people :— The Police Department took several measures for crime-prevention by implementing community policing programmes. Haryana Police Academy has incorporated a special module under the title 'Sensitized Police for Empowered Society' to sensitize all police ranks. Emphasis has been laid on community policing and police-public relations. Seminars/ workshops are being organized with resident welfare and business associations, educational institutions and chambers of Commerce and Industry.

11. Citizens-Centric Services :— Special softwares have been developed to share the information with general public

(i) First Information Reports are written on computer through CIPA (Common Integrated Police Application) software for the benefit of general public.

(ii) Medico-legal reports and post-mortem reports are being prepared on the computers so that the public can get a legible computer generated copy.

12. Amendment in Haryana Good Conduct Prisoners (Temporary Release) Act :— To rein-in criminals convicted in cases of sexual assault with minors, rape with murder, habitual offenders, criminals convicted in very heinous offences, convicts on death penalty, convicts detected using cell phone or in possession of cell-phone/SIM card inside the jail premises etc., the Haryana Good Conduct Prisoners (Temporary Release) Act has been amended and notified. After in-depth examination, its further amendment is under consideration of the Government.

13. The Protection of Children from Sexual Offences Act, 2012 :— The Union Government has enacted the Protection of Children from Sexual Offiences Act, 2012 with effect from 14th November, 2012. The State Police has started implementing this very important piece of legislation in earnestness and its provisions have been included in the training curriculum. It is the endeavor of the State Police to train and sensitize each and every Investigating Officer in this regard.

14. The Criminal law (Amendment) Ordinance, 2013 :— The Union Government has promulgated an ordinance to amend the Indian Penal Code, the Code of Criminal Procedure, 1973 and the Indian Evidence Act, 1872 with effect from 3rd February, 2013. This Ordinance lays down more stringent punishment in cases of sexual assault and creates some new offences related to sexual harassment of women. The implementation of the provision of this Ordinance is being done meticulously.

15. Training :— The Government has laid special emphasis on training of police personnel. New Training Institutions have come up in Bhondsi, Sunaria and Newal, besides expansion of facilities at Haryana Police Academy, Madhuban. In addition to creation of these facilities, the training curriculum for basic as well as promotional courses has been aligned in line with the ethos of modern society.

It is the endeavour of the Government to implement all the above mentioned reforms within shortest possible time frame.

Shri Randeep Singh Surjewala : Sir, I have enlisted various measures that police has undertaken to ensure that there is general safety of women and also security in the State for women. Sir, I have enlisted in my reply about 15 different steps that we have taken. If you permit, I can list them otherwise I have placed them as a statement on the table of the House.

Mr. Speaker : Alright, you have placed it on the table of the House.

आफताब अहमद : अध्यक्ष महोदय, महिलाओं की सुरक्षा के संबंध में पुलिस के रिस्पोंस के बारे में जो सवाल है इसमें कांस्टेबल्स और हैड कांस्टेबल्स की संख्या का तो जिक्र है लेकिन महिलाओं के खिलाफ होने वाले ऑफैंसिज से निपटने के लिए महिला कांस्टेबल्स और हैड कांस्टेबल्स की नियुक्ति जरूर होनी चाहिए क्योंकि जो ऐसे ऑफैंसिज होते हैं जो महिलाओं से संबंधित होते हैं उनसे निपटने के लिए महिलाएं अगर अधिकारी हों तो महिला सुरक्षा में सुधार हो सकता है। स्पीकर सर, क्या सरकार वर्तमान कांस्टेबल्स और हैड कांस्टेबल्स के अलावा महिलाओं के लिए अलग से महिला कांस्टेबल्स और हैड कांस्टेबल्स की नियुक्ति करेगी?

Shri Randeep Singh Surjewala : Speaker Sir, the suggestion is already noted. I would like to point out to the House and to my learned friend that even today as far as lower constabulary is concerned, the lady police is 6.5 percent of a total strength as against 3.9 percent of the national strength. Sir, I would also like to tell the House with your kind permission that Hon'ble Chief Minister and Government has just decided that besides all these 15 measures that we have listed and placed in the shape of the table, Government will install CCTV cameras in all cities of the State at prominent places where the Municipal Councils and the local police administration will cooperate with each other in order to take preventive measures for any possible untoward incidents.

Installation of Boosting Stations

***1361. Sardar Charanjeet Singh Rori** : Will the Public Health Engineering Minister be pleased to state whether it is a fact that there is shortage of drinking water in model town and Jageer Singh Colony, Kalanwali; if so, whether there is any proposal under consideration of the Government to install a boosting station to provide sufficient drinking water to the residents of these areas ?

जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री (श्रीमती किरण चौधरी) :

नहीं, श्रीमान् जी। कालांवाली शहर के मॉडल टाऊन की आवासीय क्षेत्र-I तथा जागीर कालोनी में पीने के पानी की कोई समस्या नहीं है। तथापि, मॉडल टाऊन के आवासीय क्षेत्र-II में वितरण प्रणाली की समस्या है तथा इसको 31.12.2013 तक हल कर दिया जायेगा। इन क्षेत्रों के लिए बुस्टिंग स्टेशन बनाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

सरदार चरनजीत सिंह रोड़ी : स्पीकर सर, लोग तो बड़े पुण्य करते हैं, पानी की बड़ी-बड़ी प्याऊ लगाते हैं लेकिन मंडी कालांवाली में मॉडल टाऊन और जागीर सिंह कालोनी में पीने का पानी नहीं है। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि क्या वहां पर सरकार कोई बुस्टिंग स्टेशन लगवाने का प्रावधान करेगी? अगर करेगी तो कब तक? अगर नहीं तो क्यों नहीं?

श्रीमती किरण चौधरी : अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहती हूं कि.....

श्री अध्यक्ष : मैडम आप वहां एक बुस्टिंग स्टेशन लगवा दो।

श्रीमती किरण चौधरी : अध्यक्ष जी, मैं इनको इनके टाऊन के विकास के बारे में बताना चाह रही हूं कि हम इनके टाऊन के लिए क्या-क्या करवा रहे हैं?

श्री अध्यक्ष : आप इनके टाऊन में बुस्टिंग स्टेशन लगवा दीजिए।

Smt. Kiran Chaudhary : Sir, please let me explain so that he should know that what all I have done and the kind of money that is being spent into this town, which has not been done earlier. अध्यक्ष महोदय, ये पुण्य की बात कर रहे हैं, हमारी सरकार तो जितने काम करती है पुण्य के ही करती है और कोई दूसरा काम नहीं करती। ये सारे ही पुण्य के काम हैं। आप ये तो सोचो ही मत कि कोई दूसरा काम हो रहा है।

श्री अध्यक्ष : ऑनरेबल मिनिस्टर, ऑनरेबल मैंबर की एक बूस्टिंग स्टेशन लगवाने की मांग है। आप वहां एक बूस्टिंग स्टेशन लगवा दो जिससे ऑनरेबल मैंबर की समस्या ही खत्म हो जाएगी।

श्रीमती किरण चौधरी : सर, मैं आपको बताना चाहती हूं कि Model Town No.2 is being maintained by HUDA. वहां से एक पाइप लाईन जानी है रेलवे लाईन के एक्रोस,

जिसके लिए रेलवे की अभी तक एप्रूवल नहीं आई थी । लेकिन अब रेलवे की एप्रूवल आ गई है and very soon we will get connected with it. Unfortunately, you know the pipeline that was going through वह पाइप लाईन बहुत कंजैस्टीड एरिया से निकल रही है और कंजैस्टीड एरिया से जब कोई पाइप लाईन निकलती है तो बहुत इन्क्रोचमैंट होती है । इसके अलावा और भी बहुत सारी दिक्कतें हैं । लेकिन फिर भी बुस्टिंग लगाने के लिए कार्यवाही की जा रही है । मैं माननीय सदस्य को बताना चाहती हूं कि सरकार ने 1271 लाख रुपये एप्रूव कर दिए हैं for construction of storage sedimentation tank and two million per day MGT water treatment plan और हम इनके टाऊन के लिए 22.50 किलोमीटर का डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम लगवा रहे हैं जिसका काम 31.12.2014 तक पूरा हो जाएगा । उसके बाद वहां पानी की कोई कमी नहीं रहेगी । सर, साथ ही साथ इनको एक बात और बता दूं कि सन् 1999 से सन् 2005 तक इनका जो एक्सपेंडीचर था वह 21.31 लाख रुपये था और अब हमारी सरकार ने मार्च 2005 से लेकर आज तक एक्सपेंडीचर 375.41 लाख रुपये किया है, which is 18 times much more than what was done during the time in which these people were in power.

Construction of War Memorial

***1329. Sh. Anil Vij :** Will the Chief Minister be pleased to state :—

(a) whether there is any proposal under consideration of the Government to construct a War Memorial in the memory of the first war of independence of 1857 at Ambala Cantt.;

(b) if so; the time by which the aforesaid memorial is likely to be constructed.

Industries Minister (Shri Randeep Singh Surjewala) :

(a) Yes Sir.

(b) This memorial is proposed to be constructed on 22 acres of land at Ambala Cantt. The conceptual drawings have been finalized. Detailed estimates are under preparation. Public Works (B&R) Department would take up its construction after the approval of estimates.

श्री अनिल विज : स्पीकर सर, सन् 1857 की आजादी की पहली लड़ाई अम्बाला से लड़ी गई थी । उसकी याद में अम्बाला में एक मैमोरियल बनाने के लिए काफी लम्बे समय से मांग हो रही है और सरकार ने आज अफरमेटिव में इसका उत्तर दिया है । इससे पहले भी सरकार कई बार आश्वासन दे चुकी है । इस बारे में इसी सत्र में तथा इसी सदन में भी आश्वासन दिया जा चुका है । लेकिन मैमोरियल बनाने का काम नहीं हो पा रहा है । मैं आपके माध्यम से मुख्यमंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि मैमोरियल बनाने का

[श्री अनिल विज]
काम शुरू न करने की कहीं यह वजह तो नहीं है कि कांग्रेस लोगों को यह समझाना चाहती है कि आजादी की लड़ाई किसी और ने नहीं बल्कि केवल कांग्रेस पार्टी ने ही लड़ी थी। वास्तव में कांग्रेस पार्टी का जन्म सन् 1885 में हुआ था और सन् 1885 से पहले सन् 1857 मे.......(विघ्न)

श्री अध्यक्ष : विज साहब, आप तो स्पीच दे रहे हो? Don't give a speech. Please ask the question.

श्री अनिल विज : स्पीकर सर, मैं प्रश्न ही पूछ रहा हूं। आजादी की लड़ाई के बारे में कांग्रेस ने लोगों को यह सिखाया है कि आजादी की लड़ाई केवल कांग्रेस पार्टी ने ही लड़ी है अन्य किसी ने नहीं लड़ी है। कांग्रेस पार्टी का जन्म तो सन् 1885 में हुआ था जबकि आजादी की यह लड़ाई सन् 1857 में लड़ी गई थी। (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : विज साहब, अब आप ही बताओ कि आजादी की लड़ाई कांग्रेस पार्टी के अलावा और किसने लड़ी थी?

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : स्पीकर सर, विज साहब की पार्टी तो सन् 1977 में पैदा हुई। उसके बाद सन् 1980 और सन्1989 में पैदा हुई। इनको तो अभी तक यह भी मालूम नही है कि इनकी पार्टी और कितनी बार पैदा होगी?

श्री अनिल विज : स्पीकर सर, कांग्रेस को तो यह मानने में भी दिक्कत आती है कि कांग्रेस पार्टी के जन्म से पहले भी कोई आजादी की लड़ाई लड़ी गई थी और इसी की वजह से मैमोरियल बनाने के कार्य में लगातार डिले हो रहा है। मुख्यमंत्री जी ने मैमोरियल बनाने के काम का उद्घाटन करने के लिए तीन-तीन बार तिथि निर्धारित की थी लेकिन तीनों बार ही निर्धारित की गई तिथि को पोस्टपोन कर दिया गया और येन-केन-प्रकारेण मैमोरियल बनाने के काम को टालने की कोशिश की जाती रही। अतः मैं आपके माध्यम से मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि इस मैमोरियल को बनाने की क्या उनकी वाकई नीयत है या फिर वे इस काम को टालना ही चाहते हैं?

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : अध्यक्ष महोदय, माननीय विज साहब ने सदन में इस प्रकार की बातें करके तथा इस प्रकार की अभद्र शब्दावली का प्रयोग करके हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के सम्मान को ठेस पहुंचाई है। (शोर एवं व्यवधान) इस तरह की बात करने में इनका कोई कसूर नही है क्योंकि जो आदमी नत्थू राम गोड़से की संस्कृति से पैदा हुआ है उस आदमी से इससे ज्यादा किसी बात की अपेक्षा की भी नहीं जा सकती है? (शोर एवं व्यवधान) जिनकी संस्कृति की नींव नत्थू राम गोड़से की विचारधारा के अन्दर से पैदा हुई है, उनसे इससे ज्यादा अच्छी बात की उम्मीद की भी नहीं जा सकती है? फिर भी मैं सम्मानित सदस्य को आदर के साथ बताना चाहूंगा कि सन् 1857 के स्वतंत्रता सेनानियों का जो यह स्मारक है इसका पूरा कांस्पैचुअल ड्राईंग फाईनलॉइज हो चुका है और मुझे उम्मीद है कि इसी साल की 15 अगस्त तक मुख्यमंत्री जी इसका पत्थर रखकर उस पर निर्माण कार्य शुरू करवा देंगे।

श्री आफताब अहमद : स्पीकर सर, सन् 1857 की क्रांति में मेवात का एक अहम योगदान रहा था। हमारे यहां हजारों की संख्या में लोग शहीद हुए थे। नूंह के नजदीक शाहपुर नंगली गांव में एक दिन में 52 आदमियों को फांसी पर चढ़ाया गया था। उनकी शहादत की यादगार के रूप में यहां पर शहीद हसन खां चौक और एक मैडिकल कॉलेज बनाया गया है लेकिन इसके साथ ही साथ मैं मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि क्या इस गांव के लिए अलग से मैमोरियल बनाने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है या नहीं जिसकी हम कई बार माननीय मुख्यमंत्री जी से मांग भी करते रहे हैं?

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : अध्यक्ष महोदय, जैसा माननीय सदस्य ने बताया भी है कि जो मैडीकल कॉलेज मेवात में बना रहे हैं उसका नामांकरण पहले से ही हरियाणा की कांग्रेस सरकार ने शहीद हसन खां जी मेवाती के नाम से किया है। मेवात जिले के गठन का कार्य भी कांग्रेस सरकार ने ही किया था। आपका सुझाव वाजिब और अच्छा है। आप इस बारे में लिखकर भेजेंगे तो उसकी राशि और डिजाईन दोनों को हम जल्दी मंजूर करवाने का प्रयास करेंगे।

मुख्यमंत्री (श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से विज साहब को बताना चाहूंगा कि शहीद हसन मेवाती 1857 के क्रांतिकारी थे जिनके नाम से 600-700 करोड़ रुपये की लागत से मैडीकल कॉलेज बन रहा है। यह क्रांतिकारियों और शहीदों के सम्मान की बात है।

कर्नल रघुबीर सिंह : अध्यक्ष महोदय, आज हमारी फौज में हर दसवां फौजी हमारे भिवानी जिले से है। सबसे ज्यादा जवान भिवानी जिले से हैं और जब भी कभी लड़ाई हुई है चाहे वह कारगिल युद्ध था, चाहे 1965 का युद्ध था, चाहे 1971 का युद्ध था उसमें सबसे ज्यादा शहीद हमारे भिवानी जिले के जवान हुए हैं। जो यहां का वार मैमोरियल है वह बिफिटिंग है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि क्या शहीदों के सम्मान में इस वार मैमोरियल को बिफिटिंग बनाया जायेगा?

Mr. Speaker : Col. Sahib, I have allowed you for the next question.

कर्नल रघुबीर सिंह : अध्यक्ष महोदय,

Mr. Speaker : Ask your question. Asking question is more important. Please ask the question.

Col. Raghubir Singh : Sir, War Memorial is more important.

Mr. Speaker : Please ask the question.

Construction of New Roads

***1327. Col. Raghubir Singh, M.L.A. :** Will the Agriculture Minister be

[Col. Raghubir Singh]
pleased to state :—

(a) whether there is any proposal under consideration of the Government to construct new roads in the Badhra Assembly Constituency during the current financial year; if so, the names of the said roads; and

(b) whether there is any proposal under consideration of the Government to construct the new roads from village Mori to Kheri Sanssanwal, village Naurgawas Rajputana to Dhani Gujran, village Mandhi Piranu to Jebli and village Harodi to Umarwas; if so, the time by which the aforesaid roads are likely to be constructed ?

Agriculture Minister (Shri Paramvir Singh) :

(a) No, Sir.

(b) There is no proposal to construct roads from (i) Mori to Kheri Sanssanwal (ii) Naurangawas to Dhani Gujran and (iii) village Mandhi Piranu to Jebli. However, the road from Village Harodi to Umarwas is under construction and is likely to be completed by 30th April, 2013.

कर्नल रघुबीर सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि इन्होंने कहा है कि विलेज हाड़ोदी से उमरावास तक की सड़क अंडर कंस्ट्रक्शन है। मैं इनकी सूचना के लिए बताना चाहूंगा कि वहां तो रेत भी नहीं डली है, उसकी सफाई तक नहीं की गई है तो वहां कंस्ट्रक्शन पता नहीं कैसे होगा?

Mr. Speaker : Hon'ble Minister, please clarify it. You have stated that it is under construction.

Sardar Paramvir Singh : I have information that this is under construction and somewhat is going on this road.

Col. Raghbir Singh : Speaker Sir, I am telling the truth. बिल्कुल काम नहीं हुआ सर। nothing is there.

श्री अशोक कुमार अरोड़ा : अध्यक्ष महोदय, यह तो बड़ा ही सीरियस मामला है। मंत्री जी कह रहे हैं कि यह रोड अंडर कंस्ट्रक्शन है और माननीय सदस्य कह रहे हैं कि वहां मिट्टी ही नहीं पड़ी है।

सरदार परमवीर सिंह : अध्यक्ष महोदय, यह जो रोड मंजूर है, यह बनेगी। I have this report. मेरे को बोर्ड से रिपोर्ट मिली है उसमें लिखा है कि this is under construction.

Col. Raghbir Singh : Speaker Sir, he may be having a factual report.

श्री रामपाल माजरा : अध्यक्ष महोदय, यह तो बड़ा ही सीरियस मामला है। मंत्री जी

कह रहे हैं कि यह रोड़ अंडर कंस्ट्रक्शन है और माननीय सदस्य कह रहे हैं कि वहां मिट्टी ही नहीं पड़ी है। अध्यक्ष महोदय, आप इस मामले की विधान सभा की कमेटी बनाकर जांच कराएं। (शोर एवं व्यवधान)

सहकारिता मंत्री (श्री सतपाल) : अध्यक्ष महोदय, माजरा साहब को मैं मौके पर ले जाऊंगा और मौके पर पड़ी रेल दिखाऊंगा।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : अध्यक्ष महोदय, जैसाकि माननीय सदस्य ने कहा है यदि मौके पर काम की रफ्तार स्लो है तो उसमें मंत्री जी तेजी ले आएंगे और जो डेट ऑफ कंप्लीशन इसकी दी गई है उस डेट ऑफ कंप्लीशन यानी 30 अप्रैल, 2013 तक इस सड़क का काम पूरा हो जाएगा।

कर्नल रघुबीर सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से दूसरी सप्लीमैंट्री पूछना चाहता हूं कि जैसाकि मंत्री जी ने कहा है कि ऐसी कोई प्रपोजल नहीं है जबकि पी.डब्ल्यू.डी. (बी. एण्ड आर.) मिनिस्टर ने चांग रोड से बलकरा रोड बनाने का वादा किया था।

Mr. Speaker : Col. Sahib, this does not pertain to the Agriculture Minister.

Col. Raghubir Singh : But Sir, it pertains to the road only.

Mr. Speaker : But it does not pertain to the Minister to whom you have asked the question. He is a Minister for Agriculture.

Col. Raghubir Singh : Speaker Sir, Hon'ble Minister says that there is no proposal to construct the road.

Mr. Speaker : Is it a road of PWD (B&R) Department or Haryana Agricultural Marketing Board ?

Col. Raghubir Singh : Whatever it is. Hon'ble Minister says 'No'.

Mr. Speaker : Col. Sahib, you have to be very specific in asking the question. I have allowed Mr. Nayar to speak.

श्री जगदीश नायर : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि मेरे हल्के की सड़कें टूटी पड़ी हैं। इस बारे में मैंने पिछले सैशन में भी इन सड़कों को बनाने के बारे में मंत्री जी से अनुरोध किया था।

श्री अध्यक्ष : इस बारे में आपका अलग से प्रश्न है। उस पर आप बोल लेना। माननीय मंत्री जी मार्केटिंग बोर्ड की सड़कों के बारे में बता रहे हैं आप मार्केटिंग बोर्ड की सड़कों के बारे में सवाल पूछिये।

श्री जगदीश नायर : स्पीकर सर, ठीक है मैं मार्केटिंग बोर्ड की सड़कों के बारे में अपना

[श्री जगदीश नायर]
सवाल पूछ लेता हूं। मेरे हल्के में मार्केटिंग बोर्ड की सड़कें जटौली से लहरपुर, बोराफा से डाडका, माफीजलपुर से डकोटा और गोडोता से खिखी और खेरादेवत रोड हैं। इन सड़कों के बारे में माननीय मंत्री जी बता दें कि इन सड़कों को बनाने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन हैं या नहीं?

श्री दिलबाग सिंह : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने पिछले कुछ दिन पहले एक लैटर मेरे पास भेजा कि मेरे हल्के की 11 सड़कें बनाने के लिए मन्जूर की गई हैं और इन सड़कों को अगला सत्र शुरू होने से पहले ही बना दिया जायेगा।

श्री अध्यक्ष : कहां है वह लैटर जो माननीय मंत्री जी ने आपको लिखा है?

श्री दिलबाग सिंह : सर, मुझे ही नहीं बल्कि मंत्री जी ने सभी विधायकों को ऐसा लैटर भेजा है। मैं माननीय मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि मेरे हल्के की ये 11 सड़कें कहां पर बनी हुई हैं?

Sardar Paramveer Singh : Sir, it is a separate question. ये इस बारे में मुझे लिखकर भेज दें तो इनको जवाब दे दिया जायेगा।

उद्योग मंत्री (श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला) : अध्यक्ष महोदय, मेरे काबिल दोस्त कृपा करके उन 11 सड़कों के नाम तो सदन को बता दें। ये मंत्री जी द्वारा लिखा हुआ वह लैटर तो सदन में लेकर आये नहीं हैं।

सरदार परमवीर सिंह : माननीय विधायक जी उन सड़कों के नाम लिखकर भिजवा दें तो इनको जवाब दे दिया जायेगा।

श्री दिलबाग सिंह : अध्यक्ष महोदय, मेरी बात तो सुनिए।

सरदार परमवीर सिंह : माननीय विधायक कर्नल रघुबीर सिंह जी ने जिस सड़क का नाम लिया था उमरावस से हड़ौदी की सड़क उस पर रोड़े बिछा दिए गये हैं।

डॉ० बिशन लाल सैनी : अध्यक्ष महोदय, मंत्री द्वारा लिखा गया लैटर मेरे पास है उसको मैं आपको दिखाना चाहूंगा। उस लैटर में सिर्फ यह मैन्शन किया गया है कि वर्ष 2005 से आज तक की कितनी सड़कें आपके हल्के में बनाई गई हैं उसके बारे में बतायें?

(इस समय डॉ० बिशनलाल सैनी द्वारा मंत्री द्वारा लिखा गया लैटर माननीय अध्यक्ष महोदय को हैंड ओवर किया।)

Mr. Speaker : Well, I have gone through the letter in question. There is a suggestion like that. It is a letter in which the Hon'ble Minister has asked to the Hon'ble Member that he can put his valuable suggestions and feedback at the ground level and the same will be considered. Nothing is more than that in it. Thank you.

तारांकित प्रश्न संख्या 1362

(यह प्रश्न पूछा नहीं गया क्योंकि इस समय माननीय सदस्य श्री नरेन्द्र सांगवान सदन मे उपस्थित नहीं थे।)

New Transport Policy-2012

***1277. Shri Sampat Singh :** Will the Chief Minister be pleased to state :—

(a) whether Haryana Government has notified any New Transport Policy-2012 to bridge the gap between the demand and supply of transport services in Haryana; if so, the salient features of the policy;

(b) whether there is any delay in the implementation of this policy and when it is likely to be implemented; and

(c) the total number of buses in Haryana Roadways together with the number of buses on roads ?

Industries Minister (Shri Randeep Singh Surjewala) :

Sir, a statement in this regard is laid on the table of the house.

Statement

(a) Yes Sir. Haryana Government has published a proposal of a Stage Carriage Scheme in the Official Gazette *vide* No. 17/10/2011-3T(II) dated 1.10.2012. In the proposed scheme, permits are proposed to be given to private operators on certain routes in the State, with a view to bridge the gap between demand and supply of pubic transport services.

The salient features of the proposed scheme are as under :—

1. The routes have been identified with a view to provide connectivity to the maximum possible number of villages with least possible compromise with financial viability of the route. The inter-State routes and the routes connecting two disticts headquarters have not been included.

2. The existing operators of 1993 and 2001 schemes will have an option to obtain a permit on any of the route in the district where they are holding permit included in the new scheme in lieu of their existing permit or to continue plying on their existing route.

3. 3519 permits would be offered on 1017 routes to the private operators. Haryana Roadways will continue to have exclusive jurisdiction on all the inter-State routes and all long distance routes within the States.

[Shri Randeep Singh Surjewala]

Haryana Roadways will also have right to ply on the routes included in the new Scheme.

4. No extension in route will be allowed. Temporary variation will, however, be allowed if some part of the existing route becomes non-motorable.

5. Penalty of Rs. 10000, 25000 and 50000 for first, second and third offence of plying on unauthorized route will be imposed on the operator. Permit will also be cancelled after the 3rd offence.

6. All the Haryana domicile persons, Societies/Firms/Companies registered in Haryana & Local Bodies in the State will be eligible to apply for only one permit per family (applicant, spouse and minor children), Society/Firm/Company will be given to avoid monopolization/cartelization.

7. New buses with 20 or more seats filled with GPS will be allowed.

8. Private operators shall have to carry students and other concessional/ free pass holders as carried by Haryana Roadways.

(b) There is no delay on the part of the Government in formulation of this Scheme. The proposal of the scheme has been published in the Official Gazette on 1.10.2012 and the objections received have been heard. However, in the meanwhile, the Hon'ble High Court in another case has quashed the provision of allotment of permits to the private operators under the 1993 scheme. The Advocate General has opined that it is a fit case for filing SLP in the Hon'ble Supreme Court. Further action in the matter is being taken. No time schedule can be indicated at this stage.

(c) The total bus fleet of Haryana Roadways as on 31.12.2012 is 3843 out of which 3712 buses are in operation as on above date.

प्रो० सम्पत सिंह : अध्यक्ष महोदय, इसमें कोई दो राय नहीं कि काफी समय के बाद यह ट्रांसपोर्ट पॉलिसी बनी है। प्राइवेट ट्रांसपोर्ट के लिए और पब्लिक को फैसेलिटीज देने के लिए यह पॉलिसी बनी है ताकि अनअथोराइज्ड जो व्हीकल्ज चल रहे हैं वे न चलें और एक्सीडैंट्स न हों। कई बार इस पॉलिसी में कई कमियां आई हैं और अल्टीमेटली इस बारे में इन्होंने नोटिफाईड कर दिया और बाद में इन्होंने रिप्लाई दिया। इसके बारे में ऑब्जैक्शंज आए। उसके बाद किसी ने कोर्ट में केस डाल दिया कि जिनको पुरानी नीति के मुताबिक आलरेडी परमिट मिले हुए थे उनको वरीयता दी जाए तो उसको कोर्ट ने कैंसिल कर दिया। अब इन्होंने एडवोकेट जनरल से एस.एल.पी. डालने की राय ली और एडवोकेट जनरल ने कह दिया कि एस.एल.पी. डालें। अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि आप ये एस.एल.पी. कब डाल रहे हैं क्योंकि यह बहुत बड़ी स्कीम है?

Mr. Speaker : You can not ask legal question. When they will do it you can not ask.

प्रो० सम्पत सिंह : अध्यक्ष महोदय, कोई बात नहीं मैं सेकंड प्रश्न पूछ लेता हूं। यह जो ट्रांसपोर्ट पॉलिसी इन्होंने लागू की है उस पॉलिसी के बारे में कहना चाहता हूं कि इन्होंने इसको एग्जीक्यूट करने की बात की है। पॉलिसी को ये एग्जीक्यूट कब कर देंगे? दूसरा मैं यह पूछना चाहता हूं हमारी अपनी बसिज का बेड़ा है, उसमें आने वाले फाइनैंशियल ईयर में कितनी नई बसिज और जोड़ने जा रहे हैं?

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : अध्यक्ष महोदय, जहां तक इस ट्रांसपोर्ट पॉलिसी का प्रश्न है तो मैं अपने आप को माननीय सदस्य की चिंता से जोड़ता हूं। 1993 से जो बस परमिट होल्डर्स अपनी बस चला रहे थे, 20.12.12 को आनरेबल हाई कोर्ट का निर्णय आया था और उन्होंने वह पॉलिसी क्वैश की है और हम उसकी विदइन लिमिटेशन पीरियड अपील फाइल कर रहे हैं। उच्चतम न्यायालय का जो निर्णय आएगा उसके मुताबिक 1993 की स्कीम पर आगे कार्यवाही की जाएगी। यह तो मैंने 1993 की स्कीम के बारे में बताया। 2012 की स्कीम जो हमने नोटिफाइड की है उसको हम within the period as prescribed under the Act पूरा कर लेंगे। सम्पत सिंह जी, मैं आपको बताना चाहता हूं कि उस पर हमने ऑब्जैक्शंज इन्वाइट कर लिए हैं। जहां तक हरियाणा रोडवेज की बसिज का प्रश्न है तो हमने पहले ही लिखा है कि इस समय हरियाणा रोडवेज की 3500 से अधिक बसिज चल रही हैं और समय-समय पर रिक्वायरमैंट के मुताबिक हर साल ज्यादा से ज्यादा बसिज हम बेड़े में जोड़ते हैं। कई और लग्जरी बस सर्विसिज जैसे हरियाणा उदय, आम आदमी की खास बस इत्यादि भी पिछले 4 वर्षों के अंदर हरियाणा सरकार ने जोड़ी हैं ताकि यात्रियों को बेहतर सुविधाएं मिल सकें।

प्रो० सम्पत सिंह : अध्यक्ष महोदय, अभी मंत्री जी ने जो जवाब दिया है उससे मुझे लगता है कि ये या तो मेरी बात को समझ नहीं पाए या फिर कुछ कंफ्यूजन है। मैंने 1993 की स्कीम के बारे में नहीं कहा है बल्कि मैंने 2012 की स्कीम के बारे में कहा है। 2012 की जो स्कीम बनी है उसमें एक क्लॉज लगा दी गई थी कि 1993 की और पुरानी जो पॉलिसीज हैं उनमें जो परमिट होल्डर्स हैं उनको परमिट देने के लिए वरीयता दी जाएगी। पहले उनको परमिट दिया जाएगा यानि उनको हमने गारंटी दे दी। उस बात को कोर्ट में चैलेंज किया हुआ है और उसको कोर्ट ने रिजैक्ट किया है। अब 1993 की ट्रांसपोर्ट की पॉलिसी को कोर्ट ने रिजैक्ट नहीं किया क्योंकि 1993 की पॉलिसी तो पहले ही रिजैक्ट हो चुकी है। अब आप 2012 की पॉलिसी के बारे में कह रहे हैं कि कोई नहीं है। बाकायदा 2012 की पॉलिसी के अंदर भी 1993 वाली बातें हैं और 2012 की पॉलिसी में जो आपका परमिट देने का तरीका था उसमें इन्होंने 1993 वाली बात को ही रिजैक्ट किया है, इसके लिए एस.एल.पी. डालने की बात है न कि 1993 की पॉलिसी की बात है। अध्यक्ष महोदय, मैं इस मामले में क्लैरीफाई करना चाहता था इसलिए मैं मंत्री जी से जवाब चाहता हूं कि 2012 की पॉलिसी के बारे में आप कह रहे हैं कि आप इसको जल्दी लागू करेंगे और दूसरी तरफ आप एस.एल.पी. डालने की बात कर रहे हैं तो फिर आप कैसे इसको जल्दी लागू कर देंगे?

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : अध्यक्ष महोदय, मैं थोड़ा क्लैरीफाई कर देता हूं क्योंकि मुझे लगता है कि तथ्यों में कहीं कंफ्यूजन है। 2011 की पॉलिसी कोर्ट द्वारा क्वैश हुई है न कि 2012 की पॉलिसी क्योंकि 2012 की स्कीम पर इस समय ऑब्जैक्शंज इन्वाइटिड हैं। 2011 की पॉलिसी इसलिए क्वैश की गई थी क्योंकि उसका जो फाइनल प्रपोजल का पब्लिकेशन है उसमें एक साल से भी ज्यादा का समय बीत गया था so 2011 scheme was quashed. 1993 scheme has also been quashed. I thought that is the consternation. क्योंकि पूरे प्रांत में 1993 से लेकर आज तक बसें चलती हैं उनके अंदर काफी इस बात को लेकर बेचैनी है। वह स्कीम 20 दिसम्बर, 2012 को पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के एक निर्णय से क्वैश कर दी गई इस आधार पर कि हरियाणा रोडवेज की बसिज को उन रूट्स पर बसें चलाने का अधिकार नहीं था जिन पर प्राईवेट बसें चल रहीं हैं। इसलिए हमने जो अब 2012 में स्कीम नोटिफाई की है वह इस समय विचाराधीन है, जिस पर आब्जैक्शंज इन्वाइटिड हैं। उसमें हमने जो हमारे पुराने बस आपरेटर हैं उनको हमने यह प्राथमिकता दी है, वरीयता दी है, कि वे आयें और पहले परमिटस ले लें परंतु उनको आगे एक्सटैंशन बिल्कुल नहीं दी जायेगी ताकि यह मामला हमेशा के लिए बंद हो जाये और ये लोग भी प्रोफीटेबल रूट्स पर ट्रांसफर हो सकें। This scheme is currently under consideration. In this regard, we have already made a provision. हरियाणा रोडवेज की 1993 की स्कीम इसी आधार पर क्वैश की थी इसलिए हमने पहले ही प्रावधान किया है कि हरियाणा रोडवेज की बसें भी उन रूट्स पर चल सकती हैं जहां पर प्राईवेट परमिट दिए जायेंगे ताकि दोबारा स्कीम कानूनी पेचीदगी में न फंस जाये।

Transport Facilities

***1370. Shri Naseem Ahmed :** Will the Chief Minister be pleased to state the details of villages of Firozepur Jhirka Constituency in which facility of Haryana Roadways has been provided and the details of villages in which this facility has not been provided together with the reasons thereof ?

Industries Minister (Shri Randeep Singh Surjewala) :

Yes, Sir.

A statement in this regard is laid on the table of the house.

Statement

Out of 146 villages in Firozpur Jhirka Vidhan Sabha Constituency, 64 villages have been directly connected with bus services of Haryana Roadways, which is operating 101 trips in the constituency and 25 villages are 1-1.5 Kms from the main road, where bus services are being provided.

Some of the villages are also being covered by Rajasthan State Road Transport Corpn. Buses, which are operating 48 trips and Private Coop. Society Buses, are operating 2 trips in the said Constituency. Apart from these, the roads to

15 village are under repair and bus services to these villages will be provided subject to improvement in road conditions. People from rest of the villages reach the main road through tempos/three-wheelers to avail the bus services of Haryana Roadways.

श्री नसीम अहमद : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि मंत्री जी ने बताया है कि प्रदेश में 3712 बसें चल रही हैं और मेवात जिले में केवल 30 बसें चल रही हैं और फिरोजपुर झिरका के 146 गांव में से केवल 64 गांव ऐसे हैं जो हरियाणा रोड़वेज की बसों से जुड़े हुए हैं। अध्यक्ष महोदय, मेवात के साथ ऐसा दुर्व्यवहार क्यों हो रहा है? मेवात में बस डिपू की घोषणा भी हो गई है लेकिन आज तक वहां बसों का बेड़ा नहीं बढ़ाया गया है। इसके अतिरिक्त फिरोजपुर झिरका में सब डिपू बनाने के बारे में सरकार विचार कर रही है या नहीं ताकि इस समस्या का समाधान निकाला जा सके।

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : अध्यक्ष महोदय, मेरे माननीय साथी ने उत्तर की दूसरी लाईन नहीं पढ़ी। मैंने जवाब में बताया है कि 64 गांवों को हरियाणा राज्य परिवहन की बसों से सीधे जोड़ा हुआ है तथा 25 गांव जो कि मुख्य सड़क से 1-1.5 कि.मी. मेन सड़क से दूरी पर हैं वहां भी बस सेवा प्रदान की जा रही है। इस तरह से टोटल 89 गांव फिरोजपुर विधान सभा क्षेत्र के हरियाणा रोड़वेज की बसों से कनैक्टिड हैं। इसके अतिरिक्त जो गांव राजस्थान के साथ लगते हैं उनमें कुछ गांवों में हमारी बसिज सर्विज दे रही हैं और कुछ गांवों को इंटर स्टेट अरेंजमैंट के तहत वहां से परमिट किया हुआ है, उनको राजस्थान की तरफ से बस सर्विस दी जाती है। जहां तक माननीय साथी ने मेवात में डिपू बनाने की बात की है, यह बहुत लम्बी डिमांड वहां के लोगों की थी। जहां तक मुझे याद पड़ता है भाई आफताब अहमद जी और दूसरे साथियों ने यहीं पर मेवात में डिपू बनाने की मांग उठाई थी और माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसी समय आश्वासन दिया था कि मेवात में बस डिपू बनाया जायेगा। आज वहां बस डिपू चालू कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त मैं माननीय साथी को बताना चाहूंगा कि जैसे ही बसें आयेंगी हम ज्यादा से ज्यादा बसें मेवात के लिए अलोकेट करने का प्रयास करेंगे।

श्री नसीम अहमद : अध्यक्ष महोदय, फिरोजपुर झिरका में सब डिपू बनाने के बारे में माननीय मंत्री जी ने नहीं बताया।

Shri Randeep Singh Surjewala : Sir, as this is a separate question, the information is not readily available. My learned friend may send it in writing. I will send an appropriate reply.

Construction of First Floor on Shops

***1408. Shri Ashok Kumar Arora :** Will the Chief Minister be pleased to state :—

(a) whether the Government is aware of the fact that the shop owners

[Shri Ashok Kumar Arora]

are demanding for allowing the construction of first floor on their shops allotted by HUDA in various cities in the State;

(b) whether there is any proposal under consideration of the Government to allow the shop owners; as at (a) above to construct the first floor on their shops; and

(c) if so; details of the proposal as at (a) above ?

Industries Minister (Shri Randeep Singh Surjewala) :

(a) Yes, Sir.

(b) No, Sir.

(c) In view of (b) above, question does not arise.

श्री अशोक कुमार अरोड़ा : अध्यक्ष महोदय, जिस प्रकार से अब शहरों के सैक्टर्ज में आबादी बढ़ रही है और वहां पर दुकानदारों की जो छोटी दुकानें हैं अगर उनके ऊपर पहली मंजिल पर वे अपने खर्चे पर दुकान बना लेते हैं तो इसमें सरकार को क्या दिक्कत है?

15.00 बजे **श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला :** स्पीकर सर, सबसे पहले तो मैं यह बताना चाहूंगा कि माननीय सदस्य का प्रश्न जहां तक मुझे समझ में आया है यह बूथ को लेकर है। जो पहले से ही दुकानें हैं, उनमें शॉप-कम-ऑफिस या फिर शॉप-कम-फ्लैट हुडा द्वारा आलरेडी परमिटिड हैं और बने हुए हैं। लेकिन जो बूथ हैं, क्योंकि माननीय सदस्य ने अपने प्रश्न में शॉप वर्ड यूज किया था, इसलिए हमने यह समझ लिया कि उनका मतलब बूथ से रहा होगा। सर, जहां तक बूथ का सम्बन्ध है जिन्हें हम पी.सी.ओ. भी कह देते हैं इनमें दो समस्यायें हैं पहली तो यह कि जब इनको ऑक्शन किया गया था इस बारे में मैं यह बताना चाहता हूं कि जो ऑक्शन प्राईस होता है वह एफ.ए.आर. के ऊपर आधारित होता है। इस बात को मैं एक उदाहरण के माध्यम से समझाना चाहता हूं कि मान लीजिए एक 'एक्स' नाम के व्यक्ति ने एक बूथ वर्ष 1982 में ऑक्शन प्राईस पर लिया। उसके स्पेस मुताबिक और एफ.ए.आर. निर्णय करके हमने उसका रिजर्व प्राईस निर्धारित कर दिया। आज अगर हम उसको वर्ष 2013 में पहली मंजिल बनाने की परमिशन देंगे तो इसमें पहली मुश्किल यह है कि हम उससे न तो आज की कीमत ले सकते हैं और 1982 की प्राईस डिस्कवरी आज कैसे करेंगे। दूसरी बात इस बारे में मैं यह बताना चाहता हूं कि इनमें से किसी के ऊपर भी फर्स्ट फ्लोर नहीं था इसलिए सीढ़ी चढ़ाने का प्रावधान उस समय नहीं किया गया था। अगर आज हम इनके ऊपर फर्स्ट फ्लोर की कंस्ट्रक्शन परमिट करते हैं तो उस सूरत में इनके आगे का बरामदा कवर करना पड़ेगा जिससे एक्स्ट्रा स्पेस की जरूरत पड़ेगी और इससे आवागमन में भी बाधा उत्पन्न होगी। इसमें तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कंस्ट्रक्शन के बारे में पूरी प्लानिंग जो हुडा द्वारा की जाती है वह ट्रैफिक, एनवॉयरनमैंट इत्यादि को ध्यान में रखकर की जाती है इसलिए अगर ऊपर मंजिल बनाये जाने की परमिशन दी जाती है तो फिर उसके लिए एक्स्ट्रा पार्किंग स्पेस बनाया जाता है। इन सबसे बढ़कर एक चौथा महत्वपूर्ण पहलू है कि

अगर शुरू में हमें एक फ्लोर बनाने की परमिशन मिली होगी तो हमने डी.पी.सी. भी उसी के मुताबिक डाली होगी लेकिन अगर आज हम उसके ऊपर एक या दो मंजिल बनाने की परमिशन देंगे तो ऐसे केस में सेफ्टी को कौन एश्योर करेगा और कौन गारंटी करेगा? इस प्रकार से इन चारों बातों को देखते हुए और हुडा की ओवरऑल प्लानिंग को देखते हुए यह निर्णय किया गया है कि इस निर्माण कार्य की परमिशन देना सम्भव नहीं है।

Mr. Speaker : Hon'ble Members, now the questions hour is over.

नियम 45(1) के अधीन सदन की मेज पर रखे गए तारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर

Opening of Govt. College at Assandh

***1297. Shri Zile Ram Sharma :** Will the Education Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to open a Government College in Assandh town; if so, the time by which the aforesaid college is likely to be opened ?

शिक्षा मंत्री (श्रीमती गीता भुक्कल मातनहेल) : नहीं, श्रीमान् जी।

To Metal the Passages

***1302. Dr. Hari Chand Middha :** Will the PWD (B&R) Minister be pleased to state :—

(a) whether there is any proposal under consideration of the Government to metal Kachcha passage from village Barsoula to village Dariyawala falling under Jind Assembly Constituency; and

(b) if so, the time by which the passage referred to in part (a) above is likely to be metalled ?

उद्योग निर्माण मंत्री (श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला) :

(क) नहीं, श्रीमान् जी।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

Total Number of Ponds (Johads)

***1321. Shri Parminder Singh Dhull :** Will the Chief Minister be pleased to state the total number of Ponds in Julana Constituency togetherwith the number of

[Shri Parminder Singh Dhull]
ponds lying dry and polluted alongwith the timeiine/deadline set by the Government to rehabilitate the aforesaid ponds ?

मुख्यमंत्री (श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा) :

श्रीमान् जी,

(क) जुलाना निर्वाचन क्षेत्र के गांवों में 220 तालाब हैं, जिनमें से 17 तालाब सूखे तथा 2 तालाब अपशिष्ट पानी के हैं।

(ख) 17 सूखे तालाबों में से 15 तालाबों की मिट्टी खुदाई का कार्य मनरेगा के तहत किया जाएगा तथा इन सभी 17 तालाबों को अगले 8 महीने में पुनः स्थापित कर दिया जाएगा।

(ग) गांवों के अपशिष्ट पानी की निकासी हेतु अन्य 2 तालाबों की आश्यकता है और इन्हें पुनः स्थापित करने की आवश्यकता नहीं है।

Extension of limit of Municipal Committee, Bawal

***1324. Shri Rameshwar Dayal Rajoria :** Will the Chief Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to extend the limits of Municipal Committee, Bawal; if so, the details thereof ?

मुख्यमंत्री (श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा) :

नहीं, श्रीमान् जी।

Upgradation of Polytechnic College

***1383. Shri Mamu Ram :** Will the Technical Education Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to upgrade the Guru Brahmanand Polytechnic, Nilokheri as degree college (Technical); if so, the details thereof ?

राजस्व मंत्री (श्री महेन्द्र प्रताप) :

नहीं, श्रीमान् जी।

Repair of Roads

***1310. Shri Jagbir Singh Malik :** Will the Agriculture Minister be pleased to state :—

(a) whether the following roads of Gohana Constituency are in very bad condition :—

(i) Panchi Jattan to Juan via Mahra;

(ii) Barata to Gamri;

(iii) Bidhal to Juali;

(iv) Juan to Naian Tatarpur;

(v) Juan to Mohana;

(vi) Bhatgaon to Kheri Dahiya; and

(b) if so; the time by which the above said road are likely to be repaired ?

कृषि मंत्री (सरदार परमवीर सिंह) :

(क) नहीं, श्रीमान् जी। ये सड़कें नए निर्माण के मामले हैं। इन सड़कों का निर्माण कार्य अभी तक पूरा नहीं हुआ है। चूंकि इन सड़कों का निर्माण पूरा नहीं हुआ है इसलिए मरम्मत का कोई मुद्दा नहीं है।

(ख) (i) पांची जाटान से जुआं वाया माहरा :- निर्माण कार्य 31.10.2013 तक पूर्ण होने की संभावना है।

(ii) बराटा से गामड़ी :- निर्माण कार्य 31.12.2013 तक पूर्ण होने की संभावना है।

(iii) बीधल से जुआली :- निर्माण कार्य 30.09.2013 तक पूर्ण होने की संभावना है।

(iv) जुआं से नैना तातारपुर :- निर्माण कार्य 31.12.2013 तक पूर्ण होने की संभावना है।

(v) जुआं से मोहाना :- निर्माण कार्य 31.10.2013 तक पूर्ण होने की संभावना है।

(vi) भटगांव से खेड़ी दहिया :- निर्माण कार्य 31.12.2013 तक पूर्ण होने की संभावना है।

Installation of Water Meters

***1397. Shri Pardeep Chaudhary :** Will the Public Health Engineering Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to install Water Meters in Pinjore & Kalka towns; if so, the reasons thereof ?

जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री (श्रीमती किरण चौधरी) : हां, श्रीमान् जी। हरियाणा के सभी शहरों में 15.03.2013 तक पानी के मीटर स्थापित करने का प्रस्ताव है। माननीय पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुसार, सरकार ने 'हरियाणा राज्य

[श्रीमती किरण चौधरी]
शहरी जलापूर्ति नीति 2012' को अधिसूचित किया है।

अतारांकित प्रश्न एवं उत्तर

Budget Sanctioned for Roads

323. Prof. Sampat Singh : Will the PWD (B&R) Minister be pleased to state :-

(a) the amount of budget sanctioned for construction of new roads, their repair, strengthening, widening etc. separately in the State by PWD (B&R) for the FY 2010-2011, 2011-12 and FY 2012-2013;

(b) the amount out of the aforesaid amount that has been spent year wise; and

(c) the amount sanctioned and spent in Nalwa Constituency of new roads i.e. to connect villages and on all the other aforesaid said road works, separately, in the aforesaid said period ?

उद्योग निर्माण मंत्री (श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला) :

श्रीमान् जी,

(क) वित्तीय वर्ष 2010-2011, 2011-12 तथा वित्तीय वर्ष 2012-13 के लिये लोक निर्माण (भवन तथा सड़कें) विभाग द्वारा राज्य में पृथक-पृथक नई सड़कों का निर्माण, उनकी मरम्मत, मजबूत करने, चौड़ा करने इत्यादि के लिये स्वीकृत बजट की राशि नीचे वर्णित है :-

(रुपये करोड़ों में)

वर्ष	नई सड़कों का निर्माण/मरम्मत/ चौड़ा/मजबूतीकरण करना	टिप्पणी
2010-11	1523.09	नये निर्माण के लिए अलग से
2011-12	2027.05	बजट नहीं है।
2012-13	2025.42	

(ख) उपरोक्त राशि में कितनी राशि वर्षभर खर्च की गई है, नीचे वर्णित है :-

(रुपये करोड़ों में)

वर्ष	नई सड़कों का निर्माण	सड़कों की मरम्मत/चौड़ा/ मजबूतीकरण करना
2010-11	11.54	1371.64
2011-12	25.51	1492.51
2012-13	36.48	1377.46

(ग) निर्वाचनक्षेत्र वार अलग से आबंटन नहीं है। नलवा निर्वाचनक्षेत्र में खर्च की गई राशि नीचे वर्णित है :-

(रुपये करोड़ों में)

वर्ष	खर्च की गई राशि	
	नई सड़कों का निर्माण	सड़कों की मरम्मत/चौड़ा/ मजबूतीकरण करना
2010-11	0	1.68
2011-12	0.90	2.98
2012-13	9.85	0.90

Construction of Road

279. Dr. Hari Chand Middha : Will the PWD (B&R) Minister be pleased to state :—

(a) whether there is any proposal under consideration of the Government to reconstruct the road from Safidon Gate to Safidon road By-pass of Jind city which has been damaged completely; and

(b) the date on which the whole road was re-constructed last time ?

उद्योग मंत्री (श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला) :

(क) नहीं, श्रीमान् जी। सड़क की स्थिति संतोषजनक है।

(ख) सड़क पर अंतिम सुधार या पुनर्निर्माण का विवरण सड़क के भाग अनुसार निम्न है :—

क्र.सं.	भाग	लम्बाई (कि.मी. में)	मरम्मत के प्रकार	अंतिम मरम्मत की तिथि
1.	आर.डी. 64.700 से 66.00	1.300	मजबूतीकरण	06/2002
2.	आर.डी. 66.00 से 66.120	0.120	सी.सी. पेवमैंट	07/2005
3.	आर.डी. 66.120 से 66.420	0.300	सी.सी. पेवमैंट	06/2002
4.	आर.डी. 66.420 से 66.520	0.100	मजबूतीकरण	06/2002
5.	आर.डी. 66.520 से 66.570	0.050	सी.सी. पेवमैंट	06/2002
6.	आर.डी. 66.570 से 67.00	0.430	मजबूतीकरण	06/2002
7.	आर.डी. 67.00 से 67.082	0.082	सी.सी. पेवमैंट	02/2002
8.	आर.डी. 67.082 से 67.360	0.278	मजबूतीकरण	06/2002
9.	आर.डी. 67.360 से 67.430	0.070	सी.सी. पेवमैंट	09/2007

गृह विभाग

284. श्री परमित्र सिंह ढुल : क्या मुख्यमंत्री कृपया बताएंगे कि राज्य सरकार द्वारा नये आग्नेयास्त्र लाईसैंस जारी करने संबंधी अपनाई गई नवीनतम नीति/दिशा निर्देश क्या हैं तथा अप्रैल, 2010 से जीन्द, रोहतक, कैथल, सोनीपत व सिरसा जिलों में पृथक-पृथक जारी किए गए लाईसैंसों की कुल संख्या कितनी है?

मुख्यमंत्री (श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा) :

श्रीमान् जी,

राज्य सरकार, द्वारा नये आग्नेयास्त्र लाईसैंस जारी करने संबंधित मामलों में, भारत सरकार (गृह मन्त्रालय) द्वारा जारी की गई नीति का अनुसरण किया जाता है। उपरोक्त विषय से संबंधित नवीनतम नीति अनुलग्नक 'क' पर संलग्न है। जीन्द, रोहतक, कैथल, सोनीपत व सिरसा जिलों द्वारा जारी किये गये प्रतिबंधित हथियार व बिना प्रतिबंधित हथियारों का अप्रैल, 2010 तक का जिलावार विवरण निम्न प्रकार से है :-

क्र.सं.	जिला	अप्रैल, 2010 से अब तक	प्रतिबंधित हथियार	बिना प्रतिबंधित हथियार	कुल
1.	जीन्द	सम	शून्य	654	654
2.	कैथल	सम	शून्य	367	367
3.	रोहतक	सम	2	251	253
4.	सोनीपत	सम	शून्य	644	644
5.	सिरसा	सम	शून्य	704	704
		कुल	**2**	**2620**	**2622**

अनुलग्नक 'क'

No. V-11016/16/2009–Arms
Ministry of Home Affairs
IS-II Division/Arms Section

9th Floor, Lok Nayak Bhawan, Khan Market,
New Delhi dated the 06th, April, 2010

To

Secretary (Home Department),
All States/UTs.

Subject : Grant of Arms Licences for acquisition/possession of arms.

Sir,

The undersigned is directed to say that provisions relating to grant of arms

licences have been reviewed with a view to curb proliferation of arms in the country and, in supersession of all existing instructions, the following decisions have been taken :—

(i) **Grant of Arms License for Prohibited Bore (PB) weapons**

The arms licences for acquisition of PB weapons are considered by the Central Government in the Ministry of Home Affairs (MHA). It has been decided that henceforth applications for grant of PB weapon may be considered from the following category of persons :—

(a) Those persons who face grave and imminent threat to their lives by mere reason of being residents of a geographical area (or areas) where terrorists are most active and/or are held to be prime 'targets' in the eyes of terrorists and/or are known to be inimical to the aims and objects of the terrorists and as such face danger to their lives.

(b) Those Government officials who by virtue of the office occupied by them and/or the nature of duties performed by them and/or in due discharge of their official duty have made themselves targets in the eyes of terrorists and are vulnerable to terrorist attack.

(c) Those MPs and MLAs including non-officials/private persons who by virtue of having been closely and/or actively associated with anti-terrorist programmes and policies of the Government or by mere reason of their holding views, political or otherwise, not to the liking of the terrorists, have rendered themselves open to attack by the terrorists.

(d) The family members/kith and kin of those by very nature of their duties or performance (past or present) of positions occpied in the Government (past or present) or even otherwise for known/unknown reasons have been rendered vulnerable and have come to be regarded by the terrorists as fit targets for elimination.

Accordingly, it is requested that applications for grant of PB weapons from the above category of persons may be forwarded to MHA (Arms Section) along with recommendations of the DM concerned, recommendations of the State Government and police verification.

(ii) **Grant of Arms License for Non-Prohibited Bore (NPB) weapons**

The arms licences for acquisition of NPB weapons are considered by the State Government/DM concerned. At present, there are no norms for grant of NPB weapons and some State Governments may be issuing arms licences liberally. It has been decided that :—

(a) Applications for grant of NPB arms licences may be considered from persons, who may face or perceive grave and imminent threat to their lives, for which the licensing authority will obtain an assessment of the threatfaced by the persons from the police authorities.

[Shri Bhupender Singh Hooda]

(b) No licence may be granted without police verification, which will include report on (i) antecedents of the applicant, (ii) assessment of the threat, (iii) capability of the applicant to handle arms, and (iv) any other information which the police authority might consider relevant for the grant or refusal of licence. Steps are being taken to delete the proviso to Sec. 13(2A) of the Arms Act, 1959.

(c) The police authorities may be advised to send the police report within 45 days positively failing which the concerned police officials may be liable for action.

(d) The licensing authority may call for any information/documents such as voter ID card, ration card or any other document which it may consider necessary to verify the bonafides of the applicant and to ensure that the applicant resides within its jurisdiction.

(e) The licensing authority shall be obliged to take into account the report of police authorities called for under Section 13(2) before granting arms licences and no arms license may be issued without police verification.

(iii) Grant of License under family heirloom

Attention is invited to the instructions contained in MHA's letter No. V-11019/23/95-Arms dated 28.02.1995 regarding grant of licences to the legal heir of existing licensee, after the death of the licensee or the licensee has attained the age of 70 years or had held the weapon for 25 years or more. Normally, the scope of legal heirs is extended to husband, wife, son & daughter. It has been decided to extend the scope of legal heir ship to the son-in-law, daughter-in-law, brother and sister of the existing licensee. Accordingly, the applications for transfer of weapons from the said categories of relatives of the licensee may also be considered subject to other conditions stipulated in the said letter.

(iv) Quantity of ammunition

At present, the holder of a PB arms licence is allowed to purchase 50 cartridges of ammunition of the appropriate bore per annum subject to the condition that not more than 30 cartridges can be purchased at a time. In respect of NPB weapons, the State Governments are following different norms and allowing different quantity of ammunition. It has been decided to prescribe a uniform norm and allow 50 cartridges of the appropriate bore per annum in respect of PB and NPB weapons held by licensees. However, in respect of PB and NPB weapons allowed under the family heirloom policy, the quantity of ammunition will be restricted to 30 cartridges per annum since, ordinarily, there is no threat to the legal heir and the weapon is transferred to him on sentimental grounds. A higher quantity of ammunition will be allowable on merits in exceptional cases for good and sufficient reasons to be given by the licensee, with the approval of Secretary (Home Department) of the State concerned.

(v) **Reporting use of ammunition**

It has also been decided that every State Government may prescribe reporting on use of ammunition by the licensee and devise a reporting mechanism under which each licensee may keep a record of the use of ammunition with him such as (i) date of use, (ii) place, (iii) number of bullets fired and (iv) purpose. The licensee may report use of ammunition during the previous year before purchase of ammunition in the current year to the authority concerned as per procedure to be prescribed by the State Government. Thus, the quantity of ammunition in a year shall be limited to the use of the ammunition in the previous year so that the total quantity with a licensee shall not exceed the prescribed quantity at any time. For example, if a licensee under the threat perception category had not used any ammunition in the previous year against the quota of 50 cartridges, no fresh quota for the current year will be admissible. The State Governments may issue appropriate instructions to the licensees and all the arms dealers in the State in this regard. A report on the use of ammunition by licensees may be sent by each DM to the State Government concerned on a quarterly basis and a consolidated report may be sent by the State Government to MHA on a annual basis.

(vi) **Grant of arms licence to Overseas Citizens of India (OCI)**

The existing instructions for the category of family heirloom do not cover the Overseas Citizens of India (OCIs). Requests have been received from OCIs to grant arms licenses for possession of weapons held in the family. The issue has been examined and it has been decided to cover the OCIs under the family heirloom category already in vogue for Indian citizens. An OCI may acquire the weapon in his capacity of a legal heir under the extant heirloom category. Grant of arms license to OCIs will be subject to the condition that they shall abide by the Arms Act/Rules and ensure safe custody of the weapon(s) while leaving India and deposit the same in a police station or with an approved arms dealer.

(vii) **Area validity of arms licence**

At present, powers have been delegated to the State Government for allowing all India validity of NPB licences at their level. It has been decided that the State Governments may allow area validity up to a maximum of three adjoining States and also to consider AIV requests at State level for (i) sitting Union Ministers/MPs, (ii) Personnel of Military, Para-Military, (iii) officers of All-India Services and (iv) officers with liability to serve anywhere in India and (v) Sports persons, AIV may be allowed for 3 years, after which it shall be reconsidered by the State Government based on need and the area validity can be either reduced or allowed to continue for another three years. Request from above categories of applicants may be approved at the level of Secretary (Home) of the State concerned. In the cases of applicants not covered by the above categories, the State Government shall seek prior concurrence of MHA with full justification in deserving cases. All India

[Shri Bhupender Singh Hooda]

Validity may be allowed for three years in such cases and shall be re-considered after three years by the State Government with prior concurrence of MHA. The State Government may send data of All-India validity on quarterly basis to MHA.

(viii) Renewal of arms licences

It has been decided that, at the time of renewal, re-verification of antecedents may be done by the DM through police authorities (i) in cases where DM/ Licensing Authority have any doubt, (ii) in other cases after six years *i.e.* every alternate cycle, when the licence comes up for renewal, and (iii) in all those cases where the licence has been issued by another licensing authority. In the last mentioned case, verification of the issue of licence from the issuing authority may also be stipulated along with police verification, before allowing renewal. Police authorities will be allowed a period of 60 days to send their report. It is also requested that the State Government may check the feasibility of advising all DMs to initiate the process of seeking police re-verification six months in advance, as the full record of a licensee is available with the DMs.

(ix) Replacement of unserviceable/defective weapons

Replacement of a weapon which has become unserviceable or rendered defective may be allowed on the basis of a certificate of non-serviceability of the weapon/beyond economical repair from an authorized armourer/ competent authority subject to giving a notice of not less than 45 days. In the case of a licensee whose arms licence contains a prohibitive clause for sale of weapon during the life time of the licensee (normally in the case of imported weapon), the case will be considered for replacement by the licensing authority in consultation with the Department of Customs/ Department of Revenue, on production of non-serviceability/beyond economical repair certificate from the competent authority. The new weapon will be endorsed on the licence after the old weapon has been surrendered/ disposed of as per instructions of the licensing authority.

(x) Storage/disposal of obsolete, obsolescent, confiscated, seized and recovered weapons

Instructions are in place for storage and disposal of obsolete/obsolescent, confiscated, seized/recovered prohibited bore weapons as well as non prohibited bore weapons separately. Prohibited Bore weapons which are serviceable can be allotted to Army/Central Para Military Forces/State Police by MHA (Provisioning Division). Serviceable Non-Prohibited Bore weapons can be allotted to eligible persons having arms licences subject to the conditions and procedure laid down in that behalf. Unserviceable weapons shall be destroyed or disposed of as per the procedure laid down. It has been decided to prescribe annual audit of the obsolete, obsolescent, confiscated, seized and recovered weapons.

(xi) **Data base for licences issued**

At present there is no provision requiring a licensing authority to maintain a comprehensive and complete database of all licences issued. It has been decided to maintain a database as may be specified and to share the data with the Central Government which shall maintain a national database. National database including data on PB weapons may be maintained centrally by MHA. Accordingly, instructions may be issued to all DMs to maintain a comprehensive and complete database of all licences issued by them, which may be shared with Central Government.

The above instructions would come into force with immediate effect and should be complied with strictly.

The issues with the approval of competent authority.

Yours faithfully,

(D. Diptivilasa)
Joint Secretary to the Government of India

Haryana Roadways Bus Service

320. Master Dharampal Obra : Will the Chief Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to ply the Haryana Roadways Buses from village Behal of Loharu Constituency to Chandigarh and Delhi and from village Behal to Chandigarh *via* Tosham, Hansi, Jind and from village Behal to Delhi via Bhiwani ?

मुख्यमंत्री (श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा) :

श्रीमान् जी,

इस सम्बन्ध में एक तालिका सदन के पटल पर रखी जाती है।

तालिका

क्रम संख्या	मार्ग	विवरण
1.	बहल से चण्डीगढ़ वाया तोशाम, हांसी और जींद।	जनता की मांग को ध्यान में रखते हुए हाल ही में यह बस सेवा शुरू की है। यह बहल से सुबह 4:30 पर चलती है।
2.	बहल से चण्डीगढ़ वाया भिवानी और जींद।	यह सेवा पहले से ही संचालित है। यह बहल से सुबह 11:10 पर चलती है।
3.	बहल से दिल्ली वाया भिवानी।	यह सेवा पहले से ही संचालित है। यह बहल से सुबह 8:50 पर चलती है।

Ex-servicemen Working as ALM

292. Col. Raghbir Singh : Will the Power Minister be pleased to state :—

(a) the circle-wise number of Ex-servicemen working as Assistant Linemen on D.C. rates in Uttar Haryana Bijli Vitran Nigam Ltd. and Dakshin Haryana Bijli Vitran Nigam Ltd. and whether there is any proposal under consideration of the Government to regularize the aforesaid linemen; if so, the time by which they are likely to be regularized;

(b) whether it is a fact that the ex-servicemen are performing the duties of Meter Readers; if so, the circle-wise number of the said Meter Readers; and

(c) the salary being given to those ex-servicemen as referred to in part (b) above who are performing their duties as Meter Readers together with the policy of the Government in this regard ?

बिजली मंत्री (कैप्टन अजय सिंह यादव) :

(क) श्रीमान्, उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम व दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम में डी.सी. दरों पर कोई भी भूतपूर्व-सैनिक सहायक लाईनमैन के पद पर कार्यरत नहीं है।

(ख) उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम व दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम में मीटर रीडिंग का कार्य हरियाणा एक्स सर्विसिज लीग को आऊटसोर्स पर दिया गया है। हरियाणा एक्स सर्विसिज लीग ने भूतपूर्व सैनिकों को मीटर रीडर का कार्य करने के लिए लगाया है। हरियाणा एक्स सर्विसिज लीग द्वारा मीटर रीडर के तौर पर लगाए गए भूतपूर्व सैनिकों की विवरण सहित सर्कलवार सूची सदन के पटल पर प्रस्तुत है।

(ग) हरियाणा एक्स सर्विसिज लीग के अनुसार मीटर रीडर का कार्य करने वाले भूतपूर्व सैनिकों को 7750 रुपये दिए जा रहे हैं। हरियाणा एक्स सर्विसिज लीग को यह कार्य सरकार की स्वीकृति से आऊटसोर्स पर दिया गया है। उनकी सेवाओं के लिए निगम हरियाणा एक्स सर्विसिज लीग को निम्नलिखित भुगतान करता है :—

मीटर रीडिंग	5 रुपये प्रति मीटर रीडिंग
बिल वितरण	2.50 रुपये प्रति बिल वितरण
नकद संग्रहण	6.50 रुपये प्रति बिल

सर्कलवार लगाए गए भूतपूर्व-सैनिकों की संख्या का विवरण

क्रम संख्या	सर्कल का नाम	एच.ई.एस.एल. द्वारा मीटर रीडर के तौर पर लगाए गए भूतपूर्व सैनिकों की संख्या
	दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम	
1.	भिवानी	164
2.	फरीदाबाद	175
3.	गुड़गांव	236
4.	नारनौल	125
5.	हिसार	300
6.	रेवाड़ी	144
7.	सिरसा	182
	कुल	**1326**
	उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम	
1.	अम्बाला	109
2.	झज्जर	120
3.	जींद	94
4.	कैथल	68
5.	करनाल	101
6.	कुरुक्षेत्र	105
7.	पानीपत	86
8.	रोहतक	160
9.	सोनीपत	164
10.	यमुनानगर	141
	कुल	**1148**

Number of Rape Cases

294. Shri Anil Vij : Will the Chief Minister be pleased to state :—

(a) the district wise number of cases of rape registered in the State during the period from 1st April, 2011 till date;

(b) the number of those persons who have been arrested together with the number of Challans presented in the Courts alongwith the number

[Shri Anil Vij]

of persons punished against the registered Cases referred to in part(a) above ; and

(c) the number of rapists who were found to have consumed liquor in the above said Cases ?

मुख्यमंत्री (श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा) : श्रीमान् जी, वांछित सूचना सदन के पटल पर रखी जाती है।

सूचना

भाग (क) का उत्तर :

जिलावार अवधि 01.04.2011 से 22.01.2013 के दौरान यौन उत्पीड़न के दर्ज अभियोगों की संख्या।

क्रमांक	जिला	दर्ज अभियोगों की संख्या
1.	गुड़गांव	73
2.	फरीदाबाद	91
3.	पंचकूला	34
4.	अम्बाला	42
5.	अम्बाला ग्रा०	24
6.	करनाल	131
7.	यमुनानगर	52
8.	कुरुक्षेत्र	23
9.	कैथल	40
10.	हिसार	73
11.	सिरसा	50
12.	भिवानी	70
13.	जींद	69
14.	फतेहाबाद	25
15.	रेवाड़ी	43
16.	पलवल	75
17.	नारनौल	42
18.	मेवात	71
19.	रोहतक	91
20.	सोनीपत	56
21.	पानीपत	68

क्रमांक	जिला	दर्ज अभियोगों की संख्या
22.	झज्जर	43
23.	राजकीय रेलवे पुलिस	1
	कुल	1287

भाग (ख) का उत्तर :

जिलावार अवधि 01.04.2011 से 22.01.2013 के दौरान यौन उत्पीड़न के अभियोगों में गिरफ्तार व्यक्तियों की संख्या, न्यायालय में दिये गये चालानों की संख्या व न्यायालय द्वारा दंडित व्यक्तियों की संख्या।

क्रमांक	जिला	गिरफ्तार व्यक्तियों की संख्या	न्यायालय में दिये गये चालानों की संख्या	न्यायालय द्वारा दंडित व्यक्तियों की संख्या
1.	गुड़गांव	100	62	6
2.	फरीदाबाद	102	59	2
3.	पंचकूला	37	28	0
4.	अम्बाला	52	33	1
5.	अम्बाला ग्रा०	29	22	1
6.	करनाल	179	109	4
7.	यमुनानगर	68	40	4
8.	कुरुक्षेत्र	29	16	0
9.	कैथल	53	36	7
10.	हिसार	123	54	0
11.	सिरसा	51	36	6
12.	भिवानी	102	59	5
13.	जींद	102	62	7
14.	फतेहाबाद	33	20	2
15.	रेवाड़ी	47	19	7
16.	पलवल	59	45	0
17.	नारनौल	52	33	0
18.	मेवात	49	43	0
19.	रोहतक	175	80	0
20.	सोनीपत	85	41	0
21.	पानीपत	62	42	0
22.	झज्जर	51	36	1
23.	राजकीय रेलवे पुलिस	15	1	0
	कुल	1655	976	53

[श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा]
भाग (ग) का उत्तर :

जिलावार अवधि 01.04.2011 से 22.01.2013 के दौरान यौन उत्पीड़न के अभियोगों में शराब के नशे में पाए गए अभियुक्तों की संख्या।

क्रमांक	जिला	शराब के नशे में पाए गए अभियुक्तों की संख्या
1.	गुड़गांव	0
2.	फरीदाबाद	0
3.	पंचकूला	2
4.	अम्बाला	0
5.	अम्बाला ग्रा०	0
6.	करनाल	0
7.	यमुनानगर	0
8.	कुरुक्षेत्र	0
9.	कैथल	0
10.	हिसार	0
11.	सिरसा	0
12.	भिवानी	7
13.	जींद	0
14.	फतेहाबाद	0
15.	रेवाड़ी	0
16.	पलवल	0
17.	नारनौल	0
18.	मेवात	0
19.	रोहतक	0
20.	सोनीपत	0
21.	पानीपत	0
22.	झज्जर	0
23.	राजकीय रेलवे पुलिस	0
	कुल	9

To Give Status of Tourist Centre

298. Smt. Kavita Jain : Will the Chief Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to give the status of Tourist Centre to the famous Khawaja Khijar Makbra situated in Sonepat City ?

मुख्यमंत्री (श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा) : नहीं, श्रीमान् जी ।

Construction of Bus Stand at Barwala

335. Shri Devender Kumar Bansal : Will the Chief Minister be pleased to state whether it is a fact that Barwala Bus Stand has been approved since a long time but the construction work has not been started thereon so far ?

मुख्यमंत्री (श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा) : हां, श्रीमान् जी, बस स्टैण्ड बरवाला (पंचकूला) के निर्माण हेतु प्रशासकीय स्वीकृति सरकार द्वारा दिनांक 11.07.2002 को प्रदान कर दी गई थी । लोक निर्माण विभाग (भवन एवं सड़कें) द्वारा वर्ष 2003 में कार्य आरम्भ कर दिया गया था परन्तु माननीय पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा सिविल रिट पटिशन नं० 7900 ऑफ 2003 के तहत स्थगन आदेश होने के कारण कार्य पूरा नहीं हो सका । यह सिविल रिट पटिशन बाद में माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 03.08.2005 को खारिज कर दी गई । लोक निर्माण विभाग (भवन एवं सड़कें) द्वारा 41.06 लाख की राशि का कच्चा अनुमान भेजा गया जो कि सरकार द्वारा पहले ही अनुमोदित कर दिया गया है तथा लोक निर्माण विभाग (भवन एवं सड़कें) के संबंधित कार्यकारी अभियन्ता के पास यह राशि दिनांक 05.09.2011 को जमा करा दी गई है । लोक निर्माण विभाग (भवन एवं सड़कें) द्वारा निर्माण कार्य जल्द ही शुरू किये जाने की संभावना है ।

Foreign Investment in the State

304. Shri Abhey Singh Chautala : Will the Chief Minister be pleased to state :—

(a) the details of investment made in the State of Haryana, by the foreign investors, during the period from 1.4.2005 till date, and

(b) the benefits, if any, accuring to the State as a result of investment as stated at (a) above ?

मुख्यमंत्री (श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा) :

(क) राज्य में वर्ष 1.4.2005 से अब तक 9628.51 करोड़ रुपये का विदेशी पूंजी निवेश हुआ है ।

[श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा]

(ख) राज्य में विदेशी पूंजी निवेश से औद्योगिक क्षेत्र में रोजगार के विभिन्न अवसर उत्पन्न हुये हैं और औद्योगिक गतिविधियों में उन्नति के साथ राज्य का चौमुखी विकास हुआ है। राज्य के उद्योगों में तकनीकी प्रगति के साथ-साथ नई सहायक इकाईयों का भी सृजन हुआ है। राज्य सरकार को इस विदेशी पूंजी निवेश से विभिन्न करों द्वारा प्राप्त राज्य राजस्व में बढ़ोतरी हुई है।

Land Released by Industries Department

305. Shri Ashok Kumar Arora : Will the Industries and Commerce Minister be pleased to state :—

(a) the district-wise details of cases, in which land was released and/or re-allotted after starting the acquisition process under section 4 and 6 of the Land Acquisition Act 1894, in the State, for HSIIDC during the period from 01.04.2005 till date;

(b) the total number of cases with details thereof, as at (a) above, adjudicated by Hon'ble Punjab and Haryana High Court and the Apex Court; and

(c) the action taken by the Government on the basis of decision of the courts of Law, as at (b) above ?

उद्योग मंत्री (श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला) : श्रीमान् जी, उपरोक्त प्रश्न का उत्तर, विशेषतयः माननीय पंजाब तथा हरियाणा उच्च न्यायालय और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों का ब्यौरा, जिस में विस्तृत सूचना को संग्रहित तथा व्यवस्थित करना सम्मलित है, इच्छित परिणाम के अनुरूप नहीं होगा।

Construction of Over Bridge

352. Shri Bishan Lal Saini : Will the PWD (B&R) Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to construct an over-bridge on the Ladwa road near Railway Station of Mustafabad (Yamunanagar) ?

उद्योग मंत्री (श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला) : श्रीमान् जी, यह मामला विचाराधीन है।

Budget Allotted for Agriculture Development

310. Shri Pirthi Singh Nambardar : Will the Agriculture Minister be pleased to state :—

(a) the budget allocated for the Agricultural Development in the State, during the period from 2008-2009 to 2010-2011 yearwise; and

(b) the total amount spent for the Agricultural development in the State, during the period from 2008-2009 to 2010-2011 yearwise ?

कृषि मंत्री (सरदार परमवीर सिंह) : श्रीमान् जी,

(क) राज्य में कृषि विकास के लिए कुल आबंटित बजट, केन्द्रीय स्कीमों के बजट सहित, निम्न प्रकार है :–

वर्ष	लाख रुपये
2008-2009	20575.55
2009-2010	25173.37
2010-2011	38185.40

(ख) राज्य में कृषि विकास पर कुल प्लान खर्च, केन्द्रीय स्कीमों के बजट सहित, निम्न प्रकार है :–

वर्ष	लाख रुपये
2008-2009	15830.33
2009-2010	24687.42
2010-2011	33930.12

Schedule for Electricity Supply

314. Shri Pardeep Chaudhary : Will the Power Minister be pleased to state whether it is a fact that the schedule for electricity supply in the villages of Raipur Rani and Barwala area have not been changed for the last several years; if so, whether there are any norms for change of schedule together with detail thereof ?

बिजली मंत्री (कैप्टन अजय सिंह यादव) : श्रीमान्, 11 के.वी. फीडरों की समय सारणी राज्य सरकार की नीति के अनुसार और बिजली की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए बनाई जाती है। समस्त हरियाणा राज्य के गांवों की बिजली की समय सारणी एक समान

[कैप्टन अजय सिंह यादव]
है। रायपुररानी तथा बरवाला के गांवों के लिए बिजली की समय सारणी अलग से नहीं है।

पिछले 3 वर्षों में ग्रामीण घरेलू उपभोक्ता श्रेणी के लिए बिजली की समय सारणी 11-12 घंटे प्रति दिन है।

Deployment of Security Personnel

311. Shri Ram Pal Majra : Will the Chief Minister be pleased to state :—

(a) the names and addresses of the persons, officials and non-officials who have been provided with security by the State Government separately, during the period from 01.04.2005 to 31.12.2012; and

(b) the number of security personnel alongwith the date since when security has been given and the expenditure involved on security as (a) above.

मुख्यमंत्री (श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा) : श्रीमान् जी,

(क),(ख) इस बारे में सूचना एकत्रित करने के जो प्रयास और संसाधन वांछित हैं, वह इस सूचना से होने वाले लाभ के अनुरुप नहीं हो सकेंगे।

Electricity Purchased from Other States

318. Shri Krishan Lal Panwar : Will the Power Minister be pleased to state :—

(a) whether it is a fact that the State Government has purchased the electricity from other States, during the period from 01.04.2011 to 31.12.2012;

(b) if so, the names of the States from which the electricity, as at (a) above has been purchased; and

(c) the details of the electricity i.e. quantity, rates etc. purchased as at (a) above ?

बिजली मंत्री (कैप्टन अजय सिंह यादव) :

श्रीमान्, सदन के पटल पर एक विवरण प्रस्तुत है।

विवरण

(ए) हरियाणा में एन.आई.टी. आमंत्रित करके अल्प अवधि बिजली की खरीद के माध्यम से तथा बैंकिंग बिजली प्रबन्धों के माध्यम से अन्य राज्यों से बिजली प्राप्त करके बिजली की कमी को पूरा किया जाता है।

दिनांक 01.04.2011 से 31.12.2012 तक की अवधि के लिए हरियाणा द्वारा अल्प अवधि प्रबन्धों तथा बैंकिंग/स्वैप प्रबन्धों के माध्यम से प्राप्त की गई बिजली की मात्रा से संबंधित विवरण निम्न प्रकार है :–

(I) दिनांक 01.04.2011 से 31.12.2012 तक की अवधि के दौरान अल्पावधि से खरीदी गई बिजली के माध्यम से प्राप्त की गई बिजली की मात्रा का विवरण :

वित्त वर्ष	मात्रा (लाख यूनिट में)	प्रति यूनिट दर
2011-12	शून्य	–
2012-13 (31.12.2012 तक)	7193.70	3.89
योग	**7193.70**	**3.89**

(II) दिनांक 01.04.2011 से 31.12.2012 तक की अवधि के दौरान बैंकिंग प्रबंध के अन्तर्गत प्राप्त की गई बिजली की मात्रा का विवरण :

वित्त वर्ष	मात्रा (लाख यूनिट में)
2011-12	19334.18
2012-13 (31.12.2012 तक)	7338.52
योग	**26672.70**

(बी) उन राज्यों के नाम जिनसे बिजली अल्पावधि बिजली खरीद के माध्यम से तथा बैंकिंग प्रबंधों के अन्तर्गत बिजली प्राप्त की गई है।

1. हिमाचल प्रदेश	5. सिक्किम	9. उत्तर प्रदेश
2. छत्तीसगढ़	6. गुजरात	10. आंध्र प्रदेश
3. राजस्थान	7. तमिलनाडू	11. जम्मू और कश्मीर
4. पश्चिम बंगाल	8. उत्तराखंड	12. उड़ीसा

(सी) बैंकिंग प्रबंध के अन्तर्गत बिजली अर्थात् मात्रा/अल्पावधि बिजली की दरें

[कैप्टन अजय सिंह यादव]

तथा प्राप्त की गई बिजली की मात्रा का विवरण निम्न प्रकार है :

(i) **अल्पावधि से खरीदी गई बिजली**

राज्य/ परियोजना का नाम	वित्त वर्ष 2011-12			वित्त वर्ष 2012-13 (31.12.2012 तक)		
	मात्रा (लाख यूनिट में)	घटते क्रम के अनुसार प्रति यूनिट दर	हरियाणा की कुल बिजली खरीद के लिए अल्प अवधि बिजली का प्रतिशत	मात्रा (लाख यूनिट में)	घटते क्रम के अनुसार प्रति यूनिट दर	हरियाणा की कुल बिजली खरीद के लिए अल्प अवधि बिजली का प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7
हिमाचल प्रदेश पी.टी.सी. के माध्यम से करचम वान्टगू	शून्य	-	-	280.2	4.44	0.09
पश्चिम बंगाल टाटा पावर के माध्यम से	शून्य	-	-	433.24	4.27	0.14
गुजरात अदानी के माध्यम से	शून्य	-	-	104.25	4.00	0.03
छत्तीसगढ़ जी.एम.आर. के माध्यम से बाल्को	शून्य	-	-	527.14	3.99	0.17
हिमाचल प्रदेश पी.टी.सी. के माध्यम से	शून्य	-	-	3464.9	3.88	1.15
राजस्थान श्री सीमेंट	शून्य	-	-	684.20	3.85	0.23
सिक्कम मित्तल के माध्यम से	शून्य	-	-	343.72	3.80	0.11
पश्चिम बंगाल एन.वी.वी.एन. के माध्यम से	शून्य	-	-	3.00	3.70	0.00

1	2	3	4	5	6	7
हिमाचल प्रदेश एन.वी.वी.एन. के माध्यम से करचम वान्टगू	शून्य	-	-	865.68	3.67	0.29
छत्तीसगढ़ पी.टी.सी. के माध्यम से बाल्को	शून्य	-	-	309.68	3.67	0.10
छत्तीसगढ़ गॉलेज इफ्रास्ट्रक्चर से माध्यम से	शून्य	-	-	177.67	3.67	0.06
योग	शून्य	-	-	7193.68	3.89	2.38

नोट : अप्रैल 2012 से दिसम्बर 2012 तक हरियाणा सरकार द्वारा खरीदी गई कुल बिजली (ला.यू. में) 302136.17 लाख यूनिट

(ii) बैंकिंग पावर :

बैंकिंग/स्वैप प्रबंध के अन्तर्गत प्राप्त बिजली की मात्रा पूरी तरह से विनिमय प्रणाली पर है तथा इसमें कोई नकदी लेन-देन शामिल नहीं है। बैंकिंग प्रणाली के अन्तर्गत प्राप्त बिजली की मात्रा का विवरण निम्न प्रकार है :

बैंकिंग पावर

वित्त वर्ष 2011-12

राज्य/परियोजना का नाम	मात्रा (लाख यूनिट में)	घटते क्रम में हरियाणा की कुल बिजली खरीद के लिए बैंकिंग पावर का प्रतिशत
1	2	3
हिमाचल प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड	4122.52	1.07
राजस्थान टाटा के माध्यम से	3768.00	0.98
उत्तर प्रदेश मित्तल प्रोसैसर के माध्यम से	2648.04	0.69
जम्मू और कश्मीर	2641.20	0.69
पश्चिम बंगाल पी.टी.सी. के माध्यम से	1658.72	0.43
राजस्थान एन.वी.वी.एन. के माध्यम से	1642.50	0.43
पश्चिम बंगाल एन.वी.वी.एन. के माध्यम से	1477.08	0.38

[कैप्टन अजय सिंह यादव]

1	2	3
उत्तराखंड मिस्तल प्रौसेसर के माध्यम से	514.18	0.13
तमिलनाडू बिजली बोर्ड (एन.वी.वी.एन. के माध्यम से)	337.03	0.09
छत्तीसगढ़ बोर्ड एन.वी.वी.एन. के माध्यम से	334.63	0.09
दिल्ली बी.एस.ई.एस. राजधानी पावर लिमिटेड	87.86	0.02
तमिलनाडू बिजली बोर्ड पी.टी.सी. के माध्यम से	60.34	0.02
आंध्र प्रदेश मिस्तल प्रोसैसर के माध्यम से	33.08	0.01
छत्तीसगढ़ पी.टी.सी. के माध्यम से	9.00	0.00
योग	19334.18	5.04

बैंकिंग पावर

वित्त वर्ष 2012-13 (31.12.2012 तक)

राज्य/परियोजना का नाम	मात्रा (लाख यूनिट में)	घटते क्रम में हरियाणा की कुल बिजली खरीद के लिए बैंकिंग पावर का प्रतिशत
1	2	3
हिमाचल प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड	1822.25	0.60
जम्मू और कश्मीर	1301.95	0.43
राजस्थान श्री सीमेंट लिमिटेड	906.55	0.30
राजस्थान जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, पी.टी.सी. के माध्यम से	864.00	0.29
पश्चिम बंगाल एन.वी.वी.एन. के माध्यम से	716.30	0.24
राजस्थान एन.वी.वी.एन. के माध्यम से	600.00	0.20
आंध्र प्रदेश मिस्तल प्रोसैसर के माध्यम से	362.00	0.12
पश्चिमी बंगाल पी.टी.सी. के माध्यम से	300.00	0.10
राजस्थान टाटा के माध्यम से	216.00	0.07

1	2	3
उड़ीसा ग्रिडको, एन.वी.वी.एन. के माध्यम से	131.50	0.04
सिक्किम मित्तल प्रोसैसर के माध्यम से	101.96	0.03
जम्मू और कश्मीर, एन.वी.वी.एन. के माध्यम से	16.01	0.01
योग	7338.52	2.43

Installation of Lights

356. Shri Rajbir Singh Barara : Will the PWD (B&R) Minister be pleased to state whether it is a fact that street lights have not been installed on both sides of the Naggal overbridge and in Saha town situated on Shahbad to Panchkula National Highway, if so, the time by which the said street lights are likely to be installed ?

उद्योग मंत्री (श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला) :

(i) हां, श्रीमान् जी, यह रेलवे उपरिपुल ग्रामीण क्षेत्र में पड़ता है इसलिए इस पर स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था का कोई प्रावधान नहीं है। यातायात की सुरक्षा हेतु चमकदार पट्टियां (रिट्रो-रिफलेक्टिव टेप) व चेतावनी चिन्ह (हैजाड़ मार्क) रेलवे उपरिपुल के दोनों तरफ लगाये हुए हैं।

(ii) साहा कस्बे में सरकार द्वारा सड़क पर स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था की कोई योजना नहीं है।

Cases of Rape, Eve Teasing etc.

362. Smt. Renuka Bishnoi : Will the Chief Minister be pleased to state :—

(a) the number of cases of rape, eve-teasing and atrocities on the down trodden registered in the State during the last 8 years;

(b) the reasons of deteriorating situation of law and order in the State;

(c) the number of culprits arrested to date in cases of rape, eve-teasing and atrocities on the down trodden togetherwith the reasons of delay in arresting the remaining culprits; and

(d) the special steps taken by the Government to control the increasing incidents of rape, eve-teasing and atrocities on the down-trodden in the State ?

मुख्यमंत्री (श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा) : श्रीमान् जी, वांछित सूचना सदन के पटल पर रखी जाती है।

सूचना

(क) तालिका में 2005 से जनवरी 2013 में बलात्कार, छेड़छाड़ और अनुसूचित जातियों पर अत्याचार से सम्बन्धित दर्ज अभियोग दर्शाये गए हैं।

वर्ष	बलात्कार के दर्ज मुकदमें	छेड़छाड़ के दर्ज मुकदमें	निम्न वर्ग पर अत्याचार के दर्ज मुकदमें
1	2	3	4
2005	461	597	162
2006	608	491	145
2007	488	409	147
2008	631	605	222
2009	603	605	203
2010	720	580	215
2011	733	490	209
2012	686	534	215
जनवरी 2013	61	81	23

(ख) राज्य में कानून एवं व्यवस्था की स्थिति नहीं बिगड़ी है और शान्तिपूर्ण एवं नियन्त्रण में है।

(ग) तालिका में 2005 से जनवरी 2013 में बलात्कार, छेड़छाड़ और अनुसूचित जातियों के विरुद्ध अत्याचार के अभियोगों में गिरफ्तार व्यक्तियों की संख्या दर्शाई गई हैं।

वर्ष	बलात्कार के दर्ज मुकदमें में गिरफ्तार दोषी	छेड़छाड़ के दर्ज मुकदमें में गिरफ्तार दोषी	निम्न वर्ग पर अत्याचार के दर्ज मुकदमें में गिरफ्तार दोषी
2005	568	717	295
2006	740	657	226
2007	596	699	223
2008	822	717	434
2009	825	853	260
2010	828	622	547
2011	817	570	327
2012	894	624	432
जनवरी 2013	99	96	33

जितने अभियोग दर्ज हैं उनसे ज्यादा दोषियों को गिरफ्तार कर लिया गया है क्योंकि बहुत से अभियोगों में एक से अधिक दोषी हैं कुछ अभियोगों में एक दोषी है। दोषियों को गिरफ्तार करने में कोई देरी नहीं की जाती और जो दोषी जिस अभियोग में संलिप्त हैं, उन सभी दोषियों को जल्द पकड़ने में कोई प्रयास नहीं छोड़े जाते हैं।

(घ) महिलाओं के विरुद्ध अपराध को नियन्त्रित एवं हल करने के लिए उठाए गए कदम

हरियाणा सरकार, राज्य में महिलाओं के संरक्षण व सुरक्षा को लेकर पूर्ण रूप से प्रतिबद्ध है। महिलाओं के विरुद्ध सभी अपराधों को रोकने व अपराधियों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही को सुनिश्चित किया जा रहा है। महिला विरुद्ध अपराध अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति से संबंधित महिलाओं के विरुद्ध अपराधों की निगरानी के लिए, राज्य सरकार ने एक वरिष्ट अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक को अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (महिला विरुद्ध अपराध) को राज्य स्तर पर नियुक्त किया है। हाल ही में अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, महिला विरुद्ध अपराध के सहयोग के लिये एक महिला पुलिस महानिरीक्षक को नियुक्त किया गया है। एक चार अंकों का नम्बर 1091 महिलाओं के सहायता के लिये पूरे राज्य में सक्रिय हो गया है। संकट में महिलाओं को तत्काल मदद प्रदान करने के लिए पुलिस कंट्रोल रूम व वैन में विशेष रूप से महिला कर्मचारियों की नियुक्ति की गई है। विभाग ने अनुसंधान अधिकारियों को यौन संबंध के मामले एक महीने में तथा छेड़छाड़ और यौन उत्पीड़न के मामलों को 15 दिन में और बलात्कार तथा छेड़छाड़ के दोषियों को 24 घंटों में गिरफ्तार करने और मुकदमा दर्ज करने का लक्ष्य निर्धारित करने के लिए कहा है। हरियाणा राज्य में महिला विरुद्ध अपराधों में जल्द से जल्द कार्यवाही के लिए 11 फॉस्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित किए हैं। शिकायतकर्ता महिलाओं एवं बच्चों को सम्भालने/बात सुनने के लिए महिला पुलिस कर्मचारियों द्वारा महिला एवं बाल डैस्क स्थापित किए गए हैं। छेड़छाड़ की घटनाओं को नियन्त्रित करने के लिए माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेशों की दृढ़ता से पालना हेतु जारी किया गया है।

निम्न वर्ग पर अत्याचार के लिए उठाए गए कदम

सरकार ने अनुसूचित जाति एवं जनजाति के विरुद्ध अपराध की रोकथाम व जांच के लिए एक विस्तृत तंत्र का गठन किया है। माननीय मुख्यमंत्री, हरियाणा की देखरेख में राज्य स्तर पर पीड़ितों को राहत तथा पुनर्वास के लिए एक सतर्कता और निगरानी समिति का गठन किया गया है। यदि कोई अनुसूचित जाति का सदस्य कोई आपराधिक मामला दर्ज करवाता है तो उसे स्पैशल रिपोर्टिड मुकदमों में लिया जाता है तथा उसका अनुसंधान उप पुलिस अधीक्षक स्तर के अधिकारी द्वारा किया जाता है। मामले की प्रगति मण्डल स्तर और पुलिस मुख्यालय पर की जाती है। हरियाणा सरकार ने अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के लिए हर जिले में वरिष्ठ अतिरिक्त सत्र न्यायधीश की विशेष अदालत में नियुक्ति की है। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के तहत महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्थानों जैसे न्यायालय, पुलिस थाना इत्यादि होर्डिंग के माध्यम प्रदर्शन करके जनता को जागरुक किया जा रहा है।

Construction Along the Scheduled Roads

324. Sh. Sampat Singh : Will the PWD (B&R) Minister be pleased to state the number of buildings constructed along schedule roads located in the limits of the local authorities and the number of such buildings which were in existence immediately before the commencement of the Punjab Scheduled Roads and Controlled Areas Restriction of Unregulated Development (Haryana Amendment) Act, 2009 that have been regularised, together with the money received by the Government along with the number of such buildings identified at that time and further action taken in the matter ?

मुख्यमंत्री (श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा) : श्रीमान् जी, दिनांक 15.2.2013 को स्थानीय निकायों की सीमा में पड़ने वाली अनुसूचित सड़कों पर 13969 निर्माण/भवन विद्यमान हैं जिनमें से 1965 ऐसे निमार्णों/भवनों का नियमन किया जा चुका है जो कि पंजाब अनुसूचित सड़कें तथा नियंत्रित क्षेत्र अनियमित विकास निर्बन्धन (हरियाणा संशोधन) अधिनियम, 2009 के लागू होने के समय विद्यमान थे। ऐसे 1965 निर्माणों/भवनों के नियमन से 11,23,75,645 रुपये बतौर नियमन शुल्क वसूल किये गये हैं। उस समय ऐसे निर्माणों की संख्या 13804 थी और दिनांक 15.02.2013 तक ऐसे 242 निर्माण ध्वस्त किये जा चुके हैं।

To Metal the Roads

280. Dr. Hari Chand Middha : Will the PWD (B&R) Minister be pleased to state :—

(a) whether there is any proposal under consideration of the Government to metal and widen the road from Safidon road to village Lohchab and from village Lohchab to village Dalmwala via village Khunga; and

(b) if so, the time by which the road referred to in part (a) is likely to be reconstructed and widened ?

उद्योग मंत्री (श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला) :

(क) नहीं, श्रीमान् जी।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

Fine Collected by Traffic Police

285. Sh. Parminder Singh Dhull : Will the Chief Minister be pleased to state the district-wise breakup of total fine collected by the traffic police for traffic-related offences/challans in the current financial year ?

मुख्यमंत्री (श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा) : श्रीमान् जी, वांछित सूचना सदन के पटल पर रखी जाती है।

सूचना

(क) यातायात पुलिस द्वारा यातायात सम्बन्धित अपराधों में किये गये चालानों से तत्कालीन वित्त वर्ष (दिनांक 01.04.2012–31.01.2013) में जिलावार प्राप्त की गई जुर्माने की राशि का विवरण निम्न प्रकार से है :–

क्र.सं.	जिला का नाम	प्राप्त राशि (रु०)
1.	अम्बाला	96,70,400
2.	पंचकूला	66,26,752
3.	यमुनानगर	1,21,65,400
4.	कुरुक्षेत्र	99,32,800
5.	कैथल	35,06,700
6.	करनाल	49,56,900
7.	पानीपत	2,79,32,200
8.	सोनीपत	1,26,44,500
9.	रोहतक	97,07,100
10.	झज्जर	1,24,86,000
11.	हिसार	51,02,100
12.	फतेहाबाद	24,38,700
13.	सिरसा	62,27,600
14.	भिवानी	1,10,75,000
15.	जीन्द	80,40,900
16.	गुड़गांव	6,33,32,300
17.	फरीदाबाद	4,73,90,600
18.	पलवल	80,42,400
19.	रिवाड़ी	33,55,900
20.	नारनौल	1,70,24,700
21.	मेवात	3,19,54,100
	कुल	**31,36,13,052**

CHC in Village Obra

322. **Master Dharam Pal Obra :** Will the Health Minister be pleased to state whether it is a fact that the construction work on the proposed Community Health Centre in village Obra has not been started so far; if so, the reasons thereof ?

स्वास्थ्य मंत्री (राव नरेन्द्र सिंह) :

हां, श्रीमान् जी । सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र का निर्माण आरम्भ नहीं किया गया है क्योंकि उप स्वास्थ्य केन्द्र को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में अभी तक अपग्रेड नहीं किया गया है ।

Upgradation of Schools

293. Col. Raghbir Singh : Will the Education Minister be pleased to state :—

(a) the number of schools of Boys and Girls upgraded from Middle to High school and from High to 10+2 schools separately in Villages of Badhra constituency during the period from March, 2010 to January, 2013; and

(b) whether there is any proposal under consideration of the Government to upgrade any schools in Badhra constituency during the current financial year; if so, the names of such schools which are likely to be upgraded ?

शिक्षा मंत्री (श्रीमती गीता भुक्कल मातनहेल) :

(क) श्रीमान् जी, बाढ़ड़ा निर्वाचन क्षेत्र के गांवों के न तो किसी लड़के तथा न ही लड़कियों के विद्यालयों को मार्च, 2010 से जनवरी, 2013 तक की समयावधि में माध्यमिक से उच्च तथा उच्च से 10+2 स्तर तक स्तरोन्नत किया गया है ।

(ख) बाढ़ड़ा विधानसभा क्षेत्र के तीन विद्यालयों को चालू वित्त वर्ष में स्तरोन्नति हेतु विचारा गया था, परन्तु इनमें से कोई भी स्तरोन्नति के मापदण्ड पूर्ण नहीं करता है ।

Allotment of Land/Flats

295. Sh. Anil Vij : Will the Industries and Commerce Minister be pleased to state :—

(a) the details of Land or Flats allotted by HSIIDC under discretionary quota in the State since formation of HSIIDC till date with name of beneficiaries, locations and area of land; and

(b) reasons for allotment made under discretionary quota ?

उद्योग मंत्री (श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला) :

(क) एच.एस.आई.आई.डी.सी. द्वारा विवेकाधीन कोटे के अधीन भूमि या फ्लैटों के आबंटन हेतु ऐसी कोई नीति नहीं बनाई गई है ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

Development Works

299. Smt. Kavita Jain : Will the Public Health Engineering Minister be pleased to state the yearwise and District-wise details of the amout spent on various development works during the period from year 2005 to 2012 by Public Health Engineering Department ?

जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री (श्रीमती किरण चौधरी) : श्रीमान् जी, वर्ष 2005 से 2012 तक की अवधि के दौरान विभिन्न विकास कार्यों पर खर्च की गई राशि का वर्षवार और जिलावार ब्यौरा दर्शाने वाली स्टेटमैंट सदन के पटल पर रखी है।

स्टेटमैंट

वर्ष 2005 से 2012 तक की अवधि के दौरान विभिन्न विकास कार्यों पर खर्च की गई राशि का वर्षवार व जिलावार ब्यौरा

क्र.सं.	जिला	विकास कार्यों पर खर्च की गई राशि (लाखों में)				
		2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10
1.	अम्बाला	2065.62	2418.17	1126.06	3284.56	2954.91
2.	भिवानी	1191.55	1950.79	3816.45	4955.28	4701.01
3.	फरीदाबाद	138.84	285.04	733.00	1109.97	947.92
4.	फतेहाबाद	1680.81	1136.55	1740.90	1679.29	3787.95
5.	गुड़गांव	850.52	1278.15	2424.38	2122.67	3494.62
6.	हिसार	1285.06	1777.97	2375.60	2638.33	2133.31
7.	झज्जर	1228.50	1378.30	4804.22	6098.09	3856.01
8.	जीन्द	1498.56	2090.53	3744.83	5381.57	4175.93
9.	कैथल	999.98	2376.08	3190.05	3776.93	4008.30
10.	करनाल	631.96	1263.89	1950.21	2141.29	2163.42
11.	कुरुक्षेत्र	671.83	807.93	1407.41	1838.16	1070.70
12.	महेन्द्रगढ़	1258.32	1893.21	1945.54	2683.80	1956.11
13.	मेवात	971.72	2414.36	6113.36	4445.10	3690.16
14.	पलवल	149.08	1355.07	3204.11	2447.16	1888.47
15.	पंचकूला	142.94	540.02	670.60	1218.29	1322.97
16.	पानीपत	767.56	1396.93	1279.91	5858.74	2013.61
17.	रिवाड़ी	1215.70	2044.70	2434.98	4755.16	3625.55
18.	रोहतक	3832.27	5504.47	8588.87	13403.70	11375.76
19.	सिरसा	858.91	2158.19	3386.08	4600.71	4205.58
20.	सोनीपत	2712.53	3423.12	4306.43	5751.62	5113.23
21.	यमुनानगर	1582.75	1433.98	1638.42	2174.07	1807.47
	कुल	**25735.01**	**38927.45**	**60881.41**	**82364.49**	**70293.08**

[श्रीमती किरन चौधरी]

क्र.सं.	जिला	विकास कार्यों पर खर्च की गई राशि (लाखों में)			
		2010-11	2011-12	2012-13 31.1.2013 तक	कुल वर्ष 2005-2013
1.	अम्बाला	9638.88	6263.73	11583.03	39334.96
2.	भिवानी	16591.41	13632.24	15210.96	62049.78
3.	फरीदाबाद	379.42	1279.67	560.46	5434.32
4.	फतेहाबाद	7327.00	4726.21	3210.36	25289.07
5.	गुड़गांव	3936.67	2871.89	3159.54	20138.44
6.	हिसार	4847.60	3548.70	5128.08	23734.65
7.	झज्जर	4060.82	5114.57	3593.19	30133.70
8.	जीन्द	3430.82	4448.20	3573.11	28343.55
9.	कैथल	9192.75	5490.99	4435.68	33470.76
10.	करनाल	1841.58	2953.05	3943.74	16889.14
11.	कुरुक्षेत्र	1445.91	1267.39	1425.71	9935.04
12.	महेन्द्रगढ़	4405.24	7259.09	5824.13	27225.44
13.	मेवात	2689.95	1816.42	1902.49	24043.56
14.	पलवल	2134.16	2901.29	2021.02	16100.36
15.	पंचकूला	1767.73	950.04	1117.23	7729.82
16.	पानीपत	1882.57	3206.08	1958.03	18363.43
17.	रिवाड़ी	3891.42	7095.89	3115.59	28178.99
18.	रोहतक	5785.90	4379.23	3554.63	56424.83
19.	सिरसा	8293.50	4985.17	3873.10	32361.24
20.	सोनीपत	6426.99	5751.02	4424.35	37909.29
21.	यमुनानगर	2154.76	1506.96	1564.02	13862.43
	कुल	102125.08	91447.83	85178.45	556952.80

To open University and Law College

336. Sh. Devender Kumar Bansal : Will the Education Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to open a university and Law College at Panchkula; if so, the time by which these are likely to be opened ?

शिक्षा मंत्री (श्रीमती गीता भुक्कल मातनहेल) : नहीं, श्रीमान् ।

Land Released by the Town and Country Planning Department

306. Sh. Ashok Kumar Arora : Will the Chief Minister be pleased to state :—

(a) the district-wise detials of cases, in which land was released and/or re-allotted after starting the acquisition process under section 4 and 6 of the Land Acquisition Act 1894, in the State, by the Town & Country Planning Department during the period from 1-4-2005 till date;

(b) the total number of cases with details thereof, as at (a) above, adjudicated by the Hon'ble Punjab & Haryana High Court and the Apex Court; and

(c) the action taken by the Government on the basis of decision of the courts of law, as at (b) above ?

मुख्यमंत्री (श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा) : श्रीमान् जी,

(क) नगर एवम् ग्राम आयोजना विभाग भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1894 के अंतर्गत भूमि अधिग्रहण एवम् छोड़ने का कार्य नहीं करता है।

(ख) उपरोक्त (क) के मद्देनजर, प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

(ग) उपरोक्त (क) के मद्देनजर, प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

Upgradation of Schools

353. Sh. Bishan Lal Saini : Will the Education Minister be pleased to state :—

(a) the number of schools upgraded from 10th class to 10+2 class in Radaur Constituency; and

(b) whether there is any proposal under consideration of the Government to upgrade the school of village Jamalpur in block Mustafabad ?

शिक्षा मंत्री (श्रीमती गीता भुक्कल मातनहेल) :

श्रीमान् जी,

(क) रादौर विधानसभा निर्वाचनक्षेत्र में 2012-13 में केवल एक विद्यालय राजकीय उच्च विद्यालय चमरोड़ी को उच्च से वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय के रूप में स्तरोन्नत किया गया है।

(ख) मुस्तफाबाद खण्ड के गांव जमालपुर के राजकीय उच्च विद्यालय को

[श्रीमती गीता भुक्कल मातनहेल]

स्तरोन्नत करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है क्योंकि यह विद्यालय स्तरोन्नति के मापदण्डों को पूर्ण नहीं करता।

मूलभूत सुविधाओं की कमी

315. **श्री प्रदीप चौधरी** : क्या मुख्यमंत्री कृपया बताएंगे कि क्या यह तथ्य है कि हिमशिखा कॉलोनी (पिंजौर) में मूलभूत सुविधाएं जैसे कि सड़कें, स्ट्रीट लाईट, बस सेवा, स्वास्थ्य सेवाएं तथा शिक्षा इत्यादि की कमी है, यदि हां, तो हिमशिखा कॉलोनी में उपरोक्त सुविधाएं कब तक उपलब्ध करवाए जाने की सम्भावना है?

मुख्यमंत्री (श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा) : श्रीमान् जी,

हिमशिखा कॉलोनी (पिंजौर) में मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाने के बारे तथ्य इस प्रकार से हैं :-

1. **सड़कें** :- वर्ष 2008-2012 के अन्तर्गत नगर परिषद्, पंचकूला तथा तत्कालीन नगर पालिका, पिंजौर ने 58.16 लाख रुपये कॉलोनी की सड़कों के निर्माण एवं रख-रखाव के लिए खर्च किये। खराब सड़कों की मरम्मत के लिये अनुमान तैयार कर लिये गये हैं तथा इनकी प्रशासकीय स्वीकृति और निविदाएं पूरी करने और कार्य को अलाट करने के उपरान्त यह कार्य पूरा करवा दिया जायेगा।

2. **स्ट्रीट लाईट्स** :- हिमशिखा कॉलोनी में लगभग 150 स्ट्रीट लाईट प्वाईन्ट हैं और उनका रख-रखाव नगर निगम, पंचकूला के द्वारा अनुबन्धित मजदूरों से करवाया जाता है।

3. **स्वास्थ्य** :- सब सैन्टर भौरिया (2 कि.मी.) की दूरी पर तथा प्राईमरी हैल्थ सैन्टर, पिन्जौर (2.5 कि.मी.) की दूरी पर है, जिसके द्वारा हिमशिखा कॉलोनी जिसकी जनसंख्या 1615 है, से कवर किया जाता है।

4. **बस** :- हिमशिखा कॉलोनी में बस सेवा के प्रतिदिन छः एकल चक्कर लगाये जाते हैं।

5. **शिक्षा** :- हिमशिखा कॉलोनी के लिए गवर्नमैंट प्राईमरी स्कूल, नगल सोडियान, गवर्नमैंट मिडिल स्कूल, भोगपुर और गवर्नमैंट हाई स्कूल, धातोधारा 1 किलोमीटर के दायरे में है। इसी प्रकार कॉलोनी से राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, पिन्जौर 4 किलोमीटर की दूरी पर तथा राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, चीकन 5 किलोमीटर की दूरी पर है। इसके अतिरिक्त 2 निजी स्कूल जो कि देहली पब्लिक स्कूल (10+2) तथा सरस्वती मिडल स्कूल भी हिमशिखा कॉलोनी के नजदीक पड़ते हैं।

Total Number of Law Officers

312. Sh. Ram Pal Majra : Will the Chief Minister be pleased to state :—

(a) the total number of Law Officers *i.e.* A.G., Sr. Additional A.G., Addl. A.G., Sr. D.A.G., D.A.G., A.A.G. and Ministerial Staff etc., working in the office of Advocate General, Haryana as on 31.12.2012, alongwith their names and addresses;

(b) the details of work allotted to the officers, alongwith their postings, as at (a) above; and

(c) the total expenditure incurred during the period from 1.4.2012 to 31.1.2013 as average per month on the officers/staff, as at (a) above separately ?

मुख्यमंत्री (श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा) :

श्रीमान् जी, संबंधित सूचना सदन के पटल पर रखी जाती है।

सूचना

विधि अधिकारियों की कुल संख्या

(क) दिनांक 31-12-2012 को महाधिवक्ता, हरियाणा के कार्यालय में विधि अधिकारियों अर्थात् महाधिवक्ता, वरिष्ठ अतिरिक्त महाधिवक्ता, अतिरिक्त महाधिवक्ता, वरिष्ठ उप महाधिवक्ता, उप महाधिवक्ता, सहायक महाधिवक्ता और लिपिकीय स्टाफ इत्यादि की उनके नाम व पतों सहित संख्या :-

क्र.सं.	नाम सर्वश्री/श्रीमती/कुमारी	पद	पता
1	2	3	4
1.	हवा सिंह हुड्डा	महाधिवक्ता, हरियाणा	# 217, सैक्टर-16, चण्डीगढ़।
2.	अरुण वालिया	वरिष्ठ अतिरिक्त महाधिवक्ता	# 1572, सैक्टर-34 डी, चण्डीगढ़।
3.	नरेंद्र हुड्डा	वरिष्ठ अतिरिक्त महाधिवक्ता	# 210, सैक्टर-11, चण्डीगढ़।
4.	हरीश घई	अतिरिक्त महाधिवक्ता	# 727/2, फेज-III बी० आई०, मोहाली।
5.	पी०एम० आनन्द	अतिरिक्त महाधिवक्ता	# 3502, सैक्टर-24, चण्डीगढ़।
6.	प्रदीप सिंह पुनिया	अतिरिक्त महाधिवक्ता	# 153, सैक्टर-27 ए, चण्डीगढ़।
7.	अनिल राठी	अतिरिक्त महाधिवक्ता	# 557, सैक्टर-8, पंचकूला।
8.	डी०डी० गुप्ता	अतिरिक्त महाधिवक्ता	# 773, सैक्टर-7, पंचकूला।
9.	कुलवीर नरवाल	अतिरिक्त महाधिवक्ता	# 1210, सैक्टर-8-सी, चण्डीगढ़।

[श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा]

1	2	3	4
10.	रणधीर सिंह	अतिरिक्त महाधिवक्ता	# 14, सैक्टर-17, पंचकूला ।
11.	विजेन्द्र सिंह राणा	अतिरिक्त महाधिवक्ता	# 806, सैक्टर-43 ए, चण्डीगढ़ ।
12.	तरुणवीर वशिष्ठ	अतिरिक्त महाधिवक्ता	# 1453, सैक्टर-4, पंचकूला ।
13.	कमल सहगल	अतिरिक्त महाधिवक्ता	# 1719, सैक्टर-4, पंचकूला ।
14.	के०सी० भाटिया	अतिरिक्त महाधिवक्ता	# HIG 41, सैक्टर-48 सी, चण्डीगढ़ ।
15.	नीना मदान	अतिरिक्त महाधिवक्ता	# 128, सैक्टर-15, पंचकूला ।
16.	अन्जुम अहमद	अतिरिक्त महाधिवक्ता	# 903, सैक्टर-8, पंचकूला ।
17.	सुकांत गुप्ता	अतिरिक्त महाधिवक्ता	# 552, सैक्टर-10 डी, चण्डीगढ़ ।
18.	प्रताप सिंह	अतिरिक्त महाधिवक्ता	# 447, सैक्टर-2, पंचकूला ।
19.	जी०एस० चहल	अतिरिक्त महाधिवक्ता	# 171, सैक्टर-16 ए, चण्डीगढ़ ।
20.	राजकरण सिंह बरार	अतिरिक्त महाधिवक्ता	# 32, सैक्टर-16, चण्डीगढ़ ।
21.	अजय सिंह घनघस	अतिरिक्त महाधिवक्ता	# 916, सैक्टर-8, पंचकूला ।
22.	संदीप वर्मानी	अतिरिक्त महाधिवक्ता	# 534, सैक्टर-10 डी, चण्डीगढ़ ।
23.	महावीर सन्धु	अतिरिक्त महाधिवक्ता	# 227, सैक्टर-19, चण्डीगढ़ ।
24.	अशोक जिन्दल	अतिरिक्त महाधिवक्ता	# 34, सैक्टर-15 ए, चण्डीगढ़ ।
25.	राजीव मल्होत्रा	अतिरिक्त महाधिवक्ता	# 1020, सैक्टर-43 बी, चण्डीगढ़ ।
26.	परमजीत बत्ता	अतिरिक्त महाधिवक्ता	# 3080/81, सैक्टर-15 डी, चण्डीगढ़ ।
27.	रणधीर सिंह कुण्डू	अतिरिक्त महाधिवक्ता	# 243, सैक्टर-4 एम.डी.सी., पंचकूला ।
28.	डी०एस० नलवा	अतिरिक्त महाधिवक्ता	# 1107, सैक्टर-8 सी, चण्डीगढ़ ।
29.	एच०एस० सरां	अतिरिक्त महाधिवक्ता	# 3368, सैक्टर-15 डी, चण्डीगढ़ ।
30.	अजय कुमार गुप्ता	अतिरिक्त महाधिवक्ता	# 405, सैक्टर-17, पंचकूला ।
31.	श्रीकृष्ण हुड्डा	अतिरिक्त महाधिवक्ता	# 86, सैक्टर-10, पंचकूला ।
32.	मनीष बंसल	अतिरिक्त महाधिवक्ता	# 64, सैक्टर-28 ए, चण्डीगढ़ ।
33.	हरमीत सिंह दयोल	अतिरिक्त महाधिवक्ता	# 1040/1, सैक्टर-39 बी, चण्डीगढ़ ।
34.	दितेन्द्र खन्ना	अतिरिक्त महाधिवक्ता	# 3299, सैक्टर-19 डी, चण्डीगढ़ ।
35.	अमन चौधरी	अतिरिक्त महाधिवक्ता	# 1134, सैक्टर-8 सी, चण्डीगढ़ ।
36.	विक्रम जैन	अतिरिक्त महाधिवक्ता	# 1132, सैक्टर-21 बी, चण्डीगढ़ ।

1	2	3	4
37.	अशीश कपूर	अतिरिक्त महाधिवक्ता	# 30, सैक्टर-10 ए, चण्डीगढ़।
38.	विनोद शर्मा	अतिरिक्त महाधिवक्ता	# 732, सैक्टर-7 बी, चण्डीगढ़।
39.	पी०एस० सुल्तर	अतिरिक्त महाधिवक्ता	# 220, सैक्टर-25, पंचकूला।
40.	सिद्धार्थ बत्रा	अतिरिक्त महाधिवक्ता	एम.एल.ए. फ्लैट नं० 105, सैक्टर-3, चण्डीगढ़।
41.	बी०एस० ठाकुर	अतिरिक्त महाधिवक्ता	# 3078, सैक्टर-37 डी, चण्डीगढ़।
42.	ओ०पी० शर्मा	अतिरिक्त महाधिवक्ता	# 1530, सैक्टर-7 सी, चण्डीगढ़।
43.	राजेश गर्ग	अतिरिक्त महाधिवक्ता	# 2070, सैक्टर-21 सी, चण्डीगढ़।
44.	सुभाष चन्द्र गोदारा	अतिरिक्त महाधिवक्ता	फ्लैट नं० 408, जी.एच. 4, एम.डी.सी., सैक्टर-4, पंचकूला।
45.	चरणजीत सिंह बक्शी	अतिरिक्त महाधिवक्ता	# 599, सैक्टर-10 डी, चण्डीगढ़।
46.	अजय जैन	अतिरिक्त महाधिवक्ता	# 137, सैक्टर-4, एम.डी.सी., पंचकूला।
47.	हितेन्द्र सिंह लाली	अतिरिक्त महाधिवक्ता	# 234, सैक्टर-18 ए, चण्डीगढ़।
48.	अमित अग्रवाल	अतिरिक्त महाधिवक्ता	# 149, सैक्टर-11 ए, चण्डीगढ़।
49.	एस०एस० मोर	अतिरिक्त महाधिवक्ता	# 1102, सैक्टर-26, पंचकूला।
50.	रूपक बंसल	अतिरिक्त महाधिवक्ता	# 1032, सैक्टर-40 बी, चण्डीगढ़।
51.	मीनाक्षी वर्मा	अतिरिक्त महाधिवक्ता	# 203, सैक्टर-6, पंचकूला।
52.	गगनदीप सिंह वासु	अतिरिक्त महाधिवक्ता	# 82, सैक्टर-2, चण्डीगढ़।
53.	सत्यवीर सिंह यादव	अतिरिक्त महाधिवक्ता	# 1111, सैक्टर-11, पंचकूला।
54.	गुरमीत सिंह बाजवा	अतिरिक्त महाधिवक्ता	# 319, सैक्टर-49 ए, चण्डीगढ़।
55.	राहुल शर्मा	अतिरिक्त महाधिवक्ता	# 806, सैक्टर-43, चण्डीगढ़।
56.	जे०एस० तुर	अतिरिक्त महाधिवक्ता	# 1023, सैक्टर-21 बी, चण्डीगढ़।
57.	सुनील कत्याल	वरिष्ठ उप महाधिवक्ता	# 1743, सैक्टर-33, चण्डीगढ़।
58.	संदीप सिंह मान	वरिष्ठ उप महाधिवक्ता	# 313, सैक्टर-49 ए, चण्डीगढ़।
59.	देवेन्द्र राणा	वरिष्ठ उप महाधिवक्ता	# 72, सैक्टर-7, चण्डीगढ़।
60.	सुनील कुमार नेहरा	वरिष्ठ उप महाधिवक्ता	# 3087, सैक्टर-28 डी, चण्डीगढ़।
61.	रणजीत सिंह बाठ	वरिष्ठ उप महाधिवक्ता	# 1142, सैक्टर-44 बी, चण्डीगढ़।

[श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा]

1	2	3	4
62.	शमशेर सिंह पलर	वरिष्ठ उप महाधिवक्ता	# 939 ए/31, सैक्टर-12 ए, पंचकूला ।
63.	रणधीर राणा	वरिष्ठ उप महाधिवक्ता	# 935, सैक्टर-2, पंचकूला ।
64.	राजीव कुमार कवात्रा	वरिष्ठ उप महाधिवक्ता	# 203, सैक्टर-4, एम.डी.सी., पंचकूला ।
65.	हरीश राठी	वरिष्ठ उप महाधिवक्ता	# 95, सैक्टर-15, चण्डीगढ़ ।
66.	भूप सिंह सैनी	वरिष्ठ उप महाधिवक्ता	# 512, सैक्टर-18, चण्डीगढ़ ।
67.	रतन सिंधु	वरिष्ठ उप महाधिवक्ता	# 221, सैक्टर-21 ए, चण्डीगढ़ ।
68.	अमित कौशिक	वरिष्ठ उप महाधिवक्ता	# 215-ए, सैक्टर-6, पंचकूला ।
69.	सुखविन्द्र सिंह	वरिष्ठ उप महाधिवक्ता	# 991, सैक्टर-26, पंचकूला ।
70.	अजय चौधरी	वरिष्ठ उप महाधिवक्ता	# 674, सैक्टर-4, पंचकूला ।
71.	लवलीन धालीवाल सिंगला	वरिष्ठ उप महाधिवक्ता	# 1392, सैक्टर-33 सी, चण्डीगढ़ ।
72.	रवि दत्त शर्मा	उप महाधिवक्ता	# 5546, सैक्टर-38 वैस्ट, चण्डीगढ़ ।
73.	मालू चहल	उप महाधिवक्ता	# 589, सैक्टर-10 डी, चण्डीगढ़ ।
74.	प्रदीप विरक	उप महाधिवक्ता	# 1068, सैक्टर-27 बी, चण्डीगढ़ ।
75.	पालिका मोंगा	उप महाधिवक्ता	# 48, सैक्टर-6, पंचकूला ।
76.	एच०एस० बैनीवाल	उप महाधिवक्ता	# 305, जी.एच. 34, सैक्टर-20, पंचकूला ।
77.	अश्विनी मारकंडे	उप महाधिवक्ता	# 1411/2, ट्रांजिट-19, चण्डीगढ़ ।
78.	विजेन्द्र सिंह अहलावत	उप महाधिवक्ता	# 3342, सैक्टर-35-डी, चण्डीगढ़ ।
79.	विजेन्द्र सिंह	उप महाधिवक्ता	# फ्लैट नं० 229, सैक्टर-14, पंचकूला ।
80.	मनमोहन सिक्का	उप महाधिवक्ता	# 569, सैक्टर-7 सी, चण्डीगढ़ ।
81.	यशपाल मलिक	उप महाधिवक्ता	# 229/एफ, एम.डी.सी., सैक्टर-4, पंचकूला ।
82.	हरभजन सिंह खैरा	उप महाधिवक्ता	# 5, सैक्टर-32, चण्डीगढ़ ।
83.	दीपक मिश्रा	उप महाधिवक्ता	# 922, सैक्टर-16, पंचकूला ।
84.	शालीनी अत्री	उप महाधिवक्ता	# 2528/1, इन्दिरा कॉलोनी, मनीमाजरा, चण्डीगढ़ ।

1	2	3	4
85.	सुभरा सिंह	उप महाधिवक्ता	# 517, सैक्टर-16 सी, चण्डीगढ़ ।
86.	रणवीर सिंह आर्य	उप महाधिवक्ता	एम.एल.ए. फ्लैट 44, सैक्टर-4, चण्डीगढ़ ।
87.	नरेन्द्र सिंह	उप महाधिवक्ता	# 1एफ.एफ, फेस 3, स्वा. विहार, एम.डी.सी., पंचकूला ।
88.	गौरवधीर	उप महाधिवक्ता	# 269, सैक्टर-10ए, चण्डीगढ़ ।
89.	हरजिन्द्र सिंह संधु	उप महाधिवक्ता	# 2535/1, सैक्टर-69, मोहाली ।
90.	करतार सिंह	उप महाधिवक्ता	# 327, सैक्टर-35 डी, चण्डीगढ़ ।
91.	अमित कुमार	उप महाधिवक्ता	# 1392, सैक्टर-33 सी, चण्डीगढ़ ।
92.	ध्रुव दयाल	उप महाधिवक्ता	# 213, सैक्टर-9, चण्डीगढ़ ।
93.	सिद्धार्थ स्वरूप	उप महाधिवक्ता	# 111, सैक्टर-21 बी, चण्डीगढ़ ।
94.	दीपक सचदेवा	उप महाधिवक्ता	# 513, सैक्टर-6, पंचकूला ।
95.	दिलबाग चौधरी	उप महाधिवक्ता	# 68, सैक्टर-12, पंचकूला ।
96.	राजीव प्रसाद	उप महाधिवक्ता	# 1289, सैक्टर-44 बी, चण्डीगढ़ ।
97.	पुष्पा महंत	उप महाधिवक्ता	# 64, ट्रांजिट, सैक्टर-12 ए, पंचकूला ।
98.	रजनी एल० चौधरी	उप महाधिवक्ता	# 4126-सी, कस्टम कॉलोनी, सैक्टर-37, चण्डीगढ़ ।
99.	अजय गुलाटी	उप महाधिवक्ता	# 44, सैक्टर-16, पंचकूला ।
100.	अमित राणा	उप महाधिवक्ता	# 650, सैक्टर-12 ए, पंचकूला ।
101.	रविन्द्र फौगाट	उप महाधिवक्ता	# 412, सैक्टर-22 बी, चण्डीगढ़ ।
102.	कीर्ति सिंह दलाल	उप महाधिवक्ता	# 24, सैक्टर-6, पंचकूला ।
103.	सतीश कुमार	उप महाधिवक्ता	# 648, गांव दड़वा, चण्डीगढ़ ।
104.	पवन सिंह	उप महाधिवक्ता	# 4 जी.एच., एम.डी.सी., सैक्टर-25, पंचकूला ।
105.	अशोक बलहारा	उप महाधिवक्ता	# 2839, सैक्टर-38 सी, चण्डीगढ़ ।
106.	वसुंधरा दलाल	उप महाधिवक्ता	# 2792, सैक्टर-16, चण्डीगढ़ ।
107.	ओंकार सिंह बला	उप महाधिवक्ता	# 1258 एफ.एफ., सैक्टर-15 बी, चण्डीगढ़ ।
108.	तनीशा पेशावरिया	उप महाधिवक्ता	# 508, सैक्टर-10 डी, चण्डीगढ़ ।
109.	सौरभ मौहन्ता	उप महाधिवक्ता	# 23, सैक्टर-6, पंचकूला ।
110.	लतीका राव	उप महाधिवक्ता	# 75, सैक्टर-7, चण्डीगढ़ ।
111.	वरुण शर्मा	उप महाधिवक्ता	# 353, सैक्टर-25, चण्डीगढ़ ।

[श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा]

1	2	3	4
112.	अकांक्षा सहनी	उप महाधिवक्ता	# 1728, सैक्टर-33 डी, चण्डीगढ़ ।
113.	जय नारायण	उप महाधिवक्ता	# 347, टॉप फलोर, सैक्टर-20 ए, चण्डीगढ़ ।
114.	रोहित सिंह	उप महाधिवक्ता	# 101, सोसाइटी 79, सैक्टर-20, पंचकूला ।
115.	गिन्नी आनन्द	उप महाधिवक्ता	# 431, सैक्टर-71, मोहाली, चण्डीगढ़ ।
116.	मनुज नागरथ	उप महाधिवक्ता	# 133, फेज-1, मोहाली ।
117.	डॉ० दीपक जिन्दल	उप महाधिवक्ता	# 1728, सैक्टर-33 डी, चण्डीगढ़ ।
118.	ममता सिंगला	सहायक महाधिवक्ता	# 3545, सैक्टर-38, चण्डीगढ़ ।
119.	दीपक गिरौत्रा	सहायक महाधिवक्ता	# 2858, सैक्टर-49, चण्डीगढ़ ।
120.	लेख राज नान्दल	सहायक महाधिवक्ता	# 5255, एम.एच.सी., मनीमाजरा, चण्डीगढ़ ।
121.	विकास मलिक	सहायक महाधिवक्ता	# 632, सैक्टर-21, पंचकूला ।
122.	प्रीती चौधरी	सहायक महाधिवक्ता	# 498, सैक्टर-21, पंचकूला ।
123.	जोगिन्द्र सिंह	सहायक महाधिवक्ता	# 217, गांव रैली, सैक्टर-12 ए, पंचकूला ।
124.	भारत अनेजा	सहायक महाधिवक्ता	# 982, सैक्टर-17, पंचकूला ।
125.	अमित गोयल	सहायक महाधिवक्ता	# 2121, सैक्टर-21 सी, चण्डीगढ़ ।
126.	अशीश गुप्ता	सहायक महाधिवक्ता	# 18, सैक्टर-19, चण्डीगढ़ ।
127.	अनूप शर्मा	सहायक महाधिवक्ता	# 361, पालम रोड, वी.आई.पी. जीरकपुर, मोहाली ।
128.	हिमांशु राज मुंजाल	सहायक महाधिवक्ता	# 1449, सैक्टर-40, चण्डीगढ़ ।
129.	हेमलता बलहारा	सहायक महाधिवक्ता	# 277, सैक्टर-4, पंचकूला ।
130.	सुमेर सिंह ओहलियान	सहायक महाधिवक्ता	# 1020, सैक्टर-2, पंचकूला ।
131.	नवनीत सिंह	सहायक महाधिवक्ता	# 572/6ए, ट्रिब्यून कॉलोनी, गांव कांसल, मोहाली ।
132.	जितेन्द्र सिंह पन्नु	सहायक महाधिवक्ता	# 355, सैक्टर-21, पंचकूला ।
133.	प्रियंका दलाल	सहायक महाधिवक्ता	# 279, सैक्टर-16, चण्डीगढ़ ।
134.	गगनदीप बैरागी	सहायक महाधिवक्ता	# 2097, सैक्टर-27 सी, चण्डीगढ़ ।
135.	राजा शर्मा	सहायक महाधिवक्ता	# 877, सैक्टर-12, पंचकूला ।

1	2	3	4
136.	क्षतीज शर्मा	सहायक महाधिवक्ता	# 144, सैक्टर-19, चण्डीगढ़।
137.	गौरव वर्मा	सहायक महाधिवक्ता	# 825, सैक्टर-38, चण्डीगढ़।
138.	समीर सिंह	सहायक महाधिवक्ता	# 447, सैक्टर-2, पंचकूला।
139.	गौरव अरोड़ा	सहायक महाधिवक्ता	# 648, सर्वहित सोसाइटी, सैक्टर-48 ए, चण्डीगढ़।
140.	श्रुती जैन	सहायक महाधिवक्ता	# 3290, सैक्टर-27, चण्डीगढ़।
141.	अनमोल मलिक	सहायक महाधिवक्ता	# 132, सैक्टर-4, मनसा देवी कम्पलैक्स, पंचकूला।
142.	कुनाल गर्ग	सहायक महाधिवक्ता	# 1001, सैक्टर-4, पंचकूला।
143.	अमनदीप सिंह	सहायक महाधिवक्ता	# 2958, सैक्टर-15, पंचकूला।
144.	नीतिन मलिक	सहायक महाधिवक्ता	# 148, सैक्टर-18 ए, चण्डीगढ़।
145.	सुदेश कुमार	सहायक महाधिवक्ता	# 2128, सैक्टर-44 सी, चण्डीगढ़।
146.	साधना	सहायक महाधिवक्ता	# 740, सैक्टर-12 ए, पंचकूला।
147.	मनदीप मलिक	सहायक महाधिवक्ता	# 965, सैक्टर-25, पंचकूला।
148.	आशिक अली	सहायक महाधिवक्ता	# 757, सैक्टर-25, पंचकूला।
149.	शेखर मुदगिल	सहायक महाधिवक्ता	# 135, सैक्टर-46, चण्डीगढ़।
150.	विशाल शर्मा	सहायक महाधिवक्ता	# 1378, सैक्टर-49 बी, पुष्पक कम्पलैक्स, चण्डीगढ़।
151.	लाल सिंह सैनी	सहायक महाधिवक्ता	# 181, सैक्टर-22, चण्डीगढ़।
152.	राखी शर्मा	सहायक महाधिवक्ता	# 361, पालम रोड, वी.आई.पी. जीरकपुर, मोहाली।
153.	जी०एस० सन्धु	सहायक महाधिवक्ता	# 3040, सैक्टर-40 डी, चण्डीगढ़।
154.	सागर देसवाल	सहायक महाधिवक्ता	# पी-6, पीछे पुलिस पी.ओ., सैक्टर-2, पंचकूला।
155.	सुरेश कुमार पन्नू	सहायक महाधिवक्ता	# एल180, आर्मी फ्लैट, सैक्टर-4, एम.डी.सी., पंचकूला।
156.	सुरेन्द्र कुमार	सहायक महाधिवक्ता	# 86, सैक्टर-10, पंचकूला।
157.	रजंत गौतम	सहायक महाधिवक्ता	# 259, सैक्टर-10, पंचकूला।
158.	अनुपम शर्मा	सहायक महाधिवक्ता	# 713, सैक्टर-22, चण्डीगढ़।
159.	लवनयपोल	सहायक महाधिवक्ता	# एम.एल.ए. फ्लैट 203, सैक्टर-3, चण्डीगढ़।
160.	विरेन्द्र सिंह	सहायक महाधिवक्ता	# 2969, जी.एच., 27, एम.डी.सी., पंचकूला।

[श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा]

1	2	3	4
161.	सिवेन्द्रास्वरूप	सहायक महाधिवक्ता	# 25, सैक्टर-3 ए, चण्डीगढ़।
162.	तनुश्री गुप्ता	सहायक महाधिवक्ता	# 3404, सैक्टर-24 डी, चण्डीगढ़।
163.	रुद्रानिल भारद्वाज	सहायक महाधिवक्ता	# 1624/बी-2, अब्दुलपुर, कल्याणी हाउस, पिंजौर।
164.	त्रिशांजली शर्मा	सहायक महाधिवक्ता	# 505, सैक्टर-36 बी, चण्डीगढ़।
165.	नितिन कौशल	सहायक महाधिवक्ता	# 16, सैक्टर-7, चण्डीगढ़।

लिपिकीय स्टाफ इत्यादि

क्र.सं.	नाम एवम् पद	पता	टिप्पणी
1	2	3	4
1.	राम कुमार बेदी, जिला न्यायवादी	म.नं. 2509, सैक्टर-38 वैस्ट, चण्डीगढ़।	
2.	दीपक बूरा, उप जिला न्यायवादी	म.नं. 50, ट्रांजिट फ्लैट, सैक्टर-12 ए, पंचकूला।	
3.	जय कुमार जस्सल, विशेष कार्यकारी अधिकारी	म.नं. 3388, सैक्टर-45 डी, चण्डीगढ़।	
4.	प्रेमो, प्रशासनिक अधिकारी	म.नं. 47, सैक्टर-14, चण्डीगढ़।	
5.	स्नेह लता, निजी सचिव	म.नं. 1366, सैक्टर-20 बी, चण्डीगढ़।	
6.	सतीश कुमार बाली, निजी सचिव	म.नं. 73/1166, बलदेव नगर, अम्बाला शहर।	
7.	बीर सिंह, निजी सचिव	गांव पाथरी, जिला करनाल।	
8.	मुनीश कत्याल, निजी सचिव	म.नं. 3926, सैक्टर-22 डी, चण्डीगढ़।	
9.	पंकज भाटला, निजी सचिव	म.नं. 555, गोविन्द नगर, सिरसा।	
10.	टी०एस० रावत, अधीक्षक	गांव सनाणी, डाकखाना जलाली, तहसील रानीखेत, अलमोड़ा उ०प्र०।	
11.	भगत राज, अधीक्षक	वार्ड नं० 10, पुराना रेगर बस्ती मंडी, डबवाली, सिरसा।	
12.	परवेश भाटिया, अधीक्षक	491, सैक्टर-16, पंचकूला।	
13.	अशोक शर्मा, अधीक्षक	गांव व डाकखाना राभराय, जिला जींद।	

1	2	3	4
14.	देवी शर्मा, उप-अधीक्षक	3145, सैक्टर-15 डी, चण्डीगढ़।	
15.	दयानन्द यादव, उप-अधीक्षक	गांव कोयलपुर, जिला झज्जर।	
16.	योगेन्द्र सिंह, उप-अधीक्षक	गांव व डाकखाना, हलालपुर, जिला सोनीपत।	
17.	सरूप सिंह, उप-अधीक्षक	गांव व डाकखाना, लिसवालटा, जिला टीहरी गरवाल, उत्तर प्रदेश।	
18.	लजवंती, निजी सहायक	म.नं. 547, सैक्टर 4, पंचकूला।	
19.	अनीता डांगी, निजी सहायक	म.नं. 248, सैक्टर-23 ए, चण्डीगढ़।	
20.	राजेश, निजी सहायक	गांव सिमली, डाकखाना कैरू, जिला भिवानी।	
21.	कंचन, निजी सहायक	म.नं. 2086, सैक्टर 23-सी, चण्डीगढ़।	
22.	सुरेश कुमार, निजी सहायक	गांव व डाकखाना बडसीं, तहसील बवानी खेड़ा, जिला भिवानी।	
23.	मन्जु, निजी सहायक	म.नं. 9/11, पुरानी हांसी मंडी, जिला हिसार।	
24.	सुमन, निजी सहायक	म.नं. 919, सैक्टर 10, पंचकुला।	
25.	विरेन्द्र सिंह, अनुभाग अधिकारी	गांव व डाकखाना कुम्भा, जिला हिसार।	
26.	मन्जु धनखड़, सहायक लाईबरेरियन	म.नं. 2, पुलिस क्वार्टर, सैक्टर 11 बी, चण्डीगढ़।	
27.	सुरेश कुमार, सहायक लाईबरेरियन	गांव व डाकखाना भाम्बेवा, जिला रोहतक।	
28.	विनोद कुमार-II, कैशियर	म.नं. 1380, सैक्टर 11-बी, पंचकूला।	
29.	पौरस कुमार, सहायक	म.नं. 217, गांव रैली, सैक्टर 12-ए, पंचकूला।	
30.	राजेश कुमार, सहायक	गांव कुंगरभानी, जिला भिवानी।	
31.	बहादुर सिंह, सहायक	गांव माजरी, डाकखाना ठरवा, जिला अम्बाला।	
32.	महेन्द्र सिंह, सहायक	गांव बयेरा, डाकखाना देहलावा, जिला रिवाड़ी।	
33.	उर्मीला देवी, सहायक	गांव कसोरा, जिला करनाल।	

[श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा]

1	2	3	4
34.	राजबीर सिंह, सहायक	गांव मीरपुर, डाकखाना अगरवा, जिला हिसार।	
35.	धर्मपाल सिंह, सहायक	गांव संजरवास, जिला भिवानी।	
36.	रामपाल सिंह, सहायक	गांव नंगलखेड़ी, जिला पानीपत।	
37.	बलवन्त सिंह, सहायक	गांव व डाकखाना मछम, जिला रोहतक।	
38.	हरमेन्द्र सिंह, सहायक	गांव व डाकखाना पन्जोखरा, जिला अम्बाला।	
39.	मधुबाला, सहायक	मोहल्ला खटरवाला, शाहबाद, जिला कुरुक्षेत्र।	
40.	किशन लाल, सहायक	गांव बुलवाना, डाकखाना होडल, जिला फरीदाबाद।	
41.	कैलाश कुमारी, सहायक	जे० 19, एस.एस.सी. एरिया नीलोखेड़ी जिला करनाल।	
42.	राम सिंह यादव, सहायक	म.नं. 550, सैक्टर 19, चण्डीगढ़।	
43.	भगवान दास, सहायक	गांव व डाकखाना नन्दुल, जिला कांगड़ा, एच.पी.।	
44.	सुरेश कुमार, सहायक	गांव व डाकखाना गडवाली, जिला जीन्द।	
45.	राजेन्द्र कुमार, सहायक	गांव व डाकखाना मोचीवाली, जिला सिरसा।	
46.	सुलतान सिंह, सहायक	गांव डिगणपुर, डाकखाना कलाएं, जिला हिसार।	
47.	राम चन्द्र, सहायक	गांव खेड़ी मसानिया, डाकखाना उचाना मण्डी, जिला जीन्द।	अब सेवानिवृत्त
48.	विरेन्द्र कुमार, सहायक	गांव जरान्त, डाकखाना शैरो, जिला हमीरपुर, एच.पी.।	
49.	सुर्य शशी, सहायक	गांव अहमदपुर माजरा, जिला सोनीपत।	
50.	कृष्ण लाल, सहायक	गांव व डाकखाना बापोली, जिला पानीपत।	
51.	रजनी बाला, सहायक	म.नं. 3321/2, काजीवाड़ा, जिला अम्बाला।	

1	2	3	4
52.	नरेश कुमार, सहायक	म.नं. 21/416, विजयनगर, जिला पानीपत ।	
53.	अनूप सिंह, सहायक	म.नं. 718, सैक्टर 18, जगाधरी, जिला यमुनानगर ।	
54.	विनोद कुमार, सहायक	म.नं. 1451, मौलीजागरां, चण्डीगढ़ ।	
55.	मेघनाथ, सहायक	गांव व डाकखाना सान्च, जिला कैथल ।	
56.	रामसेवक, सहायक	म.नं. 56, सैक्टर 2, चण्डीगढ़ ।	
57.	राधे श्याम, सहायक	गांव फोजानकापुर, डाकखाना सैलन, जिला रायबरेली ।	
58.	ओम प्रकाश, सहायक	गांव व डाकखाना इंद्री, जिला करनाल ।	
59.	सुरेन्द्र कुमार सैनी, सहायक	म.नं. 21, गांव व डाकखाना रैली, सैक्टर 12 ए, पंचकूला ।	
60.	रेनुपुरी, सहायक	म.नं. 1229, सैक्टर 4, पंचकूला ।	
61.	सतबीर सिंह, सहायक	गांव व डाकखाना रटौली, जिला रोहतक ।	
62.	जोगिन्द्र लाल, वरिष्ठ आशुलिपिक	गांव व डाकखाना जनसुई, जिला अम्बाला ।	
63.	राजपाल सिंह, वरिष्ठ आशुलिपिक	गांव व डाकखाना खिवाना, जिला पानीपत ।	
64.	जय चन्द, कनिष्ठ आशुलिपिक	गांव व डाकखाना दरधी, जिला सिरसा ।	अब सेवानिवृत
65.	सुमेर चन्द, कनिष्ठ आशुलिपिक	म.नं. 190/3, रामलीला ग्राउंड, नजदीक पुराना बस स्टैंड, रोहतक ।	
66.	महेन्द्र कुमार, आशुलिपिक टंकण	म.नं. 5315/2, न्यू हाउसिंग कम्पलैक्स, मनीमाजरा, चण्डीगढ़ ।	
67.	मीनू पशरीचा, आशुलिपिक टंकण	म.नं. 2615, सैक्टर 15, पंचकूला ।	
68.	ज्योति, आशुलिपिक टंकण	म.नं. 1217, सैक्टर 15, पंचकूला ।	
69.	सुनीता कथूरिया, आशुलिपिक टंकण	म.नं. 781, सैक्टर 25, पंचकूला ।	
70.	अजय यादव, आशुलिपिक टंकण	गांव व डाकखाना धवाना, जिला रेवाड़ी ।	
71.	राजेश कुमार, आशुलिपिक टंकण	म.नं. 673, सैक्टर 10, शाहबाद । जिला कुरुक्षेत्र ।	

[श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा]

1	2	3	4
72.	महाबीर सिंह, आशुलिपिक टंकण	म.नं. 610, गांव किशनगढ़, चण्डीगढ़।	
73.	गुरचरण सिंह, लिपिक	गांव व डाकखाना जुंडला, जिला करनाल।	
74.	सरोज, लिपिक	म.नं. 291, सैक्टर 19-बी, चण्डीगढ़।	
75.	सतबीर सिंह-II, लिपिक	गांव व डाकखाना शाहपुर, जिला पानीपत।	अब सेवानिवृत
76.	रमेश चन्द्र, लिपिक	गांव व डाकखाना बपनीयां, जिला झज्जर।	
77.	सज्जन कुमार, लिपिक	गांव व डाकखाना डिगाना, जिला जीन्द।	
78.	प्रदीप कुमार, लिपिक	गांव व डाकखाना सरावन, तहसील जगाधरी, जिला यमुनानगर।	
79.	राज कुमार, लिपिक	गांव बसारा, डाकखाना रखसीरा, जिला पानीपत।	
80.	ईश्वर चन्द, लिपिक	गांव व डाकखाना घुना, जिला कैथल।	
81.	विनोद कुमार, लिपिक	गांव व डाकखाना फतेहपुर, तहसील नंदावन, जिला हमीरपुर।	
82.	बिजेन्द्र कुमार, लिपिक	म.नं. 317, कसौली रोड, कालका, पंचकूला।	
83.	देसराज, लिपिक	गांव सोतवाला, डाकखाना नानकपुर, जिला पंचकूला।	
84.	नरेश कुमार, लिपिक	गांव बहलाना. म.नं. 22, नजदीक हवाई अड्डा, चण्डीगढ़।	
85.	राम निवास, लिपिक	गांव व डाकखाना बाम्बला, जिला भिवानी।	
86.	देवेन्द्र सिंह, लिपिक	गांव व डाकखाना टीक, जिला कैथल।	
87.	मीनाक्षीजीत, लिपिक	म.नं. एच. 21, महेश नगर, अम्बाला कैंट।	
88.	सुमन कुमारी, लिपिक	गांव व डाकखाना लिलोघ, तहसील कौसली, जिला रेवाड़ी।	
89.	राजेश कुमार-I, लिपिक	गांव मामरिया, असमपुर, डाकखाना खेड़ी, जिला रिवाड़ी।	

1	2	3	4
90.	विकास, लिपिक	म.नं. 491, सोनिया कॉलोनी, जिला अम्बाला।	
91.	रंजना रानी, लिपिक	गांव व डाकखाना भूरेवाला, तहसील नारायणगढ़, जिला अम्बाला।	
92.	राजेश कुमार-II, लिपिक	गांव जिन्दरान, डाकखाना खिड़वाली, जिला रोहतक।	
93.	जय सिंह, लिपिक	गांव व डाकखाना अकेहड़ी मदनपुर, जिला झज्जर।	
94.	राम कृष्ण, लिपिक	गांव व डाकखाना मौसीपुर, जिला रिवाड़ी।	
95.	ललित कुमार, लिपिक	म.नं. 280, दयानंद कालौनी, जिला हिसार।	
96.	भुरा राम, चालक	गांव अनन्तपुर, जिला अलवर, राजस्थान।	
97.	पवन सिंह, चालक	गांव व डाकखाना मुआना, जिला जीन्द।	
98.	धर्मेन्द्र, चालक	गांव नीरपुर, जिला महेन्द्रगढ़।	
99.	प्यार चन्द, दस्तावेज निरीक्षक	गांव बुसाल, डाकखाना सपरो, जिला ऊना, हि० प्रदेश।	
100.	राज कुमार, दस्तावेज निरीक्षक	म.नं. 556, सैक्टर 22 ए, चण्डीगढ़।	
101.	योग राज, रेस्टोरर	गांव बुसाल, जिला ऊना, हि०प्र०।	
102.	दुर्गा प्रसाद, रेस्टोरर	म.नं. 2482, सैक्टर 28 सी, चण्डीगढ़।	
103.	खेम चन्द, रेस्टोरर	गांव मोतीकवास, डा० धन्नधु, जिला चुरू, राजस्थान।	
104.	रविन्द्र कुमार, रेस्टोरर	गांव गाजर, जिला होशियारपुर, पंजाब।	
105.	प्रवीन कुमार, रेस्टोरर	गांव सारंगपुर, डा० मुल्लांपुर, चण्डीगढ़।	
106.	ओमकार चन्द, दफ्तरी	गांव बडवाल, डा० मटौर, जिला कांगड़ा, हि०प्र०।	
107.	ज्ञान चन्द, दफ्तरी	म.नं. 95, वार्ड नं० 2, नरवाना, जिला जीन्द।	

[श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा]

1	2	3	4
108.	अनीत कुमार, जमादार	मौहल्ला जोनियां वाला, नारायणगढ़ जिला अम्बाला ।	
109.	प्रताप सिंह, सेवादार	गांव व डा० गंगाना, जिला सोनीपत ।	
110.	अश्वनी कुमार-I, सेवादार	म.नं. 333/33, जनता कालोनी, रोहतक ।	
111.	रेनु दीक्षित, सेवादार	गांव अवराम, डा० नरखी, जिला फैजाबाद ।	
112.	जसपाल सिंह, सेवादार	गांव व डा० बीर मथाना, जिला कुरुक्षेत्र ।	
113.	सुरेश कुमार, सेवादार	गांव व डा० थाम्बर, जिला अम्बाला ।	
114.	महताब सिंह, सेवादार	गांव व डा० नन्दथला, जिला हिसार ।	
115.	सुरेन्द्र सिंह, सेवादार	गांव भुरथलवाला जाट, डा० काकोरिया जिला रिवाड़ी ।	
116.	सतपाल, सेवादार	गांव थौदा, जिला कैथल ।	
117.	शीतल राम, सेवादार	गांव व डा० बहादुरगढ़, जिला जीन्द ।	
118.	विनोद कुमार, सेवादार	गांव असलमवाद, नजदीक संत भुरेवाला जिला होशियारपुर, पंजाब ।	
119.	दुर्गा पादा मिडा, सेवादार	गांव कांसीपुर, डा० कुचीया लाल, जिला बांकुरा, कोलकता ।	
120.	मूल चन्द, सेवादार	गांव व डा० लोहारी, जिला पानीपत ।	
121.	राजेश कुमार, सेवादार	म.नं. 1091, मोरी गेट, मनीमाजरा, चण्डीगढ़ ।	
122.	रामबीर, सेवादार	गांव व डा० बुढ़ाखेड़ा, जिला जीन्द ।	
123.	देव सिंह, सेवादार	म.नं. 2079 ए, सैक्टर 28-सी, चण्डीगढ़ ।	
124.	महिन्द्र कुमार, सेवादार	म.नं. 105 ए, इन्दिरा कालोनी, मनीमाजरा, चण्डीगढ़ ।	
125.	अश्वनी कुमार-II, सेवादार	म.नं. 2175, सैक्टर 20-सी, चण्डीगढ़ ।	
126.	महेन्द्र सिंह, सेवादार	गांव व डा० बरवाला, जिला पंचकूला ।	
127.	गोरी दत्त, सेवादार	म.नं. 1766, गांव धनास, चण्डीगढ़ ।	
128.	दलीप सिंह, सेवादार	गांव हैवानी, डा० नरौला, जिला मंडी, हि०प्र० ।	

1	2	3	4
129.	उमेद सिंह, फ्राश	गांव व डा० तिगांव, जिला फरीदाबाद ।	
130.	गुन बहादुर, फ्राश	गांव व डा० किशनगढ़, चण्डीगढ़ ।	
131.	संदीप कुमार, सफाई कर्मचारी	गांव व डा० सरांवा, जिला यमुनानगर ।	
132.	नरेन्द्र सिंह, सफाई कर्मचारी व चौकीदार	गांव व डा० कुम्भड़ा, जिला मोहाली, पंजाब ।	
133.	कुसुम, लिपिक, दैनिक वेतनभोगी	गांव बहादुरपुर, डा० नंगल, जिला यमुनानगर ।	
134.	बलविन्द्र, लिपिक, दैनिक वेतनभोगी	म.नं. 890, सैक्टर 41 ए, चण्डीगढ़ ।	
135.	नवीन, लिपिक, दैनिक वेतनभोगी	म.नं. 202, सैक्टर 30 ए, चण्डीगढ़ ।	
136.	मनजीत, लिपिक, दैनिक वेतनभोगी	म.नं. 2108, सैक्टर 23 सी, चण्डीगढ़ ।	
137.	अरुणा, लिपिक दैनिक वेतनभोगी	म.नं. 384, फेस 2, मोहाली ।	
138.	प्रोमिला, लिपिक दैनिक वेतनभोगी	म.नं. 2153, सैक्टर 24 सी, चण्डीगढ़ ।	
139.	मीतु त्यागी, लिपिक कनिष्ट प्रोग्रामर	म.नं. 1752/2, सैक्टर 39 बी, चण्डीगढ़ ।	अब सेवानिवृत
140.	राजबीर कौर, डाटा एंट्री ऑप्रेटर	म.नं. 1785, सैक्टर 43 बी, चण्डीगढ़ ।	
141.	कुलदीप सिंह बिस्ट, डाटा एंट्री ऑप्रेटर	म.नं. 422 ए, सैक्टर 7 ए, चण्डीगढ़ ।	
142.	गोविंद दास, डाटा एंट्री ऑप्रेटर	म.नं. 984, सैक्टर 10, पंचकुला ।	
143.	मधु, डाटा एंट्री ऑप्रेटर	म.नं. 124, बैंक कॉलोनी, मनीमाजरा चण्डीगढ़ ।	
144.	सुमन, डाटा एंट्री ऑप्रेटर	म.नं. 157, सैक्टर 19 ए, चण्डीगढ़ ।	
145.	जसबीर कौर, डाटा एंट्री ऑप्रेटर	गांव व डा० जिंगरान कलां, मोहाली ।	
146.	जसवंत, डाटा एंट्री ऑप्रेटर	म.नं. 312, गांव सकेतड़ी, जिला पंचकूला ।	

[श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा]

1	2	3	4
147.	दीपक, डाटा एंट्री ऑप्रेटर	म.नं. 1196, न्यू इंदिरा कॉलोनी, मनीमाजरा, चण्डीगढ़।	
148.	महावीर, डाटा एंट्री ऑप्रेटर	मूधा पटी, वार्ड नं. 17, नरवाना जिला जीन्द।	
149.	रणधीर सिंह, सेवादार दैनिक वेतनभोगी	गांव व डा० मीरपुर, जिला महेन्द्रगढ़।	
150.	मुकेश, सेवादार दैनिक वेतनभोगी	गांव व डा० खड़क मंगोली, गेट नं. 3, पुराना पंचकूला।	
151.	सुनील, सेवादार दैनिक वेतनभोगी	म.नं. 2423, सैक्टर 25, चण्डीगढ़।	
152.	यशपाल फ्रास, दैनिक वेतनभोगी	म.नं. 1563, सैक्टर 12, चण्डीगढ़।	
153.	प्रमोद कुमार, सेवादार अनुबंध आधार	गांव व डा० बधौली, जिला अम्बाला।	
154.	कर्मवीर सिंह, सेवादार अनुबंध आधार	गांव व डा० मारवाकलां, जिला यमुनानगर।	
155.	संदीप कुमार, सेवादार अनुबंध आधार	गांव गढ़ी गुजरान, डा० खेड़ीमान सिंह इन्द्री, जिला करनाल।	
156.	सुखजिन्द्र, सेवादार अनुबंध आधार	म.नं. 1458/23, सैक्टर 29 बी, चण्डीगढ़।	
157.	सुरेश कुमार, सेवादार अनुबंध आधार	गांव व डा० फतेहपुर, जिला कैथल।	
158.	सुमित, सेवादार अनुबंध आधार	गांव व डा० अजायब, जिला रोहतक।	
159.	समीर कामी, सेवादार अनुबंध आधार	म.नं. 210, सैक्टर 11 ए, चण्डीगढ़।	
160.	महेश चन्द्रा, सेवादार अनुबंध आधार	म.नं. 118, सैक्टर 9, पंचकूला।	
161.	कुलदीप, सेवादार अनुबंध आधार	म.नं. 816, गांव किशनगढ़, चण्डीगढ़।	
162.	रणधीर सिंह, सेवादार अनुबंध आधार	गांव व डा० समचाना सांपला, जिला रोहतक।	

1	2	3	4
163.	चीनु सैनी, सेवादार अनुबंध आधार	म.नं. 2535, सैक्टर 20 सी, चण्डीगढ़।	
164.	दीपक शर्मा, सेवादार अनुबंध आधार	गांव व डा० बिजना, जिला करनाल।	
165.	पान सिंह, सेवादार अनुबंध आधार	आंगनवाड़ी केन्द्र, सैक्टर 24, चण्डीगढ़।	
166.	अरुण कुमार, सेवादार अनुबंध आधार	म.नं. 2561, विकास नगर, मौली जागरां, चण्डीगढ़।	
167.	मनीश कुमार, सेवादार अनुबंध आधार	म.नं. 263, सैक्टर 48 ए, चण्डीगढ़।	
168.	राज कुमार, सेवादार अनुबंध आधार	म.नं. 165, सैक्टर 23 ए, चण्डीगढ़।	
169.	रोहताश, सेवादार अनुबंध आधार	म.नं. 37, सैक्टर 26, ब्लॉक 712, बापूधाम, चण्डीगढ़।	
170.	साहिल, सेवादार अनुबंध आधार	गांव व डा० दोसड़का धीन, जिला अम्बाला।	
171.	नरेन्द्र कुमार, सेवादार अनुबंध आधार	म.नं. 1194, फेस 1, रामदरबार, चण्डीगढ़।	
172.	राजेश कुमार, सेवादार अनुबंध आधार	म.नं. 1382 ए, सैक्टर 39 बी, चण्डीगढ़।	
173.	कर्मबीर सिंह, सेवादार अनुबंध आधार	म.नं. 1654, जनता कालोनी, नया गांव, मोहाली।	
174.	बलविन्द्र सिंह, सेवादार अनुबंध आधार	म.नं. 100, गांव खुड्डा अली शेर, चण्डीगढ़।	
175.	अनिल कुमार, सेवादार अनुबंध आधार	म.नं. 12, रिटायर्ड ऑफिसर्ज कॉलोनी, गांव कांसल, मोहाली।	
176.	कपिल वर्मा, सेवादार अनुबंध आधार	म.नं. 1384, सैक्टर 39 बी, चण्डीगढ़।	
177.	खुशीपाल, सेवादार अनुबंध आधार	म.नं. 97, सैक्टर 8, पंचकूला।	
178.	अमित कम्बोज, सेवादार अनुबंध आधार	गांव काउजोनु, जिला यमुनानगर।	
179.	पवन कुमार, सेवादार अनुबंध आधार	गांव व डा० नंगथला, जिला हिसार।	

[श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा]

1	2	3	4
180.	जितेन्द्र सिंह, सेवादार अनुबंध आधार	गांव व डा० मीरपुर, तह० नारनौल, जिला महेन्द्रगढ़।	
181.	राजेश कुमार, सेवादार अनुबंध आधार	म.नं. 35 ए, सुभाष नगर, मनीमाजरा चण्डीगढ़।	
182.	अनिल, सेवादार अनुबंध आधार	गांव भुरथलजट, डा० कंबोडिया, जिला रेवाड़ी।	
183.	सलमा रानी, सेवादार अनुबंध आधार	गांव नगावन, डा० बड़ागांव, तह० नारायणगढ़, जिला अम्बाला।	
184.	रजनी, सेवादार अनुबंध आधार	म.नं. 81, गांव दडवा, नजदीक रेलवे स्टेशन, चण्डीगढ़।	

(ख) काम की जानकारी अधिकारियों को आबंटित तथा साथ उनकी पोस्टिंग के आधार पर

क्र.सं.	गति और नियमित सुनवाई के लिए खंडपीठ	वकील बहस	एकल पीठ	पुनरीक्षण/ प्रारुपण के लिए
1	2	3	4	5
1	डी०बी०/सी०जे० राकेश कुमार जैन, जे० (सिविल और क्रीन)	श्री अनिल राठी, अतिरिक्त महाधिवक्ता, श्री बी०एस० राणा, अतिरिक्त महाधिवक्ता, श्री कुलबीर नरवाल, अतिरिक्त महाधिवक्ता, श्री रणधीर सिंह, अतिरिक्त महाधिवक्ता, श्री आर०के०एस० नरार, अतिरिक्त महाधिवक्ता	माननीय न्यायधीश श्री एस०के० मित्तल, सिंगल बैंच - एल०आर० नान्दल, सहायक महाधिवक्ता, हरियाणा	अपर ऐ.जी.एस.
2	डी०बी०/जसबीर सिंह/ इंद्रजीत सिंह, जे०जे० (सीआरएम)	श्री संदीप वरमानी, अतिरिक्त महाधिवक्ता, श्री क्षितिज शर्मा, सहायक महाधिवक्ता		श्री अरुण पालिया, वरिष्ठ अतिरिक्त महाधिवक्ता
3	डी०बी०/एस०के० मित्तल/ अनमोल रतन सिंह, जे०जे० (सिविल और अपराधिक)	श्री प्रदीप सिंह पुनिया, अतिरिक्त महाधिवक्ता, श्री राहुल शर्मा, अतिरिक्त महाधिवक्ता, श्री सिद्धार्थ बतरा, अतिरिक्त महाधिवक्ता. श्री परमजीत बला, अतिरिक्त महाधिवक्ता		श्री डी०एस० नलवा, अतिरिक्त महाधिवक्ता, श्री शुकांत गुप्ता, अतिरिक्त महाधिवक्ता
4	डी०बी०/हेमन्त गुप्ता/ रितु बाहरी, जे०जे० (सिविल और अपराधिक)	सुश्री ममता सिंघल, सहायक महाधिवक्ता, श्री सौरभ मोहन्ता, उप महाधिवक्ता, श्री नितिन कौशल, सहायक महाधिवक्ता	माननीय न्यायधीश श्री जी०एस० संधावालिया,	श्री तरुनवीर वशिष्ठ, अतिरिक्त महाधिवक्ता

1	2	3	4	5
			सिंगल बैंच - श्री के०सी० भाटिया, अतिरिक्त महाधिवक्ता, हरियाणा	
5	डी०बी०/एस०एस० सारों बांगड़, जे०जे० (सिविल और अपराधिक)	श्री एच०एस० सरां, अतिरिक्त महाधिवक्ता, श्री एच०एस० दियोल, अतिरिक्त महाधिवक्ता, श्री जी०एस० सन्धु, सहायक महाधिवक्ता		श्री हरीश घई, अतिरिक्त महाधिवक्ता, श्री एस० एस० गोर, अतिरिक्त महाधिवक्ता, जी०डी० वाशु, अतिरिक्त महाधिवक्ता
6	डी०बी०/राजीव भल्ला/ रेखा मित्तल, जे०जे० (सिविल और अपराधिक)	श्री डी० खन्ना, अतिरिक्त महाधिवक्ता, श्री धुवदयाल, सहायक महाधिवक्ता, सुश्री लवन्य पोल, सहायक महाधिवक्ता		श्री गुरमीत सिंह बाजवा, अतिरिक्त महाधिवक्ता, श्री जे०एस० गुर, अतिरिक्त महाधिवक्ता
7	डी०बी०/ऐ०के० मित्तल/ जी०एस० सन्धावालिया, जे०जे० (सिविल और अपराधिक)	श्री कमल सहगल, अतिरिक्त महाधिवक्ता, श्री जी०डी० वाशु, अतिरिक्त महाधिवक्ता, सुश्री पालिका भोगा, उप महाधिवक्ता		श्री प्रताप सिंह अतिरिक्त महाधिवक्ता, श्री अंजुम अहमद, अतिरिक्त महाधिवक्ता
8	डी०बी०/सुर्य कान्त/ आर०पी० नागराथ, जे०जे० (सिविल और अपराधिक)	श्री आर०एस० कुंडु, अतिरिक्त महाधिवक्ता एवं श्री आर०डी० शर्मा, उप महाधिवक्ता,		श्री अमन चौधरी अतिरिक्त महाधिवक्ता, श्री मुनिश बंसल, अतिरिक्त महाधिवक्ता, सुश्री नीना मदान, अतिरिक्त महाधिवक्ता, श्री जी०एस० चहल, अतिरिक्त महाधिवक्ता, श्री अमन चौधरी, अतिरिक्त महाधिवक्ता, श्री मुनिश बंसल, अतिरिक्त महाधिवक्ता ।
		एकल पीठ (सिविल)		
1	एस०बी० राजेश बिंदल, जे० (सिविल रिट और कन्टैम्पट)	श्री डी०डी० गुप्ता, अतिरिक्त महाधिवक्ता, सुश्री मिनाक्षी धर्मा, अतिरिक्त महाधिवक्ता, श्री रुपक बंसल, अतिरिक्त महाधिवक्ता		श्री पी०एस० सुल्लर, अतिरिक्त महाधिवक्ता, श्री बी०एस० ठाकुर, अतिरिक्त महाधिवक्ता

[श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा]

1	2	3	4	5
2	एस०बी० राकेश कुमार गर्ग, जे० (सिविल रिट और कन्टैम्पट)	श्री अशोक जिन्दल, अतिरिक्त महाधिवक्ता, सुश्री आकांक्षा साहनी, उप महाधिवक्ता		श्री अनिल अग्रवाल, अतिरिक्त महाधिवक्ता
3	एस०बी० ऐ०जी० मसीह, जे० (सिविल रिट)	श्री राजीव मल्होत्रा, अतिरिक्त महाधिवक्ता		श्री अजय जैन, अतिरिक्त महाधिवक्ता
4	एस०बी० रामेश्वर मलिक, जे० (सिविल रिट)	श्री सुनील नेहरा, वरिष्ठ अतिरिक्त महाधिवक्ता, श्रीमती कीर्ती सिंह दलाल, सहायक महाधिवक्ता		वरिष्ठ अतिरिक्त महाधिवक्ता
5	एस०बी० आर०एन० रैना, जे० (सिविल रिट)	सुश्री तनीशा पेशावरिया, वरिष्ठ उप महाधिवक्ता, श्री दीपक जिन्दल, वरिष्ठ उप महाधिवक्ता		श्री रणधीर राणा, वरिष्ठ उप महाधिवक्ता, श्री बी०एस० सैनी, वरिष्ठ उप-महाधिवक्ता, श्री एस०एस० पत्तर, वरिष्ठ उप महाधिवक्ता
6	एस०बी० टी०एस०, ढींढसा, जे० (सिविल रिट हरियाणा)	श्री हरीश राठी, वरिष्ठ उप महाधिवक्ता, सुश्री लवलीन धालीवाल, वरिष्ठ उप महाधिवक्ता		श्री देवेन्द्र राणा, वरिष्ठ उप महाधिवक्ता, श्री अमित कौशिक, वरिष्ठ उप महाधिवक्ता, श्री रतन सिंधु, वरिष्ठ उप महाधिवक्ता ।
		एकल पीठ (सिविल और एडमीशन)		
1	एस०बी०, एम० जयपोल, जे० (सिविल रिट)	श्री विनोद भारद्वाज, अतिरिक्त महाधिवक्ता, सुश्री सुभ्रा सिंह, उप महाधिवक्ता;		श्री अमित राणा, उप महाधिवक्ता
2	एस०बी०, टी०पी०एस० मान, जे० (सिविल)	श्री ओ०पी० शर्मा, अतिरिक्त महाधिवक्ता, श्री दीपक गिरहोत्रा, सहायक महाधिवक्ता		श्री सतीश कुमार, उप महाधिवक्ता, श्री रणवीर आर्य, उप महाधिवक्ता
3	एस०बी०, ऐ०एन० जिंदल, जे० (सिविल)	श्री अजय गुप्ता, अतिरिक्त महाधिवक्ता		श्री एच०एस० संधु, उप महाधिवक्ता
4	एस०बी०, नवाब सिंह, जे० (सिविल)	श्री राजेश गर्ग, अतिरिक्त महाधिवक्ता		श्री एच०एस० खेड़ा, उप महाधिवक्ता, सुश्री वसुंधरा दलाल, उप महाधिवक्ता

1	2	3	4	5
5	एस०बी०, जसवन्त सिंह, जे० (सिविल)	श्री आशीश कपूर, अतिरिक्त महाधिवक्ता,		श्री दीपक मिश्रा, उप महाधिवक्ता, श्री दीपक सचदेवा, उप महाधिवक्ता
6	एस०बी०, दया चौधरी, जे० (सिविल)	श्री सुखविन्द्र सिंह नारा, वरिष्ठ उप महाधिवक्ता, श्री प्रदीप विर्क, उप महाधिवक्ता		श्री अश्वनी मारकंडे, उप महाधिवक्ता, श्री ओंकार सिंह वाहला, उप महाधिवक्ता
7	एस०बी०, राजन गुप्ता, जे० (सिविल)	श्री एच०एस० लाली, अतिरिक्त महाधिवक्ता		श्री जय नारायण, उप महाधिवक्ता, श्री मनोज नागरथ, उप महाधिवक्ता
8	एस०बी०, के० कानन, (सिविल)	श्री करतार सिंह, उप महाधिवक्ता, श्री आशीश गुप्ता, सहायक महाधिवक्ता, श्री कुनाल गर्ग, सहायक महाधिवक्ता		सुश्री पुष्पा महन्त, उप महाधिवक्ता, श्री विजेन्द्र अहलावत उप महाधिवक्ता, श्री वरुण शर्मा, रजनी चौधरी, गिन्नी आनन्द, अशोक बलहारा, उप महाधिवक्ता।
		एकल पीठ (अपराधिक)		
1	एस०बी०, रणजीत सिंह, जे० (अपराधिक)	श्री चरणजीत बक्शी, अतिरिक्त महाधिवक्ता, सुश्री श्रुति जैन, श्री शिवेन्द्र स्वरूप, उप महाधिवक्ता		श्री एच०एस०, बैनीवाल, श्री राजीव प्रसाद, रविन्द्र फोगाट, उप महाधिवक्ता
2	एस०बी०, महेश ग्रोवर, जे० (अपराधिक)	श्री एस०के० हुड्डा, अतिरिक्त महाधिवक्ता, श्री राजीव कवात्रा, वरिष्ठ उप महाधिवक्ता, श्री नरेंद्र सिंह, उप महाधिवक्ता		सुश्री साधना तरीखा, श्री अमित गोयल, सहायक महाधिवक्ता
3	एस०बी०, एम०एम०एस०, वेदी, जे० (अपराधिक)	सुश्री शालिनी अत्री, उप महाधिवक्ता, सुश्री तनश्री गुप्ता, उप महाधिवक्ता		श्री रजत गौतम, सहायक महाधिवक्ता
4	एस०बी०, एल०एन०, मित्तल, जे० (अपराधिक)	श्री सुभाष गोदारा, अतिरिक्त महाधिवक्ता, श्री सिद्धार्थ स्वरूप, उप महाधिवक्ता		श्री भरत अनेजा, श्री मनदीप मलिक, सहायक महाधिवक्ता
5	एस०बी०, के०सी० पुरी, जे० (अपराधिक)	श्री पी०एम० आनन्द, अतिरिक्त महाधिवक्ता, श्री अमनदीप सिंह, सहायक महाधिवक्ता		श्री अशिक अली, श्री गौरव वर्मा, सहायक महाधिवक्ता

[श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा]

1	2	3	4	5
6	एस०बी०, सबीना, जे० (अपराधिक)	श्री सत्यवीर यादव, अतिरिक्त महाधिवक्ता, श्री गौरवधीर, सुश्री लटीकाराध, उप महाधिवक्ता		श्री विशाल शर्मा, श्री एस०एस० ओहलियान, सहायक महाधिवक्ता
7	एस०बी०, अजय तिवारी, जे० (अपराधिक)	श्री एम०एम० सिक्का, श्री विजेन्द्र सिंह, उप महाधिवक्ता, सुश्री प्रीति चौधरी, सहायक महाधिवक्ता		श्री गौरव अरोड़ा, श्री नितिन मलिक, सहायक महाधिवक्ता
8	एस०बी०, जितेन्द्र चौहान, जे० (अपराधिक)	श्री अजय गुलाटी, उप महाधिवक्ता, श्री रुद्रा नील भारद्वाज, सहायक महाधिवक्ता,		
9	एस०बी०, एस०एस० सुल्लर, जे० (अपराधिक)	श्री अजय धनधस, अतिरिक्त महाधिवक्ता, श्री सुनील कत्याल, वरिष्ठ उप महाधिवक्ता, श्री शेखर मुदगिल, सहायक महाधिवक्ता		श्री सुदेश कुमार, सहायक महाधिवक्ता
10	एस०बी०, आर०सी० गुप्ता, जे० (अपराधिक)	सुश्री मालू चहल, श्री पवन सिंह, उप महाधिवक्ता, श्री राजा शर्मा, सहायक महाधिवक्ता		श्री एच०आर० मुंजाल, श्री समीर सिंह, सहायक महाधिवक्ता
11	एस०बी०, वी०एस० मलिक, जे० (अपराधिक)	श्री विक्रम जैन, अतिरिक्त महाधिवक्ता, श्री सागर देसवाल, श्री अनमोल मलिक, उप महाधिवक्ता		श्री सुरेश कुमार पन्नु, राखी शर्मा, सहायक महाधिवक्ता
12	एस०बी०, परमजीत सिंह, जे० (अपराधिक)	श्री सन्दीप मान, वरिष्ठ उप महाधिवक्ता, श्री रोहित सिंह, उप महाधिवक्ता		श्री विरेन्द्र सिंह, सहायक महाधिवक्ता
13	एस०बी०, एन०के० सांधी, जे० (अपराधिक)	श्री यशपाल मलिक, उप महाधिवक्ता, श्री दिलबाग सिंह, श्री अनुपम शर्मा, सहायक महाधिवक्ता		श्री नवनीत सिंह, श्री सुरेन्द्र कुमार, सहायक महाधिवक्ता
		अन्य अदालतें		
1	लोक अदालत (पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय)	श्री आर०एस० बाठ, वरिष्ठ उप महाधिवक्ता, श्रीमती हेमलता बलहारा, जे०एस० पन्नु, उप महाधिवक्ता		सुश्री त्रिशांजली शर्मा, प्रियन्का दलाल, सहायक महाधिवक्ता, श्री आर०के० बेदी, जिला न्यायवादी, श्री दीपक बुरा, उप जिला न्यायवादी
2	ट्रिब्यूनल (मिनी सचिवालय, चण्डीगढ़)	श्री अनुप शर्मा, सहायक महाधिवक्ता		

1	2	3	4	5
3	केंद्रीय प्रशासनिक ट्रिब्यूनल	श्री अमित कुमार, उप महाधिवक्ता		
4	उपभोक्ता हरियाणा और यू०टी०, चण्डीगढ़	श्री अजय चौधरी, उप महाधिवक्ता		
5	कुल सचिव	श्री जोगिन्द्र सिंह, सहायक महाधिवक्ता		

नोट :-

1. सभी विधि अधिकारी शुक्रवार दस बजे से पहले कार्यालय में उपस्थित होंगे और लंच ब्रेक अथवा माननीय महाधिवक्ता के साथ बैठकों को छोड़कर पूरे दिन कार्यालय में उपस्थित रहेंगे।
2. महाधिवक्ता हरियाणा द्वारा विधि अधिकारियों को माननीय उच्च न्यायालय द्वारा जारी की गई दैनिक काज लिस्ट के आधार पर रोस्टर के अनुसार कोर्ट मामले अलॉट किये जाते हैं तथा जो अधिकारी कोर्ट के मामलों के लिए नहीं लगाये जाते हैं उनको वैटिंग, ड्राफ्टिंग, राय का कार्य दिया जाता है तथा अपील/रिविजन पैटीशन और विभिन्न पैटीशन इत्यादि के आधार तैयार करने का कार्य भी दिया जाता।

(ग) उपरोक्त (क) के अनुसार अधिकारियों/स्टाफ पर मासिक औसतन के तौर पर दिनांक 01.04.2012 से 31.01.2013 तक किया गया अलग से कुल व्यय।

क्र.सं.	कुल पद	मासिक खर्च	कुल खर्च
1	2	3	4
1	1 महाधिवक्ता	8501×1=8501	85,010
2	2 वरिष्ठ अतिरिक्त महाधिवक्ता	90000×2=180000	1,800,000
3	53 अतिरिक्त महाधिवक्ता	85000×53=4505000	45,050,000
4	15 वरिष्ठ उप महाधिवक्ता	100675×15=1510125	1,51,01,250
5	46 उप महाधिवक्ता	100575×46=4626450	4,62,64,500
6	48 सहायक महाधिवक्ता	70235×48=3371280	3,37,12,800
7	1 विशेष कार्यकारी अधिकारी	27000×1=27000	2,70,000
8	1 जिला न्यायवादी	66759×1=66759	6,67,590
9	1 उप जिला न्यायवादी	40972×1=40972	4,09,720
10	1 प्रशासनिक अधिकारी	42262×1=42262	4,22,620
11	4 अधीक्षक	38065×4=152260	15,22,600
12	5 निजी सचिव	36614×5=183070	18,30,700
13	2 सहायक पुस्तकालय	30106×2=60212	6,02,120
14	5 उप अधीक्षक	35880×5=179400	17,94,000
15	7 निजी सहायक	33159×7=232113	23,21,130
16	1 अनुभाग अधिकारी	33605×1=33605	3,36,050

[श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा]

17	33 सहायक	29204×33=963732	96,37,320
18	1 खजानची	29204×1=29204	2,92,040
19	2 वरिष्ठ आशुलिपिक	22654×2=45308	4,53,080
20	2 कनिष्ठ आशुलिपिक	19450×2=38900	3,98,000
21	7 आशुलिपिक टंकण	16056×7=112392	11,23,920
22	22 लिपिक	17838×22=392436	39,24,360
23	3 चालक	19593×3=58779	5,87,790
24	2 दस्तावेज निरीक्षक	18835×2=37670	3,76,700
25	5 रेस्टोरर	18302×5=91510	9,15,100
26	2 दफतरी	18792×2=37584	3,75,840
27	1 जमादार	17640×1=17640	1,76,400
28	20 सेवादार	17640×20=352800	35,28,000
29	2 सफाई कर्मचारी एवं चौकीदार	18604×2=37208	3,72,080
30	2 फ्राश कर्मचारी	18254×2=36508	3,65,080
31	32 अनुबंध सेवादार	6954×32=222528	22,25,280
32	9 डाटा एंट्री ऑप्रेटर अनुबंध आधार पर	8500×9=76500	7,65,000
33	1 कम्प्युटर प्रोफैशनल अनुबंध आधार पर	14150×1=14150	1,41,500
34	6 दैनिक वेतन भोगी लिपिक	7980×6=47880	4,78,800
35	3 दैनिक वेतन भोगी सेवादार	6954×3=20862	2,08,620
36	अवकाश यात्रा छूट	0	1,90,711
37	कार्यालय खर्च	0	38,39,138
38	यात्रा खर्च	0	23,790
39	व्यवसाय तथा विशेष सेवा	0	23,36,195
40	ईंधन खर्च	0	8,75,000
41	चिकित्सा खर्च	0	6,41,964
42	कम्प्यूटर आई०टी० खर्च	0	1,71,111
43	नया वाहन खरीद खर्च	0	5,36,333
	कुल खर्च	**1,80,52,600**	**18,71,40,242**

Amount Released by HRDF Board

319. Shri Krishan Lal Panwar : Will the Chief Minister be pleased to state :—

(a) the constituency-wise details of total amount released by the Govt. through HRDF Board under schemes like pavement of streets, special development scheme etc. during the period from 2005-06 to till 31-12-2012, in the state; and

(b) whether the entire amount, as at (a) above, has been spent, if not, the reasons thereof ?

मुख्यमंत्री (श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा) :

महोदय,

(क) सरकार द्वारा हरियाणा ग्रामीण विकास निधि बोर्ड के माध्यम से गलियों की पटरी व विशेष विकास योजना इत्यादि जैसी योजनाओं, जो कि बजटरी स्कीमें हैं, के तहत राशि जारी नहीं की जाती है ।

(ख) उपरोक्त (क) के मध्यनजर (ख) प्रसंगोचित नहीं है ।

Constitution of M.C. in Barara Town

357. Sh. Rajbir Singh Barara : Will the Chief Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to constitute a Municipal Committee in Barara Town; if so, the time by which it is likely to be constituted ?

मुख्यमंत्री (श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा) :

नहीं, श्रीमान् जी ।

Restrictions to Acquire Fertile Land

363. Smt. Renuka Bishnoi : Will the Industries and Commerce Minister be pleased to state :—

(a) whether there is any restriction to acquire fertile land for the purpose of Industrial and Commercial use in the Land Acquisition Act;

(b) if so, the reasons for which fertile land has been acquired on large scale for setting up an Atomic Power Plant in Gorakhpur (Fatehabad); and

[Smt. Renuka Bishnoi]

(c) the steps taken by the Government to stop the construction of the Atomic Power Plant and to return the acquired land to the farmers so far ?

बिजली मंत्री (कैप्टन अजय सिंह यादव) :

(क) नहीं श्रीमान् जी,

(ख) राज्य की भविष्य में बिजली की मांग को ध्यान में रखते हुए, सार्वजनिक उद्देश्य से 2800 मैगावाट परमाणु बिजली संयंत्र स्थापित करने के लिये भूमि अर्जित की गई है।

(ग) उपरोक्त (क) और (ख) तथा इस सच्चाई को ध्यान में रखते हुए कि 98% भू-स्वामियों ने उनकी जमीन अधिगृहीत करने का मुआवजा स्वीकार कर लिया है, सरकार को परमाणु बिजली संयंत्र के निर्माण को रोकने के लिये कोई कदम उठाने की जरूरत नहीं है।

Benefits of HVDS Scheme

325. Prof. Sampat Singh : Will the Power Minister be pleased to state :—

(a) the total amount spent on the high voltage distribution system in the State till date together with the benefits of HVDS scheme and whether HVDS scheme still continues; and

(b) the total amount spent on segregation of feeders of AP and DS together with the benefits thereof and whether DISCOMS have started the calculation of the total consumption on AP consumers on accurate consumption basis or the traditional method still continues ?

बिजली मंत्री (कैप्टन अजय सिंह यादव) :

श्रीमान्,

विवरण माननीय सदन के पटल पर प्रस्तुत है।

विवरण

(ए) राज्य में एच.वी.डी.एस. योजना पर कुल 1539.64 करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं (कृषि एच.वी.डी.एस. पर 1168.07 करोड़ उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम द्वारा + 371.57 करोड़ रुपये गांवों में एच.वी.डी.एस. पर दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम द्वारा)। कैथल विधानसभा निर्वाचन

क्षेत्र में एच.वी.डी.एस., उ.ह.बि.वि.नि. तथा चरखीदादरी, गुड़गांव और फरीदाबाद का क्षेत्र द.ह.बि.वि.नि. के अन्तर्गत है जो वर्ल्ड बैंक स्कीम के अन्तर्गत फंडिंग से किया जा रहा है तथा शेष क्षेत्र में इस समय कार्य रोका गया है।

एच.वी.डी.एस. योजना के लाभ निम्न प्रकार हैं :–

1. वोल्टेज प्रोफाइल में सुधार।
2. तकनीकी हानियों में कमी।
3. प्रत्यक्ष हुकिंग के कारण चोरी में कमी।
4. पम्प सैटों के जलने की दर में कमी।
5. वितरण ट्रांसफार्मरों के असफल होने की दर में कमी।
6. ट्रांसफार्मर का अधिभारित न होना।
7. एच.वी.डी.एस. योजना लागू होने के बाद मैचिंग क्षमता समर्पित/डेडीकेटिड ट्रांसफार्मर की स्थापना के कारण उपभोक्ताओं के द्वारा अवैधानिक उच्च क्षमता वाली मोटर स्थापित नहीं की जा सकती।

(बी) ग्रामीण घरेलू तथा ए.पी. फीडरों को अलग करना :

- कृषि फीडरों तथा ग्रामीण घरेलू बिजली आपूर्ति को अलग-अलग करने पर 596.42 करोड़ रुपये की राशि खर्च हुई है (उ.ह.बि.वि.नि. द्वारा 295.22 करोड़ रुपये + द.ह.बि.वि.नि. द्वारा 301.20 करोड़ रुपये)।
- कृषि फीडरों तथा ग्रामीण घरेलू फीडरों को अलग-अलग करने के लाभ निम्न प्रकार है :
  - ☞ कृषि उपभोग की सही विद्युत गणना
  - ☞ बिजली आपूर्ति की गुणवत्तापरक तथा विश्वनीयता में सुधार
  - ☞ ग्रामीण घरेलू श्रेणी के लिए बिजली आपूर्ति में बढ़ोतरी
  - ☞ बिजली आपूर्ति की अच्छी विद्युत प्रणाली का परिचालन/नियमितता
  - ☞ आधारभूत लाइन हानि स्तर का सही अनुमान।
- वार्षिक राजस्व मांग के उद्देश्य के लिए कृषि पम्प सैटों के उपभोक्ताओं का कुल उपभोग तथा अलग किए गए कृषि पम्प सैटों

[कैप्टन अजय सिंह यादव]

के फीडरों पर फीडर मीटरों से प्राप्त किये गये उपभोग आंकड़ों से सब्सिडी की गणना की जाती है।

Reconstruction of Road

281. Dr. Hari Chand Middha : Will the PWD (B&R) Minister be pleased to state :—

(a) whether there is any proposal under consideration of the Government to reconstruct the road from Ch. Devi Lal Chowk to Old Sabzi Mandi *via* Aara Road and Jhanjh Gate of Jind City which is in completely damaged condition ; and

(b) if so, the time by which the road referred to in part (a) above is likely to be re-constructed ?

मुख्यमंत्री (श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा) :

(क) हां, श्रीमान् जी।

(ख) 500 मीटर क्षतिग्रस्त भाग नगर परिषद्, जीन्द द्वारा अप्रैल, 2013 तक पुनर्निर्मित कराया जाना संभावित है।

Expenditure Incurred on Bhindawas Bird Sanctuary

286. Shri Parminder Singh Dhull : Will the Forest Minister be pleased to state the total expenditure incurred by the State Government since April, 2010 for maintenance and development of the Bhindawas Bird Sanctuary and Khaparwas Sanctuary ?

बिजली मंत्री (कैप्टन अजय सिंह यादव) : श्रीमान् जी, आप द्वारा भिण्डावास व खापड़वास वन्य प्राणी विहारों के बारे में मांगी गई सूचना निम्न प्रकार से है :—

क्र.सं.	वन्य प्राणी विहार का नाम	खर्चा (रुपए लाखों में)		
		2010-11	2011-12	2012-13 (1/2013 तक)
1.	भिण्डावास वन्य प्राणी विहार	13.89	25.06	3.49
2.	खापड़वास वन्य प्राणी विहार	-शून्य-	-शून्य-	-शून्य-

Shortage of Urea

321. Master Dharampal Obra : Will the Agriculture Minister be pleased to state whether it is a fact that there is an acute shortage of urea fertilizer in Primary

Co-operative Societies and in open Market in Loharu Constituency; if so, the steps being taken by the Government to supply urea to the farmers on the reasonable rates and in sufficient quantity ?

कृषि मंत्री (सरदार परमवीर सिंह) : नहीं, श्रीमान् जी,

(i) कृषि विभाग, हरियाणा ने सहकारी क्षेत्र के साथ-साथ खुले बाजार में उर्वरकों की पर्याप्त उपलब्धता को सुनिश्चित करने के लिए कई कदम उठाये हैं। इसके साथ-साथ किसानों को उर्वरकों की बिक्री अधिकतम खुदरा मूल्य से अधिक पर न करना सुनिश्चित किया है। रबी व खरीफ दोनों फसलों की बिजाई के दौरान राज्य में उर्वरकों की गुणवत्ता एवं उपलब्धता की जाँच करने के लिए विशेष गुण नियंत्रण अभियान चलाये जाते हैं। रबी 2012-13 के दौरान राज्य में दो चरणों में, पहला चरण प्रथम नवम्बर से 30 नवम्बर, 2012 तक (बीजों एवं उर्वरकों पर विशेष बल) तथा दूसरा चरण प्रथम दिसम्बर से 31 दिसम्बर, 2012 तक (उर्वरकों और कीटनाशकों पर विशेष बल) एक विशेष गुण नियंत्रण अभियान चलाया गया था।

(ii) अधिकतम खपत अवधि के दौरान उर्वरकों की उपलब्धता, वितरण एवं सप्लाई के लिए दिन-प्रतिदिन तथा रेक टू रेक के आधार पर निगरानी की गई।

(iii) मुख्य उर्वरकों जिनमें यूरिया भी शामिल है की उपलब्धता एवं सप्लाई की समीक्षा के लिए प्रत्येक मंगलवार को भारत सरकार के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी आयोजित की जाती रही है।

(iv) राज्य में कार्यरत आपूर्तिकर्ता कम्पनियों के साथ नियमित मासिक समीक्षा बैठक आयोजित की जाती है।

(v) राज्य के सभी उपायुक्तों व सभी उप कृषि निदेशकों को असमाजिक तत्वों द्वारा उर्वरकों की सम्भावित काला बाजारी रोकने तथा केवल थैले पर प्रिन्ट अधिकतम खुदरा मूल्य पर किसानों को उर्वरकों की बिक्री को सुनिश्चित बनाने के लिए हिदायतें जारी की गई है। उनको अधिकतम खुदरा मूल्य से ज्यादा मूल्य पर उर्वरकों की बिक्री करने वालों, जमाखोरों, तस्करी एवं यूरिया का प्रयोग कृषि के अलावा अन्य कार्यों में करने वालों के विरुद्ध एफ०आई०आर० भी दर्ज कराने का अनुरोध किया गया था।

प्रभावशाली निगरानी निम्नलिखित कार्रवाई से स्पष्ट होती है।

- वर्ष 2012-13 के दौरान 31.12.2012 तक उर्वरक (नियंत्रण) आदेश, 1985 की उल्लंघना करने पर 7 एफ०आई०आर० दर्ज करवाई गई।

[सरदार परमवीर सिंह]

- 3 पावती के ज्ञापन (बिक्री लाइसेंस) रद्द किये गये तथा 4 निलम्बित किये गये हैं।

- वर्ष 2012-13 के दौरान दिसम्बर, 2012 तक उर्वरकों के 3,509 नमूनें लिये गये थे, जिनमें से 44 नमूनें निम्न स्तर के पाये गये थे। इनमें 3 मामलों में कानूनी कार्रवाई की गयी है तथा 8 मामलों में चेतावनी जारी की गयी है। बाकी मामले प्रगति पर हैं।

Allotment of Land/Flats by HUDA

296. Shri Anil Vij : Will the Chief Minister be pleased to state the details of land or flats allotted by HUDA under discretionary quota in the State since formation of HUDA till date with the name of the beneficiaries, locations and area of land and reasons for allotment made under discretionary quota ?

मुख्यमंत्री (श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा) :

श्रीमान् जी।

सूचना के संग्रह में किये जाने वाले प्रयास और संसाधन इस सूचना से प्राप्त होने वाले लाभ के महत्व के अनुरूप नहीं है।

Amount Spent on Development Works

300. Smt. Kavita Jain : Will the PWD (B&R) Minister be pleased to state the year-wise and District-wise details of amount spent on the various development work during the period from year 2005 to 2012 by PWD (B&R) Department.

उद्योग मंत्री (श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला) :

श्रीमान्जी, इस सवाल से संबंधित सूचना का संग्रह समय और ऊर्जा के खर्च से परिणाम की उम्मीद के अनुरूप नहीं होगा।

Construction of Municipal Corporation Building

337. Shri Devender Kumar Bansal : Will the Chief Minister be pleased to state whether it is a fact that Municipal Corporation of Panchkula does not have its

own building and its office is still functioning in the Community Centre, Sector-4; if so, whether there is any proposal under consideration of the Government to construct the building of the said Municipal Corporation togetherwith the time by which it is likely to be constructed ?

मुख्यमंत्री (श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा) : हां, श्रीमान् जी । नगर निगम, पंचकूला हेतू भवन निर्माण का प्रस्ताव है, जिसके लिए सैक्टर-3, पंचकूला में 9100 वर्ग गज भूमि चिन्हित की गई है । नगर निगम, पंचकूला द्वारा उक्त भूमि की लागत सूचित करने हेतु हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण को अनुरोध किया गया है ताकि राशि जमा करवाई जा सके । नगर निगम, पंचकूला को भूमि का कब्जा हस्तांतरित किये जाने उपरांत कार्यालय भवन का निर्माण कार्य आरम्भ कर दिया जाएगा ।

Details of Residential Plots

307. Shri Ashok Kumar Arora : Will the Chief Minister be pleased to state :—

(a) the details of residential plots carved out by the Town and Country Planning Department/HUDA in different Urban Estates in the State, during the period from 1-4-2005 till date; and

(b) the number of plots allotted, in the Urban Estates as at (a) above ?

मुख्यमंत्री (श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा) :

श्रीमान् जी,

(क) 01.04.2005 से 20.02.2013 तक की समय अवधि के दौरान कॉलोनाइजरों द्वारा 98606 आवासीय प्लॉट एवं 151573 फ्लैट क्रमशः लाईसेंसशुदा आवासीय कालोनियों तथा ग्रुप हाऊसिंग कालोनियों में उपलब्ध करवाये गये हैं जिनके लिये नगर एवं ग्राम आयोजना विभाग द्वारा कॉलोनाइजरों को विभिन्न शहरी सम्पदाओं में लाईसेंस प्रदान किये गये हैं । हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण की शहरी सम्पदाओं में 01.04.2005 से 20.02.2013 तक 61580 आवासीय प्लॉट काटे गये हैं ।

(ख) लाईसेंसशुदा आवासीय प्लॉटिड कालोनियों तथा ग्रुप हाऊसिंग कालोनियों में, क्रमशः 61664 आवासीय प्लॉट तथा 82595 फ्लैट आबंटित किये गये हैं । हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण की शहरी सम्पदाओं में 32733 आवासीय प्लॉट आबंटित किये गये हैं ।

अध्यक्ष महोदय द्वारा घोषणा–

अनुपस्थिति के संबंध में सूचना

Mr. Speaker : Hon'ble Members, I am to inform the House that I have received an intimation from Smt. Sumita Singh, M.L.A. in which she has expressed her inability to attend the Sitting of the House due to unavoidable circumstances on 1st March, 2013.

Mr. Speaker : Hon'ble Members, I am also to inform the House that I have received an intimation from Km. Sharda Rathore, Chief Parliamentary Secretary in which she has expressed her inability to attend the Sitting of the House that she will not be able to present in the House from 26th to 28th February, 2013 due to her ill-health.

स्थगन प्रस्तावों/ध्यानाकर्षण प्रस्तावों की सूचनाएं

Mr. Speaker : Hon'ble Members, I have received a notice from Shri Sampat Singh, MLA regarding loosing of moral right of Shri Om Parkash Chautala, MLA to continue as Member of Legislative Assembly.

श्री राम पाल माजरा : स्पीकर सर, (शोर एवं व्यवधान)

श्री अनिल विज : स्पीकर सर, (शोर एवं व्यवधान)

श्री मोहम्मद इलियास : स्पीकर सर, (शोर एवं व्यवधान)

श्री कृष्ण लाल पंवार : स्पीकर सर, (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : क्या आप मुझे इस तरीके से कागज भेज सकते हैं? Is it the way ? आप एजुकेटिड आदमी हैं। You are not allowed like this. Give the papers to my Secretary (Interruption) ? I have admitted the Calling Attention motion notice on hail-storms for 4th March. (Interruption) ऑनरेबल मैंबर्ज, अगर आप सभी एक साथ बोलेंगे तो मुझे कैसे पता चलेगा कि आप क्या कहना चाहते हैं? इसलिये मेरा आप सभी माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि आप कृपया करके एक-एक करके बोलें। (शोर एवं व्यवधान) दांगी जी, मैं आपको बोलने की परमिशन देता हूं। बोलिए आप क्या कहना चाहते हैं? (शोर एवं व्यवधान)

श्री आनंद सिंह दांगी : स्पीकर सर, मैं यह कहना चाहता हूं कि अभी हाल ही में हुई बारिश और ओलावृष्टि से किसानों की फसलें बर्बाद हो गयी हैं, इसलिए उसके ऊपर डिस्कशन करना अनिवार्य है। (शोर एवं व्यवधान) स्पीकर सर, असमय बारिश और ओलावृष्टि से आज किसान पूरी तरह से बर्बाद हो गया है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : प्लीज, आप सभी बैठ जाईए। (शोर एवं व्यवधान) जो ओलावृष्टि हुई है मैंने उसके ऊपर एक माननीय सदस्य श्री आनंद सिंह दांगी द्वारा दिया गया कालिंग अटैंशन मोशन एडमिट कर लिया है। (शोर एवं व्यवधान) Dangi Sahib, I have admitted your motion for 4th March. I have asked the Government for comments on it and discussion will take place on 4th March.

श्री कलीराम पटवारी : अध्यक्ष महोदय, ओलावृष्टि और वाटर लॉगिंग से प्रदेश का किसान बर्बाद हो गया है। (विघ्न)

श्री आनंद सिंह दांगी : अध्यक्ष महोदय, आज ओलावृष्टि और वाटर लॉगिंग से प्रदेश का किसान बर्बाद हो रहा है। इस बारे में हाउस में सबसे पहले डिस्कशन होनी चाहिए और सरकार की तरफ से विशेष आश्वासन आना चाहिए। स्पैशल गिरदावरी वगैरह करवाकर जितना भी नुकसान हुआ है उसके अनुसार प्रदेश के किसानों के लिए मुआवजा दिया जाये।

Mr. Speaker : There is a consensus of the House for the discussion on this issue. एक बार मोडैलिटीज हम डिस्कश कर लें। Let the Government say कि कब डिस्कश करना चाहती है? Let me ask them. First let us decide this. (Interruption)

श्री अनिल विज : अध्यक्ष महोदय, (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : विज साहब, यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है और मंत्री जी इस बारे में कुछ बता रहे हैं, आप पहले उनको सुन लें।

राजस्व मंत्री (श्री महेन्द्र प्रताप) : अध्यक्ष महोदय, आपने ओलावृष्टि पर मोशन एडमिट कर लिया है तो जवाब उस समय ही होगा तो अच्छा होगा लेकिन इनकी जानकारी के लिए मैं बता दूँ कि ओलावृष्टि के लिए स्पैशल गिरदावरी के आदेश दिये जा चुके हैं स्पैशल गिरदावरी की रिपोर्ट आ जायेगी तो किसानों को उसके अनुसार ही मुआवजा दे दिया जायेगा। सन् 2004 में जो मुआवजा दिया जाता था उससे दोगुणा तो देंगे ही तथा कहीं-कहीं अढ़ाई से तीन गुणा ज्यादा मुआवजा किसानों को दिया जायेगा। (विघ्न)

श्री रामपाल माजरा : अध्यक्ष महोदय, आज तक किसानों का पाले से संबंधित 41 करोड़ रुपये सरकार की तरफ बकाया है, उसको नहीं बांटा गया है। (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : दांगी साहब ने भी कहा है और विपक्ष भी चाहता है कि ओलावृष्टि से किसानों को जो नुकसान हुआ है, उस पर डिस्कशन के लिए सरकार कब तक तैयार है?

श्री महेन्द्र प्रताप : अध्यक्ष महोदय, वह तो आपने डिस्कशन के लिए 4 मार्च, 2013 के लिए एडमिट कर लिया है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री आनंद सिंह दांगी : अध्यक्ष महोदय, सिर्फ ओलावृष्टि की बात नहीं है जिन किसानों की फसलें बारिश का पानी भरने से बर्बाद हुई हैं तथा किसानों का जितना भी नुकसान हुआ है उसके बारे में हाउस में डिस्कशन होनी चाहिए तथा उचित मुआवजा दिया जाना चाहिए। (शोर एवं व्यवधान)

श्री महेन्द्र प्रताप : अध्यक्ष महोदय, ओलावृष्टि या वाटर लॉगिंग के लिए हमने स्पैशल गिरदावरी के आदेश दे दिये हैं तथा जैसे ही गिरदावरी की रिपोर्ट आ जायेगी हम उसके अनुसार किसानों को मुआवजा दे देंगे। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : चाहे किसी भी तरीके से किसानों की फसल बर्बाद हुई हो। चाहे ओलावृष्टि से या वाटर लॉगिंग से या नहर टूटने से या और कोई इससे संबंधित किसी सदस्य को कोई बात पूछनी हो तो वह मुझे लिख कर दे दे और मैं उन सबको क्लब कर दूंगा और एक दिन इस पर डिस्कशन हो जायेगी क्योंकि यह बहुत ही महत्वपूर्ण इश्यू है।

श्री अनिल विज : अध्यक्ष महोदय, कर्मचारियों पर लाठियाँ बरसाई गई उस पर मेरा एक कालिंग अटैंशन मोशन है, आपसे अनुरोध है कि आप उसको भी एडमिट कर लीजिए। (विघ्न)

श्री रामपाल माजरा : अध्यक्ष महोदय, रॉबर्ट वाड्रा के जमीन सौदे से संबंधित एक एडजर्नमैंट मोशन मैंने भी आपको दिया है उसका क्या फेट है?

श्री अध्यक्ष : माजरा साहब, मैं आपको बताता हूं कि यह 1 बजे मेरी टेबल पर आया है तथा 2 बजे हाउस शुरू होने का टाईम हो जाता है। मैं इसको डिस्कशन के लिए इग्जामिन करवाऊंगा। Let me think. आपके इश्यू को हमने अभी रिजैक्ट नहीं किया है। (विघ्न)

श्री रामपाल माजरा : अध्यक्ष महोदय, मैंने तो 11 बजे आपके सैक्रेटरी को दे दिया था अगर वह आपको 1 बजे देते हैं तो यह उनका काम है। मैं स्वयं 11 बजे देकर आया हूं। (विघ्न)

Mr. Speaker : I have not yet rejected it.

श्री अभय सिंह चौटाला : अध्यक्ष महोदय, इनका कहने का मतलब यह है कि जिस तरह से आपने कह दिया कि मुझे 1 बजे मिला है लेकिन इन्होंने आपके ऑफिस में आपके सैक्रेटरी को 11 बजे दे दिया है। अगर दो घण्टे तक आपके पास नहीं पहुंचा तो रामपाल माजरा जी उसके लिए जिम्मेदार नहीं हैं। उसके लिए आपका ऑफिस जिम्मेदार है।

श्री अध्यक्ष : हालांकि यह मुझे 1 बजे मिला है लेकिन मैंने इसको अभी तक रिजैक्ट नहीं किया है। (विघ्न)

श्री रामपाल माजरा : अध्यक्ष महोदय, यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण इश्यू है इसलिए सारा काम छोड़ कर इस पर डिस्कशन होना चाहिए। (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : इम्पोर्टैंट है तभी तो रिजैक्ट नहीं हुआ। (विघ्न) अभी तक कहां रिजैक्ट हुआ है प्लीज आप बैठिए। सम्पत सिंह जी आपके एडजर्नमैंट मोशन पर I will decide

when it is to be discussed.

श्री नरेन्द्र सांगवान : अध्यक्ष महोदय, हम चाहते हैं कि पहले जो बहुत सारे किसान बर्बाद हो गए उन पर चर्चा करवाई जाए और जो मेरे हल्के का काम अधूरा है वह पूरा किया जाए।

Mr. Speaker : I have received a calling attention motion from Smt. Sumita Singh regarding crime against women in Haryana. (Interruption)

श्री रामपाल माजरा : सर, स्काईलाईट हॉस्पिटालिटी कम्पनी द्वारा हरियाणा राज्य की खरीद में हुई अनियमितताओं तथा उससे जुड़े विवादों के संबंध में पहले मैंने स्थगन प्रस्ताव दिया है।

Mr. Speaker : Crime against women is also a very important subject. Let us discuss.

श्री सम्पत सिंह : सर, पहले तो मैं आपसे फेट जानना चाहता हूँ क्योंकि अब शोर खत्म हो गया है। सर, सार्वजनिक जीवन में ईमानदारी के लिए मैंने एक स्थगन प्रस्ताव दिया था उसका क्या रहा?

Mr. Speaker : I will decide about it. You start from where I have told you. आप crime against women पर मोशन मूव करें। (शोर एवं व्यवधान) रामपाल जी आपको भी बोलने का मौका मिलेगा, आप बैठिए प्लीज। Please be seated. रामपाल जी आपको भी बोलने का मौका मिलेगा (शोर एवं व्यवधान)। I have taken up the calling attention motion regarding crime against women. Mr. Sampat Singh, you may please read out the motion. (Interruption) रामपाल जी आपको भी बोलने का मौका मिलेगा। (शोर एवं व्यवधान)

धन्यवाद प्रस्ताव

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : अध्यक्ष महोदय, एक बड़ा महत्वपूर्ण विषय है जो इससे तो जुड़ा हुआ नहीं है लेकिन प्रान्त के हितों से जुड़ा हुआ है और आपकी अनुमति से जिसकी हाल में ही घोषणा हुई है..... (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : प्लीज बैठिए सरकार की ओर से एक अनाउंसमैंट हो रही है। There is an announcement. (Interruption) Hon'ble Minister please make the announcement.

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : अध्यक्ष महोदय, आज लगभग एक घण्टा पहले देश का रेल बजट माननीय रेल मंत्री के द्वारा संसद में पेश किया गया है और उस रेल बजट में विशेषतौर से हरियाणा के लिए बहुत सारी नई खुशखबरियां हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुड्डा जी प्रधानमंत्री और रेल मंत्री जी से मिलकर आए थे जिसमें केन्द्र की सरकार ने हरियाणा के जिला सोनीपत में रेल कोच फैक्टरी लगाने का निर्णय लिया

[श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला]
है जिससे हरियाणा के नौजवानों को रोजगार मिलेगा। (शोर एवं व्यवधान) सर, क्या ये हरियाणा के विरोधी हैं? इनको इस बात पर भी एतराज है कि हरियाणा के अन्दर रेल कोच फैक्टरी लगेगी। ये इस बात के भी विरोधी हैं कि हरियाणा के नौजवानों को रोजगार मिलेगा। इस बात से इनका चेहरा बेनकाब हो गया है। हरियाणा के अन्दर रेल कोच फैक्टरी लगे ये भी कोई विवाद की बात हो सकती है क्या? (शोर एवं व्यवधान)

Mr. Speaker : Silence please. Yes, any more announcements.

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : अध्यक्ष महोदय, इसके साथ-साथ यह रेल कोच फैक्टरी सोनीपत में लगेगी जो आपके जिले में है। सर, रेल मंत्री जी ने घोषणा की है कि हरियाणा के और हरियाणा के साथ-साथ पड़ौसी प्रदेश के राज्यों के नौजवानों को भी रोजगार मिलेगा। नया विकास आएगा, नई तरक्की आएगी। हम प्रधानमंत्री जी के, यू०पी०ए० चेयरपर्सन श्रीमती सोनिया गांधी जी के और उसके साथ-साथ रेल मंत्री जी के धन्यवादी हैं। मुझे लगता है विपक्ष को भी अपनी हठधर्मिता और विरोधी रवैया छोड़कर केन्द्रीय सरकार का धन्यवाद करना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, भारत सरकार ने काफी वर्षों के बाद पहली बार हरियाणा में बहुत सारी नई ट्रेंज चालू करने का निर्णय लिया है। नई डेमू ट्रेंज दिल्ली, रोहतक, जींद, नरवाना, कैथल और कुरुक्षेत्र में चलाई जायेंगी जोकि इस पूरे इलाके की काफी लंबे समय से मांग भी रही है। पहली डेमू ट्रेन दिल्ली से कुरुक्षेत्र वाया कैथल चलाने का निर्णय किया गया है। इसके साथ-साथ रोहतक से रिवाड़ी तक एक और डेमू ट्रेन चलाने का निर्णय किया गया है। धुरी से हिसार, हिसार से लुधियाना और लुधियाना से सिरसा तक एक नई ट्रेन चलाने का तथा विस्तार करने का निर्णय किया गया है। (शोर एवं व्यवधान) रेल मंत्री श्री पवन कुमार बंसल जी ने हरियाणा को दिल्ली से रोहतक तक चलने वाली एक और नई मेमू ट्रेन भी दी है। (शोर एवं व्यवधान) इसके साथ-साथ ऊना से नंगल डैम वाया आनन्दपुर इत्यादि तथा चंडीगढ़ व अम्बाला तक उन्होंने एक एक्सप्रैस ट्रेन भी दी है। (शोर एवं व्यवधान) कोटा से जम्मूतवी... (शोर एवं व्यवधान) विज साहब आपकी पार्टी ने अपने 5 वर्ष के शासनकाल में कभी भी हरियाणा को कोई नई ट्रेन नहीं दी थी, कभी कोई रेल-कोच फैक्ट्री नहीं लगाई थी। (शोर एवं व्यवधान) आप लोग तो हरियाणा विरोधी हैं। (शोर एवं व्यवधान) आज भी आप लोग इसका विरोध कर रहे हैं। (शोर एवं व्यवधान) मेवात में पहली बार नई रेलवे लाईन बिछाने का निर्णय भी भारत की कांग्रेस सरकार ने ही किया है (इस समय मेजें थपथपाई गईं।) हम मेवात के आखिरी कोने तक विकास को पहुंचायेंगे। (शोर एवं व्यवधान) कटड़ा से लेकर कालका तक एक नई ट्रेन चलाने का निर्णय किया गया है जो इस क्षेत्र के लोगों की काफी पुरानी मांग रही भी है। (इस समय मेजें थपथपाई गई) दिल्ली, सोहना, नूंह, फिरोजपुर झिरका और अलवर तक सारी नई रेलवे लाईंज बनाई जायेंगी। (शोर एवं व्यवधान) मुझे उम्मीद है कि हरियाणा को इन नई रेलवे लाईंज से बहुत सारा लाभ होगा।

मुख्यमंत्री (श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन को बताना चाहूंगा कि जो मेवात क्षेत्र में रेलवे लाईन बन रही है उसके खर्च का 50 प्रतिशत हिस्सा हरियाणा सरकार वहन करेगी। (इस समय मेजें थपथपाई गई।)

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : स्पीकर सर, इसके साथ-साथ में सदन को यह भी बताना चाहता हूं कि रिवाड़ी से रोहतक तक जो ट्रेन चलती है उसके बारे में रेल मंत्री जी ने घोषणा की है कि मकड़ौली तक उसको एक्सटैंड किया जायेगा। जाखल, हिसार, दिल्ली, रिवाड़ी तक रेलवे लाईन की इलैक्ट्रिफिकेशन की हमारी बहुत पुरानी मांग रही है जिसको रेल मंत्री जी ने मंजूर कर लिया है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अभय सिंह चौटाला : आप लोग तो प्रदेश को लूट रहे हो? (शोर एवं व्यवधान)

श्री नरेश कुमार शर्मा : कांग्रेस तो प्रदेश के विकास पर पैसा लूट रही है लेकिन तुम लोग तो आम लोगों को ही लुटने पर लगे हुए थे? (शोर एवं व्यवधान)

Mr. Speaker : Mr. Minister, do you want to bring a resolution in the House for thanking the Railway Minister and the UPA Government also ?

Sh. Randeep Singh Surjewala : That's right, Sir.

Mr. Speaker : Hon'ble Members, now the Parliamentary Affairs Minister will move a resolution.

Parliamentary Affairs Minister (Shri Randeep Singh Surjewala) : Sir, before moving a resolution, I just want to mention that केन्द्रीय सरकार ने एक नई रेल लाईन हिसार, सिरसा वाया अग्रोहा फतेहाबाद बनाने का निर्णय लिया है। (शोर एवं व्यवधान) (इस समय मेजें थपथपाई गई।) यमुनानगर, चण्डीगढ़ वाया सढ़ौरा नारायणगढ़ तक तथा दादरी, झाड़ली, झज्जर, हिसार, फतेहाबाद और नरवाना से उकलाना तक नई रेलवे लाईंज बिछाने के लिए सर्वे का भी उन्होंने ऑर्डर कर दिया है। (शोर एवं व्यवधान) यह रेल बजट हरियाणा के लिए एक बड़ा सुखद बजट है। पहली बार काफी वर्षों के बाद ऐसी बेहतरीन सौगातें हरियाणा को मिली हैं। (इस समय मेजें थपथपाई गई।) मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन देश के प्रधानमंत्री डॉ० मनमोहन सिंह जी का और रेल मंत्री पवन बंसल जी का एक स्वर में धन्यवाद करें।

Sir, I beg to move—

> That the Railway Budget of 2013-14 has brought a bouquet of good news and incentives for the State of Haryana in the shape of sanctioning of a Coach Manufacturing Unit in District Sonipat, Haryana, new railway line i.e. extension of Rewari-Rohtak railway line to Makrauli; Electrification of Delhi Sarai Rohilla-Rewari-Palanpur-Ahmedabad route, Jakhal-Hisar route, Jakhal-Dhuri-Ludhiana route; survey of new lines i.e. Dadri-Jharli via Jhajjar, Dadri-Sikandarabad-Bulandshahar-Jahangirabad-Anoopshahar-Narora, Hisar-Fatehabad, Narwana-Uklana. A number of new trains have been sanctioned touching or crossing through Haryana as follows :—

Express Trains :—

(i) Bandra Terminus - Hisar Express (Weekly) via Ahmedabad, Palanpur, Marwar, Jodhpur, Degana.

[Shri Randeep Singh Surjewala]

(ii) Delhi - Firozepur Intercity Express (Daily) via Bathinda.

(iii) Delhi - Hoshiarpur Express (Weekly).

(iv) Kalka - Sai Nagar Shirdi Express (Bi-weekly) via Hazrat Nizamuddin, Bhopal, Itrasi.

(v) New Delhi - Katra AC Express (6 days a week).

Passenger Trains :

Loharu - Sikar Passenger (Daily) after gauge conversion.

MEMU Services :

Delhi - Rohtak (Replacement of conventional service by MEMU)

DEMU Services :

(i) Delhi - Kurukshetra via Kaithal

(ii) Rohtak - Rewari

Extension of Trains :

(i) 12231/12232 Chandigarh - Lucknow Express to Patna (2 days).

(ii) 14731/14732 Delhi - Bathinda Express to Fazilka.

(iii) 54632/54633 Dhuri - Hisar/Hisar - Ludhiana Passenger to Sirsa.

Increase in frequency :

14037/14038 Delhi - Pathankot Express 3 to 6 days.

Therefore, this House resolves to thank the UPA Chairperson Smt. Sonia Gandhi, Hon'ble Prime Minister Dr. Manmohan Singh and Hon'ble Railway Minister Shri Pawan Kumar Bansal and also the entire UPA Government for creating new vistas of employment and communication in the State of Haryana in the Railway Budget.

Mr. Speaker : Motion moved—

That the Railway Budget of 2013-14 has brought a bouquet of good news and incentives for the State of Haryana in the shape of sanctioning of a Coach Manufacturing Unit in District Sonipat, Haryana, new railway line i.e. extension of Rewari-Rohtak railway line to Makrauli; Electrification of Delhi Sarai Rohilla - Rewari - Palanpur - Ahmedabad route, Jakhal - Hisar route, Jakhal - Dhuri - Ludhiana route; survey of new lines i.e. Dadri - Jharli via Jhajjar, Dadri - Sikandarabad - Bulandshahar - Jahangirabad - Anoopshahar - Narora, Hisar - Fatehabad, Narwana - Uklana. A number of new trains have been sanctioned touching or crossing through Haryana as follows :—

Express Trains :—

(i) Bandra Terminus - Hisar Express (Weekly) via Ahmedabad, Palanpur, Marwar, Jodhpur, Degana.

(ii) Delhi - Firozepur Intercity Express (Daily) via Bathinda.

(iii) Delhi - Hoshiarpur Express (Weekly).

(iv) Kalka - Sai Nagar Shirdi Express (Bi-weekly) via Hazrat Nizamuddin, Bhopal, Itrasi.

(v) New Delhi - Katra AC Express (6 days a week).

Passenger Trains :

Loharu - Sikar Passenger (Daily) after gauge conversion.

MEMU Services :

Delhi - Rohtak (Replacement of conventional service by MEMU)

DEMU Services :

(i) Delhi - Kurukshetra via Kaithal

(ii) Rohtak - Rewari

Extension of Trains :

(i) 12231/12232 Chandigarh - Lucknow Express to Patna (2 days).

(ii) 14731/14732 Delhi - Bathinda Express to Fazilka.

(iii) 54632/54633 Dhuri - Hisar/Hisar - Ludhiana Passenger to Sirsa.

Increase in frequency :

14037/14038 Delhi - Pathankot Express 3 to 6 days.

Therefore, this House resolves to thank the UPA Chairperson Smt. Sonia Gandhi, Hon'ble Prime Minister Dr. Manmohan Singh and Hon'ble Railway Minister Shri Pawan Kumar Bansal and also the entire UPA Government for creating new vistas of employment and communication in the State of Haryana in the Railway Budget. (Interruption)

श्री नरेश कुमार शर्मा : स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से हमारे विपक्ष के साथियों को बताना चाहता हूं कि इस तरह का कार्य भी हरियाणा में पहली बार हुआ है? (शोर एवं व्यवधान)

श्री कृष्ण लाल कम्बोज : स्पीकर सर, आप भी कमाल करते हो जो आपने इस तरह से सीधा मोशन मूव कर दिया? (शोर एवं व्यवधान)

श्री सतपाल : स्पीकर सर, इतनी बढ़िया रेल-कोच फैक्ट्री हरियाणा में लगी है और ये लोग फिर भी ऑब्जैक्शन कर रहे हैं। (शोर एवं व्यवधान)

Haryana Vidhan Sabha Secretariat
LIBRARY
Chandigarh

Speaker : Hon'ble Members, please address to me. (interruption)

श्री अशोक कुमार अरोड़ा : स्पीकर साहब, हमें बोलने तो दो। सांगवान जी कह रहे हैं कि हम ऑब्जैक्शन कर रहे हैं। सांगवान जी, ऑब्जैक्शन कर कौन रहा है? (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : अरोड़ा जी, आप क्या कहना चाहते हैं, रेलवे मंत्री जी ने नई ट्रेनें चलाकर क्या गलत काम किया है?

श्री अशोक कुमार अरोड़ा : स्पीकर सर, आप एक प्रस्ताव लेकर आ रहे हो तो क्या हमारा इतना भी हक नहीं बनता कि हम उस पर कुछ बोलें?

श्री अध्यक्ष : अरोड़ा जी, क्या आप यह समझते हैं कि रेल मंत्री जी ने कोई गलत काम कर दिया है? (शोर एवं व्यवधान)

श्री अशोक कुमार अरोड़ा : स्पीकर सर, मुझे अपनी बात तो कह लेने दो (शोर एवं व्यवधान)

श्री अभय सिंह चौटाला : स्पीकर सर, अरोड़ा जी कोई गलत बात तो नहीं कह रहे हैं, वे ठीक बात ही कहेंगे, उनको बोलने तो दो। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : ठीक है, अरोड़ा जी, आप अपनी बात रखिये।

श्री अशोक कुमार अरोड़ा : स्पीकर सर, आज जिस प्रकार का रेल बजट रेल मंत्री जी ने प्रस्तुत किया है उसको देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि यह एक चुनावी बजट है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : अरोड़ा जी, ठीक है आपकी बात मान लेते हैं कि यह एक चुनावी बजट है लेकिन इसमें तो कोई शक ही नहीं कि आज नहीं तो कल चुनाव होने ही होने हैं। (शोर एवं व्यवधान) आप प्रस्ताव पर बोलिये?

श्री अशोक कुमार अरोड़ा : स्पीकर सर, मैं प्रस्ताव पर ही आऊंगा, प्लीज मुझे अपनी बात तो कह लेने दें। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : अरोड़ा जी, आप यह बतायें कि जो यह रेल-कोच फैक्ट्री हरियाणा में अनाउंस हुई है, आप उसके खिलाफ हो या हक में हो। इस बारे में अपनी स्थिति स्पष्ट करें। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अशोक कुमार अरोड़ा : जहां तक रेल लाइन बिछाने की बात हुई है। आज से 8 साल पहले चीका से कुरुक्षेत्र और यमुनानगर से चंडीगढ़ रेल लाइन के सर्वे को मंजूरी मिली थी लेकिन इस बारे में आज तक कोई काम नहीं हुआ है। हमें इसकी बहुत उम्मीद थी। बजट में रेल कोच फैक्टरी हरियाणा प्रदेश को दी गई है हम इसका स्वागत करते हैं। पर मैं मुख्यमंत्री जी से आपके माध्यम से एक अनुरोध जरूर करना चाहूंगा कि हरियाणा प्रदेश का सोनीपत जिला जो है दिल्ली के साथ लगता है और वहां एक-एक एकड़ जमीन करोड़ों रुपये की है। इसलिए इस कोच फैक्ट्री को किसी बैकवर्ड एरिया में चाहे भिवानी, फतेहाबाद, सिरसा या मेवात में लगाया जाना चाहिए।

श्री विनोद कुमार शर्मा : अध्यक्ष महोदय, अम्बाला जिला हरियाणा प्रदेश का सबसे पिछड़ा हुआ क्षेत्र माना जाता है। (शोर एवं व्यवधान) मैं अम्बाला शहर की नहीं बल्कि जिला अम्बाला की बात कर रहा हूं। वहां पर कोच फैक्ट्री की बहुत जरूरत है। यदि वहां इंडस्ट्री आएगी तो नौजवानों को रोजगार मिलेगा। अम्बाला में आई.एम.टी. लगने वाली थी और उसके लिए जमीन अधिग्रहण के लिए सैक्शन 4 और 6 के नोटिस भी दिये गये थे लेकिन कुछ पार्टियों या व्यक्तियों ने अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए वहां से आई.एम.टी. हटाकर दूसरी जगह लगवाने के लिए प्रयास किए।

श्री राजबीर सिंह बराड़ा : उसका तो आपकी केन्द्रीय मंत्री जी ने भी विरोध किया था। (शोर एवं व्यवधान)

श्री विनोद कुमार शर्मा : मैं यही कह रहा हूं कि वह विरोध गलत था। आई.एम.टी. बनने से अम्बाला के हजारों नौजवानों को नौकरियां मिलती। मैं अम्बाला के पिछड़ेपन को मद्देनजर रखते हुए एक सुझाव देना चाहता हूं कि सदन एक प्रस्ताव पास कर दे कि अम्बाला जो कि सबसे पिछड़ा हुआ जिला है उसमें यह कोच फैक्ट्री लगाई जाए। धन्यवाद।

श्री अशोक कुमार अरोड़ा : अध्यक्ष महोदय, मेरी रिक्वैस्ट है कि आपको भी इस बात का समर्थन करना चाहिए कि यह फैक्ट्री सोनीपत के अलावा कहीं और लगे।

Mr. Speaker : I belong to Sonepat. Why should I allow it outside Sonepat ?

जनस्वास्थ्य मंत्री (श्रीमती किरण चौधरी) : अध्यक्ष महोदय, हरियाणा प्रदेश को जो यह रेल कोच फैक्ट्री मिली है वैसे तो हम इसका स्वागत करते हैं लेकिन साथ ही यह अनुरोध भी है कि हरियाणा में भिवानी और महेन्द्रगढ़ जिला सबसे पिछड़ा हुआ है। अम्बाला जिला तो फिर भी बहुत आगे है। मुख्यमंत्री जी बहुत ही दरियादिल हैं। इससे पूर्व भिवानी में ऐसा कोई प्रोजैक्ट भी नहीं आया है। इसलिए यह कोच फैक्ट्री भिवानी जिले को दी जाए और लोहारू इस मामले में सबसे उपयुक्त है। वहां जमीनें उपजाऊ भी नहीं हैं।

सहकारिता मंत्री (श्री सतपाल) : अध्यक्ष महोदय, लोहारू में कोच फैक्ट्री लगने के बाद हमारा एरिया भी डवैल्प हो जाएगा। इसके लिए मैं मुख्यमंत्री जी को और हमारी सांसद को बहुत बधाई देना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : रेलवे मिनिस्टर की घोषणा सोनीपत में रेल कोच फैक्ट्री लगाने के लिए हुई है and the Resolution is carried. It will be conveyed to the Central Government.

Shri Randeep Singh Surjewala : Sir, the Resolution may be put to vote. That is my humble request to you instead of digressing from the principal subject. (Interruption)

Mr. Speaker : Now, please everybody sit down.

Shri Randeep Singh Surjewala : Sir, if anybody wants to object, they can object. (Interruption)

Mr. Speaker : Question is —

That the Railway Budget of 2013-14 has brought a bouquet of good news and incentives for the State of Haryana in the shape of sanctioning of a Coach Manufacturing Unit in District Sonipat, Haryana, new railway line i.e. extension of Rewari-Rohtak railway line to Makrauli; Electrification of Delhi Sarai Rohilla-Rewari-Palanpur-Ahmedabad route, Jakhal-Hisar route, Jakhal-Dhuri-Ludhiana route ; survey of new lines i.e. Dadri Jharli via Jhajjar, Dadri-Sikandarabad-Bulandshahar-Jahangirabad-Anoopshahar-Narora, Hisar-Fatehabad, Narwana-Uklana. A number of new trains have been sanctioned touching or crossing through Haryana as follows :

Express Trains —

(i) Bandra Terminus - Hisar Express (Weekly) via Ahmedabad, Palanpur, Marwar, Jodhpur, Degana

(ii) Delhi-Firozepur Intercity Express (Daily) via bathinda

(iii) Delhi-Hoshiarpur Express (Weekly)

(iv) Kalka-Sai Nagar Shirdi Express (Bi-weekly) via Hazrat Nizamuddin, Bhopal, Itrasi

(v) New Delhi - Katra AC Express (6 days a week)

Passenger Trains -

Loharu-Sikar Passenger (Daily) after gauge conversion

MEMU Services -

Delhi - Rohtak (Replacement of conventional service by MEMU)

DEMU Services -

(i) Delhi-Kurukshetra via Kaithal

(ii) Rohtak - Rewari

Extension of Trains -

(i) 12231/12232 Chandigarh-Lucknow Express to Patna (2 days)

(ii) 14731/14732 Delhi-Bathinda Express to Fazilka

(iii) 54632/54633 Dhuri - Hisar/Hisar - Ludhiana Passenger to Sirsa

Increase in frequency -

14037/14038 Delhi-Pathankot Express 3 to 6 days.

Therefore, this House resolves to thank the UPA Chairperson, Smt. Sonia Gandhi, Hon'ble Prime Minister, Dr. Manmohan Singh and Hon'ble Railway Minister, Shri Pawan Kumar Bansal and also the entire UPA Government for creating new vistas of employment and communication in the State of Haryana in the Railway Budget.

The motion was carried

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव तथा उस पर वक्तव्य

Mr. Speaker : Hon'ble Members, I have received a Calling Attention Notice from Smt. Sumita Singh, M.L.A. regarding crime against women in Haryana. I have admitted it. Shri Sampat Singh, MLA, Shri Bharat Bhushan Batra, MLA, Shri Aftab Ahmed, MLA, Shri Ram Pal Majra, MLA and Shri Anil Vij, MLA have also given Calling Attention Notice on the similar subject. So, they are also allowed to raise supplementary.

As Smt. Sumita Singh is not present, I allow Shri Sampat Singh to read the notice.

ध्यानाकर्षण सूचना संख्या - 1

प्रो० सम्पत सिंह : स्पीकर सर, मैं इस महान सदन का ध्यान एक अत्यावश्यक लोक महत्व के विषय की ओर दिलाना चाहता हूं कि :-

यद्यपि हरियाणा में 2012 में बलात्कार की घटनाओं में कमी आई है, लोग अभी भी ऐसे घृणित अपराधों के विरुद्ध शून्य सहिष्णुता चाहते हैं। महिलाओं के विरुद्ध यौन उत्पीड़न के लिए अधिक संरक्षण की मांगों के लिए हाल ही में दिल्ली में गैंग रेप पर राष्ट्र की प्रतिक्रिया इसका प्रमाण था।

मैं यह उल्लेख करते हुए प्रसन्न हूं कि हरियाणा सरकार ने यह विषय हथिया लिया है और महिलाओं के विरुद्ध सामान्य अपराध तथा यौन दुर्वचन विशेषकर हिंसा को कुचलने के लिए पग उठा रही है।

रिकॉर्ड के लिए, हरियाणा में 2010 की तुलना में 2011 में बलात्कार की घटनाओं में बढ़ौतरी के राष्ट्रीय आंकड़े 9.2 प्रतिशत के विरुद्ध 1.4 प्रतिशत थे, केरल में 78.5 प्रतिशत बढ़ौतरी, उत्तर प्रदेश में 13.7 प्रतिशत, बिहार में 17.4 प्रतिशत, राजस्थान में 14.6 प्रतिशत, कर्नाटक तथा उड़ीसा में 8.5 प्रतिशत, 2012 में गुजरात में 7.6 प्रतिशत की बढ़ौतरी थी। हरियाणा में बलात्कारों की संख्या 2011 में 723 से घटकर 2012 में 687 रह गई।

अभी भी हमें बलात्कारों को रोकने के लिए तथा अपने राज्य को बलात्कार मुक्त बनाने के लिए एक लम्बा रास्ता तय करना है।

हरियाणा में 2011 में सभी बलात्कारी पीड़ितों के जानकार थे।

तथापि, हमारे समाज के लिए यह तथ्य के विपरीत एक दुखद टिप्पणी नहीं हो सकती है कि हरियाणा में 2011 में, राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो के रिकार्ड के अनुसार बलात्कार के सभी 723 मामलों में, शत् प्रतिशत अपराधी पीड़ितों के जानकार थे। इसी अनुरूप राष्ट्रीय औसत 95 था। हरियाणा में पुनः बलात्कार के आठ मामलों में पारिवारिक व्याभिचार सम्मिलित था। मुझे यह कहते हुए अफसोस हो रहा है कि महिलाएं स्वयं अपने घरों, कार्यस्थलों, शैक्षणिक संस्थानों, अस्पतालों, धार्मिक स्थलों, पुलिस स्टेशनों, सार्वजनिक परिवहन तथा पड़ोस में भी सुरक्षित नहीं हैं।

[प्रो० सम्पत सिंह]

महिलाओं के लिए सम्मान की कमी

हरियाणा को एक समाज के रूप में अपनी महिलाओं का सम्मान करना सीखना चाहिए तथा उन्हें पुरुषों के बराबर समझना चाहिए। राज्य को न केवल संबंधित कानूनों को सशक्त बनाना चाहिए अपितु पुरुषों की मानसिकता बदलने के लिए पग उठाने चाहिएं। जबकि कठोर कानून तथा तीव्र सजा सम्भावित बलात्कारियों को भय दिखाकर रोकेगी, मानसिक परिवर्तन करने के लिए एक सामाजिक आन्दोलन अपराध रोकने में सहायक होगा। जब बलात्कार हो तो राजनैतिक व्यक्तियों तथा सामाजिक नेताओं को अनावश्यक टिप्पणियां करने से बचना चाहिए। हाल ही में प्रतिपक्ष के नेता द्वारा की गई टिप्पणियां कि लड़कियों की शादी करने योग्य उम्र 15 वर्ष से कम करना बलात्कार को रोकेगा अधिक से अधिक अनुचित हो सकता है।

राज्य को न केवल कानून सशक्त बनाने चाहिए अपितु पुरुषों को स्त्रियों के बराबर समझने के लिए भी सिखाना चाहिए। बलात्कार मामलों में उन अभियुक्तों को उदाहरणात्मक-सजा सम्भावित बलात्कारियों को डराने की ओर भी एक लम्बा मार्ग होगा।

शिक्षा महिलाओं को पर्याप्त रूप से सशकत बनाने में अब तक असफल हुई है। यद्यपि बहुत सी महिलाएं कमाने वाली हैं, यह उनके सामाजिक स्तर में कुछ ज्यादा परिवर्तन नहीं ला पाई है। शैक्षणिक संस्थानों तथा कार्य स्थानों में यौन उत्पीड़न तथा लिंग भेद बढ़ना एक ठीक-ठाक ढांचागत व्यवस्था की कमी के कारण कम बताता है तथा कम प्रतिवेदित होता है। परिवार के अन्दर भी, एक महिला की कमाई को अतिरिक्त आजीविका के रूप में देखा जाता है।

एक कन्या से अपने परिवार के अन्दर भी अपने विचारों को व्यक्त करने, प्रश्न उठाने तथा अपनी बुद्धि से बोलने की अपेक्षा नहीं की जाती है। इसी प्रकार की प्रतिकूलता कार्य स्थानों, सार्वजनिक स्थानों तथा संस्थानों, जो महिलाओं की रक्षा करने के लिए समझे जाते हैं, में भी दिखाई पड़ते हैं। हमें लिंग समानता लाने के बारे में एक सामाजिक आंदोलन की जरूरत है।

पुलिस तैनाती तथा जांच

महिलाओं के विरुद्ध यौन अपराधों के लिए सुरक्षा सुनिश्चित करने का कार्य पुलिस को सौंपा गया है। हाल ही में दिल्ली गैंग रेप ने सिद्ध किया है कि पुलिस तैनाती के तरीकों को कठोरता से सुधारे जाने की आवश्यकता है यदि इस प्रकार के अपराधों को रोकना है। कई बार वह महिलाओं के विरुद्ध अपराधों के लिए कोई चिंता या प्राथमिकता नहीं दिखाते। अभियुक्तों में डर पैदा करने की आवश्यकता है तथा पीड़ितों में आत्मविश्वास पैदा करने की जरूरत है। पुलिस तक पहुंचना भी एक अपमानजनक दौर हो सकता है क्योंकि कभी-कभी गैंग रेप पीड़िता आत्महत्या करने को विवश हो जाती हैं। उन्हें पीड़ित समझने की बजाय, उनके परिवार उसे अभियुक्त के रूप में समझने लगते हैं। पुलिसमैन उन्हें अभियुक्त के साथ समझौता करने की या परिणाम भुगतने की धमकी देते हैं। उसी समय वर्दीधारी पुलिसमैन देर-सवेर लड़की के घर आते हैं तथा असुविधाजनक प्रश्न पूछते हैं।

हमें पता है कि पुलिस के पास मानवशक्ति उपकरण तथा वाहनों की बुरी तरह से कमी है। हरियाणा में पुलिसमैन का अनुपात एक लाख जनसंख्या पर 172 है। क्या यह सहायता कर सकता है कि हरियाणा में हमारे पास एक लाख जनसंख्या पर 5.96 महिला सिपाही ही हैं। इन आंकड़ों पर पूर्णरूप से पुनः सोचने की आवश्यकता है।

वैज्ञानिक डाटा की कमी के कारण जांच प्रभावित होती है। फोरेंसिक साईंस एक विषय है जो अभी भी थाना स्तर के पुलिसमैन, जो दिन-प्रतिदिन अपराध से जूझते हैं, की पहुंच से दूर है। बड़े शहरों के अतिरिक्त जिला स्तर पर कोई फोरेंसिक टीम नहीं है जो घटना स्थल पर डी.एन.ए. सैंपल एकत्र करने के लिये जा सके।

पुलिस प्रशिक्षण स्कूलों तथा कालेजों में लिंग संवेदन ग्रहण को पाठ्यक्रम के रूप में आरम्भ करना बहुत ही सहायक होगा। सारे देश में सभी पुलिस स्टेशनों में महिला सहायता डेस्क, महिला पुलिस स्टेशन और अधिक स्थापित करना, सारे राष्ट्र में बसों में जी.पी.एस. सिस्टम के साथ कैमरे फिट करना तथा महिलाओं के लिए केयर सैंटरों की स्थापना करना, महिलाओं के विरुद्ध अपराध को रोकने में सहायता करेगा। प्रत्येक जिले में महिलाओं के विरुद्ध अपराध के लिये एक उप पुलिस अधीक्षक को नोडल अधिकारी के रूप में होना चाहिए।

दोष सिद्धि की न्यून दर

प्रत्येक चार केसों में से, जहां मुकदमा पूरा हो जाता है, प्रायः कई वर्षों से केवल एक ही केस में अभियुक्त दोष सिद्ध होता है। गत दो दशकों से ट्रायल कोर्टों में बलात्कार के मामलों में लम्बित मामलों की संख्या में 78% से 83% तक की वृद्धि हुई है। अदालतों द्वारा एक या दो दशक से पहले से आज तक अधिकतर लोग सजा से बच गए हैं। उदाहरणार्थ 1990 में 41% मामले दोष सिद्ध के रूप में समाप्त हुए। 10 वर्षों के अन्दर, यह 2000 तक गिर कर 30% के आस-पास हो गया। गत वर्ष, प्रत्येक में 1 व्यक्ति को जेल की सजा हुई, 3 सुरक्षित बरी हो गए। हरियाणा में, दोष सिद्ध की दर राष्ट्रीय दोष सिद्ध दर 26.4%, उत्तरप्रदेश में 56.4%, उत्तराखण्ड में 55.50%, झारखंड में 39.6%, पंजाब में 36.3%, राजस्थान में 26.1% की तुलना में केवल 23.4% थी। दोष सिद्ध की दर जम्मू तथा कश्मीर में 8.3%, गुजरात में 14.7%, पश्चिमी बंगाल में 11.5% तथा केरल में 15.4% तक की दयनीय स्थिति में है।

अदालतों के निर्णय भी शीघ्र नहीं आते। राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो के अनुसार, 2011 में अदालतों में 1.27 लाख बलात्कार के अभियुक्तों के चल रहे मुकदमों में से अदालतों ने 21,489 सन्देहास्पद मामलों में निर्णय दिया है। इस दर पर न्याय की तथा बैकलाग मामलों को निपटाये जाने की क्या आशा की जाये।

भारत में 2011 के दौरान 24,206 बलात्कार के रिपोर्ट हुए मामलों में दोष सिद्ध दर 26.4 प्रतिशत थी, या 4,072 दोष सिद्ध हुए, जबकि 11,351 बरी किए गए रिकार्ड किये गए थे। बलात्कार एक बार से अधिक बार किये जाने वाला अपराध है जब तक कि अपराध करने वाले को पकड़ा नहीं जाता तथा जहां महिला यौन उत्पीड़न था, उस द्वारा रिपोर्ट करने के पश्चात् भी पुलिस द्वारा उसकी बार-बार उपेक्षा की जाती है। फिर भी

[प्रो० सम्मत सिंह]
यदि अपराध रिकार्ड होता है, तो प्रायः पीड़ित प्रारम्भिक शोरगुल के पश्चात् भूल जाता है।

दोष सिद्ध की निम्न दर में बलात्कार पीड़ित की ओर आपराधिक न्याय प्रणाली की सब मिलाकर उदासीनता, यदि विद्वेषपूर्ण न हो, एक महत्वपूर्ण कारक है तथा बलात्कार मामलों की उच्च प्रतिशतता रिपोर्ट होने से रह जाती है। अपराध के प्रभावशाली नियंत्रण तथा अपराधियों के बीच सीधे संबंध से महसूस किया जाता है कि ज्यादातर अपराध का आचरण प्रायः बेशक दोष सिद्ध का कारण बनता है।

पुलिस को बलात्कार के मामलों को सुलझाते समय अपना ध्यान अभियोक्ता के आरोप के समर्थन में प्रमाण एकत्र करने का विश्वास न करने के कारणों से हटाकर संदेही व्यवहार से दूर रखना होगा तथा विश्वास, समर्थन एवं सम्मान की संस्कृति मन में बैठाकर बहुत कुछ करने की आवश्यकता है।

भारत में, सभी जगह, बहुत से मामलों में कानून की जांच तथा समझ दयनीय है। बहुत से असफल हुए मामलों में, या तो अभियोजन पक्ष पर्याप्त प्रमाण उपलब्ध नहीं करवा सका या संभवतः सुरक्षा कारणों से पीड़ित प्रतिकूल हो गए। पुलिस, महिलाओं का समर्थन करने में तभी असफल होती है जब वे दुर्व्यवहार की रिपोर्ट करती हैं जो अनजान बलात्कार की श्रेणी में पड़ता हो, तो जरा कल्पना कीजिए कि यह कितना बुरा होगा, जब केस में जानकार व्यक्ति सम्मिलित होते हैं, जो कि बलात्कार के मामलों में लगभग 97 प्रतिशत होता है, जिनमें जांच की बाद की अवस्था में पीड़ितों के प्रतिकूल हो जाने के ज्यादा अवसर होते हैं क्योंकि वे आपस में बैठकर मामला सुलझा लेते हैं।

चिकित्सा प्रमाण, जो बलात्कार के मामलों में अति आवश्यक है, अपराध की रिपोर्ट में देरी होने तथा जांचों के दौरान शुरू होने की पहले अवस्था में एकत्रित किए गए प्रमाण, फोरेंसिक किटों के कारण प्रशिक्षण की कमी तथा अनुपलब्धता के कारण सुरक्षित नहीं रखे जाते तथा जब भी बलात्कार के मामलों की जांच जैसे तैसे की जाती है, तो पुलिस की जिम्मेदारी बिरले ही निश्चित की जाती है तथा जिम्मेदार कर्मचारियों को उनकी ढिलाई के लिए दंडित नहीं किया जाता है। मामलों से संबंधित चिकित्सा प्रमाण के लिए फोरेंसिक साईंस लेबोरटरी से प्राप्त होने वाली रिपोर्टों में देरी, जांचों में उदासीनता की भावना जोड़ती है।

जब एक बार जांच हो जाती है, ऐसे मामलों के मुकदमें में देरी तथा पीड़ितों को न्याय मिलने में लम्बी कानूनी प्रक्रियाएं अन्य बाधाएं खड़ी करती हैं। ऐसे मामलों में बचाव पक्ष द्वारा आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 317 के अन्तर्गत एक याचिका दायर करके अपराधियों के अस्वथ्य होने जैसे बहाने देकर स्थगन के लिए प्रयास किए जाते हैं।

बलात्कार एक विलक्षण अपराध है क्योंकि किसी भी अन्य केस में न्यायालयों में पीड़ितों से इतनी सूक्ष्म जांच नहीं की जाती। पीड़ित प्रायः न्यायालयों तथा पुलिस के समक्ष खुल कर प्रकट करने में अनिच्छुक होते हैं। कानूनी प्रक्रिया में देरी होने तथा उनके अति विस्तृत होने से तथा कोई गवाह सुरक्षा कार्यक्रम न होने से, प्रायः अभियुक्त द्वारा पीड़ित

को प्रभावित कर लिया जाता है तथा केस वापिस लेने के लिए दबाव बनाया जाता है तथा अभियोजन पक्ष के गवाह प्रतिकूल हो जाते हैं या घटना के विवरणों को भूल जाते हैं। ऐसे केसों को चलाने के लिए न्यायालयों की अपर्याप्त संख्या, अत्याधिक देरी, दोष सिद्ध की न्यून दर भी एक कारण है। फास्ट ट्रैक कोर्टों के माध्यम से बलात्कार के मामलों के मुकदमों को तीव्रता से निपटाना भी इन मामलों को कम कर सकता है।

अपनाये जाने वाले मापदंड

मौलिक व्यावसायिक पुलिस तैनाती जैसे समुचित निरोधक पैट्रोलिंग, शीघ्र प्रतिक्रिया, जब पीड़ित फोन करने वाली एक महिला हो, और सम्पूर्ण जांच तथा न्यायालय में विचाराधीन मामले महिलाओं पर अत्याचारों से संबंधित हो, के मानदंड बदले नहीं जा सकते। सभी पुलिस अधिकारियों को एक सप्ताह का लिंग संवेदनशीलता पाठ्यक्रम करवाना आवश्यक होना चाहिए। ऐसे मामलों की जांच नियमित कानून व्यवस्था पुलिस द्वारा नहीं की जानी चाहिए अपितु एक पृथक प्रशिक्षित पुलिस विंग द्वारा की जानी चाहिए। प्रत्येक जिले में एकल सेवा निर्मित रेफरल सैंटर स्थापित करने की भी आवश्यकता है। यू.के. में स्थापित किए गए ऐसे केन्द्र एक छत के नीचे प्रमाण एकत्रण के लिए चिकित्सा देखभाल तथा फोरेंसिक जांच उपलब्ध कराते हैं। इन केन्द्रों को स्वास्थ्य विभाग, पुलिस तथा स्वयंसेवी संस्थानों संयुक्त रूप से निधि दे सकते हैं तथा चला सकते हैं।

जांच तथा चिकित्सा फोरेंसिक प्रमाण एकत्रण को सुदृढ़ करने के लिए, फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशालाओं को भी अधिक कर्मचारियों तथा निधियों की आवश्यकता होगी यदि उनके समक्ष आने वाले मामलों में हो रही बढ़ोतरी से वे पिछड़ना नहीं चाहते। डी.एन.ए. तकनीक एक मजबूत उपकरण है जो बलात्कार मामलों में प्रमाण की पुष्टि करने में जांचकर्ताओं को सज्जित करता है। तथापि, इसे ज्ञान की कमी, सभी प्रयोगशालाओं पर परीक्षण सुविधा की अनुपलब्धता तथा अंतर्ग्रस्त परीक्षण की कीमत के कारण कुछ हाई-प्रोफाईल मामलों को छोड़कर, प्रायः उपयोग में नहीं लाया जाता जितना कि इस उपयोग में लाना चाहिए। सिंगापुर पुलिस बल ने राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के सहयोग से एक मोबाइल डी.एन.ए. एनालाईजर विकसित किया है जो सैंपलों को एक स्थान पर विश्लेषण करने के लिए प्रयोग किया जा सकता है तथा इसकी कीमत भी ज्यादा नहीं है। ऐसी उचित तकनीक भारत में भी जांचकर्ताओं के लिए अत्यन्त लाभकारी सिद्ध हो सकती है।

कानून तथा न्यायालय : न्याय में देरी, न्याय नहीं देना है

बलात्कार मामलों में ट्रायल कोर्ट सामान्यतः वर्षो तक कार्यवाही पूरी करती हैं। प्रभावपूर्ण कानूनी तथा न्यायिक क्रियाविधि को, महिलाओं को सम्मानजनक जीवन जीने में, उनके मूल अधिकारों का उपयोग करने में समर्थ बनाने तथा राष्ट्र को एक सुरक्षित स्थान बनाने के लिए बहुत लम्बा मार्ग तय करना होगा।

फास्ट ट्रैक कोर्टें स्थापित करना, महिला वकील तथा जज उपलब्ध करवाना, वकील के चयन में पीड़ित की अपनी पसन्द को विचारना, शिकायतें, एफ.आई.आर. ऑडियो/वीडियो रिकॉर्डिंग, यौनाचार अपराधियों का राष्ट्रीय आंकड़ा बनाना, फोरेंसिक सक्षमताओं को

[प्रो० सम्मत सिंह]
सुदृढ़ करने, पुलिस में महिलओं के पद आरक्षित करने, जांच के लिये चल रही प्रक्रियाओं के स्तर का अधिक विस्तार करना, आरोप-पत्र फाईल करने के लिए समय सीमा निश्चित करने, सामुदायिक पुलिस क्रियाकलापों (अपराध रोकथाम में पुलिस-नागरिक समन्वय) पर ध्यान केंद्रित करने, पूरे राष्ट्र में महिलाओं के लिये सिंगल हेल्पलाईन स्थापित करने तथा प्लेसमैंट एजेंसियों को कानून के अधीन लाने जैसे कुछ ऐसे पग हैं जो हमें उठाने की आवश्यकता है।

ट्रायल कोर्ट के निर्णय के पश्चात् यह दोनों अर्थात् पुलिस तथा अभियुक्त को पहले उच्च न्यायालय में तथा उसके बाद उच्चतम न्यायालय में चुनौती देने की छूट है। इस प्रक्रिया में लंबित मामलों के बैकलॉग के कारण बहुत समय लग जाता है। मैं हरियाणा सरकार से निवेदन करता हूं कि वह केन्द्र सरकार को हरियाणा तथा पंजाब उच्च न्यायालय में न्यायधीशों की संख्या बढ़ाने का अनुरोध करें। हमें अदालतों की संख्या बढ़ाने के लिये भी विचार करना चाहिए।

महिलाओं की सुरक्षा के लिये पैनल

सरकार को राज्य में सभी जिलों में कार्य स्थलों पर महिलाओं की यौन उत्पीड़न की शिकायतें देखने के लिये कमेटियों के गठन पर विचार करना चाहिए। इसकी अध्यक्षता वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकारी द्वारा होनी चाहिए तथा इसके सदस्य आई.सी.डी.डी., डी.ई.ओ., डी.ई.ई.ओ., का परियोजना अधिकारी, सुरक्षा अधिकारी, एक लेडी डॉक्टर, जिला न्यायवादी हो तथा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा वसाका के निर्णय में दिए गए दिशानिर्देशों के अनुरूप बाल न्याय बोर्ड का एक सदस्य हो।

बलात्कार पीड़ितों के प्रति उदासीनता

स्वास्थ्य विभाग अपरिवर्तनीय रूप से यौन हमले के उत्तरजीवी के प्रति असफल रहता है, डॉक्टर उनके प्रति उसी प्रकार की पूर्वाग्रह तथा असंवेदनशीलता का भाव रखते हैं जैसे कि समाज रखता है। यह सामान्यतः पाया गया है कि डॉक्टरों की प्रवृत्ति यौन हमले के मामलों को पुलिस मामलों के रूप में देखने की होती है जहां उनको स्त्री रोग संबंधी राय की आवश्यकता होती है। वे बिरले ही पीड़ितों के जख्मों का इलाज करने या उसकी मनोवैज्ञानिक देखभाल को प्राथमिकता देते हैं। डाक्टरों द्वारा बलात्कार पीड़ितों की जांच करते समय मैडिकल-लीगल कार्य पर कोई राष्ट्रीय शिष्टाचार नहीं है; जांच के लिए पीड़ितों की सहमति लेने तथा पुलिस के साथ प्रमाण जुटाने के लिए समरूप नियम नहीं है कि सैक्स जख्मों के होने, न होने के प्रति, अभ्यस्तता के विषय पर अनुचित जोर दिया जाता है, जो कि कानून के अनुसार बलात्कार के मामलों से अप्रासंगिक होता है।

भारत में, हमारे पास पीड़ित से क्या कुछ पूछना है तथा कैसे उसके इतिहास को रिकार्ड करना है, का भी शिष्टाचार नहीं है, जब वह हिंसात्मक कृत्य पश्चात् प्रायः अपने पहले सम्पर्क के समय अस्पताल पहुंचती है। भारत में बहुत से चिकित्सकों के पास यौनाचार पीड़ितों से व्यवहार करने के प्रशिक्षण की कमी है। चिकित्सा पाठ्यपुस्तकें पुरानी हैं तथा चिकित्सकों को बलात्कार पीड़ितों को संदेह की दृष्टि से देखने के लिए उत्साहित करती

है। वे चिकित्सकों को चिकित्सा संबंधी जांच करने से पहले पीड़ितों की सहमति लेने के लिए यह कहते हुए कि यदि ऐसी सहमति नहीं मांगी जाती है तो चिकित्सक को स्वयं बलात्कार के आरोप का सामना करना होगा।

दुर्भाग्य से बलात्कार पीड़ित किसी का भी मरीज नहीं होता

- डाक्टरों की प्रवृत्ति यौन हमले के मामलों को पुलिस मामलों के रूप में देखने की होती हैं जहां उनकी स्त्री रोग संबंधी राय की आवश्यकता होती है। बिरले ही पीड़ितों के जख्मों का इलाज करने या उनकी मनोवैज्ञानिक देखभाल को प्राथमिकता देते हैं।
- डाक्टरों द्वारा बलात्कार पीड़ितों की जांच करते समय मैडिकल-लीगल कार्य पर कोई राष्ट्रीय शिष्टाचार नहीं है; जांच के लिए पीड़ितों की सहमति लेने तथा पुलिस के साथ प्रमाण जुटाने के लिए समरूप नियम नहीं है।
- जख्मों के होने न होने पर तथा पीड़ित की सैक्स के प्रति अभ्यस्तता के विषय पर अनुचित जोर दिया जाता है, जो कि कानून के अनुसार बलात्कार के मामलों में अप्रासंगिक होता हैं।
- जांच तथा चिकित्सा विवरण की रिकार्डिंग के दौरान पीड़ितों के लिए गोपनीयता की कमी।
- डॉक्टरों तथा नर्सों को प्रमाण एकत्रित करने तथा जुटाने के लिए अपेक्षित प्रशिक्षण की कमी; एकत्र करने से पहले फोहे (स्वैब) को ठीक ढंग से साफ न करना, उनके साक्ष्यात्मक महत्व को कम करती है।
- बलात्कार पीड़ितों के संदर्भ में पुलिस समन्वय, उन्हें और कलंकित करता हैं।
- बलात्कार पीड़ितों से कैसे व्यवहार करना है, पर चिकित्सा पाठ्यपुस्तकों के पुराने ढंगों में संशोधन की आवश्यकता हैं।

विश्व स्वास्थ्य संगठन से स्वीकृत रेप किटों का उपयोग क्यों न करना

जब तक फोरेंसिक अवसंरचना उन्नति करता है तब तक सरकार को सभी अस्पतालों में रेप क्रिटों का उपयोग करना आवश्यक कर देना चाहिए। यौनाचार फोरेंसिक जांच किट (रेप किट) डी.एन.ए. तथा अन्य फोरेंसिक प्रमाण का एकत्रीकरण होता है, जिसे चिकित्सा व्यवसायी (चिकित्सक/नर्स) द्वारा तब तक रखा जाता है जब तक की इसे कानून लागू करने वाली एजेंसियों या अपराध प्रयोगशाला द्वारा उठा नहीं लिया जाता। इसे तब तक रखा जाता है जब तक कि पीड़ित यह निर्णय न ले ले कि क्या वह मामले को जारी रखना चाहती है या नहीं। विश्व स्वास्थ्य संगठन से स्वीकृत रेप किट सामान्यतः एक बड़ा आवरण या कार्डबोर्ड बॉक्स है, जो पीड़ित के शरीर तथा कपड़ों से एकत्र किये प्रमाण को सुरक्षित बचा कर रख सकता है। इसमें ऐसी वस्तुएं जैसे कि लिखित निर्देश, प्रमाण एकत्रण के लिए बैग तथा शीट्स, झाड़न पोचा, कंघा, बालों तथा रेशों के लिए लिफाफे,

[प्रो० सम्मत सिंह]

रक्त एकत्रण उपकरण तथा दस्तावेज फार्म सम्मिलित है। किट में नियम पुस्तक प्रमाण एकत्रण के लिए प्रक्रिया क्रमशः स्पष्ट करती है।

पुनर्वास

बलात्कार पीड़ित के लिए समाज में पुनर्वास के उपाय यदा कदा ही पर्याप्त पाये जाते हैं। नगद मुआवजों का राजनीतिकरण हो जाता है तथा पहले ही पुलिस को आलस्य की ओर धकेलते हैं। यह केवल मात्र बलात्कारी ही नहीं होता, अपितु एक प्रकार से पूरा समुदाय, प्रशासन, कानून तथा राजनैतिक व्यवस्था भी है जो बलात्कार पीड़ित को नीचा दिखाने में सहायक होते हैं स्पष्टतया हमें और अधिक करने की आवश्यकता है।

बाल अधिनियम में परिवर्तन

बाल अपराध की घटनाओं में बढ़ रही प्रवृत्ति एक भारी चिन्ता का विषय है। इसलिए हरियाणा सरकार को भारत सरकार से बाल अधिनियम में परिवर्तन करने की सिफारिश करनी चाहिए।

वर्ष 2000 में बालकों द्वारा किए गए बलात्कार 198 से बढ़कर वर्ष 2011 में 1149 तक बढ़ गए। जब इसकी परिभाषा इस श्रेणी के अन्तर्गत 16 से 18 वर्ष तक के बच्चों को सम्मिलित करने के लिए संशोधित की गई थी। हरियाणा में इन बलात्कार के मामलों में कितने बालक सम्मिलित हैं?

वर्ष 2011 में बालकों द्वारा 1149 बलात्कार रिकार्ड किए गए उन में से ज्यादातर 16 से 18 वर्ष के बीच के थे। 2000 में इनकी संख्या 198 थी।

संशोधित बाल न्याय अधिनियम के अनुसार, एक बालक द्वारा किए गए अपराध के लिए अधिकतम सजा तीन वर्ष है जबकि इसकी तुलना में व्यसकों द्वारा किए गए उसी अपराध के लिए सजा उम्र कैद तक है।

वर्ष 2000 में, बालकों द्वारा किए गए अपराधों की संख्या पूरे देश में 9267 थी। वर्ष 2001 में ऐसे अपराध 16,509 तक पहुंच चुके थे। एक वर्ष में 80 प्रतिशत तक उछाल।

बदतर प्रवृति के ओर संकेत करते हुए, राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो कहता है कि लगभग 65 प्रतिशत ऐसे बालक 16 से 18 वर्ष के बीच की उम्र के भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत धुक किए गए (2010-11)।

क्या किया जाना चाहिए

- बढ़ रही दोषसिद्धि दर पर ध्यान देना चाहिए।
- पुलिस तथा अभियोजकों को योन उत्पीड़न मामलों की जांच कैसे की जाए, का व्यापक रूप से प्रशिक्षण देना चाहिए तथा जिला स्तर पर विशेष यौन उत्पीड़न अनुसंधान इकाईयां बनाई जानी चाहिए।
- पुलिस द्वारा शारीरिक प्रमाण एकत्र करने के लिए रेप किट्स को लागू किया जाना चाहिए।

- एक छत की नीचे चिकित्सा देखभाल तथा फोरेंसिक जांच उपलब्ध कराने के लिए प्रत्येक जिला पुलिस में रेप रेफरल केन्द्र स्थापित करने चाहिए।
- फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशालाओं को अधिक कर्मचारियों तथा निधिकरण से सुदृढ़ करना चाहिए।
- पुलिस अधिकारियों की जवाबदेही द्वारा अत्यावश्यकता की भावना विकसित करनी चाहिए तथा प्रतिक्रिया एवं जांच में शिथिलता के लिए उत्तरदायित्व निर्धारित करना चाहिए।
- यौन उत्पीड़न के उत्तर-जीवियों को उनके मामलों के बारे में उन्हें निरंतर सूचना देकर सशक्त बनाना चाहिए।
- महिला हैल्पलाईन नम्बरों को व्यापक रूप से संचार माध्यमों में देना चाहिए।
- बलात्कार मामलों में विचार करने में विश्वास, समर्थन तथा सम्मान की संस्कृति मन में बैठानी चाहिए।
- पीड़ितों तथा गवाहों के लिए एक गवाह सुरक्षा कार्यक्रम आरम्भ करना चाहिए।
- महिलाओं से संबंधित समस्याओं को सुलझाने के लिए महिला पुलिस बल में वृद्धि करनी चाहिए।
- सभी सिविल पुलिस अधिकारियों के लिए लिंग आधारित संवेदनशीलता पर आवश्यक प्रशिक्षण मापदंड (मॉडयूल) होना चाहिए।

मैं माननीय मंत्री को इस संबंध में सदन के पटल पर एक वक्तव्य देने का निवेदन करता हूँ।

ध्यानाकर्षण नोटिस नं० 1, 7, 8 और 13 संबंधित कथन

Mr. Speaker : Now, a Minister will make a statement.

उद्योग मंत्री (श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला) : अध्यक्ष महोदय,यह चारों ध्यानाकर्षण नोटिस विशेष रूप से महिलाओं के विरुद्ध होने वाले अपराधों जैसे यौन उत्पीड़न, छेड़छाड़ तथा चेन झपटने जैसे अपराधिक मुद्दों से संबंधित है। चूंकि उन नोटिस के अंतर्गत उठाये गये विषय लगभग एक जैसे हैं इसलिए उनके उत्तर सामूहिक रूप से प्रस्तुत है। ध्यानाकर्षण नोटिस नं० 7 व 13 के उत्तर में उल्लेख है कि हरियाणा सरकार राज्य में महिलाओं की सुरक्षा पर पूरा ध्यान रखे हुए है और साथ ही राज्य के आम नागरिकों की सुरक्षा के प्रति भी वचनबद्ध है। राज्य में कानून और व्यवस्था की स्थिति शांतिपूर्ण और नियंत्रण में हैं। राज्य में साम्प्रदायिक सद्भाव और शांति का माहौल है। राज्य में महिलाओं सहित अन्य सभी वर्गों के लोग शांतिपूर्वक ढंग से रह रहे हैं। राज्य पुलिस द्वारा किये गये निरन्तर, सुसंगत और समन्वित प्रयासों के कारण वर्ष 2012 के दौरान राज्य भर में

[श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला]
भारतीय दण्ड संहिता के अंतर्गत अपराध लगभग नियंत्रण में है। बलात्कार की घटनायें वर्ष 2012 के दौरान गत वर्ष की तुलना में कम हुई हैं।

राज्य सरकार महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों को नियंत्रित करने और अपराधियों को सजा दिलवाने के प्रति कटिबद्ध है।

महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने, उनके विरुद्ध होने वाले अपराधों को नियंत्रित करने और अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही करने के लिये आवश्यक कदम उठाये गये हैं।

1. महिलाओं के विरुद्ध होने वाले अपराधों की समन्वित जांच पड़ताल व त्वरित कार्यवाही करने तथा ऐसे सभी मामलों पर निरन्तर नजर रखने के लिये हरियाणा सरकार ने पुलिस मुख्यालय पर एक अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक पद के एक वरिष्ठ अधिकारी को नियुक्त किया है और पुलिस महानिरीक्षक पद की एक महिला अधिकारी को भी इस कार्य में उनकी मदद करने के लिए नियुक्त किया गया है।

2. प्रत्येक जिला में महिलाओं के विरुद्ध होने वाले अपराधों की निगरानी करने के लिये उप-अधीक्षक/निरीक्षक रैंक के पद की महिला अधिकारियों को ''नोडल ओफिसर'' नियुक्ति किया गया है।

3. राज्य में महिलाओं की मदद के लिये सभी जिलों में चार अंकों वाली महिला हैल्पलाईन 1091 टेलीफोन शुरू की गई है। इस महिला हैल्पलाईन पर शिकायतें सुनने के लिये विशेषतौर से प्रशिक्षित महिला पुलिस कर्मियों की ही नियुक्ति की गई है। राज्य में इस महिला हैल्पलाईन का राज्य भर में व्यापक प्रचार किया गया है। उच्च व मध्य वर्ग के वरिष्ठ अधिकारी इस महिला हैल्प लाईन पर मिलने वाली शिकायतों पर तुरन्त कार्यवाही व उनका निवारण करने के साथ साथ इसकी कार्य प्रणाली पर नजर भी रखते हैं।

4. माननीय उच्च न्यायालय ने इस प्रकार के मामलों के निपटारे के लिये विशेष अदालतें स्थापित करने का फैसला किया है। प्रत्येक सेशन्स डिविजन पर हरियाणा वरिष्ठ न्यायिक सेवारत सदस्य अध्यक्षता करेगा। महिलाओं के विरुद्ध होने वाले अपराधों की तेजी के साथ सुनवाई करने के लिए 21 अतिरिक्त वरिष्ठ न्यायिक सेवा के पदों (संबंधित स्टाफ सहित) राज्य में 21 विशेष फास्ट ट्रैक अदालतों की स्थापना की जा रही है। अध्यक्ष महोदय, छोटा सा आंकड़ा हम चैक कर रहे थे, मैंने केवल एक अदालत सिर्फ फतेहाबाद की फास्ट ट्रैक का डैटा लिया है। अगर उसकी निगरानी करें तो पिछले 2 महीने में 13 केसिज में रेप केसिज और डोवरी डैथ केसिज में सजा सुनाई गई है और 15 केसिज में acquittal हुआ है। So disposal is so quick. That is only due to one fast track court case of Fatehabad.

28 cases have been very quickly disposed off. So, this is yielding good results, Sir.

5. राज्य में महिलाओं के विरुद्ध होने वाले अपराधों पर रोक लगाने व उत्पीड़ित महिला की तुरन्त मदद करने के लिये प्रत्येक जिले में न्यूनतम एक ''विशेष महिला पुलिस पी.सी.आर. वाहन'' की सेवायें शुरू की है। यह विशेष पी.सी.आर. वाहन पूर्णतय महिला पुलिस द्वारा ही संचालित है। राज्य में 30 ऐसी पी.सी.आर. वाहन कार्यरत हैं। यह सभी महिला पी.सी. आर. न केवल पीड़ित महिला की मदद करती है बल्कि यदि आवश्यक हो तो उन्हें डॉक्टरी सुविधा भी तुरन्त उपलब्ध करवाती है। यह महिला पी. सी.आर. महिलाओं से संबंधित सभी संवेदनशील स्थानों की निरन्तर पैटरोलिंग करती रहती है।

6. हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण ने राज्य की सभी उत्पीड़ित महिलाओं और बच्चों को कानूनी सहायता उपलब्ध करवाने के लिये उन्हें कानूनी सलाहाकर देने की एक योजना बनाई है। इसके अन्तर्गत न्यायिक सचिवों द्वारा महिला वकीलों की प्रतिनियुक्ति किये जाने के साथ-साथ सभी जिला लीगल न्याय सेवा प्राधिकरणों को कहा गया है कि वे यौन उत्पीड़न और अपराधों से पीड़ित महिलाओं और बच्चों को कानूनी सहायता उपलब्ध करवायें।

7. राज्य स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी हरियाणा मैडिको लीगल मैन्यूल-2012 संबंधित मामलों में कार्यवाही हेतु राज्य के सभी जिला पुलिस अधीक्षकों को 30 जनवरी 2012 को भेजी गई है। इसके अनुसार आदेश दिये गये हैं कि वे यौन उत्पीड़न से संबंधित एकत्रित किये गये नमूनों की वैज्ञानिक जांच हरियाणा मैडिको लीगल मैन्यूल-2012 के अनुसार ही करें ताकि जांच से जुड़े सभी साक्ष्यों की गुणवत्ता बढ़ें और आरोपियों की सजा दर में भी बढ़ोतरी हो तथा अपराधों पर प्रभावी रोक लग सके।

8. राज्य सरकार ने सभी जिलों में जिला मैजिस्ट्रेट, पुलिस अधीक्षक और जिला ऐटोर्नी को लेकर जिला स्तरीय समितियों का गठन किया है जो महिलाओं के विरुद्ध होने वाले अपराधों की तत्परता से समीक्षा करेंगे।

9. साथ ही क्षेत्रीय पुलिस को निर्देश दिए गए हैं कि वे महिलाओं के विरुद्ध होने वाले अपराधों पर नियंत्रण करने के लिये निम्न विशेष हिदायतों पर भी अमल करें।

- भेधता मानचित्रण तैयार करने के लिये लड़कियों के स्कूलों और कॉलेजों, कमजोर वर्ग निवास, मलिन बस्तियों आदि स्थानों पर लगातार गश्त करें। महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में सक्रिय और सरकारी संगठनों के सहयोग से इस तरह के इलाकों में स्वयं सहायता समूह का गठन किया जावें।

[श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला]

- अभ्यस्त यौन अपराधियों की पहचान करने व उन्हें इस बारे रोकने के लिये सभी निवारक उपाय किये जायें।
- अकेली कामकाजी महिलायें बच्चे और घरेलू नौकरानियां उच्च जोखिम वाले समूह हैं। इस बाबत लोगों को संवेदनशील बनाने ओर अपराधियों के दिल में डर बैठाने के लिये पुलिस को एक जागरूकता अभियान चलाना चाहिये।
- खेल विभाग के सहयोग से सभी महिला शिक्षण संस्थानों में लड़कियों और महिलाओं को आत्मसुरक्षा के तरीके सिखाने के लिये विशेष शिविरों का आयोजन किया जाये।
- दूसरे विभाग जैसे महिला व बाल विकास विभाग के सहयोग से पीड़ितों को पुनर्स्थापित करने की योजना पर अमल किया जाये।
- पीड़ित महिला के साथ संवेदनशीलता बरती जाएं।
- महिलाओं के विरुद्ध होने वाले अपराधों से जुड़े संवेदनशील क्षेत्रों में प्रभावी तौर पर रात और दिन गश्त की जाएं।
- अपराधिक प्रवृति के लोगों की निरन्तर जांच करने के लिये उपयुक्त स्थानों की नाकाबन्दी की जाये और अपराधियों को गिरफ्तार किया जाये।

10. न्याय वैधिक प्रयोगशाला के निदेशक को हिदायत जारी की गई है कि वे विशेषतः महिला उत्पीड़न के मामलों की जांच प्राथमिकता से करें और इस प्रकार के सभी मामलों को 15 दिन के अन्दर-अन्दर निपटायें। डी.एन.ए. डिवीजन को मजबूत बनाया गया है। इसकी देखरेख के लिये उप-निदेशक की नियुक्ति किये जाने के साथ-साथ इसमें सभी आधुनिक एवम् तीव्र गति वाले विश्लेषणात्मक उपकरणों को लगाया गया है। ऐसा किये जाने से महिलाओं के विरुद्ध अपराधों की विवेचना करने की क्षमता बढ़ेगी।

11. सर्वोच्च न्यायालय द्वारा महिलाओं की छेड़छाड़ पर प्रतिबंध लगाने के उद्देश्य से सिविल अपील नं० 8513 वर्ष 2012 डी.आई.जी. व ए.एन. आर. बनाम ए. समुथिरम मुकद्मे में दिये गये निर्देशों की कॉपी भी विभाग द्वारा सभी संबंधित पुलिस अधिकारियों को भेज दी गई हैं। जिसके अनुसार महिलाओं के विद्यालयों, महाविद्यालयों, सिनेमाघरों, ट्यूशन व कोचिंग सैंटर और बाजारों इत्यादि में सादी वर्दी में पुलिस कर्मियों की तैनाती के आदेश दिये गये हैं ताकि छेड़छाड़ को रोकने व मनचलों को तुरन्त गिरफ्तार किया जा सके।

12. असामाजिक तत्वों, आपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्तियों और भगोड़ों की धरपक्कड़ करने के उद्देश्य से पुलिस द्वारा राज्य स्तरीय अभियान चलाया

हुआ है। इस अभियान का इस प्रकार के लोगों को स्पष्ट संदेश देना है कि राज्य में अब उनके लिये कोई स्थान नहीं है और इस प्रकार की गतिविधियों में संलिप्त और अराजकता फैलाने वाले तत्वों को बख्शा नहीं जायेगा।

13. राज्य के सभी पुलिस आयुक्तों/रेंज महानिरीक्षकों/पुलिस उपायुक्तों/जिला पुलिस अधीक्षकों को स्पष्ट निर्देश दिये गये हैं कि वे महिलाओं से संबंधित विशेषकर अनुसूचित जाति की महिलाओं के विरुद्ध अपराधों की रोकथाम के लिये कदम उठाये। ये निर्देश निम्नानुसार हैं :-

- यौन उत्पीड़न की जानकारी प्राप्त होने पर जिला पुलिस प्रमुख बिना किसी देरी के स्वयं अपराध स्थल का दौरा करें।
- प्राथमिकी तत्काल अंकित की जाये।
- अभियुक्त को तत्काल गिरफ्तार किया जाए।
- पीड़ित महिला की मैडीकल जांच में देरी न हो और घटना स्थल से संग्रहित किये गये साक्ष्यों को तुरन्त फोरैंसिक विज्ञान प्रयोगशाला में परीक्षण हेतु भेजें।
- पीड़िता और उसके परिवार को महिला पुलिस/जिला महिला संरक्षण अधिकारी/महिला अधिवक्ता द्वारा तुरन्त परामर्श/सांत्वना/भरोसा दिलाया जाये।
- जांच अधिकारी द्वारा केस-डायरी, प्रतिदिन बिना किसी देरी के सावधानी पूर्वक लिखी जाये।
- पर्यवेक्षक और वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों द्वारा इन केसों के अनुसंधान की नियमित आधार पर समीक्षा की जाये।
- यदि आवश्यक हो तो पीड़िता और उसके परिवार को पुलिस सुरक्षा भी उपलब्ध करवाई जाये।
- हरियाणा पुलिस विभाग द्वारा सभी जांच अधिकारियों के लक्ष्य को निर्धारित किया गया है कि वे सभी प्रकार के महिला यौन उत्पीड़न के मामलों को एक महीने और छेड़छाड़ से संबंधित मामलों को 15 दिनों के अन्दर-अन्दर निपटायें।

14. जहां तक सम्भव हो इस प्रकार के मामलों को निपटाने हेतु और उनकी जांच की निगरानी के लिये पुलिस महिला अधिकारियों को ही नियुक्त करें। यदि किसी पुरुष अधिकारी को नियुक्त किया जाता है तो पीड़िता से मामले की

[श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला]

जानकारी लेने के लिये एक महिला अधिकारी को नियुक्त किया जाये।

15. राज्य में दो महिला थाने सोनीपत और खानपुर कलां में पहले ही स्थापित है जो कुशलतापूर्वक कार्य कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त तीन नये महिला पुलिस थाने गुड़गांव, फरीदाबाद और झज्जर में भी स्थापित करने का प्रस्ताव है।

16. पुलिस कर्मियों को लिंग संवेदीकरण प्रशिक्षण प्रदान करने के कार्य हरियाणा पुलिस अकादमी तथा राज्य के अन्य सभी पुलिस प्रशिक्षण केन्द्रों पर जारी है। इसके अतिरिक्त सभी रेंज मुख्यालयों और जिला स्तर पर लघु-पाठ्यक्रम/संगोष्ठियां/कार्यशालाओं का भी आयोजन किया जा रहा है।

17. सभी पदों के पुलिस अधिकारियों को महिलाओं के विरुद्ध होने वाले अपराधों के अनुसंधान एवम् रोकथाम हेतु सवेंदनात्मक रवैये संबंधी प्रशिक्षण दिया जा रहा है। दुराचार से पीड़ित महिला के साथ संवेदनशीलता बरती जाती हैं कनिष्ठ स्तर पर पुलिस कर्मियों को जन-सम्पर्क व्यवहारात्मक प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है ताकि वे समाज के कमजोर वर्गों विशेष रूप से महिलाओं का सम्मान रखें। गांवों के दौरे पर ये कर्मचारी स्थानीय विद्यालय के प्रधानाचार्य व अध्यापिकाओं के साथ समय-समय पर विचार विमर्श करके जनता का विश्वास बढ़ाए।

18. राज्य के सभी पुलिस थानों में महिलाओं व बच्चों की शिकायतों के निवारण हेतु अलग से विशेष डैस्क बनाये गये हैं जहां प्रशिक्षित पुलिस कर्मियों की नियुक्ति की गई है।

19. राज्य सरकार ने विभिन्न मामलों को उजागर करने वालों, सूचना के अधिकार के अन्तर्गत कार्य करने वालों, शिकायतकर्ताओं और गम्भीर मामलों के गवाहों को पूर्णतः सुरक्षा प्रदान करने के लिये एक नीति तैयार की है। इस नीति के अनुसार यौन उत्पीड़न के मामलों में खतरों का सामना कर रहे पीड़ितों और उसके गवाहों को सुरक्षा प्रदान की जा रही है।

20. महिलाओं, बच्चों और 65 वर्ष से अधिक आयु वाले वरिष्ठ नागरिकों को थाने में बुलाते समय कानूनी प्रावधानों का पूर्णतया पालन करें। राज्य के सभी पुलिस आयुक्तों/रेंज महानिरीक्षकों/पुलिस उपायुक्तों/जिला पुलिस अधीक्षकों को ये हिदायत जारी की गई है कि वे महिलाओं व बच्चों को किसी भी मामले में जांच पड़ताल करने के लिये पुलिस थानों, चौकियों, सी.आई.ए. थानों में नहीं बलायेंगे। साथ ही यह हिदायत भी दी गई है कि महिला या बच्चे का ब्यान उसके अपने घर में उसके परिजनों की और इलाके के जिम्मेवार लोगों के सामने लिया जायेगा।

आंकड़े

वर्ष 2011-2012 के दौरान महिलाओं के विरुद्ध होने वाले अपराधों का विवरण निम्नवत हैं :

क्र.सं.	अपराध का शीर्ष	2011	2012
1.	बलात्कार	733	686
2.	शालीनता भंग	474	521
3.	अपहरण	634	733
4.	छेड़छाड़	490	534
5.	दहेज हत्या	331	333
6.	दहेज उत्पीड़न	2711	3148
	कुल योग	5373	5955

वर्ष 2012 में 118 सामूहिक बलात्कार सहित कुल 686 बलात्कार के मुकदमे दर्ज किये गये जबकि 2011 में 117 सामूहिक बलात्कारों सहित कुल 733 मुकदमे दर्ज किये गये जो दर्शाता है कि वर्ष 2012 में इस प्रकार के मामले घटे हैं।

राज्य पुलिस को संवेदनशील बनाया गया है कि वो महिलाओं को आगे आने और अपनी शिकायत दर्ज करवाने को प्रेरित करे। थानों में महिलाओं के विरुद्ध अपराधों की स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच किये जाने के परिणाम स्वरूप महिलाओं में पुलिस के प्रति विश्वास की भावना को बल मिला है। इस प्रकार की शिकायतों का पंजीकरण बेरोक और निष्पक्ष आधार पर किया जाना सुनिश्चित किया गया है। राज्य में अपराध स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है। थानों में दर्ज अपराधिक मामलों में आयी मामूली सी वृद्धि इस बात का प्रमाण हे कि महिलायें पहले से अधिक जागरूक हुई हैं और अब वो बिना झिझक अपनी शिकायत पुलिस में दर्ज करने के लिये आगे आने लगी है। इस बाबत हाल ही में किये गये कानूनी बदलावों, महिलाओं को जागरूक करने के लिए चलाये गए अभियानों और लिये गये विभागीय फैसलों के अतिरिक्त इस तरह के अपराधों से संबंधित और सहमति की उम्र बढ़ाकर 16 से 18 वर्ष किया जाना भी है। कुछ घटनाओं में आपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्तियों ने मासूम बच्चियों पर अत्याचार किया है। परन्तु ऐसे सभी मामलों में बहुत सख्त और त्वरित कार्यवाही की गई है। राज्य सरकार इस बाबत अपने उत्तर दायित्व पूर्णत जागरूक है। सरकार राज्य की सभी लड़कियों और महिलाओं को सुरक्षित वातावरण उपलब्ध करवाने के प्रति वचनबद्ध है। इसके साथ-साथ वह राज्य की आम जनता के बीच सुरक्षा भावना को मजबूत करने और राज्य की लड़कियों और महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करवाना अपनी उच्चस्तरीय प्राथमिकता समझती है।

राज्य सरकार प्रदेश की लड़कियों और महिलाओं को सुरक्षित वातावरण उपलब्ध कराने के उद्देश्य से अपने दायित्वों के पूर्ण सजग है। निश्चित तौर पर ऐसे कदम

[श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला]
उठाये गये हैं। जो इस प्रकार के अपराधों को नियंत्रित करने में पूर्णतया सक्षम है। सरकार माननीय सदस्यों के रचनात्मक सुझावों का सम्मान करेगी।

ध्यानाकर्षण सूचना क्रम संख्या 8 का जवाब

1. ध्यानाकर्षण सूचना क्रमांक 8 के उत्तर में निवेदन है कि यह प्रमुखतः महिला विरुद्ध अपराधों की रोकथाम हेतु सख्त कानून बनाने बारे हैं। इसके अतिरिक्त महिलाओं के विरुद्ध होने वाले अपराधों में कमी लाने हेतु बहुत सारी सावधानियां इस मामले में भी बरती जा रही हैं जिनका जवाब ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 7 व 13 में दिया गया है। राज्य में आम कानून व्यवस्था विशेषतः महिलाओं के खिलाफ होने वाले मामले पूरी तरह नियंत्रण में है। ऐसे मामलों को तुरन्त, स्वतंत्र और निष्पक्ष तरीके से दर्ज किया जाता है। महिलाओं के साथ दुराचार और छेड़छाड़ के गत 5 वर्षों में दर्ज मामलों के आंकड़े निम्न हैं :-

वर्ष	बलात्कार			छेड़छाड़		
	दर्ज मुकद्मों की संख्या	सजा	अदालत में लम्बित	दर्ज मुकद्मों की संख्या	सजा	अदालत में लम्बित
2008	645	96	183	454	42	202
2009	608	89	187	463	35	274
2010	723	69	237	489	19	289
2011	733	58	310	474	13	313
2012	686	13	405	521	02	386

वर्ष 2011 और 2012 में दर्ज मुकद्मों में सजा की संख्या कम है क्योंकि अधिकतर मामले अदालत में विचाराधीन हैं।

जैसा कि आंकड़ों से स्पष्ट है कि वर्ष 2012 के दौरान 118 सामूहिक बलात्कारों सहित राज्य भर में 686 बलात्कार के मुकद्में दर्ज किये गये जबकि वर्ष 2011 में 117 सामूहिक बलात्कार सहित कुल 733 मुकद्में दर्ज किये गये। इसी प्रकार वर्ष 2012 में 521 छेड़छाड़ के मुकद्में दर्ज किये गये जबकि 2011 में इसकी संख्या 474 थी। यह दर्शाता है कि बलात्कार के अपराधों में कमी आई है। राज्य पुलिस प्रयासरत है कि अपराधियों को 24 घंटे के दौरान पकड़ा जाये और उनके खिलाफ अपराध से संबंधित सख्त से सख्त सम्भव कानूनी धारायें लगाई जायें और सभी प्रकार की जांच पड़ताल को 30 दिन के अन्दर पूरा कर लिया जाये।

2. इस प्रकार के मामलों को निपटने के लिये कानूनों में किए गए बदलाव से कानून लागू करने वाली संस्थाओं के हाथ मजबूत हुए हैं। अदालतों ने भी ऐसे मामलों को निपटाने के लिए फास्ट ट्रैक अदालतों की स्थापना की है। इस संयुक्त सामंजस्य से

आपराधिक न्याय प्रक्रिया को मजबूत बनाने में न केवल मदद मिली है बल्कि बहुत से अपराधियों को कम से कम समय अर्थात् दो-तीन महीने की अवधि में ही सजा दी जा चुकी है।

3. भारत सरकार द्वारा फरवरी 2013 को (आपराधिक अधिनियम संशोधन) अध्यादेश-2013 के अनुसार भारतीय दण्ड संहिता में संशोधन करके अपराधिक प्रक्रिया की भारतीय साक्ष्य अधिनियम के कोड को प्रख्यापित किया है। बलात्कार शब्द को बदलकर इसे यौन उत्पीड़न की संज्ञा दिये जाने से इसका दायरा और परिभाषा पहले से भी विस्तृत हो गई हे। यौन उत्पीड़न जैसे अपराध की सजा को भी बढ़ाया गया है। सहमति की उम्र 16 वर्ष से बढ़ाकर 18 वर्ष की गई है। धारा 376 ए में मृत्यु दण्ड का प्रावधान किया गया है। जहां पर अपराध धारा 376 की उप धारा 1 व 2 के अन्तर्गत आता है। जहां पर यौन उत्पीड़न से या तो यौन उत्पीड़न की शिकार की मृत्यु हो जाये या वह सदैव के लिए असमर्थ हो जाये। ऐसे मामलों में न्यूनतम सजा 20 साल होगी जोकि बढ़ाकार अपराधी के प्राकृतिक जीवन व मृत्यु तक की जा सकती है। धारा 376 ई के अनुसार जो अपराधी पहले भी 376 ए, 376 सी या 376 डी में सजा पा चुके हैं और दोबारा फिर इन्हीं धाराओं के अधीन सजा पाते हैं उन अपराधियों को मुत्यु दण्ड की सजा का प्रावधान है। एक गिरोह के द्वारा यौन उत्पीड़न के मामले में जैसे कि, जहां एक व्यक्ति का एक या अधिक व्यक्तियों द्वारा जोकि एक गिरोह/समूह का हिस्सा है और जो एक मंशा को आगे बढ़ाने में कोई कृत्य करते हैं उस स्थिति में उन व्यक्तियों में से प्रत्येक के लिये बिना लिंग परवाह किये यौन उत्पीड़न किया जाता है यौन अपराध करने का अपराधी माना जायेगा तथा उन्हें सश्रम कम से कम 20 साल के कारावास के लिए दण्डित किया जायेगा। जोकि व्यक्ति के प्राकृतिक जीवन के शेष जीवन की कैद के लिये भी विस्तारित हो सकता है और वह यौन उत्पीड़िता को धारा 376 डी के अधीन मुआवजा भी देगा।

4. भारतीय दण्ड संहिता की धारा 354 में संशोधन करके अब छेड़छाड़ करने की सजा कम से कम 1 साल है जिसे 5 साल तक बढ़ाया जा सकता है। इसके अतिरिक्त यह अपराध अब गैरजमानती अपराध की श्रेणी में आता है। इसके अलावा महिलाओं के साथ छेड़छाड़ करने में भारतीय दण्ड संहिता की धारा 509 में 1 साल की सजा को भी बढ़ाकर 3 साल कर दिया गया है।

5. भारत सरकार द्वारा 14 नवम्बर 2012 को 18 वर्ष से कम आयु वाले बच्चों को यौनाचार अपराधों से बचाने के लिये एक नया कानून ''पॉस्को'' अधिनियम 2012 लागू किया गया। यह कानून 18 वर्ष की आयु से कम किसी भी लिंग अर्थात् लड़का या लड़की को ''बाल'' के नाम से परिभाषित करता है और दोनों ही लिंगों में इस प्रकार के दुराचार से उन्हें सुरक्षा प्रदान करता है।

6. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ''विशाखा'' मामले के फैसले पर जो दिशा-निर्देश जारी किये थे उसके अनुसार राज्य के सभी विभागों द्वारा मुख्यालयों और क्षेत्रीय स्तर पर बच्चों के साथ कार्य स्थल पर होने वाले यौनाचार को रोकने के लिये शिकायत समितियों का गठन किया गया है। साथ ही राज्य के उपायुक्तों द्वारा जिला

[श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला]
प्रशासन के कर्मचारियों के खिलाफ मिलने वाली इस प्रकार की शिकायतों का निवारण करने के लिये जिला स्तर पर भी कमेटियां स्थापित की गई हैं।

7. वर्ष 2012 के दौरान राज्य में चेन झपटने के 713 मामले दर्ज किये गये जबकि वर्ष 2011 में ऐसे मामलों की संख्या 803 थी जो गत वर्ष की तुलना में 90 मामलों की कमी दर्शाती है।

ऊपर बताये गये तथ्यों के आधार पर यह पता लगता है कि सरकार द्वारा महिलाओं की सुरक्षा के प्रति क्या आवश्यक कदम उठाये गये हैं। संबंधित कानूनों को सख्ती के साथ लागू किये जाने से राज्य में अपराधों की संख्या में कमी आयी है और छेड़छाड़ से संबंधित मामले अब गैरजमानती अपराध की श्रेणी में आ गये हैं।

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव नम्बर 1 का उत्तर

1. ध्यानाकर्षण प्रस्ताव नम्बर 1 के उत्तर में महिलाओं के विरुद्ध अपराधों पर नियंत्रण हेतु विभिन्न कदम उठाए गये हैं।

2. सभी पदों के पुलिस अधिकारियों को महिलाओं के विरुद्ध अपराधों को रोकने के प्रति संवेदनशील बनाया जा रहा है। पीड़ित के साथ अत्यंत संवेदनशीलता के साथ व्यवहार किया जाता है। जिला पुलिस अधीक्षक अपराध के घटनास्थलों का दौरा करते हैं और यौन उत्पीड़न पीड़ित के साथ सम्पर्क करते हैं। पुलिस थानों में महिलाओं और बच्चों के संबंध में कानूनी प्रावधानों को बड़ी गम्भीरता से अपनाया जा रहा है। किसी भी मामले की जांच और पड़ताल के दौरान किसी भी महिला और बच्चे को पुलिस थानों, पुलिस चौकियों और अपराध शाखा के कार्यालयों में नहीं बुलाया जाता।

   पुलिस की कार्यप्रणाली में आये बदलाव और पुलिस बल में महिला पुलिसकर्मियों की भागेदारी बढ़ने से महिला विरोधी अपराधों पर उसकी पकड़ पहले से अधिक मजबूत हुई है।

3. वर्तमान में हरियाणा पुलिस के पास कुल पुलिस क्षमता का 6.5% महिला पुलिस है। भविष्य में पुलिस विभाग इसे लगभग 10% करने के लिए प्रयासरत है। इसके अतिरिक्त, सरकार ने 344 महिला पुलिस पदों को भरने की अनुमति प्रदान कर दी है। महिला और बच्चे शिकायतकर्ताओं के लिए प्रत्येक पुलिस थाने में महिला और बच्चा डैस्क स्थापित किया गया है, जिसमें प्रशिक्षित पुलिसकर्मियों को नियुक्त किया गया है। पुलिस की कार्यप्रणाली में आये बदलाव और पुलिस बल में महिला पुलिस कर्मियों की भागेदारी बढ़ने से महिला विरोधी अपराधों पर उसकी पकड़ पहले से अधिक मजबूत हुई है।

4. पब्लिक ट्रांस्पोर्ट में महिलाओं की सुरक्षा के संबंध में परिवहन विभाग द्वारा विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। वूमैन हैल्पलाईन नम्बर दर्शाना,

चालक और परिचालक की फोटोग्राफ, बस मालिक का टेलीफोन नं० और पुलिस कंट्रोल रूम का नम्बर, काले शीशों और पर्दों को हटाना आदि कुछ कदम उठाए गये हैं, जिन्हें लागू किया गया है।

5. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 2012 की सिविल अपील नम्बर 8513 के निर्णय में आदेश पारित किए हैं कि शिकायत मिलने पर बस अड्डे का इंचार्ज व्यक्ति छेड़खानी को रोकने के लिए अपने क्षेत्र में कदम उठायेगा और निकटतम पुलिस थाना या महिला सहायता केन्द्र को सूचित करेगा। जहां कहीं भी लोकसेवा वाहन में छेड़खानी की घटना होती है तो कोई यात्री या वाहन इंचार्ज व्यक्ति निकटतम पुलिस थाना में ले जाएं और पुलिस को सूचित करें।

6. जांच में तेजी और फास्ट ट्रैक ट्रायल के परिणाम स्वरूप कुछ बलात्कार के मामलों के ट्रायल को एक महीने के भीतर ही पूरा कर लिया गया है। जिला फतेहाबाद पुलिस थाना रतिया में बलात्कार मामला प्रथम सूचना रिपोर्ट नं० 18/13 दिनांक 12 जनवरी, 2013 को दर्ज किया गया और मामले को 31 जनवरी, 2013 को अदालत में भेजा गया और आरोपी को 14 फरवरी, 2013 को आजीवन कारावास की सजा दी गई। जिला जीन्द के सच्चा खेड़ा बलात्कार मामले में ट्रायल में तेजी के पश्चात् 2 व्यक्तियों को आरोपी पाया गया और दोनों आरोपियों को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 376 के अन्तर्गत आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई और 22 फरवरी, 2013 को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 306 के अन्तर्गत 10 साल की सजा भी सुनाई गई।

7. सरकार ने यह भी निर्णय लिया कि संवेदनशील मामलों में उत्कृष्ट वकीलों में एक विशेष सरकारी वकील इन मामलों के उचित निपटारे के लिए नियुक्त किए जाएं। इसके अतिरिक्त सरकार ने सरकारी वकीलों को भी निर्देश दिए हैं कि महिलाओं के विरुद्ध अपराध के मामलों में वे संवेदनशील और कुशाग्र बुद्धि का प्रदर्शन करें ताकि महिलाओं की सुरक्षा को सुनिश्चित किया जा सके और महिलाओं के विरुद्ध हुए अपराधों में संलिप्त अपराधियों को सजा दिलवाना सुनिश्चित किया जा सके।

8. सभी पदों के पुलिस अधिकारियों को महिलाओं के विरुद्ध होने वाले अपराधों को रोकने के प्रति संवेदनशील बनाया जा रहा है। पीड़िता के साथ अत्यन्त संवेदनशीलता के साथ व्यवहार किया जाता है। जिला पुलिस अपराध के घटनास्थलों का दौरा करते हैं और यौन उत्पीड़न की पीड़िता के साथ सम्पर्क करते हैं।

9. यौन उत्पीड़न के मामलों की जांच जहां तक हो महिला पुलिस अधिकारियों द्वारा कराई जा रही है। यदि किसी ऐसे मामले की जांच पुरुष पुलिस अधिकारी द्वारा की जाती है तो उसमें महिला पुलिसकर्मी का सहयोग लिया

[श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला]

जाता है। ऐसे सभी मामलों की जिला पुलिस अधीक्षक और जिला पुलिस उपायुक्त द्वारा निगरानी की जाती है। पुलिस अधिकारियों को महिलाओं के विरुद्ध अपराधों के मामलों में पारदर्शी, जवाबदेही और उत्तरदाई किया गया है।

10. राज्य सरकार द्वारा एक विक्टिम कम्पन्सेशन स्कीम अनुमोदित की है जो दण्ड प्रक्रिया की संहिता की धारा 357-ए के प्रावधानों के अन्तर्गत तथा माननीय उच्च न्यायालय की अनुमोदन पर बलात्कार पीड़ित को 3 लाख रुपये की कम्पन्सेशन हरियाणा लीगल सर्विसिज ऑथोरिटी के माध्यम से विधि अनुसार दिलाएगी।

हरियाणा पुलिस के अधिकारियों और कर्मचारियों के सभी प्रशिक्षण कार्यक्रमों में लिंग संवेदनशीलता का भी कोर्स डाला गया है। इसके अतिरिक्त, लिंग संवेदनशील कार्यक्रम भी आयोजित करवाए गए हैं।

हरियाणा की न्यायवैधिक विज्ञान प्रयोगशाला में एक डी.एन.ए. परीक्षण शाखा भी है, जो अनुसंधान अधिकारियों को वैज्ञानिक तथ्य जुटाने में सहायक होने के साथ-साथ बलात्कार के अपराधियों को पकड़ने में भी सहायता प्रदान करता है।

माननीय सदस्यों के सुझावों का स्वागत है तथा उन पर सरकार द्वारा गंभीरता से विचार किया जाएगा।

प्रो० सम्पत सिंह : अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने अपने उत्तर के क्रम संख्या 8 में बताया है कि राज्य सरकार ने सभी जिलों में जिला मजिस्ट्रेट, पुलिस अधीक्षक और जिला अटोर्नी को लेकर जिला स्तरीय समितियों का गठन किया है जो महिलाओं के विरुद्ध होने वाले अपराधों की तत्परता से समीक्षा करेंगे। स्पीकर सर, इस बारे में मैं माननीय मंत्री जी को सुझाव भी देना चाहता हूं और एक सवाल भी पूछना चाहता हूं जो हमारी 6 इंटैलीजैंट लेडीज हैं, क्या उनको भी नॉन-आफिशियल के तहत इस कमेटी के साथ जोड़ेंगे? इसके अलावा इसमें जो डी.एन.ए. डिवीजन है उसको भी मजबूत बनाने की बात कही गई है। इस बारे में मैं यह कहना चाहूंगा कि डी.एन.ए. डिविजन सिर्फ एक डिप्टी डायरैक्टर की पोस्ट से मजबूत नहीं होगा। मैं मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि क्या थाने लैवल पर डी.एन.ए. डिविजन मजबूत करने के लिए कारगर कदम उठाये जायेंगे? स्पीकर सर, आप स्वयं एक वकील हैं और मंत्री जी भी एक वकील हैं, आप इस बारे में सब कुछ जानते हैं। इस बारे में मैं यह कहना चाहता हूं कि पुलिस थानों में साक्ष्यों को रखने के लिए प्रॉपर जगह नहीं होती। इसके अलावा भी क्राईम के अंदर इस प्रकार की अनेक बातें होती हैं। ऐसे ही कई बार किसी केस में ज्यादा समय लग जाता है जिससे साक्ष्यों का कलर और प्रॉपर्टी भी चेंज हो जाते हैं। इसलिए इसके लिए मैं यह चाहता हूं कि क्या माननीय मंत्री जी फॉरेंसिक लैब को थानों के लैवल पर भी स्ट्रैन्थनिंग करेंगे जिसकी आज के समय में बहुत ज्यादा आवश्यकता है? क्योंकि जैसा कि हम देख रहे हैं पूरे देश के अंदर और हरियाणा प्रदेश के अंदर भी पुराने रिकार्ड का कंवीक्शन रेट भी 25 प्रतिशत से ज्यादा

नहीं है। इसलिए कंवीक्शन वाले मामले के अंदर यह बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि इतनी ज्यादा ढ़िले होने से जो साक्ष्य होते हैं, जो प्रूफ होते हैं, वे सही ढंग से साबित नहीं हो पाते हैं। इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से यह सवाल पूछना चाहता हूं कि क्या वे फॉरैंसिक लैब को थानों के लैवल पर भी स्ट्रैंथनिंग करेंगे जिससे वे रिपोर्ट तुरंत दे सकें?

Mr. Speaker : Hon'ble Minister may give a consolidted reply after hearing everybody.

श्री राम पाल माजरा : स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि सैंसस के मुताबिक हरियाणा में 1 करोड़ 18 लाख 5 हजार महिलायें हैं और 2563 महिला कांस्टेबल हैं। इसमें श्रीमती सुमिता सिंह जी के क्वैश्चन के जवाब में कहा गया है कि हमने महिला कांस्टेबलों का प्रतिशत 2.5 से 6.5 बढ़ाया है जबकि रिप्लाई में आया है कि 5.96 प्रतिशत महिला कांस्टेबल हैं यानि इनका परसैंटेज भी आपस में वैरी कर रहा है। यहां तो यह कहा गया है कि गैंग रेप, रेप और क्राईम रेट का परसैंटेज डाऊन हो गया है और ऐसा ही कुछ और भी। लेकिन सर, यह वर्ष 2009 में 5312 था, वर्ष 2010 में 5562 था और वर्ष 2011 में 5491 था। इसी प्रकार से रेप के केसिज के बारे में मैं बताना चाहता हूं कि हरियाणा में 01.09.2012 से 31.12.2012 तक 100 केसिज हुए हैं। इसी प्रकार से जनवरी, 2013 में 67 और 19 फरवरी, 2013 तक 48 इस प्रकार से ये दोनों मिलाकार 115 हो गये हैं। यह रेट इतना बढ़ रहा है जो कि चिंता की बात है। मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि महिलाओं के खिलाफ अपराधों में कितने पुलिस कर्मचारी, कितने राजपत्रित अधिकारी और राजनेताओं में कितने विधायकों की संलिप्तता पाई गई है और उनके ऊपर क्या कार्यवाही की गई है?

श्री अनिल विज : स्पीकर सर, मैं यह बताना चाहता हूं कि वर्ष 2005 में हरियाणा प्रदेश में 461 केस रजिस्टर्ड किये गये थे और इसी प्रकार से वर्ष 2012 में 686 केस रजिस्टर्ड हो गये। इस प्रकार अगर आप देखें तो इनसे यह साबित होता है कि ये रेप केसिज दिनोंदिन बढ़ रहे हैं। ये सरकार के आंकड़ें हैं। ये घटे नहीं हैं। जब से कांग्रेस सरकार सत्ता में आई है तब से क्राईम रेट हर चीज का लगभग डबल हो रहा है। मैं इस बारे में पढ़कर भी सुना सकता हूं। जो किडनैपिंग के केसिज थे वे 2005 में 493 थे जो कि 2011 में बढ़कर 836 हो गये। दहेज के केसिज 2005 में 2285 थे जो 2011 में बढ़ गये हैं। चोरी के केसिज 2005 में 8649 थे जो कि 2010 में बढ़कर 16234 हो गये हैं।

Mr. Speaker : Anil Vij Ji, please ask your question.

श्री अनिल विज : स्पीकर सर, मैं यह बता रहा हूं कि क्राईम रेट तो डबल हो गया है और सरकार खाली दावे कर रही है। उनको रोकने के लिए कोई कदम नहीं उठाये जा रहे हैं। श्री पी.एल. पुनिया ने कहा कि यह बलात्कार प्रदेश है और मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि जब जीन्द में एक गैंग रेप हुआ और यू.पी.ए. की चेयरपर्सन आदरणीय सोनिया गांधी जी यहां पर आई तो उन्होंने पता नहीं इनको कौन सी हिदायतें दी? उसके बाद क्राईम में क्या कमी आई, क्या रेप केसिज में कमी आई उसके बारे में मंत्री जी विस्तार से बतायें? (विघ्न)

श्री भारत भूषण बतरा : अध्यक्ष महोदय, एक तो मैं मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि 2012 में why the conviction rate in rape cases is so less? स्पीकर सर, आज कल छेड़खानी और चेन स्नैचिंग के मामले बहुत बढ़ रहे हैं। यह एक महत्वपूर्ण इश्यू है। चेन स्नैचिंग एक ऐसा ऑफैन्स है जिसे मुलजिम एक मिनट में करके भाग जाता है और इससे महिलाओं का कान्फीडैंस शेक हो जाता है। इसके बारे में माननीय मंत्री जी ने अपने बयान में जरूर जिक्र किया है कि इसमें सजा बढ़ाई जा सकती है। मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि क्यों न हमारी स्टेट पहल करते हुए इसमें संशोधन करे तथा स्नैचिंग में बेल का प्रावधान should lie with the District Judge only. (विघ्न) अध्यक्ष महोदय, हमारे विपक्ष के साथी जो खबरों में बयान देते हैं उनका कोई मतलब नहीं है। (विघ्न) माजरा जी, आप एक बार सुन तो लीजिए।

Mr. Speaker : No, interruption please, very serious discussion is going on.

श्री भारत भूषण बतरा : अध्यक्ष महोदय, हमारे विपक्ष के साथियों को अपनी मर्यादा में रहना चाहिए। कोई भी बात कहने से पहले सोच लेना चाहिए। ये मर्यादा का उल्लंघन कर रहे हैं। किसी के खिलाफ ऐसी बात कहना ठीक नहीं होता। (विघ्न)

श्री रामपाल माजरा : अध्यक्ष महोदय, ये हमें क्या मर्यादा का पाठ पढ़ायेंगे? रोहतक के अपना घर कांड में लिप्त महिला का नाम बतरा साहब और दांगी साहब ने ही रिकमैंड किया था। (विघ्न)

Shri Bharat Bhushan Batra : Speaker Sir, this is a personal remark on me. I humbly request to the Chair that I should be given 10 minutes time to explain all this, ताकि ये जो अखबारों में बयान देते रहते हैं उन पर तालाबंदी लग सके। अध्यक्ष महोदय, मुझ पर और दांगी साहब पर आरोप लगाये गये हैं। मैं उसके बारे में बताना चाहूंगा। (विघ्न) अध्यक्ष महोदय, इनको इस तरह बात करने का कोई लाईसैंस नहीं मिला हुआ है। इन्होंने अखबारों में जो कहा है, मैं इनके बयानों का जवाब दे सकता था। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अभय सिंह चौटाला : अध्यक्ष महोदय, (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : अभय सिंह जी, आप बैठिये, आपको बोलने का मौका मिलेगा। (विघ्न)

श्री अशोक कुमार अरोड़ा : अध्यक्ष महोदय, ये तो अपना प्रश्न पूछ रहे हैं। (विघ्न)

श्री आनन्द सिंह दांगी : अध्यक्ष महोदय, बतरा साहब अपनी पर्सनल एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं। He will explain everything. (Interruption)

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : अध्यक्ष महोदय, पक्ष और विपक्ष के सभी सदस्य एक इतना महत्वपूर्ण मुद्दा लेकर आए हैं। क्या अब हम महिलाओं की अस्मत और महिलाओं की सुरक्षा को आपसी बातचीत का मुद्दा बनाकर यहीं समाप्त कर देंगे? महिलाओं की

सुरक्षा के लिए कम से कम अच्छे सुझाव विपक्ष से भी आएं और पक्ष से भी आएं। अगर महिलाओं की सुरक्षा के लिए कानून में कोई तरमीम करने की जरूरत है तो हम करेंगे। नया कानून बनाने की जरूरत है तो हम बनाएंगे। हर बात को पक्ष-विपक्ष के विवाद में उलझा कर खत्म कर देना यह प्रजातंत्र का अपमान करना है। (विघ्न)

Shri Bharat Bhushan Batra : Speaker Sir, ...

Mr. Speaker : We have to start discussion on Governor's Address. Mr. Batra, please ask the question only.

श्री भारत भूषण बतरा : स्पीकर सर, मैं आपसे अपना प्रश्न पुट करने की इजाजत चाहता हूं। I do not want to waste the time of the Hon'ble House, but I should be allowed to speak for five minutes. That should be allowed. (Interruption) No, this is not the way. Certainly it hurts the feelings of a person. अगर किसी आदमी को तनाव से कोई कुछ कहता है तो उसको हर्ट फिलिंग तो होती हैं क्योंकि सब कुछ कह देना ही जरूरी नहीं होता। तनाव से आप कुछ कहते रहें यह सब फिलिंग होती हैं। इसके लिए मैं पांच मिनट से ज्यादा समय नहीं लूंगा और आज इस बारे में हाउस के अन्दर दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। So, I may be given five minutes to speak. इस प्रश्न के बाद मैं सदन के सामने तथ्यों के अलावा कुछ नहीं कहूंगा और फाइल के मुताबिक ही सब कुछ कहूंगा। एक लाइन भी बाहर नहीं कहूंगा। फिर देखूंगा कि ये किस हिसाब से बोलते हैं, क्या बोलते हैं? (विघ्न) हर तीन-चार दिन में आप अखबारों में यही ब्यान देते रहते हो। लगता है आपको इसके अलावा और कुछ काम ही नहीं है।

Mr. Speaker : Mr. Batra, please ask your supplementary question. Discussion on the Governors' Address has to commence. (Interruption)

श्री भारत भूषण बतरा : स्पीकर सर, हरियाणा प्रांत को इस बारे में इनिशियेटिव लेना चाहिए। मैं यह रिक्वैस्ट करूंगा कि क्रिमिनल लॉ के अन्दर अमैंडमैंट हो सकती है, आई.पी.सी. में यह जरूरी नहीं कि आई.पी.सी. की अमैंडमैंट के लिए हमें सैंट्रल गवर्नमैंट की परमिशन की जरूरत पड़ेगी। सर, क्रिमिनल लॉ में अमैंडमैंट करने के बाद चेन स्नैचिंग और इस तरह के सारे केसिज की बेल मिनीमम सैशन जज के पास होनी चाहिए और इन आफैंसिज को नॉन बेलेबल ऑफैंसिज की कैटेगरी में रखा जाए। यह सरकार का एक अच्छा कदम होगा। (विघ्न)

श्री अशोक कुमार अरोड़ा : आप अपना प्रश्न तो पूछ लो।

Shri Bharat Bhushan Batra : It is a serious matter. I am asking why the Government should not frame a law to curb this tendency? This is my question. (Interruption)

Mr. Speaker : Please let him speak.

श्री भारत भूषण बतरा : सर, जो रेप केसिज हैं उनमें सरकार को स्पैशली महिला इन्वैस्टीगेटिंग ऑफिसर का प्रावधान करना चाहिए। Hon'ble Speaker Sir, I will humbly request you to kindly give me five minutes. (शोर एवं व्यवधान)

श्री रामपाल माजरा : सर, इनकी इस बात को मान लीजिए।

Shri Bharat Bhushan Batra : Speaker Sir, please give me five minutes to speak. I want to clarify it because today also they have put it. और कुछ नहीं होगा पर सवेरे अखबारें लिखेंगी कि मामला फिर उछला। This is not the way. Speaker Sir, this is a very grave deal. I must be able to explain because it needs urgency. I should be given an opportunity to speak.

Shri Randeep Singh Surjewala : Speaker Sir, he wants to give personal explanation. So, you can permit him to give a personal explanation.

Shri Bharat Bhushan Batra : It is a question of personal explanation and I should be allowed. It is my humble request to the Hon'ble Speaker. (Interruption)

श्री अशोक कमार अरोड़ा : सर, आधा घंटे का डिस्कशन करवा दो।

श्री भारत भूषण बतरा : उसके बाद स्पीकर साहब अलाऊ करेंगे तो चाहे दो घंटे डिसकसन कर लेना। I am speaking because you are putting my name.

Mr. Speaker : We have to start discussion on Governor's Address. It is a very important issue.

Shri Bharat Bhushan Batra : Sir, this is a question of my sentiments.

Mr. Speaker : Alright. You may give your personal explanation in one minute.

Shri Bharat Bhushan Batra : Speaker Sir, I will take only five minutes.

Mr. Speaker : No, I will give you only two minutes. (Interruption) Let him say. बतरा जी आप पर्सनल एक्सप्लेनेशन किस बात की दे रहे हैं? (शोर एवं व्यवधान)

श्री भारत भूषण बतरा : सर, इसका उत्तर मैं दो लाईन में दे दूंगा। (शोर एवं विघ्न) I will give the documents जिस साल के अन्दर..... (शोर एवं व्यवधान) ऐसा हरेक विधायक से रूटिन में हो भी जाता है उस बात पर मैं नहीं जाता 7.2.2011 को..... (शोर एवं व्यवधान)

Mr. Speaker : Let him give the explanation. (Interruption) आप लोग जो कहना चाहते हैं बाद मे कह लेना। पहले बतरा जी को अपनी एक्सप्लेनेशन देने दीजिए (शोर एवं व्यवधान) Hon'ble Members, please sit down. (Interruption) उनको "अपना घर" की रिकमंडेशन के बारे में कुछ कहा गया है। Do you want to reply to this, Mr. Batra? (शोर एवं व्यवधान)

श्री राम पाल माजरा : स्पीकर सर, आप रिकॉर्ड देखिये..... (शोर एवं व्यवधान)

श्री भारत भूषण बतरा : स्पीकर सर, जो माजरा जी ने रिकॉर्ड की बात कही है, तो

रिकॉर्ड की बात तो यह है..... (शोर एवं व्यवधान)

सहकारिता मंत्री (श्री सतपाल सांगवान) : यह बात तो आप ईमानदारी से माजरा जी से पूछ सकते हैं कि उन्होंने यह बात कही है या नहीं कही है। अगर माजरा जी ने यह बात नहीं कही हैं तो आप उनसे ही पूछ लो ..... (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : सांगवान जी, आप प्लीज बैठिये। (शोर एवं व्यवधान) आप लोग जो बात कही जा रही है उसको सुन तो लो। (शोर एवं व्यवधान) आप तो कोई बात सुनना ही नहीं चाहते हैं (शोर एवं व्यवधान)

श्री आनन्द सिंह दांगी : स्पीकर सर, अगर माजरा जी कहते हैं कि उन्होंने "अपना घर" के विषय में कुछ नहीं कहा है तो फिर ठीक है।

Sh. Bharat Bhushan Batra : Speaker Sir, that should be withdrawn by them. (Interruption)

श्री अध्यक्ष : बतरा जी, जब यह लोग कह रहे हैं कि हमने कुछ कहा ही नहीं है तो फिर बात खत्म हुई। आप प्लीज बैठिये।

श्री भारत भूषण बतरा : स्पीकर सर, मुझे बोलने के लिए सिर्फ एक मिनट का समय दिया जाये। (शोर एवं व्यवधान)

Mr. Speaker : Batra ji, I will not allow you when they have withdrawn their words. So, I will not allow you. (Interruption) Please sit down. Now, the Hon'ble Minister will give the reply.

Shri Randeep Singh Surjewala : It is a sad letter day in the history of the Session of Haryana Vidhan Sabha. It shows their caliber, capacity and competence of my friends of the Indian National Lok Dal and it also shows that as to how serious they are to take the issues relating to women. It is a sad reflection on those who are elected in this House. On having been asked by Shri Sampat Singh, let me take an opportunity to reply to the suggestions of the member one by one. Shri Sampat Singh has said that in the District Committee some prominent women of the District who are not a part of the Governmental set up should be inducted as members, if I understood correcty.

डॉ० बिशन लाल सैनी : स्पीकर सर, सुरजेवाला जी को हिंदी में बोलने के लिए कहा जाये।

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : सैनी साहब, आपको रूल चैक करने की जरूरत है। (शोर एवं व्यवधान) आप हिंदी और अंग्रेजी के साथ-साथ पंजाबी में भी बोल सकते हैं। (शोर एवं व्यवधान) अध्यक्ष महोदय विपक्ष जो यह आचरण प्रदर्शित कर रहा है वह आचरण दिखाता है कि ये लोग कितने गंभीर है इस मुद्दे को लेकर (शोर एवं व्यवधान) केवल व्यवधान डालना ही इनका मकसद है (शोर एवं व्यवधान) इनको इस बारे में ब्रीफ करके ही सदन के अन्दर भेजा गया है।

श्री अध्यक्ष : सैनी साहब, आप लोग गंभीर कहां हैं? आप प्लीज बैठिये। Let him complete his reply. (शोर एवं व्यवधान)

Shri Randeep Singh Surjewala : Shri Sampat Singh has said that prominent women who are not a part of the Governmental set up should be inducted in these Committees. It is a very valid and good suggestion. I have noted the same. I will pass it to the Home Secretary. We will definitely try to implement this suggestion. He had given a second suggestion that the District level infrastructure of forensic lab should be strengthened.

Mr. Speaker : That is very important. Lot of evidence have been gathered from everywhere in the State in this regard.

Shri Randeep Singh Surjewala : Sir, as a Member of this House, I completely agree with this suggestion given by Shri Sampat Singh and by the Chair also that we need to strengthen the apparatus for the time being. I will discuss the issue with the Director General of Police. We have already started mobile FSL units at district level. We will strengthen them. स्पीकर सर, इन लोगों ने कोई प्रश्न नहीं पूछा है। मैं तो केवल चौधरी सम्पत सिंह जी के प्रश्न का जवाब दे रहा हूं। Yes, there is a need to strengthen them. There is a need to ensure that the mechanism is far-far better and far more efficient in collection of the crucial pieces of evidence which are lost with passage of time. We will try to do that. (Interruption)

16.00 बजे **Mr. Speaker :** Hon'ble Minister I have one more suggestion about this number '1091'. Of course, we have 100 for the Police 101 for the Fire. Can we have some number like this which is easily identifiable? Rather. It is a fact that you have to take this with the Govt. of India.

Shri Randeep Singh Surjewala : Sir, the point is well taken. In fact, Hon'ble Chief Minister had also suggested to Govt. of India that if we can sit down and discuss across States and have one number across the Country for women so that wherever you are, jurisdictions may change but the same number you dial, it goes to the concerned police station in whose jurisdiction you are. But all States have to concur. Govt. of India only has a persuasive power over the States. We are seriously trying to do that also Sir. 1091 is currently the number and we have published it adequately and students, teachers, parents and women have started noting that number and we receive many numbers of calls daily. So for the time being, we will continue to use this number till we have a national coordinated single number facility. Sir, Shri Anil Vij Ji, had expressed his concern about the increase in incidences of rape and he had quoted the figures of 2005-2012. I completely agree with him. There cannot be but two opinions. The House has expressed its concern and I agree with the concern of the learned Member. Rising incidents of violence against women whether it is rape, whether it is molestation. whether it is sexual harassment, whether it is chain snatching, whether it is other forms of violence inside and outside the house, inside and outside the work place, during transporatation that happens to our daughters, to our mothers, to our sisters, to our women, is a matter of serious concern. Sir, none less than the Indian Parliament has taken note of this.

The Cr.P.C. and Indian Penal Code both have been amended as per Justice J.S Verma's Committee, the former Chief Justice of india, their three Members' Committee that was constituted. All these amendments have also now come in the shape of a detailed ordinance. I am sure my learned friends would have read that ordinance also. Many new offences have been added now. I will not like to read the ordinance. I would just like to read new offences that have been carved out. May be, it will be beneficial for the House as also for our learned Members. Sir, Govt. of India vide this ordinance which has now come into affect, has added section 326-A and 326-B for the first time. 326-A relates to voluntarily causing grievous hurt by use of acid. This is a very common feature particularly amoung the young. Wherever there are issues of affection and disaffection then boys tend to throw acids onto the girls and other women which have caused disfigurement and other injuries to women. So the new section 326-A and attempt to do so at 326-B has been added. Sir, regardig sexual harassment, the definition has again been reshaped and many new things, which have changed with changing times and in context of 21st century which in yesterday world may not be sexual harassment but would be so today, they have been added. I will not enlist them. I will only point out that section 354-A has now been added with a new definition of assault or use of criminal force to women with an intent to distort. We read incidents everyday that some people have got together either by way of their position or strength, thay have disfigured woman. A new section 354-B has been added Sir. Voyeurism which is a reality of 20th and 21st century, but which was not an offence so far, has been made an offence for the first time under 354-C. Sir, stalking is something that someone in everybody's family has always gone through is now an offence. किसी ना किसी के परिवार में किसी ना किसी महिला को कभी ना कभी स्टॉकिंग का शिकार होना पड़ा है ! और सब हम इस बात से वाकिफ हैं ! Whether it is while going to school or college, whether it is while going to market, whether it is while going to work place, whether while traveling from place A to place B and for the first time 354-D has been added for the offence of stalking. Sir, besides this, a new set of offences from Sections 370 onward have now been substituted. They have been substituted so as to add new categories of offences which lead to either sexual subjugation or use of sexual force explicitly or otherwise and six categories have been defined therein. Speaker Sir, I would like to draw attention of my learned friend as also this august House to these specific provisions. Section 376 has been re-worded, redefined and many things including the most important part is wherever you are in public authority, whether you are a police officer whether you are in hospital, if you are an incharge of a school, if you are incharge of an institution, wherever you are a member of armed forces, as incharge of a jail; all these offences and many other types like rape with a pregnant woman, rape with a woman above 65 years of age or below 18 years of age, they have been now aded as special offences attracting special penalty for the first time and that is a salutary and a deterrent provision that has now been added. Speaker Sir, Section 376 A has been added for the first time if anybody rapes a woman, like the gruesome crime that happened to our medical student girl in Delhi which shocked the conscious of this entire Country, and you leave the person in a vegetative State, it is now punishable even with death under Section 376A. Sexual

[Shri Randeep Singh Surjewala]

assault by husband upon wife during the time of judicial separation has been added as a separate offence which was not ever recongnized but was there only by implication that punishment could be given. Speaker Sir, similarly, gang rape, sexual assault by gang has now been added as a completely separate offence and Section 376 D has been added qua that. Speaker Sir, many other provisions have now been brought in. Sir, my humble request is that women issues respect of women and security of women cannot be a matter of any debate with any political party. I believe that Members of Indian National Lok Dal or Bhartiya Janata Party or any other party or Indian National Congress Party or Independents have equal interest and stake in ensuring that our daughters, our mothers, our wives, our children are fully protected. Sir, I will just take one minute more to bring one important fact to the notice of this House. We have now the newly amended Cr. P.C. and I.P.C.with added offences. Speaker Sir, we have Protection of Children against Sexual Offences Act that has been introduced by the Parliament and passed in 2012. We already had other provision in Indian penal Code. We have Dowry Prohibition Act. We have Child Marriage Restraint Act. We have Immoral Trafficking Prevention Act. We have indecent Representation of Women Prohibition Act and we have Section 67 of IT Act. Speaker Sir, while tackling these cases, Government of Haryana and Hon'ble Chief Minister of Haryana have a clear-cut policy 'zero tolerance, no mercy.' Speaker Sir, on behalf of the Government, I can assure you that we will follow that in each case up to the hilt and ensure that however high you may be, you would be punished but Sir, one question that should be posed to each one of us who is a citizen of this country. Is legislation alone the answer? Would tough laws alone lead to reduction in rape, eve teasing, herassment, chain snatching ? Is severe corporel punishment, death, jail the only answer? Is better policing the only answer? Yes all of these are, Sir, but somewhere as a society we have to rise. Somewhere each one of us has to take responsibility that we will not shy away when a stranger is being persecuted either by way of physical touching or by way of stalking or by way of chain snatching or by way of physical harm in any manner be it sexual assault or otherwise. Speaker Sir, it is time to radically shake the basic conscience of each human being. We have to look within and we must ask these questions from ourselves. We need to get up and support the laws and we need to get up and speak for our rights and we need to get up and speak for our women. What happened in Delhi? The spontaneous protest that happened in Delhi that shook the conscience of the Country and that led to a wide spread change in attitude, law and prospectives. Government of Dr. Man Mohan Singh rose to the occasion but Sir, citizens also have to rise and I call upon society's leaders including those sitting in the House that they also have to introspect and rise. Elected public representatives have to shake the inertia and all of us have to make sure that we make it a cumulative effort where women would have complete choice, complete freedom and full security. Thank you, Sir.

Mr. Speaker : We have good discussion on that and response of the Government is also there. (Interruption). Please no further discussion.

Prof. Sampat Singh : Please allow me Sir.

Mr. Speaker : We have to start Governor's Address. Mr. Parliamentary Affairs Minister, you may just tell me when we will do it? (Interruption) Before the Parliamentary Affairs Minister moves the motion under Rule 121, Hon'ble Members, I want to inform you that I have received an Adjournment Motion from Shri Ram Pal Majra, MLA on Skylight Hospitality. I have admitted it and that will be discussed tomorrow.

नियम 121 के अधीन प्रस्ताव

Mr. Speaker : Now, the Parliamentary Affairs Minister will move the motion under Rule 121 for the suspension of Rules 231, 233, 235 and 270 of Rules of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly.

Industries Minister (Shri Randeep Singh Surjewala) : Sir, I beg to move :—

That the provisions of Rules 231, 233, 235 and 270 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly in-so-far as they relate to the constitution of the :—

(i) Committee on Public Accounts;

(ii) Committee on Estimates ;

(iii) Committee on Public Undertakings; and

(iv) Committee on the Welfare of Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Backword Classes.

for the year 2013-2014 be suspended.

Sir, I also beg to move—

That this House authorizes the Speaker, Haryana Vidhan Sabha, to nominate the Members of the aforesaid Committees for the year 2013-2014, keeping in view the proportionate strength of various Parties/groups in the House.

Mr. Speaker : Motion moved—

That the provisions of Rules 231, 233, 235 and 270 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly in-so-far as they relate to the constitution of the —

(i) Committee on Public Accounts;

(ii) Committee on Estimates ;

(iii) Committee on Public Undertakings; and

(iv) Committee on the Welfare of Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Backword Classes.

[Mr. Speaker]

for the year 2013-2014 be suspended.

and

That this House authorizes the Speaker, Haryana Vidhan Sabha, to nominate the Members of the aforesaid Committees for the year 2013-2014, keeping in view the proportionate strength of various Parties/groups in the House.

प्रो० सम्पत सिंह : अध्यक्ष महोदय, मेरा एक सजैशन है कि आपके सामने सभी कमेटियों के चेयरपर्सन्ज की मीटिंग हुई थी, उसमें आपने उस समय कंसीडर किया था और अब मैं रिमाइंड कराना चाहता हूं कि क्या जब तक ये कमेटियां रिकंस्टीच्यूट नहीं होती, तब तक पुरानी कमेटियां कंटीन्यू करती रहेंगी?

Mr. Speaker : You will continue till 31st March, 2013. Thereafter, I will constitute new Committees.

Mr. Speaker : Question is —

That the provisions of Rules 231, 233, 235 and 270 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly in-so-far as they relate to the constitution of the —

(i) Committee on Public Accounts;

(ii) Committee on Estimates ;

(iii) Committee on Public Undertakings; and

(iv) Committee on the Welfare of Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Backword Classes.

for the year 2013-2014 be suspended.

and

That this House authorizes the Speaker, Haryana Vidhan Sabha, to nominate the Members of the aforesaid Committees for the year 2013-2014, keeping in view the proportionate strength of various Parties/groups in the House.

The motion was carried.

डी.ए.वी. कॉलेज नन्योला, जिला अम्बाला के विद्यार्थियों एवं अध्यापकों तथा जे.सी. क्लब, करनाल के सदस्यों का अभिनंदन

Industries Minister (Shri Randeep Singh Surjewala) : Speaker Sir, before the Hon'ble Member starts discussion on the Governor's Address, I want to inform the House that eight students and two teachers of D.A.V. College,

Ninyola in Ambala are present in the Gallery to watch the proceedings of the House. Members of the J.C. Club have also come to watch the proceedings. We welcome them and wish them a great future.

Mr. Speaker : I also welcome them on behalf of the House.

राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर चर्चा

Mr. Speaker : Hon'ble Members, now discussion on Governor's Address will take place. Dr. Raghuvir Singh Kadain, MLA may move his motion.

Dr. Raghuvir Singh Kadian (Beri) : Sir, I beg to move—

> That the Members of the Haryana Vidhan Sabha assembled in this Session are deeply grateful to the Governor for the Address which he has been pleased to deliver to the House on 22nd February, 2013 at 2.00 P.M.

अध्यक्ष महोदय, माननीय राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण के माध्यम से एक बहुत दूरदर्शी दस्तावेज, एक विजनरी डाक्यूमैंट जिसमें हरियाणा सरकार की नीतियों, प्रदेश के कार्यक्रमों और विकास की उपलब्धियों के बारे में सदन और हरियाणा प्रदेश की जनता को जानकारी दर्शाई है। माननीय राज्यपाल महोदय का अभिभाषण प्रशंसा योग्य है। मैं इसके लिए माननीय राज्यपाल महोदय का हार्दिक धन्यवाद करता हूं। अध्यक्ष महोदय, वर्तमान सरकार के कार्यकाल की अगर सारी उपलब्धियां हम इकट्ठा करें तो एक बहुत बड़ी किताब उनके लिए लिखी जा सकती है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी एक उदार हृदय, उदार दिल इंसान हैं और ये बहुत आगे की सोचते हैं। जहां तक इनके गुण स्वभाव और परिवार की बात है ये स्वतंत्रता सेनानी परिवार से संबंध रखते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, दलितों के लिए, कर्मचारियों के लिए, खिलाड़ियों के लिए, छोटे दुकानदारों के लिए यानी हर फील्ड में जो इन्होंने अभूतपूर्व कार्य करवाकर उपलब्धियां हासिल की हैं उनके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी और इनकी सरकार को मुबारकबाद देता हूं क्योंकि प्रदेश में ही नहीं बल्कि देश में भी कोई ऐसी सरकार नहीं आई है जिसने इतने महत्वपूर्ण कार्य किए हों।

अध्यक्ष महोदय, आज के दिन हमारा प्रदेश पर कैपीटा इनकम में पहले नम्बर पर है। वर्ष 2012-13 में हमारे प्रदेश की पर कैपीटा इनकम 13400 रुपये के करीब है। (विघ्न) अध्यक्ष महोदय, गोवा एक छोटा स्टेट है। बड़े राज्यों में हरियाणा पर कैपीटा इनकम में पहले स्थान पर है। गरीबी को दूर करने का काम और पर कैपीटा इनकम को इन्क्रीज करने का काम बहुत बड़ी उपलब्धि हमारे मुख्यमंत्री जी की है क्योंकि जिस समय हमारी सरकार वर्ष 2005 में बनी उस समय हमारा प्रदेश पर कैपीटा इनकम में 14वें स्थान पर था और आज हमारे मुख्यमंत्री जी पहले स्थान पर ले जाये हैं। इससे पता चलता है कि हमारे मुख्यमंत्री जी की नियति और नीयत साफ है जिसके कारण हमारा प्रदेश इतनी तरक्की कर पाया है और इस मंजिल तक पहुंच पाया है। अध्यक्ष महोदय, जहां Annual

[Dr. Raghuvir Singh Kadian]

out lay plan की बात है, वर्ष 2000 से 2005 तक पांच सालों में अन्यूवल आउट ले प्लान 1800 करोड़ रुपये से 2250 करोड़ रुपये तक पहुंच पाया जबकि हमारी सरकार के कार्यकाल में अन्यूवल आउट ले प्लान 2012-13 में 14800 करोड़ तक पहुंचाने का काम हुआ है। इसके लिए माननीय वित्तमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी बधाई के पात्र हैं क्योंकि यह बगैर नेक नियति के नहीं हो सकता था। इस अन्यूवल आउट ले प्लान को बढ़ाने के लिए सरकार ने नये टैक्स नहीं लगाये। इसमें मैं एग्जामपल देना चाहूंगा कि वर्ष 2005 में जब वर्तमान सरकार आई उस समय पंचकूला की एक खान थी जिसकी ओपन ऑक्शन पारदर्शिता के आधार पर की गई। वर्ष 2005 में जिस खान की ऑक्शन 5.00 करोड़ रुपये में हुई थी वह खान उसी साल में 35 करोड़ रुपये में नीलाम हुई। इसी प्रकार से दूसरी खानें थी जो कि बजरी की खानें थी और रेत की खाने थी उनकी भी पारदर्शिता बरतते हुए नीलामी हुई। ऐसे ही शराब के ठेकों की भी पारदर्शी नीलामी हुई। सर, शराब एक सामाजिक बुराई है। चौधरी बंसी लाल जी ने इसको बंद किया था लेकिन वे अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाये। इस बारे में मैं यह कहना चाहता हूं कि अगर शराब को बेचना ही है तो उसको एक प्रॉपर एक्साईज पॉलिसी के तहत बेचा जाये। इसके लिए मैं माननीय मंत्री श्रीमती किरण चौधरी जी और माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा जी को मुबारकबाद देना चाहता हूं कि जो स्टेट की एक्साईज पॉलिसी है वह पहले कुछ लोगों के हाथ में थी, जो कि माफिया के लोग थे उनके जेब में सारा पैसा जाता था। जब हरियाणा की कांग्रेस सरकार द्वारा नई पॉलिसी बनाकर पारदर्शिता बरतते हुए शराब के ठेकों की ओपन ऑक्शन हुई तो इससे सैंकड़ों करोड़ रुपये का फायदा स्टेट को हुआ। इन सब बातों के कारण प्लॉन आऊट-ले को बढ़ाने का काम हुआ। अभी माननीय मंत्री महोदय जी ने बताया कि नई एक्साईज पॉलिसी से सरकार को चार हजार करोड़ रुपये के राजस्व की प्राप्ति हुई है। इस बारे में मैं यह कहना चाहूंगा कि यह सारा काम आदरणीय श्रीमती सोनिया गांधी जी और डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की रहनुमाई में और माननीय मुख्यमंत्री चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुड्डा जी की अगुवाई में सम्पन्न हुआ है। इस बारे में मैं यह कहना चाहूंगा कि श्री अब्राहम लिंकन जो कि इतिहास के एक बहुत बड़े आदमी हुए हैं उन्होंने एक कलम से करोड़ों स्लेव्ज को स्लेवरी से मुक्ति दिलवाकर नरक से बाहर निकालने का काम किया था। इसके साथ-साथ मैं यह भी बताना चाहूंगा कि आज से तकरीबन 150 साल पहले श्री अब्राहिम लिंकन जी ने डैमोक्रेसी को डिफाईन किया था कि the fundamental mechanism of the democracy is Government by the people of the people and for the people. मैं उस बात पर जाना नहीं चाहता कि ऐसा जमाना भी था कि जब गवर्नमैंट by the people तो थी लेकिन गर्वनमैंट of the family and for the family थी। मैं उस बात पर जाना नहीं चाहता लेकिन जिस लैटर एण्ड स्पिरिट में इस Democracy के Mectanism को माननीय मुख्यमंत्री जी ने अडॉप्ट किया और आगे बढे इसमें इस बात के लिए सबसे पहले मैं प्रदेश के लोगों को मुबारकबाद देना चाहता हूं कि जिनके सहयोग और विश्वास के बगैर ये मंजिलें तय नहीं हो सकती थी। इसके साथ ही मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को भी मुबारकबाद देना चाहता हूं, उनके मंत्रिमण्डल की टीम को, उनके ऑफिसर्ज को और पूरे प्रशासन तंत्र को भी मैं मुबारकबाद देना चाहता हूं कि जिनके

कठिन परिश्रम की वजह से यह सारे का सारा प्रशासन में पारदर्शिता का काम सम्पन्न हुआ है और भय और भ्रष्टाचार से मुक्त प्रशासन में आगे बढ़ते हुए हरियाणा प्रदेश को नम्बर एक पर लाने का काम किया है। स्पीकर सर, इसके अतिरिक्त मैं महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण का एक पैरा आपके माध्यम से हाउस में रखना चाहता हूं - मुझे यह बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान वित्तीय संसाधन जुटाने में हरियाणा का प्रदर्शन देश के सभी राज्यों से बेहतर रहा है। 11वीं पंचवर्षीय योजना के लिए राज्य वित्तीय संसाधनों पर योजना आयोग द्वारा गठित कार्य समूह ने दर्शाया है कि राष्ट्रीय औसत के अनुसार राज्यों ने 11वीं पंचवर्षीय योजना में अनुमानित संसाधनों का 92.5 प्रतिशत संसाधन जुटाये जबकि हरियाणा ने अनुमानित संसाधनों का 192 प्रतिशत जुटाने में सफलता प्राप्त की। अग्रिम अनुमानों के अनुसार वर्ष 2012-13 के लिए स्थिर कीमतों पर सकल घरेलू उत्पाद 191820.76 करोड़ रुपये है जबकि तीव्र अनुमानों के अनुसार 2011-12 में यह 179097.00 करोड़ रुपये रहा जो कि वर्ष 2012-13 के लिए 7.1 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता हैं यह वृद्धि राष्ट्रीय स्तर पर अनुमानित 5.0 प्रतिशत से अधिक है। वर्ष 2012-13 में चालू कीमतों पर राज्य की प्रतिव्यक्ति आय 1,23,554 रुपये आंकी गई है। यह वृद्धि 13.3 प्रतिशत है। अध्यक्ष महोदय, हरियाणा सरकार की नीति और नीयत, कथनी और करनी में कोई फर्क नहीं है और जिस ढंग से हरियाणा को नम्बर 1 की तरफ लेकर जा रहे हैं उस बात के लिए हरियाणा सरकार बधाई की पात्र है। अलग-अलग महकमों की जो उपलब्धियां हैं और हरियाणा सरकार ने जो पॉलिसीज बनाई गई हैं मैं उनका जिक्र करना चाहूंगा। सबसे पहले में कृषि के बारे में जो पॉलिसी हरियाणा सरकार ने बनाई है उसके बारे में जिक्र करना चाहूंगा। अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्री जी किसान के बेटे हैं और जो किसान की ताकत इनके कार्यकाल में बढ़ी है, आर्थिक आधार पर जो किसान की मजबूती बढ़ी है, किसान का जो मान-सम्मान इनके कार्यकाल में बढ़ा है उसकी कहीं कोई मिसाल नहीं मिलती हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि 1600 करोड़ रुपये के बिजली के बिल माफ करने के लिए कितनी इच्छा शक्ति की जरूरत हो सकती थी इसका अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल है लेकिन 1600 करोड़ रुपये के बिजली के बिल एक कलम से चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुड्डा ने माफ कर दिये। इसी प्रकार से सहकारिता विभाग के 800 करोड़ रुपये के लोन भी एक कलम से माफ कर दिये और किसान हित में ऐतिहासिक फैसला किया कि सहकारिता विभाग का जो कर्जा किसान नहीं दे सकता था तो उसको गिरफ्तार करने वाले कानून को खत्म कर दिया गया है। (विघ्न)

Mr. Speaker : You will get a chance to speak. Please don't interrupt. सबको मौका मिलेगा तब आप बोलना।

श्री कृष्ण पाल गुर्जर : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्वाइंट ऑफ ऑर्डर है। (विघ्न)

श्री अभय सिंह चौटाला : अध्यक्ष महोदय, कोई सदस्य प्वाइंट ऑफ ऑर्डर तो ले ही सकता है। (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : क्या प्वाइंट ऑफ ऑर्डर है?

श्री कृष्ण पाल गुर्जर : अध्यक्ष महोदय, अभी डॉ. कादियान जी ने बिजली बिलों की माफी की बात की है कि 1600 करोड़ रुपये के बिजली के बिल माफ कर दिये गये। हमने भी उस समय उस बात का समर्थन किया था। मैं यह पूछना चाहता हूं कि जो 1600 करोड़ रुपये के बिल आपने माफ किये थे अब वह बढ़ कर कितने हो गये हैं? आप किसानों के हितैषी हैं और अगर बकाया और बढ़ गया तो क्या आप इस स्कीम को दोबारा से लेकर आयेंगे?

Mr. Speaker : It is not a point of order.

ऊर्जा मंत्री (कैप्टन अजय सिंह यादव) : अध्यक्ष महोदय, यह स्कीम हमने 31 मार्च, 2013 तक बढ़ा दी है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : गुर्जर साहब, आप इतने सीनियर आदमी हैं यह कोई प्वाइंट ऑफ ऑर्डर नहीं है। (शोर एवं व्यवधान)

डॉ० रघुवीर सिंह कादियान : अध्यक्ष महोदय, जो ड्रैकोनियन लॉ था जिसमें कर्ज की अदायगी न करने पर उनको हथकड़ी लगा कर ले जाते थे उस कानून को खत्म कर दिया गया है और अब किसानों को हथकड़ी नहीं लगा सकते। पहले किसानों द्वारा कर्जा न देने पर उनकी जमीन नीलाम करने का प्रावधान था लेकिन हमारी सरकार ने किसानों की जमीन नीलाम न करने का फैसला लिया है। इसी प्रकार से किसानों को सरकारी बैंकों की फसली लोन पर ब्याज दर 11 प्रतिशत से घटाकर 4 प्रतिशत कर दी गई है (विघ्न) अध्यक्ष महोदय, हरियाणा की जो भूमि अधिग्रहण नीति है, विश्व बैंक ने भी उसकी तारीफ की है। लैंड पुलिंग योजना लागू करने वाला हरियाणा सबसे पहला और अग्रणी राज्य है। सर, भूमि किसान की अपनी मां से भी बढ़कर होती है और उसकी वह इज्जत करता है और जब वह 2 लाख व ढ़ाई लाख में एकवायर होती है तो उसके जीने का कोई रास्ता नजर नहीं आता। ऐसा समय भी था जब 2 लाख, ढाई लाख में कीले नीलाम होते थे और एकवायर किए जाते थे और आज इस बात के लिए गेहूं उत्पादकता में हरियाणा आज सबसे ऊपर है। 5182 किलोग्राम प्रति एकड़ रिकॉर्ड उत्पादकता हरियाणा में हुई। माननीय राष्ट्रपति श्री प्रणव मुखर्जी द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी को कृषि कर्मण्य अवार्ड दिया गया और गन्ने के भाव में 45 रुपये प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी हुई और किसानों की कोई पेमैंट आज बकाया नहीं है और चीनी मिलों द्वारा नियमित भुगतान आज हो रहा है। स्पीकर सर, दूसरा जहां तक सरकार का राष्ट्रीय बागवानी मिशन है, वह एक बहुत बड़ी नई एग्रीकल्चर पॉलीसी से संबंध रखता है। क्रॉपिंग पैटर्न से और डॉक्टर बरलोग जो दुनिया के बहुत बड़े वैज्ञानिक हैं उनको नोबल प्राइज मिला वह दो-तीन साल पहले ही यहां आए थे। उन्होंने भी क्रॉपिंग पैटर्न चेंज करने और Divercification की बात कही थी और डिमांड के हिसाब से क्रॉपिंग पैटर्न जैसे राष्ट्रीय बागवानी मिशन और राष्ट्रीय सूक्ष्म सिंचाई मिशन के कार्यक्रम के तहत पाली हाउस, सूक्ष्म सिंचाई पानी के भंडारण टैंक निर्माण आदि को प्रोत्साहित कर रहे हैं। राष्ट्रीय

बागवानी मिशन के तहत 2013 के लिए तीन नई परियोजनाएं स्वीकृत की गई है। लाडवा कुरुक्षेत्र में सैंटर फॉर सब ट्रोपिकल फ्रूट्स (सी. एस. टी. एफ.), मुरथल सोनीपत में एकीकृत मधुमक्खी विकास केन्द्र, आई.वी.डी.सी. चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार में फूल परियोजना और सिरसा के मनियाना में फल उत्कृष्टता केन्द्र स्थापित किया जा चुका है और इस केन्द्र के माध्यम से सीट्रस, जैतून, अनार और खजूर की नई किस्में प्रदर्शित की जा रही हैं। नई प्रौद्योगिक जानकारी हासिल करने के लिए धरौंडा, करनाल का सब्जी उत्कृष्टता केन्द्र किसानों का लोकप्रिय केन्द्र बन गया है। सरकार उत्कृष्ट तकनीकों द्वारा आलू की माइक्रो ट्यूब विकसित करने के लिए श्यामगढ़ जिला करनाल में एक बागवानी जयप्रदो केन्द्र स्थापित कर रही है फलों और सब्जियों पर कीटनाशक प्रभाव को कम करने के लिए कीटनाशक को घटाने की एक नई स्कीम क्रियान्वयन की जा रही है। **(इस समय उपाध्यक्ष महोदय पदासीन हुए)** माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय स्पीकर साहब के हल्के में जो इंटरनैशनल होर्टीकल्चर मण्डी मार्केट बनाने का प्रस्ताव है यह 493 एकड़ में बनेगी और ये पूरे प्रदेश को ही नहीं पूरे देश को इससे लाभ पहुंचेगा और आज जो किसान जिन फसलों का रिटर्न ले रहा है यह मण्डी जो है उसकी क्रोपिंग पैटर्न को चेंज करेगी क्योंकि क्रोपिंग पैटर्न ही ऐसा है जो फूल की खेती है सब्जी की खेती है या जिसमें लैंड होल्डिंग कम हो रही है न लैंड होल्डिंग ज्यादा है, न ही Irrigation के लिए पानी इतना है। उसमें नई टैक्नोलोजी जो आई है इसमें किसान उस टैक्नोलोजी के आधार पर माली हालत और अपनी आर्थिक स्थिति को सुधार सकते हैं तो इसके लिए मैं मुख्यमंत्री जी को मुबारकबाद देना चाहता हूं। उनकी सरकार ऑर्गेनिक कल्टीवेशन व डिमांड एण्ड सप्लाई की कर्व (curve) को मैनटेन करे क्योंकि ऑर्गेनिक कल्टीवेशन का जमाना है। ऑर्गेनिक दाल, ऑर्गेनिक तेल आदि और ऑर्गेनिक खेती की जाए और थोड़ी पैदावार बढ़ाई जाए तो किसान की आर्थिक स्थिति ठीक हो सकती है। अगर हम ऑर्गेनिक की तरफ जायें तो थोड़ी पैदावार से भी किसान की आर्थिक स्थिति मजबूत हो सकती है। माननीय डिप्टी स्पीकर महोदय, जब पलवल से लेकर पेशावर तक का किसान गरीबी और भूखमरीपूर्ण बदहाली की जिंदगी जीने के लिए मजबूर था, उसके तन पर कपड़ा नहीं था, उसकी पूरी की पूरी जमीन सरमायेदारों और सूदखोरों की बहियों में चली जाती थी, उसके बच्चों को दो टाईम की रोटी भी नसीब नहीं होती थी, किसान कर्ज के नीचे दबा हुआ था। उस मुश्किल वक्त में रहबरे आजम सर छोटूराम ने किसान का जो यह दुख था और उस दुख की चुभन को महसूस किया और उस महान पुरूष ने अपना सारा जीवन किसान के उत्थान और कल्याण के लिए लगा दिया। उस महान व्यक्ति के अधूरे सपनों को अगर कोई व्यक्ति पूर्णता की तरफ लेकर गया है तो वह चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुड्डा जी ही हैं। मैं उनको मुबारकबाद देना चाहता हूं कि सर छोटू राम जी के अधूरे सपनों को पूर्णता की तरफ ले जाने की उन्होंने कोशिश की है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री रामेश्वर दयाल राजौरिया : डिप्टी स्पीकसर साहब, कादयान जी सदन को

[श्री रामेश्वर दयाल राजौरिया]
गुमराह कर रहे हैं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : राजौरिया जी, आप प्लीज बैठिये, पहले कादियान जी को अपनी बात कह लेने दें उसके बाद आप अपनी बात रख लीजियेगा। (शोर एवं व्यवधान)

डॉ० बिशन लाल सैनी : स्पीकर सर..... (शोर एवं व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : सैनी साहब, कादियान जी को बोलने दीजिये। (शोर एवं व्यवधान) आपको बाद में बोलने का मौका दिया जायेगा। (शोर एवं व्यवधान)

डॉ० रघुवीर सिंह कादियान : माननीय डिप्टी स्पीकर साहब, यह वो सरकार नहीं है जो किसानों का दम भरती थी, किसानों के नाम से सत्ता हथियाती थी और कंडेला के अंदर निर्दोष किसानों को गोलियों से भून दिया गया। (शेम-शेम...) (शोर एवं व्यवधान) मैं आज आपके बीच में यह कहना चाहता हूं कि जिस ढंग से 9 बेकसूर व निर्दोष किसानों को गोलियों से भूना गया उनसे तो लॉ एंड ऑर्डर को कोई खतरा भी नहीं था (शोर एवं व्यवधान) मैं गवर्नर एड्रैस पर बोल रहा हूं। किसानों के ऊपर जिस तरह से गोलियां चलाई गई और 9 किसानों को मार दिया वह एक निंदनीय कृत्य था। (शोर एवं व्यवधान)

श्री रामेश्वर दयाल राजोरिया : स्पीकर सर, ****

Mr. Speaker : Noting is to be recorded. (Interruption)

डॉ० बिशन लाल सैनी : आज आप किसानों के हितैषी हो गये हैं? (शोर एवं व्यवधान)

डॉ० रघुवीर सिंह कादियान : डिप्टी स्पीकर सर, दूसरा महत्वपूर्ण पहलू इरीगेशन है जो कि किसान की लाइफ-लाइन है। मैं उसके बारे में भी कुछ कहना चाहूंगा। हमारी कांग्रेस सरकार हरियाणा के पानी के वैधानिक हिस्से को लेने तथा सतलुज यमुना लिंग नहर के शीघ्र निर्माण के लिए वचनबद्ध है। हमारी कांग्रेस सरकार उपलब्ध पानी के समान वितरण को सुनिश्चित करने के लिए भी वचनबद्ध है। डिप्टी स्पीकर सर, जो यह पानी के समान वितरण की बात आई है उस संबंध में मैं यह कहना चाहूंगा कि–

> "The art and science of administration is equal and equitable distribution of the natural resources among the masses."

यह बात माननीय मुख्यमंत्री जी ने संघर्ष के समय में कही थी कि अगर मेरी सरकार बनी तो मैं पानी के समान बंटवारे के लिए वचनबद्ध हूं और समान

---

*चेयर के आदेशानुसार रिकॉर्ड नहीं किया गया।

बंटवारा करूंगा। हांसी बुटाना नहर का फैसला ऐसे ही नहीं लिया गया था। (शोर एवं व्यवधान) 350 करोड़ रुपये जो उस पर खर्च किये गये थे..... (विघ्न)

श्री अशोक कुमार अरोड़ा : स्पीकर सर, मेरा प्वॉयंट ऑफ आर्डर है।

श्री उपाध्यक्ष : हां अरोड़ा जी, आप क्या कहना चाहते हैं?

श्री अशोक कुमार अरोड़ा : डिप्टी स्पीकर सर, कादियान साहब ने हांसी बुटाना नहर का जिक्र किया और साथ ही साथ एस.वाई.एल. का भी जिक्र किया है तथा यह बार-बार पानी के समान बंटवारे का भी जिक्र करते हैं। पूरे हाउस ने एस.वाई.एल. पर और हांसी बुटाना नहर पर युनानिमशली रिजोल्यूशन पास किया है लेकिन बावजूद इसके भी कादियान जी उस पर बोले ही जा रहे हैं। (शोर एवं व्यवधान)

डा० रघुवीर सिंह कादियान : उपाध्यक्ष महोदय, जल संसाधन मंत्रालय की तकनीकी मूल्यांकन समिति ने लखवार-व्यासी बांध की सहमति प्रदान कर दी है और इस पर शीघ्र काम शुरू होगा। रेणुका बांध के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति मिलना भी अग्रिम चरण में है। सरकार किसाऊ बांध परियोजना के मामले की पैरवी भी कर रही है और आशा है कि उत्तराखण्ड और हिमाचल प्रदेश की सरकारें इस मुद्दे पर शीघ्र समझौता करेंगी। कौशल्या नदी पर कौशल्या डैम बनाया जा चुका हैं एन.सी.आर.जल आपूर्ति चैनल बन चुका है और इससे गुड़गांव शहर को पानी की आपूर्ति हो रही है। दादूपुर शाहबाद नलवी नहर को भी लगभग दो महीनों तक 200 क्यूसिक पानी के साथ चलाया गया। पुराने रजबाहों और नहरों का सुधार करके नहरी तंत्र से पानी के रिसाव को कम करने के लिए कदम उठाये जा रहे हैं। चालू वित्त वर्ष के दौरान 150 चैनलों का सुधार किया गया है। बरवाला ब्रांच के सुधार का मुख्य कार्य 26.90 करोड़ रुपये की लागत से लगभग पूरा होने वाला है सुधार के लिए 7500 खालों की पहचान की गई है और इनमें से 2530 खालों का सुधार किया जा चुका है। चालू वित्त वर्ष में राज्य भर में बाढ़ नियंत्रण और ड्रेनेज की 73 नयी स्कीमों और 59 चल रही स्कीमों को पूरा करने पर 118 करोड़ रुपये खर्च किए गये हैं। उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक दूसरी उपलब्धियों की बात है, अभी सदन में रेल की बात चल रही थी और उसमें मेवात की रेल लाइन की बात थी, हिसार से सिरसा और यमुनानगर से चंडीगढ़ रेल लाइन की बात थी। रेल कोच फैक्ट्री की बात थी इस पर रेलमंत्री जी को पूरे हाउस द्वारा मुबारकबाद दी गई।

श्री कृष्ण लाल पंवार : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा प्वायंट ऑफ ऑर्डर है। मेरा प्वायंट ऑफ ऑर्डर यह है कि वैसे तो रेल बजट में जो कुछ हरियाणा प्रदेश को दिया गया है उसके लिए हमारी पार्टी के प्रधान ने भी इसका धन्यवाद किया है। लेकिन पुरानी बात याद दिलाना चाहूंगा। हरियाणा में पहले भी रेल कोच फैक्ट्री की घोषणा की गई थी लेकिन बाद में वह कपूरथला पंजाब को चली गई थी।

[श्री कृष्ण लाल पंवार]

मैं सरकार का इस ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं। मैं कहना चाहता हूं कि अब यह सोनीपत से कहीं दूसरी जगह नहीं जानी चाहिए। (विघ्न)

डा० रघुवीर सिंह कादियान : उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक मेरे जिले झज्जर की रेल प्रोजैक्ट का जिक्र कर रहे हैं। यह रिवाड़ी से रोहतक वाया झज्जर रेल लाइन की जो बात है इसकी बहुत पुराने समय से पिछले 33 सालों से मांग चल रही थी। इसके लिए बहुत से लोगों ने संघर्ष भी किए, आंदोलन भी हुए। यह लाइन नाम की तो रिवाड़ी, रोहतक वाया झज्जर है लेकिन वैसे यह चंडीगढ़ से जयपुर को जोड़ती है। जो सामान यहां से ट्रकों में गुजरात जाता है, पंजाब, हरियाणा हिमाचल प्रदेश का सामान यहां से वहां जाता है वह उसे वाया दिल्ली नहीं भेजना चाहते। यह लाइन बनने से बहुत ही इम्पोर्टैंट बन जायेगी। इस पर 602 करोड़ रुपये की लागत आएगी और इसका आधा खर्च हरियाणा सरकार वहन करेगी। यह 81 किलोमीटर की लाइन है। दो लोकसभा और 8 विधान सभा क्षेत्रों के लोग इससे लाभान्वित होंगे। इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को और हमारे अजीज सांसद दीपेन्द्र हुड्डा जी को जिनके प्रयासों से यह प्रोजैक्ट पूरा हुआ है, बधाई और धन्यवाद देना चाहूंगा। यह जो लाइन है इसका पिछले दिनों उद्घाटन हुआ था और इसमें मुख्यमंत्री जी, एम.एल.ए. और मंत्री साहेबान इसमें सफर करके आए थे। इसके लिए मैं मुबारकवाद देना चाहता हूं। गुड़गांव, फरीदाबाद के बाद जो दिल्ली मैट्रो का बहादुरगढ़ तक चलाने के लिए शिलान्यास किया गया है जोकि 1991 करोड़ रुपये की परियोजना है जिसमें हरियाणा प्रदेश की भागीदारी 912 करोड़ रुपये की है जिसमें इस रेल मार्ग की लम्बाई 11.182 किलोमीटर की है जिसमें सात स्टेशंज होंगे। मुण्डका स्टेशन से सिटी पार्क बहादुरगढ़ तक 788 करोड़ रुपये की लागत से मैट्रो डिपो बनेगा। डिप्टी स्पीकर सर, इस प्रोजैक्ट को लाने के लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी, हरियाणा सरकार और हमारे सांसद अजीज श्री दीपेन्द्र हुड्डा को मुबारकबाद देना चाहता हूं। जिनके प्रयासों से बहादुरगढ़ में मैट्रो सेवा शुरू हुई है। यह बहादुरगढ़ का जो मैट्रो कोरीडोर है यह न केवल हरियाणा के लोगों के लिए लाभदायक होगी बल्कि पंजाब के लोग जो अबोहर-फाजिल्का से आते हैं और राजस्थान के लोग जो गंगानगर से आते हैं और पूरे हरियाणा का आदमी जो दिल्ली पहुंचने के लिए दो-दो घंटे तक सड़क के जाम में फंस जाते थे वे अपनी गाड़ी को बहादुरगढ़ में खड़ी करके मैट्रो द्वारा सफर करने के बाद 15 मिनट में अपने डैस्टीनेशन पर पहुंच सकते हैं और अपना काम पूरा करके 15 मिनट में अपने डैस्टीनेशन पर वापस आ सकते हैं। इससे जो आम आदमी को लाभ हुआ है उसमें उनका जो समय दिल्ली के जाम में फंसने में खराब हो जाता था वह बच जायेगा। इसके साथ-साथ हरियाणा सरकार ने जो महत्वाकांक्षी एवं व्यापक छात्रवृत्ति योजना शुरू की है वह बहुत सराहनीय कदम है। एजूकेशन एक ऐसा जरिया है जिसमें किसी भी इन्सान की, किसी भी परिवार की या किसी भी इलाके विशेष की वैभूति या खुशहाली जुड़ी हुई है। अकेला एजूकेशन का ही एक ऐसा फील्ड है जो आदमी को एक बहुत बड़ी ऊँचाई तक उठाने का काम करता है। अगर किसी गरीब आदमी के पास एजुकेशन के लिए

पैसा नहीं है तो हरियाणा सरकार ने उस गरीब आदमी को अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग के आदमी को और बी.पी.एल. के आदमी को 1972111 स्कूली छात्रों को 75 रुपये से लेकर 400 रुपये प्रति माह वजीफा देने का काम किया है। यह पैसा सीधे बच्चों के बैंक खातों में जाता है। राजीव गांधी एजूकेशन सिटी, राई, सोनीपत में बनाया है उसमें स्कूल शिक्षा, हायर सैंकेण्डरी शिक्षा, कालेज और यूनिवर्सिटी की शिक्षा में हरियाणा के विद्यार्थियों को 25 प्रतिशत सीटों में आरक्षण दिया है और उनकी फीस में भी छूट देने का काम हरियाणा सरकार ने किया है और यह विश्व का सबसे बड़ा एजूकेशन कैम्पस होगा जिसमें डेढ़ लाख विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त कर सकेंगे। यह एक विजनरी और मैगा प्रोजैक्ट हरियाणा सरकार का है। इसके लिए मैं हरियाणा सरकार को कहना चाहता हूं कि जब भी इस प्रोजैक्ट का आइडिया कन्सीव हुआ होगा तो उस समय हरियाणा के विद्यार्थियों के लिए एक बहुत बड़ी प्लानिंग की गई होगी। जो हरियाणा के लड़के लाखों और करोड़ों रुपये खर्च करके ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज, हार्वड और दुनिया भर की महत्वपूर्ण यूनिवर्सिटीज में शिक्षा प्राप्त करने के लिए जाते थे अब उन यूनिवर्सिटीज के कैम्पस यहां होंगे। जो लड़के लन्दन में पढ़ने के लिए जाते थे उनके लिए अब शिक्षा प्रापत करना आसान हो जायेगा और सोनीपत जिले के लड़के ही नहीं बल्कि हरियाणा के दूसरे जिलों के लड़के अपने घर का खाना खाकर शिक्षा को प्राप्त करने के लिए जा सकेंगे और शाम को अपने घर पर आकर ही घर का बना हुआ खाना खा सकेंगे। इस प्रकार की शिक्षा के बारे में जो फैसीलिटीज हरियाणा सरकार ने दी है इस विजन के लिए और इस मैगा प्रोजैक्ट के आइडिया के लिए मैं हरियाणा सरकार को मुबारिकबाद देना चाहता हूं जिसने काफी यूनिवर्सिटीज बनाई और तकनीकी शिक्षा में भी काफी वृद्धि की गई है। जो तकनीकी संस्थान वर्ष 2004-2005 में 154 थे वे अब बढ़कर 643 हो गए हैं। जिनमें तकनीकी शिक्षा प्राप्त करने की सीटों की संख्या जो पहले 27712 थी वे अब बढ़कर 142226 हो गई हैं। इसके साथ ही साथ आई.टी.आईज. की संख्या जो पहले 97 थी उनकी संख्या 225 हो गई हैं। जिनमें सीटों की संख्या पहले 16568 थी वे अब बढ़कर 53584 हो गई हैं। इन शिक्षा संस्थाओं में अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों की ट्यूशन फीस माफ की गई है। डिप्टी स्पीकर सर, जहां तक तकनीकी शिक्षा की बात है इसके लिए मैं विशेष तौर पर कहना चाहूंगा कि इसमें समय की आवश्यकता है और यह समय की मांग है कि यह वक्त की नजाकत के हिसाब से टैक्नालॉजी का ग्लोबल फिनोमिना आ रहा है। हमारे एक दोस्त ज्यूरिक में रहते हैं उन्होंने तो मुझे बहुत ज्यादा संख्या बताई थी लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि वहां हरियाणा के बहुत से बच्चे काम करते हैं चाहे वे सोफ्टवेयर इंजीनियर्ज लगे हों या हार्डवेयर इंजीनियर्ज लगे हों। उपाध्यक्ष महोदय, तकनीकी शिक्षा के बारे में मेरा एक सुझाव है कि हरियाणा सरकार की तरफ से एक ब्यूरो या डायरैक्टोरेट आफ गाइडैंस एण्ड प्लेसमैंट के लिए बने जो पूरी दुनिया में यह अपोर्चुनिटी एक्सप्लोर करे कि किस काबलियत के बच्चे की कहां प्लेसमैंट हो सकती है। इंटरनैट पर फीड करने से बच्चों को पता नहीं चल पाता कि उनकी काबलियत के हिसाब से कहां प्लेसमैंट हो सकती है। एक आध इंस्टीच्यूशन

[डॉ० रघुवीर सिंह कादियान]

ही ऐसे काम कर रहे हैं जो दूसरे देशों में जाते हैं और बच्चों की प्लेसमैंट वगैरह करवा रहे हैं। उपाध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहूंगा कि हरियाणा सरकार की तरफ से यह स्टैप उठाया जाए क्योंकि एक लाख 65 हजार के करीब बच्चे आई.टी.आईज. में और एक लाख 42 हजार के करीब बच्चे बैचलर आफ टैक्नोलोजी, बैचलर आफ इंजीनियरिंग या एम.बी.ए. कर रहे हैं। उपाध्यक्ष महोदय, मैं पावर सैक्टर की बात करना चाहता हूं। पावर सैक्टर में पता नहीं पिछले 40 सालों से या तो कोई विजन नहीं था, या कोई फाइनैंशियल स्ट्रिंजैंसी थी या कोई और कारण थे या एक्यूमन नहीं था। 2005 से पहले हरियाणा में केवल एक ही पावर प्लांट लगा और वह पावर प्लांट पानीपत थर्मल में 7वीं और 8वीं यूनिट लगा। मैंने पिछले हाउस में भी यह बात उठाई थी कि 7वीं और 8वीं यूनिट के लिए 1600 करोड़ रुपये का टैण्डर था और यह टैण्डर इंटरनैशनल लैवल पर फ्लोट होना चाहिए था। इंटरनैशनल कम्पनियां इसके लिए आती, कम्पीटिशन होता तथा क्वालिटी और स्पीड मेनटेन होती लेकिन यह टैण्डर कैसे दे दिया गया इस बारे में मैं यहां बताना चाहूंगा। एक ऐसे अलीछली आदमी को जो इनका जानकार था वह आया और बोला कि मैं पानीपत की 7वीं और 8वीं यूनिट लगाना चाहता हूं तो उसको कहा गया कि तेरा कोई कद नहीं या कोई और बात नहीं तू कैसे ये यूनिट लगाएगा तो वह आदमी बोला मैं यह कंट्रैक्ट B.S.E.S. को दिला दूंगा और बोला कि B.S.E.S. बाम्बे की इलैक्ट्रिसिटी सप्लाई करने वाली कम्पनी है तो उसको कहा गया कि नहीं यह स्टैंडर्ड की कम्पनी नहीं है तो वह आदमी बोला कि मैं यह काम बी.एच.ई.एल. को दिला दूंगा। उस आदमी ने अपनी कम्पनी बनाकर बी.एच.ई.एल.से बात की कि आप 1600 करोड़ रुपये के टैण्डर में ये ये बात B.S.E.S. को दोगे तो बी.एच.ई.एल. ने हां भरी। उपाध्यक्ष महोदय, यह इन्कवायरी की बात है और यह रिकार्ड की बात है। उस आदमी ने बी.एच.ई.एल. से कहा कि आपको मुझे 500 करोड़ रुपये के सिविल वर्क का काम देना पड़ेगा। बी.एच.ई.एल ने इसके लिए हां भरी। ये दोनों यूनिट सब स्टैण्डर्ड हैं। ये Specification मैन्टेन नहीं हुए, जिस ढंग से टैण्डर्ज आन फाइल दिए गए। (विघ्न)

श्री कृष्ण लाल पवार : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा प्वायंट आर्डर है। उपाध्यक्ष महोदय, माननीय साथी ने जो पानीपत के थर्मल पावर प्लांट की बात की है इस बारे में मैं कहना चाहूंगा कि इस प्लांट की आधार शिला चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने रखी थी। ये 250-250 मैगावाट की दो यूनिटें थी। 7वीं यूनिट 28.9.2004 को चालू कर दी गई थी और 8वीं यूनिट 28.1.2005 को चालू कर दी गई थी। (विघ्न)

कैप्टन अजय सिंह यादव : उपाध्यक्ष महोदय, यह कोई प्वायंट आफ आर्डर नहीं है।

श्री रघुवीर सिंह कादियान : उपाध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार ने 4 नए पावर प्लांट लगाए। दीनबंधू सर छोटूराम थर्मल पावर प्लांट यमुनानगर में लगाया गया।

इसमें 300-300 मैगावाट की दो यूनिट थी। (विघ्न)

कैप्टन अजय सिंह यादव : उपाध्यक्ष महोदय, खेदड़ और पानीपत दोनों जगह के प्लांट आज की तारीख में चल रहे हैं। (विघ्न) उपाध्यक्ष महोदय, कुछ समय के लिए बंद हो गये थे लेकिन आज के दिन सारे प्लांट चल रहे हैं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री कृष्णलाल पंवार : उपाध्यक्ष महोदय, जो दूसरा यूनिट है वह एक साल बाद चला जिससे डेढ़ लाख यूनिट डेली यानी 12 करोड़ रुपये डेली का नुक्सान हुआ हैं (शोर एवं व्यवधान) इसका आप अनालिसिज कर लीजिए 12 करोड़ रुपये डेली का नुक्सान हुआ हैं।

कर्नल रघबीर सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, यह भी बताया जाये कि पानीपत की 7वीं और 8वीं यूनिट किस पावर फैक्टर पर पिछले दस साल से चल रही है और उनमें चाइना से लाकर जो मशीनरी लगाई गई है उसके बाद वे यूनिट्स किस पावर फैक्टर पर चल रही हैं। (शोर एवं व्यवधान)

डा० रघुवीर सिंह कादियान : उपाध्यक्ष महोदय, मशीनरी है चलती-चलती बंद हो सकती है। मशीनरी में कभी भी कोई भी डिफैक्ट हो सकता है। इंसान का भी कुछ पता नहीं चलता। माननीय साथी और मैं इस समय सदन में हैं और यहीं पर उलझकर गिर जायें और टांग टूट जाये तो क्या कर सकते हैं, हास्पिटल जाना पड़ेगा। दूसरे साथी जिन्होंने नहीं देखा वे कहेंगे कि अभी तो ठीक थे। खराब होने वाली बात कोई आरग्यूमैंट का ईशू नहीं है क्योंकि कभी कुछ भी हो जाता है। उपाध्यक्ष महोदय, प्रदेश में बिजली की पैदावार को बढ़ाने के लिए मौजूदा सरकार ने राजीव गांधी थर्मल पॉवर प्लांट, खेदड़ में 1200 मैगावाट का, महात्मा गांधी सुपर थर्मल पॉवर प्लांट, खानपुर खुर्द में 1320 मेगावाट और फतेहाबाद में 2800 मेगावाट का परमाणु बिजली ताप संयंत्र लगाने जा रही है। इसके लिए मैं माननीय बिजली मंत्री कैप्टन अजय सिंह यादव जी और मुख्यमंत्री जी को बहुत-बहुत बधाई देता हूं। क्योंकि किसी भी प्रदेश या देश की तरक्की के लिए इन्फ्रास्ट्रैक्चर यानी बिजली और रोड्ज का होना बहुत जरूरी होता है। देश और प्रदेश की तरक्की इन्फ्रास्ट्रेक्चर पर ही निर्भर करती है और हमारी सरकार ने प्रदेश की तरक्की के लिए बहुत अच्छा इन्फ्रास्ट्रैक्चर देने की कोशिश की है इसके लिए मैं मुख्यमंत्री जी को बहुत-बहुत बधाई देना चाहता हूं। बिजली के क्षेत्र में प्रदेश को आगे ले जाने के लिए भूटान के साथ 2000 मैगावाट का पन बिजली परियोजना की प्रक्रिया जारी है।

उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक खेलों का संबंध है हरियाणा प्रदेश खेल नीति में भी नम्बर-1 पर है। हमारे मुख्यमंत्री जी ने खेलों को बढ़ावा देन के लिए ओलम्पिक 2016 में हरियाणा के पदक विजेताओं को देश में सर्वाधिक पुरस्कार राशि की घोषणा की है। 2016 ओलम्पिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को 5 करोड़ रुपये, रजत पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को 3 करोड़ रुपये और कांस्य पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को 2 करोड़ रुपये पुरस्कार राशि की घोषणा की है। उपाध्यक्ष महोदय,

[डा० रघुवीर सिंह कादियान]
यही नहीं बल्कि स्पैट लागू करने वाला हरियाणा देश का पहला राज्य है। हमारे प्रदेश में स्पैट में लगभग 25 लाख युवाओं को भाग लेने का अवसर मिला और देश में सर्वाधिक खेल स्कॉलरशिप दी जा रही हैं। इसके अतिरिक्त खेल नीति के तहत खिलाड़ियों को मुफ्त प्रशिक्षण, खेल उपकरण और खेल किट आदि भी मुफ्त उपलब्ध करवाये जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त खेलों को बढ़ावा देने के लिए ब्लॉक-स्तर पर 226 राजीव गांधी खेल परिसर स्वीकृत करवाये हैं जिनमें से 158 पर काम पूरा हो चुका हैं (शोर एवं व्यवधान) उपाध्यक्ष महोदय, इनको आपने अलाउ किया है क्या?

श्री उपाध्यक्ष : प्लीज आप बैठें।(शोर एवं व्यवधान)

श्री रामेश्वर दयाल : अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी 24 तारीख को बावल गये थे वहां पर सुनीता गुर्जर जो कि माउंट एवरेस्ट विजेता है उसको कुछ भी नहीं दिया गया। वे लोग वहां बैठे रहे। उन्हें पूछा भी नहीं गया। क्या इस तरह से खिलाड़ियों का मान सम्मान होता है? दूसरी तरफ माउंट एवरेस्ट विजेता ममता सौदा को सरकार ने नौकरी भी दी और पैसा भी दिया। इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिएं। हम चाहते हैं कि सुनीता गुर्जर को भी नौकरी दी जाये।

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : उपाध्यक्ष महोदय, यदि एक गरीब बाल्मिकी की लड़की को डी.एस.पी. की नौकरी दे दी गई है तो इनको क्या दिक्कत है? ये लोग लेते हैं और इसी ईशू को उठा लेते हैं। (शोर एवं व्यवधान) आप उसका रिकार्ड निकलवा लीजिए। (शोर एवं व्यवधान) मैं आपको इनकी रिकार्डिंग रि-पले करवा देता हूं। (शोर एवं व्यवधान) सर, क्या एक गरीब, दलित, बाल्मिकी लड़की जो माउंट एवरेस्ट पर गई उसको सरकार ने डी.एस.पी. की नौकरी दे दी तो इस पर एक दफा अभय जी ने एतराज किया और आज हमारे दूसरे काबिल साथी एतराज कर रहे हैं। इनका यह क्या तरीका है। (शोर एवं व्यवधान) क्या विपक्ष के साथी हमारे दलित साथियों के साथ इस प्रकार का व्यवहार करेंगे। (शोर एवं व्यवधान) ममता सौदा पर हरियाणा के अढ़ाई करोड़ लोगों को फक्र होना चाहिए और उसका स्वागत करना चाहिए। (शोर एवं व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : प्लीज, आप सभी बैठें और कादियान साहब को बोलने दें।

17.00 बजे **श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला :** डिप्टी स्पीकर सर, जिनको हरियाणा सरकार ने नौकरियां दी हैं वे भी हमारी बेटियां हैं विपक्ष के साथियों को सरकार के निर्णय का स्वागत करना चाहिए। (शोर एवं व्यवधान) अरोड़ा जी, को अपनी पार्टी के सदस्यों का हाउस के अंदर किस प्राकर का व्यवहार करना चाहिए इसकी ट्रेनिंग देनी चाहिए। (शोर एवं व्यवधान) डिप्टी स्पीकर सर, ममता सौदा कैथल के एक बाल्मिकी परिवार की बेटी है जिसने माऊंट एवरेस्ट पर हिन्दुस्तान का झंण्डा फहराया है, जिसको हरियाणा के माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा जी ने पुलिस विभाग में डी.एस.पी. की पोस्ट पर नियुक्त किया है। पहले इसका हमारे

साथी श्री अभय सिंह जी ने एतराज किया था और अब लोकदल के दूसरे साथी एतराज कर रहे हैं। क्या ये दलित विरोधी हैं? (शोर एवं व्यवधान) या फिर दलित समुदाय के पक्षधर हैं। रामेश्वर दयाल राजौरिया जी को तो माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा जी का धन्यवाद करना चाहिए क्योंकि अभी हाल ही में मुख्यमंत्री उनके हल्के में बहुत से विकास कार्यों की घोषणाएं करके आये हैं और बहुत सी सौगातें देकर आये हैं। श्री अशोक अरोड़ा जी को उन्हें समझाना चाहिए कि वे अपने साथ-साथ अपनी पार्टी की तरफ से भी इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री का धन्यवाद करें। श्री अशोक अरोड़ा जी ममता सौदा की डी.एस.पी. के पद पर नियुक्ति के पक्षधर रहे हैं और इनकी पार्टी के दूसरे सदस्य इसका विरोध कर रहे हैं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : अरोड़ा जी आप क्या कहना चाहते हैं?

श्री अशोक कुमार अरोड़ा : डिप्टी स्पीकर सर, मैं यह कहना चाहता हूं कि यहां पर हर बात को घुमाफिरा कर कहा जाता है। हमने पहले सैशन में भी यह कहा था कि हरियाणा सरकार ने ममता सौदा को डी.एस.पी. बनाकर बहुत अच्छा काम किया है। **(इस समय श्री अध्यक्ष पदासीन हुये।)**

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : स्पीकर सर, अरोड़ा जी को यह बात अपने अन्य साथियों को भी समझानी चाहिए।

श्री अशोक कुमार अरोड़ा : स्पीकर सर, माननीय सदस्य श्री रघुवीर सिंह कादियान जब सरकार की खेल नीति पर बोल रहे थे तो उस समय माननीय सदस्य श्री रामेश्वर दयाल राजौरिया ने यह कहा था कि सरकार ने ममता सौदा को डी.एस.पी. बनाया यह बहुत अच्छी बात है। इसके साथ-साथ वे यह भी चाहते हैं कि उनके हल्के की एक लड़की है सुनीता सिंह उसको भी सरकार की तरफ से उसी प्रकार की सुविधा दी जाये। यह मांग हमारी पार्टी के माननीय सदस्य ने सरकार के सामने रखी हैं मंत्री जी घुमाफिराकर बात करते हैं।

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : स्पीकर सर, उस समय उन्होंने यह कहा था कि सरकार ने ममता सौदा को डी.एस.पी. के पद पर नियुक्ति क्यों दी। (शोर एवं व्यवधान) स्पीकर सर, क्या संसदीय प्रणाली की यह तहजीब है? (शोर एवं व्यवधान) क्या ये सारे सदस्य इकट्ठे खड़े होकर बोलना शुरू कर देंगे? यह कोई तरीका नहीं है। (शोर एवं व्यवधान) जब इनकी पार्टी के नेता बोल रहे हैं तो इनको शांति से बैठकर उनकी बात सुननी चाहिए। सर, श्री अशोक कुमार अरोड़ा जी ने जवाब दिया है। (शोर एवं व्यवधान) वे एक बहुत ही सम्मानित सदस्य हैं। (शोर एवं व्यवधान) सर, कभी इनकी ओर से श्री जयवीर बाल्मिकी जी के लिए अपशब्द कहे जाते हैं और कभी हमारी बहन जी श्रीमती शकुन्तला खटक जी को आक्रामक मुद्रायें दिखाई जाती हैं और कभी ममता सौदा के बारे में बातें कही जाती हैं। सर, मैं आदरणीय अरोड़ा जी से यह जानना चाहता हूं कि वे हमें यह बतायें कि आखिर उनकी मंशा क्या है? (शोर एवं व्यवधान)

श्री अशोक कुमार अरोड़ा : स्पीकर सर, मैं पुनः इस बात को दोहराना चाहता हूं कि सरकार ने जो ममता सौदा को डी.एस.पी. बनाया है हम इसका सम्मान करते हैं। इसके साथ हमारे माननीय सदस्य श्री राजौरिया जी यह चाहते हैं कि उनके हल्के की लड़की सुनीता सिंह को भी सरकार की तरफ से इसी प्रकार की सुविधा दी जाये और उनको भी ममता सौदा की तरह डी.एस.पी. बनाया जाये। हम यह चाहते हैं कि इस मामले में सरकार अपनी स्थिति स्पष्ट करे।

Shri Randeep Singh Surjewala : Speaker Sir, the discussion on Governor's Address is on (interruption)

Shri Jagdish Nayar : Speaker Sir, *****

Mr. Speaker : Nothing is to be recorded. Mr. Kadian, you may please continue.

डॉ० रघुवीर सिंह कादियान : स्पीकर सर, हरियाणा सरकार की खेल नीति के तहत हरेक ब्लॉक में आधुनिक खेल स्टेडियम स्थापित किये गये हैं। इसके साथ-साथ ब्लॉक स्तर पर 226 राजीव गांधी खेल परिसर स्वीकृत हैं जिनमें से 158 का काम पूरा हो गया है। प्रत्येक पर लागत 50 लाख रुपये से एक करोड़ रुपये के बीच में आई है। इसके अलावा 232 मिनी ग्राम खेल परिसरों का काम पूरा हो चुका है। खिलाड़ियों के लिए हरियाणा सरकार ने पदक लाओ पद पाओ की नीति लागू की है। पदक विजेता खिलाड़ियों को पुलिस विभाग के साथ-साथ अन्य सरकारी विभागों में भी नौकरियां दी गई हैं। पहली बार 17 खिलाड़ियों को डी.एस.पी. बनाया गया है, 25 खिलाड़ियों को इंस्पैक्टर लगाया गया है और 43 खिलाड़ियों को सब इंस्पैक्टर लगाया गया है तथा 318 खिलाड़ियों को सिपाही के पदों पर लगाया गया है। शिक्षण संस्थानों में प्रवेश तथा सरकारी सेवा में भर्ती के लिए खिलाड़ियों को 3 प्रतिशत आरक्षण दिया गया है जिसके लिए सरकार बधाई की पात्र है। हरियाणा निशुल्क स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने वाला पहला राज्य है। हरियाणा के सभी सरकारी अस्पतालों में गर्भवती महिलाओं और नवजात शिशुओं को मुफ्त इलाज और मुफ्त दवाइयां उपलब्ध करवाई जा रही हैं। इसके साथ-साथ बी.पी.एल. परिवारों को जानलेवा बीमारियों से बचाव हेतु हरियाणा सरकार द्वारा आरोग्य कोष एवं निशुल्क सर्जिकल सुविधा प्रदान की गई है।

स्पीकर सर, एक बहुत बड़ा इश्यू है कि जो हिन्दुस्तान की सबसे प्रैसटीजियस संस्थान है एम्स, जिसका दिल्ली में अपना महत्व है, अपना एक वजूद है तथा स्वास्थ्य के मामले में उसका अपना नाम है। एम्स की यूनिट-II लगाने के लिए कई प्रोपोजल थी कि कहां पर लगाइ जाये लेकिन एम्स-II की यूनिट आज झज्जर के बाढ़सा में स्थापित की गई है तथा उसमें ओ.पी.डी. शुरू हो चुकी है इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारे अजीज दीपेन्द्र सिंह हुड्डा जी को मुबारकबाद देना चाहूंगा। इस संस्था के बनने से पंजाब, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश की जनता भी लाभान्वित

*चेयर के आदेशानुसार रिकॉर्ड नहीं किया गया।

होगी तथा हरियाणा प्रदेश के विकास में यह मील का पत्थर साबित होगा। (विघ्न)

श्री अशोक कुमार अरोड़ा : दिल्ली में तो एम्स पहले से ही स्थापित है। (विघ्न)

डॉ० रघुवीर सिंह कादियान : अध्यक्ष महोदय, इसके अलावा प्रत्येक जिले में मैडीकल मोबाइल यूनिट लगाई गई है जिसके लिए हरियाणा सरकार बधाई की पात्र है। इसी प्रकार से चिकित्सा के क्षेत्र में एक चिकित्सा विश्वविद्यालय और चार नये सरकारी मैडीकल कॉलेज स्थापित किए गये हैं। इसके लिए मैं स्वास्थ्य मंत्री, राव नरेन्द्र को बधाई देना चाहता हूं। भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय खानपुर कलां, सोनीपत में देश का पहला सरकारी महिला मैडीकल कालेज खोला गया है। इसी प्रकार से करनाल में कल्पना चावला की याद में कल्पना चावला राजकीय मैडीकल कॉलेज खोला गया है। पिछड़े क्षेत्र नूंह में शहीद हसन खान मेवाती मैडीकल कॉलेज खोला गया है तथा फरीदाबाद में मजदूरों के लिए इ.एस.आई. मैडीकल कॉलेज खोला गया है। एम.बी.बी.एस. की सीटें बढ़ाकर 700 करने के कारण सरकार बधाई की पात्र है। इसी प्रकार से राष्ट्रीय कैंसर संस्थान बनेगा जिस पर लगभग 2100 करोड़ रुपये की लागत आयेगी। अध्यक्ष महोदय, इसी प्रकार से गरीब परिवारों को लाभ पहुंचाने के लिए बहुत सी योजनाएं चलाई गई हैं। हर सिर को छत पहुंचाने के मकसद से 2 लाख गरीब परिवारों को घर देने का लक्ष्य रखा गया है। इस काम के लिए 2 लाख करोड़ रुपये का पूंजी निवेश होगा तथा 20 लाख से अधिक लोगों को रोजगार मुहैया करवाया जायेगा। मुख्यमंत्री जी जो गरीब आदमी तक पहुंचने का काम कर रहे हैं उसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को बधाई देता हूं। अध्यक्ष महोदय, इंदिरा गांधी पेयजल योजना के तहत अनुसूचित जाति के हर परिवार को स्वच्छ पेयजल पहुंचाने वाला हरियाणा देश का पहला राज्य बन गया है। अनुसूचित जाति के प्रत्येक परिवार को मुफ्त पानी की टंकी एवं टूंटी तथा मुफ्त पानी का कनैक्शन व घर तक की पाईप लाईन भी मुफ्त में दी जाती है। 999431 अनुसूचित जाति के परिवारों ने इस योजना से लाभ उठाया है तथा इस योजना पर लगभग 433 करोड़ रुपये हरियाणा सरकार द्वारा खर्च किये गये हैं। इस काम के लिए मैं माननीय मंत्री श्रीमती किरण चौधरी और माननीय मुख्यमंत्री चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुड्डा को बहुत-बहुत मुबारिकबाद देना चाहता हूं। स्पीकर सर, इसी प्रकार से महात्मा गांधी ग्रामीण बस्ती योजना के तहत अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग-ए तथा 36 बिरादरी के बी.पी.एल. परिवारों को 100-100 वर्ग गज के मुफ्त प्लॉट दिये गये हैं। इसमें अब तक 3.88 लाख परिवारों को मुफ्त प्लाट दिये गये हैं। पति और पत्नी के नाम से संयुक्त रजिस्ट्री करवाकर पत्नी को भी मालिकाना हक दिया गया है। अध्यक्ष महोदय, इसी प्रकार से वृद्धावस्था सम्मान भत्ता बढ़ाकर बुजुर्गों का सम्मान किया गया है। पिछली सरकार 200/- रुपये प्रति माह बुजुर्गों को देते थे लेकिन चुनाव के समय उन्होंने घोषणा की थी लेकिन 200/- से 300/- भी हमारी सरकार ने ही दिये थे। इस तरह से 200/- रुपये प्रति माह से 700/- रुपये प्रति माह वृद्धावस्था सम्मान भत्ता हमारी सरकार ने बढ़ाकर हर महीने की पहली तारीख को देना सुनिश्चित किया है। हरियाणा में 1286828 बुजुर्गों को सम्मान भत्ता प्रदान

[डॉ० रघुवीर सिंह कादियान]
किया है जो देश में बुजुर्गों की आबादी का सर्वाधिक प्रतिशत है। इसी तरह से 60 वर्ष की बुजुर्ग महिलाओं के लिए बस में आधा किराया लिया जाता है। इसके अलावा साल में एक बार एकमुश्त 501/- रुपये बुजुर्गों के सम्मान के लिए डोगा, पकड़ी और धोती आदि के लिए दिये जाते हैं। मैं इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं। इसी तरह से बुजुर्गों के सम्मान में एक-एक लाख रुपये के राज्य स्तर के अवार्ड भी घोषित किये गये हैं। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी एक स्वतंत्रता सेनानी परिवार से संबंध रखते हैं और उनको जमीनी हकीकत का पता है। इसी तरह का आदमी विजन से इन बातों तक पहुंच सकता है। इस बात के लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को मुबारिकबाद देना चाहता हूं। इसी तरह से सैक्स रेशो एक बहुत बड़ी डिस्ट्रबिंग सिच्वेशन है। इससे कई अलग तरह की लॉ एण्ड ऑर्डर की सिच्वेशन, दूसरी तरह की डिस्क्रिमिनेशन ऑन सैक्स बेसिज, कई बातें इससे ऊभर कर आती हैं और जो मॉडर्न समाज है उसमें सैक्स रेशो बहुत बड़ी रुकावट है। उस खाई को पाटने के लिए लाडली योजना लागू करने वाला हरियाणा देश का पहला राज्य है। योजना के तहत दूसरी बेटी के जन्म पर 5 हजार रुपये प्रति वर्ष एल.आई.सी. में निवेश किया जाता है जो कि 18 वर्ष के बाद एक लाख रुपये की राशि हो जाती है। इसी तरह से लाडली सामाजिक सुरक्षा पैंशन योजना के अन्तर्गत केवल बेटियों के माता-पिता को 45 वर्ष की आयु होने पर 500 रुपये मासिक पैंशन प्रदान की जाती है। बालिकाओं को उच्च शिक्षा के लिए लिए जाने वाले लोन पर 5 प्रतिशत ब्याज में सबसिडी दी जाती है। अध्यक्ष महोदय, मैं बताना चाहूंगा कि हरियाणा देश का पहला राज्य है जहां पर प्रत्येक गांव में सफाई कर्मचारी नियुक्त किये गये हैं। पंचायती राज संस्थाओं की शक्तियों का ग्राम स्तर पर विकेन्द्रीयकरण, पंचायतों को बिना किसी वित्तीय सीमा के विकास कार्यों की प्रशासनिक स्वीकृति देने का अधिकार, मैं वह जिक्र नहीं करना चाहूंगा। पिछली सरकार में तो डैमोक्रेसी का मजाक उड़ाया गया था जो डैमोक्रेसी की सबसे छोटी यूनिट पंचायत है। उसके बराबर में कमेटियां बना दी गई थी और ये कमेटियां सरकारी पैसे को खाने का एक तरीका ढूंढा गया और जो पैरलल कमेटियां थी किस तरह के काम करवाए, क्या नहीं करवाए, एक-एक इंकवायरी का मैटर है। लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि इस सरकार ने माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक बहुत फराक दिली से प्रजातंत्र का जो मैगजीन है और डैमोक्रेसी को आगे बढ़ाने का जो काम किया। (विघ्न)

Mr. Speaker : No interruption please.

डॉ० रघुवीर सिंह कादियान : हरियाणा में डारैक्ट बैनीफिट ट्रांसफर स्कीम का शुभ आरम्भ किया गया। अम्बाला एवं सोनीपत जिलों में स्कीम का एक फरवरी 2013 से शुभ आरम्भ दफ्तरों के चक्करों से छुटकारा, योजनाओं का सीधा लाभ खाते में, आधार से जुड़ी इलैक्ट्रोनिक भुगतान प्रणाली के माध्यम से विभिन्न योजनाओं के तहत शत-प्रतिशत राशि सीधी लाभार्थी के खाते में, जननी सुरक्षा योजना अनुसूचित

जाति व अल्प संख्यक वर्ग तथा अन्य पिछड़े वर्ग के साथियों के लिए पोस्टमैट्रिक छात्रवृत्ति। इस तरह से स्पीकर सर, काफी लम्बा चौड़ा एक्सल ऊर्जा योजना में हरियाणा प्रदेश अग्रणी राज्य है। स्वतंत्रता सेनानी, उनकी विधवाओं की पैंशन में बढ़ोतरी और स्पीकर सर मैं हरियाणा सरकार और माननीय मुख्यमंत्री जी के जजबे को सलाम करता हूं कि जिस ढंग से उन्होंने स्वतंत्रता सेनानी और उनकी विधवाओं को सम्मान पैंशन दी यह सुनने की बात है हरियाणा के स्वतंत्रता सेनानियों की विधवाओं को सम्मान पैंशन 1525 रुपये से बढ़ाकर 20 हजार रुपये मासिक उनकी बेटियों, बहनों और पोतियों की शादी के लिए 10 हजार रुपये से बढ़ाकर 51 हजार रुपये कर दिया है हरियाणा सरकार ने बढ़ाई सैनिकों की वीरता पुरस्कार राशि परमवीर चक्र, अशोक चक्र 31 लाख रुपये महावीर चक्र व कीर्ति चक्र। अरे! सुन लो यह तो स्वतंत्रता सेनानियों की शहीदों के लिए है महावीर चक्र व अशोक चक्र 31 लाख रुपये। महावीर चक्र व कीर्ति चक्र 21 लाख रुपये, वीर चक्र व शौर्य चक्र 15 लाख रुपये। थल सेना, वायु सेना, नौ सेना, मैडल 7 लाख 50 हजार रुपये मैनसैन ईज डिस्पैचिज 5 लाख 50 हजार रुपये वर्तमान सरकार से पहले जो दी जाती थी वह 3 हजार रुपये से 22 हजार 500 रुपये मात्र।

Mr. Speaker : Thank you, Dr. Sahib, wind up please.

डॉ० रघुबीर सिंह कादियान : सर, वीरता पुरस्कार दिया गया। सर, हैड तो बहुत रह गए लेकिन मैं एक हैड तो आपकी परमिशन से टच करना चाहूंगा। उसमें उद्योग और वाणिज्य है जो उद्योग हैं ये स्पीकर सर, बहुत इम्पोर्टेंट हैड है इसमें क्योंकि सरकार भी औद्योगिक विकास और रोजगार वर्ष 2013 मना रही है। इसमें जहां तक औद्योगिक विकास की बात है इसमें मैं आपको महात्मा गांधी जो दुनिया के बहुत बड़े महापुरुष हुए हैं उनका औद्योगिक विकास के प्रति नजरिया यह था कि the essential genius of Gandhi ji was his down-to-earth grass-root planning. The Father of the Nation, Mahatma Gandhi had sought to give first priority to agriculture accompanied by agro industries, cottage industries, handicrafts followed by light or small-scale industries and then heavy industries and he had full faith and believe in the centrality of the village. ये था गांधी जी का सपना गांधी जी का दर्शन और एक और बात मैं आपके सामने जरूर रखना चाहूंगा। स्पीकर सर, जो फंडामैंटल डिवैल्पमैंट प्रोग्रैस है वह यह है कि किसी इलाके का, प्रदेश का, देश का, डिवैल्पमैंट का, जो फेडामैंटल है कि उस प्रदेश की व देश की कितनी जनसंख्या एग्रीकल्चर पर डिपैंड है। यह बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट हैं क्योंकि डिवैल्प कंटरीज हैं उनकी 5%, 6%, 7% पॉपुलेशन जापान की यू.एस.ए. की उसमें बहुत थोड़ी पॉपुलेशन एग्रीकल्चर पर डिपैंड करती हैं और वह सारी जनसंख्या पूरे देश को मुहैया करवाती है तो ये जो स्टैप है यह एक बहुत बड़ा स्टैप है। डिवैल्पड कंटरीज जितने हैं उनकी बहुत कम पापुलेशन कृषि पर आधारित है। जापान और यू.एस.ए. 5% या 6% के करीब एग्रीकल्चर पर डिपैंड करते हैं और कौन कंटरीज कितना डिवैल्पड है यह उनकी कितनी पापुलेशन एग्रीकल्चर पर डिपैंड करती है इस बात को दर्शाता है। स्पीकर सर, मैं हरियाणा सरकार को मुबारकबाद देना चाहता हूं कि जो इन्होंने प्रदेश

[डॉ० रघुवीर सिंह कादियान]
में इंवैस्टर्ज के लिए फ्रैंडली एटमोसफियर तैयार किया है। एक वक्त था जब लॉ एंड ऑर्डर सिचुऐशन नाम की कोई चीज हरियाणा प्रदेश में नहीं थी और लूट-खसोट के ऊपर ही राज चला करता था। (शोर एवं व्यवधान)

Mr. Speaker : Please keep silence. (Interruption)

डॉ० रघुवीर सिंह कादियान : स्पीकर साहब, यह बात मैं नहीं कहता यह सैकिया कमीशन की रिपोर्ट है इसमें उसकी ऑब्जर्वेशन है। लाखों रुपये इस इन्कवॉयरी कमीशन पर खर्च हुए। कैटेगरीकली इस बात को लिखा गया है कि–

> "The Commission would like to express that while reflecting over the entire subject matter of term (b) it had feeling that the police authorities themselves were victims of circumstances at they had to serve under a notorously jealous regime in the State of Haryana making it difficult for otherwise good officer....."

(शेम-शेम.....) यह एक बहुत बड़ी बात है जो इस रिपोर्ट में बताई गई है। इसमें एक दूसरी ऑब्जर्वेशन और भी है जिसका मैं जिक्र करना नहीं चाहता हूं। (शोर एवं व्यवधान) लेकिन मैं जो यह ऑब्जैक्ट कर रहा हूं कि किस तरह का राज हरियाणा प्रदेश में था वह मैंने सैकिया कमीशन की रिपोर्ट से कोट किया है।

श्री आनन्द सिंह दांगी : कादियान जी, जो स्वीटी मर्डर वाला केस था उसके बारे में भी आप बता दें।

डॉ० रघुवीर सिंह कादियान : दांगी साहब, उस बात पर तो मैं गया ही नहीं हूं। यह लोग बार-बार शोर मचा रहे थे इसलिए मैंने सैकिया कमीशन वाली बात कोट की है। (शोर एवं व्यवधान) दांगी साहब भी इन सारी बातों के गवाह हैं (शोर एवं व्यवधान) स्पीकर सर, उस समय जेलों से राज चला करता था (शोर एवं व्यवधान) जेलों से फिरौती मांगी जाती थी। दूसरों की जायदाद के ऊपर नजर रखी जाती थी, उनसे लूट-खसोट की जाती थी (शोर एवं व्यवधान) आम आदमी की इज्जत सुरक्षित नहीं थी। मैं हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री को मजबूत कानून व्यवस्था लागू कर फ्रैंडली एटमोसफियर तैयार करने की एवज में सलाम करता हूं। जिस मजबूत ढंग से इन्होंने हरियाणा प्रदेश में कानून व्यवस्था सुदृढ़ की है और एक फ्रैंडली एटमोसफियर तैयार किया है उसके लिए वे बधाई के पात्र हैं। (इस समय मेजें थपथपाई गई) स्पीकर सर, मेरा एक सुझाव है कि एक्सपोर्ट कारपोरेशन पिछले राज में बंद हुई थी.....(विघ्न)

श्री अध्यक्ष : कादियान जी, आज आप उन सभी बातों में गये हो जिनमें आप जाना ही नहीं चाहते हैं। (शोर एवं व्यवधान)

डॉ० रघुवीर सिंह कादियान : स्पीकर सर, यदि एक्सपोर्ट कॉरपोरेशन होगी तो वह एवेन्यूज ढूंढेगी कि कहां पर एग्रो इंडस्ट्रीज की जरूरत है, कहां पर हैंडीक्राफ्ट

की जरूरत है, कहां पर कॉटेज इंडस्ट्री की जरूरत है। डिस्ट्रिक्ट लैवल पर एक छत के नीचे यह बात बननी चाहिए। वहां पर ट्रेनिंग होनी चाहिए, वहां पर लाइसेंस दिये जायें, वहां पर रॉ मैटिरियल हो और वहां पर मार्किट का भी प्रबंध होना चाहिए। इस तरह से अगर हम एग्रीकल्चर पॉपुलेशन से पॉपुलेशन को डाइवर्ट करेंगे तो यह एक बहुत बड़ी उपलब्धि सिद्ध होगी। माननीय स्पीकर महोदय, इसके साथ-साथ मैं टोटल बॉडी पालिटीज का भी जिक्र करना चाहूंगा। हरियाणा प्रदेश को लॉ एंड आर्डर के मामले में बिहार प्रदेश से भी खराब प्रदेश माना जाता था। उस समय प्रदेश की जो टोटल बॉडी पालिटी थी उसको अब शेप देने का काम हुआ है मैं उसका भी जरूर जिक्र करना चाहूंगा। लॉटरी एक सामाजिक बुराई है और मुख्यमंत्री जी ने जब सत्ता संभाली तो इन्होंने आफिसर्ज से पूछा कि लॉटरी से कितना रिवेन्यू आता है। इनको बताया गया कि 80-90 करोड़ रुपये का रिवेन्यू लॉटरी से प्रदेश को प्राप्त होता है। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि मैं रिवेन्यु की परवाह नहीं करता क्योंकि लॉटरी एक सामाजिक बुराई है। बहादुरगढ़ सोनीपत तथा फरीदाबाद के जो नजदीकी शहर थे उनमें लॉटरी खेली जाती थी। गरीब आदमी लॉटरी खेलता था। जब वह लॉटरी हारकर व दारू पीकर घर जाता था तो घर में झगड़ा होता था। फांसी खाने तक की नौबत आ जाती थी और मर्डर तक भी हो जाते थे। मुख्यमंत्री जी ने लॉटरी जैसी सामाजिक बुराई को अपने 80-90 करोड़ रुपये की रिवेन्यू की परवाह किये बगैर फौरन बंद कर दिया। मैं बॉडी पोलिटी जिसमें इंप्रूवमैंट आई है उसकी बात कर रहा हूं। स्पीकर सर, जहां तक रैलीज की गैदरिंग होती थी यह चुनाव लड़ते थे। इनकी इतनी बड़ी पार्टी है जिसका नाम है इंडियन नैशनल लोकदल। इंडियन भी नैशनल भी और बड़े-बड़े इनके मामले भी हैं। कभी यह लोग राजस्थान में चुनाव लड़ते हैं तथा कभी उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ते हैं..... (शोर एवं व्यवधान)

श्री अभय सिंह चौटाला : आपसे टिकट मांगी थी क्या? क्या आपसे पूछकर चुनाव लड़ेंगे? (शोर एवं व्यवधान)

डॉ० रघुवीर सिंह कादियान : स्पीकर सर, उस समय व्हीकल पकड़े जाते थे.....। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अभय सिंह चौटाला : आपने भी तो हमारी पार्टी से चुनाव लड़ा था। (शोर एवं व्यवधान)

डॉ० रघुवीर सिंह कादियान : मैंने आपकी पार्टी से नहीं बल्कि चौधरी देवी लाल जी की पार्टी से चुनाव लड़ा था। चौधरी देवी लाल एक बहुत बड़े आदमी थे। (शोर एवं व्यवधान) मैंने जनता दल से चुनाव लड़ा था। (शोर एवं व्यवधान) कोई राजनेता किसी को सपोर्ट करने के लिए नहीं बनता। यह तो वाइस वर्सा की बात है इसमें मैं नहीं जाना चाहता। मैं इस बात को कहना चाहता हूं कि जहां रैलीज होती थी उनमें जीप पकड़ी जाती थी, थानों में ट्रक पकड़े जाते थे। आज कोई एक आदमी भी बता दे कि एक व्हीकल किसी रैली के लिए पकड़ा गया हो।

[डॉ० रघुवीर सिंह कादियान]
अध्यक्ष महोदय, मैं आपके सामने अर्ज करना चाहता हूं कि ट्रस्टों के नाम से और दूसरे कार्यों के नाम से कितना पैसा इधर-उधर किया गया। आप रिकार्ड निकलवा कर देख लें। जिस डिसप्रपोर्शनेट से ट्रस्टों के नाम से 80 लाख, 90 लाख रुपये निकलवाए गए। एक-एक करोड़ रुपये की मालाएं इनको बहादुरगढ़, गुड़गांव और सोनीपत में पहनाई जाती थी वह मालाएं पता नहीं कहां चली गई।

Mr. Speaker : Dr. Sahib, please wind up.

डॉ० रघुवीर सिंह कादियान : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके सामने बड़ी ही जिम्मेदारी से एक बात कह रहा हूं कि आज पूरे प्रदेश में कोई एक भी आदमी कह दे कि मुख्यमंत्री जी ने या उनके आदमी ने एक रुपये की माला किसी से ली हो तो मैं राजनीति छोड़ने के लिए तैयार हूं। (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : धन्यवाद डॉ० साहब, अब आप वाईड अप कीजिए। (विघ्न)

डॉ० रघुवीर सिंह कादियान : एक बात मैं कहना चाहता हूं जैसा कि ये लोग आजकल कहते हैं कि फलाना मिल गया, सी.बी.आई. मिल गई। मैं स्टेज की बात कर रहा हूं। (शोर एवं व्यवधान) जिस झूठ पर ये ऐसा प्रचार कर रहे हैं, इस पर मुख्यमंत्री जी ने कहा कि आमने सामने क्यों डिस्कशन करते हो, इससे तो अच्छा है कि आप अच्छा वकील करके अपना केस ठीक ढंग से लड़ो। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अभय सिंह चौटाला : उसके लिए हमें आपके मुख्यमंत्री की सलाह की जरूरत नहीं है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री आनंद सिंह दांगी : अध्यक्ष महोदय, इनका ये हाउस में बोलने का क्या ढंग है। ये कौन सी लैंग्वेज इनकी है। (शोर एवं व्यवधान)

डॉ० रघुवीर सिंह कादियान : अध्यक्ष महोदय, हमारे समय में किसी के खिलाफ बदले की भावना से केस रजिस्टर नहीं हुए हैं। मैं आपके बीच में यह बात कह रहा हूं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : डॉक्टर साहब, अब आप वाइंड-अप करें।

श्री अभय सिंह चौटाला : अध्यक्ष महोदय, कादियान साहब के खिलाफ भी पंखा चोरी के केस दर्ज हुए थे, क्या इनको आपने यहां बोलने की छूट दे रखी है। (शोर एवं व्यवधान)

डॉ० रघुवीर सिंह कादियान : अध्यक्ष महोदय, मैं वाइंड अप कर रहा हूं। मैं यह कह रहा हूं कि कितने लोगों के खिलाफ पोलिटिकल वैंजियंस से, आउट ऑफ फिलिंग्स ऑफ वैंजियंस और बदले की भावना से केस रजिस्टर हुए। दांगी साहब का कोई कसूर नहीं था, कोई बात नहीं थी फिर भी झूठे केस बनाये गये। जिस ढंग से गोलियां चलाई गईं, हत्याएं हुई। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : डॉ. साहब आप वाइंड-अप करें।

डॉ. रघुवीर सिंह कादियान : अध्यक्ष महोदय, आप इंट्रप्शन बंद कराइए, हाउस को सही दिशा में ले आइए। (शोर एवं व्यवधान)

Mr. Speaker : Dr. Sahib, please wind up your speech.

डॉ० रघुवीर सिंह कादियान : जिस ढंग से बैंसी में श्री हरिसिंह सरपंच जो लोकदल पार्टी से संबंध रखता था, उसको गोली मारी गई। लोग कहते हैं कि कुर्ता पायजामा पहने हुए किसी राजनीतिक दल का नेता था वह उस नेता ने हरिसिंह को गोली मारी और वह राजनीतिक नेता पुलिस की वर्दी पहनकर वहां से निकल गया। जिस पुलिस वाले ने उस नेता का कुर्ता पायजामा पहना था वह पुलिस वाला उस हत्या काण्ड में मारा गया और उसके अलावा बैन्सी में पांच आदमी मारे गये थे और इसी का विरोध करते हुए हमने मंत्रीमंडल से इस्तीफा दे दिया था और हमने किसी के पीछे से कोई वार नहीं किया थां हम तो आमने सामने छाती से छाती लगाकर लड़े थे।

श्री अभय सिंह चौटाला : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्वायंट ऑफ आर्डर है। मैं आपके माध्यम से माननीय साथी से एक बात कहना चाहता हूं कि माननीय साथी हाउस के सामने गलत बात रखकर हाउस को गुमराह न करें। जिस बैंसी की ये बात कर रहे हैं (शोर एवं विघ्न) उस वक्त उस मामले को लेकर बहुत शोर मचाया गया था कि बैंसी के अन्दर जो गोली काण्ड हुआ है उसमें लोकदल के लोग शामिल हैं। इस बात को लेकर उस वक्त लोकसभा में विपक्ष के नेता श्री राजीव गांधी थे वे लोकसभा से 100 से ज्यादा एम.पीज. को लेकर मक्का और मदीना में आये थे। उसके बाद इन्होंने उस केस को सी.बी.आई. के हवाले भी कर दिया था। सी.बी.आई. ने बाकायदा उस केस के अन्दर पूरी छानबीन करके यह पाया कि बैंसी का सरपंच श्री हरिसिंह पुलिस की गोली से मारा गया था उसको किसी दूसरे आदमी ने नहीं मारा था।

श्री आनन्द सिंह दांगी : अध्यक्ष महोदय, यह बात कौन सी इन्क्वायरी में है। सी.बी.आई. की इन्कवायरी रिपोर्ट और सेतिया कमिशन की रिपोर्ट मैं कल लाकर सदन के पटल पर रखूंगा।

श्री अभय सिंह चौटाला : अध्यक्ष महोदय, कमीशन की रिपोर्ट की जरूरत नहीं है यह तो सी.बी.आई. की इन्कवायरी हुई है। सी.बी.आई. की इन्कवायरी हुई है और उसमें सी.बी.आई. ने यह पाया कि पुलिस कान्सटेबल जो सी.आर.पी. का जवान था उसकी गोली से यह सरपंच मरा है। बिना ही मतलब सारा दिन बोलने लगे रहते हो। किसी बात की जानकारी है नहीं।

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : अध्यक्ष महोदय, मेरा सदन के सामने एक सुझाव है और शायद उस बात से माननीय श्री अभय सिंह चौटाला जी और

[श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला]
श्री आनन्द सिंह दांगी जी भी एग्री हो जायें। (शोर एवं व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, आदरणीय दांगी साहब और आदरणीय कादियान साहब जब कह रहे थे तो माननीय श्री अभय सिंह चौटाला जी ने यह कहा है कि जो सी.बी.आई. की इन्कवायरी हुई थी उसमें सभी को निर्दोष पाया गया था। माननीय श्री अभय सिंह चौटाला जी उस इन्कवायरी रिपोर्ट को सदन के पटल पर क्यों नहीं रख देते। अगर यह बात गलत है तो वे सदन के सामने क्षमा मांगे कि उन्होंने सदन को गुमराह किया है और ऐसा नहीं चलेगा। मैंने तो एक सीधा सा सुझाव दिया है या तो वे उस रिपोर्ट को सदन के पटल पर रखें या फिर वे अपने कहे गये शब्द वापस लें।

श्री अभय सिंह चौटाला : अध्यक्ष महोदय, न तो मैं उस रिपोर्ट को सदन के पटल पर रखना चाहता हूं। मैंने तो जो श्री रघुवीर सिंह कादियान जी ने नाम लिया कि एक लोकदल का राजनेता था उस बारे में मैं यह कहना चाहता हूं कि अगर वह राजनेता उसमें शामिल था तो उस वक्त उसके खिलाफ 302 का मुकद्दमा दर्ज क्यों नहीं किया गया? जिस तरह से पीछे इन्होंने मेरे खिलाफ एक पर्चा दर्ज किया और बड़ा प्रयास किया गया कि किसी तरह से मुझे फंसा लिया जाए लेकिन आपकी पुलिस ने उस केस में यह लिखकर दिया कि अभय सिंह चौटाला की इस केस में कोई इन्वोल्वमैंट नहीं है। ये माननीय साथी इस बारे में चर्चा क्यों नहीं करते।

श्री अध्यक्ष : यह तो आप अच्छी बात कह रहे हैं। यह तो इनके पक्ष की ही बात कह रहे हैं। यह तो अच्छी बात है कि आपके खिलाफ वह केस झूठा पाया गया।

Shri Randeep Singh Surjewala : Sir, if there is no CBI Report, then my learned friend should withdraw the allegation.

Mr. Speaker : Abhey Singh Ji, either you produce the report or withdraw the allegation.

Shri Randeep Singh Surjewala : Sir, he should withdraw the allegation. We should act responsibly. It is recorded here. 'One must not either enter in Assembly Hall or one must speak there with all the righteousness for one who does not speak or one who speak falsely does involve himself in the equal sin.'

Mr. Speaker : Alright, there is no CBI Report.

Shri Anand Singh Dangi : Speaker Sir, terms of reference are as follows :—

> "The circumstances immediately preceding and resulting in the death, during the night of 16th & 17th May, 1990, of Shri Amir Singh one of the candidates in the by-election in Haryana Legislative Assembly from Meham Constituency.
>
> Answer : The action and circumstances around Mr. Chautala and his men resulted in the death, during the night of 16th and

17th May, 1990, of Shri Amir Singh one of the candidates in the by-election in Haryana Legislative Assembly from Meham Constituency."

यह इलैक्शन कमीशन ने फस्ट रैफरैंस के answer में दिया है।

श्री अभय सिंह चौटाला : अध्यक्ष महोदय, अमीरचंद हत्याकांड मामले में सी.बी.आई. की इन्कवायरी हुई थी। इन्कवायरी न हुई हो तो दांगी साहब बता दें और पूरा हाउस बता दे। (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : अभय सिंह जी, आप जो यह कह रहे हैं कि इस मामले में सी.बी.आई. इन्कवायरी हुई थी और उस इन्कवायरी में आपको एग्जोनरेट कर दिया गया था तो Where is that report?

श्री अभय सिंह चौटाला : अध्यक्ष महोदय, यह रिपोर्ट आप मंगवाओ। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : यह बात आप कह रहे हैं इसलिए यह रिपोर्ट आप यहां लाओ।

Shri Anand Singh Dangi : Speaker Sir, Sakia Commission was deputed by the order of Hon'ble Supreme Court. उसमें सी.बी.आई. इलैक्शन कमीशन को असिसट कर रही थी। यह रिपोर्ट सी.बी.आई. और इलैक्शन कमीशन दोनों ने मिलकर दी हुई है। (विघ्न)

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात दुरूस्त करना चाहता हूं कि महम कांड जो हुआ था उस पर उस समय के प्रधानमंत्री ने होम मिनिस्ट्री के आर्डर्ज से 24 जुलाई 1990 को सुप्रीम कोर्ट के एक जज माननीय Justice Sakia की अध्यक्षता में Meham enquiry Commission का गठन किया गया था। It was done under the Commission of Inquiry Act like a Court. It took evidence and arrived at a certain finding. That finding is incontrovertible and we all have a copy of the report. I am sure, my Ld. Friends would have also seen that report. They went and deposed before the Commission also. It is not as if they did not depose. Chaudhary Om Parkash Chautala was the then Chief Minister. Everybody deposed before the Commission. The findings of the report are incontrovertible and clear and Dangi Sahib has already read out but if they want, I can just read the last concluding lines of the report of the Commission. I quote—"The Commission has already discussed the behaviour of Mr. Ajay Singh and Mr. Chautala viz-a-viz the death of Shri Amir Singh. Mr. Chautala did not show any concern at Shri Amir Singh's death. His only question to Partap was as to when cremation would take place. His first utterance. according to Mr. Tomar was election is no more "No question out of curiosity as to how Amir Singh's dead body could be there was asked." Then he says several independent and disinterested witnesses deposed that Mr. Chautala's design to get the May, 1990 by-election Countered manded was fulfilled by the murder of Amir Singh and the finding of the dead body at Mundhal resulted in the jurisdiction of the case

[श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला]
being vested in S.P., Bhiwani Mr. K.S. Tommar, who was a confident of Mr. Chautala. in paragraph 6.9, the prevalence of an apprehension of a candidate being murdered and the by-election countermanded is discussed. "There was nobody to deny the same so the Commission therefore, reasonable arrives at a finding that the actions of and circumstances around Mr. Chautala and his men resulted in the death of Shri Amir Singh during the fateful night." Sir, this is a very precise indictment and a finding.

डॉ० रघुवीर सिंह कादियान : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके सामने बता रहा था कि यहां से बाहर मंच पर सभी बड़े-बड़े भाषण देते हैं कि उस पार्टी की कांस्पेरेसी है, उस पार्टी की कांस्पेरेसी है। आज हरियाणा में झूठ की राजनीति चल रही है। मैं आन दि फ्लोर आफ दि हाउस दावे के साथ कह सकता हूं कि एक छोटे से वर्कर के खिलाफ चाहे वह किसी भी पार्टी का हो, एक भी मुकद्दमा मुख्यमंत्री के कार्यकाल में दायर नहीं हुआ। (विघ्न)

श्री आनन्द सिंह दांगी : यह तो मुख्यमंत्री जी की भलीमानसी है कि भेदभावपूर्ण कार्यवाही किसी के प्रति नहीं की है, अदरवाईज बहुत से लोग जेल में सड़ते। (शोर एवं व्यवधान) लेकिन हमारे मुख्यमंत्री जी किसी के प्रति दुर्भावना नहीं रखते। हमारे मुख्यमंत्री जी प्रदेश में अमन-चैन और भाईचारे को बनाकर विकास देना चाहते हैं। (शोर एवं व्यवधान)

मुख्यमंत्री (श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा) : अध्यक्ष महोदय, यह सदन की गरिमा नहीं है जिस प्रकार का व्यवहार विपक्ष के साथी कर रहे हैं। (शोर एवं व्यवधान) You should warn him. (शोर एवं व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, यह कोई तरीका हुआ? (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : प्लीज, आप सभी बैठिये। (शोर एवं व्यवधान) दांगी साहब, प्लीज आप भी बैठिये। (शोर एवं व्यवधान)

श्री आनन्द सिंह दांगी : अध्यक्ष महोदय, मैंने कौन सी गलत बात कही है।

श्री अध्यक्ष : प्लीज आप बैठिये। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अशोक कुमार अरोड़ा : अध्यक्ष महोदय, * * *

श्री अभय सिंह चौटाला : अध्यक्ष महोदय, * * *

श्री आनन्द सिंह दांगी : अध्यक्ष महोदय, * * * (शोर एवं व्यवधान)

Mr. Speaker : Nothing is to be recorded.

श्री आनन्द सिंह दांगी : अध्यक्ष महोदय, चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुड्डा जी ने बिना किसी दुर्भावना के अमन-चैन के साथ पूरे प्रदेश के एक-एक चप्पे का विकास किया है। (शोर एवं व्यवधान)

---

*चेयर के आदेशानुसार रिकॉर्ड नहीं किया गया।

डॉ० रघुवीर सिंह कादियान : अध्यक्ष महोदय, यह हमारे मुख्यमंत्री जी की शराफत ही है। यदि ये भी उसी तरीके से काम करते तो जो लोग आज राज काज की लड़ाई लड़ रहे हैं उन्हें कोर्ट्स से ही फुर्सत नहीं मिलती। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : अरोड़ा जी, क्या यह सदन का चलन हो रहा है? (शोर एवं व्यवधान) Please tell your Members.

श्री अशोक कुमार अरोड़ा : अध्यक्ष महोदय, यह किसने शुरूआत की है? (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : क्या लीडर ऑफ दी हाउस के लिए इस तरह की लैंगवेज यूज करना अच्छी बात है? (शोर एवं व्यवधान) It is not good. (Interruption)

श्री अभय सिंह चौटाला : अध्यक्ष महोदय, मेरे खिलाफ मुकद्दमा दर्ज किया गया। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आपके खिलाफ मुकद्दमा दर्ज होने के बाद कोई भी कार्यवाही नहीं की गई क्योंकि आपको दोषी नहीं पाया गया। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अभय सिंह चौटाला : अध्यक्ष महोदय, फिर मुकद्दमा क्यों दर्ज किया गया?

श्री अध्यक्ष : मुकद्दमा तो कोई भी दर्ज करवा सकता है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री आनन्द सिंह दांगी : अध्यक्ष महोदय, हम यह कहना चाह रहे हैं कि हमारे मुख्यमंत्री जी ने बदले की भावना से कोई कार्यवाही नहीं की। (शोर एवं व्यवधान)

वित्त मंत्री (सरदार हरमोहिन्द्र सिंह चट्ठा) : अध्यक्ष महोदय, मैं बड़े गौर से पिछले 2 घंटे से देख रहा हूं कि अपोजीशन के साथी इस तरह से उठते हैं जैसे सारे के सारों ने आकर खा जाना है। मेरी प्रार्थना यह है कि they must beheave like an opposition. अपोजीशन को कैसे काम करना चाहिए और किस तरह का बिहेव सदन में करना चाहिए they must know it. I know they know it but they do not want to do it. डाक्टर साहब का आधा टाईम तो अपोजीशन वाले ले गये। जब भी डाक्टर साहब बोलना शुरू करते हैं अपोजीशन के साथी खड़े हो जाते हैं। (शोर एवं व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, अब आप देख लो यह कोई तरीका नहीं है। It is unfortunate that Opposition is beheaving like this.

Mr. Speaker : It is rather unfortunate. Dr. Sahib, you may please continue.

डॉ० रघुवीर सिंह कादियान : अध्यक्ष महोदय, एक जमाना था जब राजनीतिक दुर्भावना के तहत लोगों के खिलाफ कार्यवाही की जाती थी। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : प्लीज आप सभी बैठें। डाक्टर साहब, जो कह रहे हैं वह सुनिये उसके बाद आपने जो कहना है वह कह देना। (शोर एवं व्यवधान)

डॉ० रघुवीर सिंह कादियान : अध्यक्ष महोदय, उस समय दांगी साहब के खिलाफ गलत

[डॉ० रघुवीर सिंह कादियान]
मुकद्मा दर्ज किया गया। इसके अतिरिक्त जिंदल साहब के संबंधी सेठ श्री किशन दास के खिलाफ मुकद्दमा दर्ज किया गया जो कि 80 वर्ष के थे। इसी तरह से राजनैतिक दुर्भावना के तहत तेजेन्द्र मान, गणेशी लाल, आजाद मुहम्मद आदि के खिलाफ गलत मुकदमें दर्ज किए गए। मैं यह नहीं कहना चाहता कि कितने लोग थे जो चौधरी देवी लाल की पार्टी में से थे जो उनको छोड़ कर चले गए। चौधरी बीरेन्द्र सिंह नारनौंद, रण सिंह मान, के.आर. पुनिया और बी.डी. गुप्ता इसके अतिरिक्त मास्टर हुकम सिंह कहता था कि मैं तो डमी का भी डमी हूं। इसके अतिरिक्त खुर्शीद अहमद, तैयब हुसैन, हरी सिंह सैनी, बलबीर सैनी, कैलाशो सैनी, धर्मबीर सोहना और नर सिंह डांढा आदि भी इस पार्टी को छोड़ कर चले गए। इनके अलावा श्री सतबीर सिंह कादियान और श्री कृष्ण हुड्डा, पानीपत से श्री राठी और श्री भाग सिंह अम्बाला से श्री बी.डी. अन्नी जींद से, श्री जगन्नाथ, श्री मांगे राम नम्बरदार, श्री धीरपाल जी, श्री जयप्रकाश जी, इनका खुद का कुनबा डॉ० के.वी. सिंह जी (शोर एवं व्यवधान), भाई रणजीत सिंह भी छोड़ कर चले गए।

श्री अध्यक्ष : इलियास जी, आप कृपया करके चुप बैठिए। एक ऑनरेबल मैम्बर बोल रहे हैं आप कृपया उनको बोलने दीजिए। Yes, Mr. Kadian you may please continue.

डॉ० रघुवीर सिंह कादियान : स्पीकर सर, मुझे एक मिसाल याद आ गई। एक रेहड़ा था जो कि रोहतक से झज्जर जा रहा था। जो भी उसको पूछता कि कहां जा रहा है। तो वह कहता कि झज्जर जा रहा हूं। उसमें हमारे जैसे बहुत से आदमी बैठ लिये। जब उसमें पूरी टीम बैठ गई तो उसने क्या करना शुरू किया कि एक-एक को उठाये और नीचे डाल दे। इस प्रकार से वह रेहड़ा बिल्कुल खाली हो गया। मैं विपक्ष के साथियों से यह कहना चाहता हूं कि ऐसा ही उनके साथ भी होने वाला है। इनको यह बात ध्यान रखनी चाहिए। इनमें से यहां पर कोई नहीं रहेगा। स्पीकर सर, आखिर में मैं भगवद् गीता का एक श्लोक यहां बोलना चाहता हूं –

कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन,
मा कर्मफल दे तुरये मां सतिकर्मण्ये।

तो Sustainable development of the State मुख्यमंत्री जी, चलते रहो तीसरी बार आपको मुख्यमंत्री बनने से कोई रोक नहीं सकता। आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया स्पीकर सर, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

चौ० आफताब अहमद (नूंह) : स्पीकर सर, जो प्रस्ताव माननीय डॉ. रघुवीर सिंह कादियान ने महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर रखा है मैं उस प्रस्ताव का समर्थन करने के लिए यहां खड़ा हुआ हूं। सर, किसी भी राज्य की जो वित्तीय हालत होती है वह उस प्रदेश की आर्थिक प्रगति के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होती है मैं सबसे पहले माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा को मुबारकबाद देता हूं कि हरियाणा हिन्दुस्तान में वित्तीय संसाधन के प्रबन्धन में जो भी 11वीं पंचवर्षीय योजना है या जो भी ग्रोस

डोमैस्टिक प्रोडक्ट के ऊपर अर्थव्यवस्था में जो भी मानदण्ड रखे जाते हैं, उन पर खरा उतरते हुए और उस पर अपने संसाधनों को जुटाने के लिए हरियाणा सरकार के जो प्रयास रहे हैं। उसमें हरियाणा के लोगों से, हरियाणा के व्यापारियों से और हरियाणा प्रदेश के अर्थ जगत लोगों से आज जो समर्थन मिल रहा है और जिस तरीके से हरियाणा पूंजी निवेश में वर्ष 2005 के बाद वैश्विक मंदी और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अस्थिरता के बावजूद भी राज्य में 61 हजार करोड़ रुपये का निवेश हुआ है जो अपने आप में इस बात को दर्शाता है कि किस प्रकार से इंनवैस्टर का और इस प्रदेश की व्यवस्था में लोगों का विश्वास बहाल हुआ है। इसके अलावा 97 हजार करोड़ रुपये का निवेश अभी भी पाईपलाईन में है जिसके आगे चलकर आने से राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी वह अपने आप में तारीफ के काबिल है। जहां तक एक्सपोर्ट की बात है वर्ष 2010-11 में 48500 करोड़ रुपये का एक्सपोर्ट हुआ है जो कि 2011-12 में बढ़कर 54961 करोड़ रुपये हो गया है। यह वृद्धि 13 प्रतिशत की है। यह अपने आप में यह दर्शाता है कि किस तरीके से प्रदेश की अर्थव्यवस्था और प्रदेश के वित्तीय संसाधनों का प्रबन्धन किया जा रहा है। इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुड्डा और उनके सभी साथियों को मुबारकबाद देता हूं कि उन्होंने आज ऐसी वैश्विक मंदी और अस्थिरता के बावजूद भी अपने प्रदेश की वित्तीय स्थिति को मजबूत रखा है। इसके साथ-साथ अभी डॉ. कादियान के प्रस्ताव में भूमि अधिग्रहण पर सवाल उठ रहे थे कि क्या यह किसान हितैषी सरकार है। हमारे एरिया में कुण्डली-मानेसर-पलवल एक्सप्रैस हाईवे के लिए जमीन का अधिग्रहण होना था। उसमें हमारे से पहले की जो सरकार थी और उसने जो अधिग्रहण किया था, उस अधिग्रहण में 5-6 जिलों के किसानों की जमीन अधिगृहीत की गई थी। उस समय उनके हिसाब से जो भूमि अधिग्रहण की कीमत आंकी गई थी उसमें किसानों को सिर्फ 150 करोड़ रुपया मिलना था। चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुड्डा के मुख्यमंत्री बनने के बाद एक ही फैसले के बाद कुण्डली-मानेसर-पलवल एक्सप्रैस हाईवे के लिए अधिगृहीत जमीन के लिए मुआवजा 150 करोड़ रुपये से बढ़कर 650 करोड़ रुपये हुआ था जो कि अपने आप में दर्शाता है कि किसान हितैषी किसे कहा जाता है और किस तरीके से किसान को फायदा पहुंचाया जा सकता हैं इसके साथ-साथ हरियाणा में अभी मुख्यमंत्री चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में आरक्षण की जो नीति बनाई गई है उसके बारे में भी मैं बताना चाहूंगा। पिछड़ा वर्ग आयोग की सिफारियों के अनुसार पांच जातियों के लिए सरकार/सरकारी उपक्रमों और स्थानीय निकायों के ग्रुप सी और डी के पदों में 10 प्रतिशत का आरक्षण दिया गया और ग्रुप ए और बी के पदों में 4 प्रतिशत का आरक्षण देने का निर्णय किया है। यह एक सराहनीय कदम है और मैं समझता हूं कि इससे समाज में असमानता कम होगी। आरक्षण के आधार पर सवाल उठते थे कि कुछ वर्ग ऐसे हैं कि जिनको आरक्षण की जरूरत रहती है। उनको आरक्षण देकर मुख्यमंत्री ने यह दोहराया कि जो उन मापदण्डों पर खरे उतरते हैं वे आरक्षण का लाभ उठाकर नौकरियां प्राप्त कर सकेंगे। इसी के साथ-साथ सरकार ने राज्य की सामान्य जातियों के आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों के लिए सरकारी/सरकारी उपक्रमों और स्थानीय निकायों के ग्रुप सी और डी के पदों में 10 प्रतिशत और ग्रुप ए और बी के पदों में 4 प्रतिशत आरक्षण देने का निर्णय भी लिया है वह भी अपने आप में सराहनीय कदम है जिससे कि समाज के सभी वर्गों को आगे बढ़ने के अवसर

[चौ० आफताब अहमद]
मिलेंगे। इसमें नौकरियों के अलावा शैक्षणिक संस्थानों में भी प्रवेश के लिए आरक्षण प्रदान किया गया है। इस प्रकार से जिन जातियों को आरक्षण की मांग हमेशा से उठती रही है, उन जातियों को आरक्षण देने का काम चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुड्डा की सरकार ने किया है। इसी के साथ-साथ सहकारिता हरियाणा की अर्थव्यवस्था में बहुत अहम भूमिका निभाती है। हरियाणा में सहकारी उपक्रम हमेशा से बहुत लाभकारी रहा है। चाहे वह किसान व मजदूरों के लिए रहा हो, चाहे अन्य वर्गों के लिए रहा हो। हमें यह बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि हरियाणा देश का पहला राज्य है जिसने किसानों को फसली ऋण 4 परसेंट ब्याज दर पर दिया है। उसके बाद देश के अन्य राज्यों ने भी हमारा अनुसरण किया है। (विघ्न)

श्री सुभाष चौधरी : अध्यक्ष महोदय, * * *

Mr. Speaker : Nothing is to be recorded. चौधरी साहब, आप कुछ भी बोलते रहते हैं।

श्री सुभाष चौधरी : अध्यक्ष महोदय, आप मेरी बात सुनते ही नहीं हैं। (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : पहले तो आप अपनी सीट पर जाईये। उसके बाद हाथ उठाइये और बोलने के लिए पूछिये। (विघ्न)

श्री सुभाष चौधरी : सर, अभी अभी कह रहे थे कि हरियाणा में कोऑपरेटिव बैंक में एक बहुत अच्छा वर्कर आया हैं फरीदाबाद सैंट्रल कोऑपरेटिव बैंक में भर्ती खुली हुई है और वहां पर सैंकड़ों भर्तियां हो रही हैं जबकि हरियाणा सरकार ने सन् 2006 से भर्तियां बंद कर रखी है। भर्ती बंद होने के बाद भी वहां सैंकड़ों आदमी भर्ती हो गए। पूर्व विधायक का भाई उस कोऑप्रेटिव बैंक का चेयरमैन है और उसने वहां भर्ती की है। अध्यक्ष जी, क्या उनके खिलाफ मुकद्दमा दर्ज करवाकर कोई कार्यवाही की जाएगी?

Mr. Speaker : It is not a point of order.

चौ० आफताब अहमद : सर, मैं सहकारिता विभाग से किसानों के लिए और मजदूरों के लिए जो ब्याज दर है उसके बारे में बता रहा था (शोर एवं व्यवधान)

Mr. Speaker : Please let him continue. (Interruption). Carry on Mr. Aftab, why do you stop?

चौ० आफताब अहमद : स्पीकर सर, ये लोग अगर किसी चीज की सराहना नहीं कर सकते तो कम से कम तथ्यों को तो मान लेना चाहिए। (शोर एवं व्यवधान)

Mr. Speaker : Aftab ji, you have five minutes more. Say anything you want to say. (interruption)

---

*चेयर के आदेशानुसार रिकॉर्ड नहीं किया गया।

चौ० आफताब अहमद : सर, सिंचाई के पानी के लिए एस.वाई.एल. और हांसी बुटाना लिंक नहर के पानी के समान बंटवारे की चर्चा की गई। हमारे जैसे इलाकों के लिए जहां पानी की सबसे ज्यादा आवश्यकता है इसकी भी चर्चा की गई। उसके लिए हम यही उम्मीद करेंगे कि सिंचाई के लिए सरकार का जो प्रयास है, वचनबद्धता है, जो राज्यपाल महोदय ने अपने सम्बोधन में दर्शायी है उसके लिए हम उनका धन्यवाद करते हैं। (शोर एवं व्यवधान) सर, इसके साथ-साथ बिजली विकास की जीवन रेखा हैं हरियाणा बनने के बाद सन् 1966 से बिजली की निरन्तर मांग तो बढ़ती रही लेकिन उसके साथ-साथ पहले की किसी भी सरकार ने इस ओर ध्यान नहीं दिया कि बिजली की पूर्ति के लिए बिजली के कारखाने लगाये जाएं, जिससे बिजली की बढ़ती मांग की पूर्ति की जा सके लेकिन इस सरकार द्वारा स्थापित किए जा रहे सभी बिजली के कारखाने जो जगह-जगह पर काम करने शुरू कर चुके हैं और आगे चलकर जो काम करने लगेंगे उससे हरियाणा प्रदेश की बिजली की उत्पादकता को मजबूती मिलेगी। इससे किसानों को और प्रदेशवासियों की जो बिजली की आवश्यकता है वह पूरी होगी। इसी के साथ-साथ पहली बार 500 करोड़ रुपये की लागत से जनवरी 2013 से जो एक विशेष अभियान के तहत गांवों के बिजली वितरण में लाईन बदलने का कार्य किया है वह अपने आप में सराहनीय है। इसके क्रियान्वयन होने से बिजली की क्वालिटी और बिजली की जो व्यवस्था है उसको मजबूती मिलेगी। इसके साथ-साथ ग्रामीण विकास में मनरेगा के तहत 200 करोड़ रुपये से ज्यादा के कार्य करवाए गए। उससे महिलाओं को एवं अनुसूचित जातियों को ऐसा लाभ मिला जिसकी वजह से मानव दिवस सृजित किए गए जिससे इनको रोजगार उपलब्ध हुआ। (शोर एवं व्यवधान)

Mr. Speaker : No running commentary, please, Aftab ji has to conclude in two minutes and after that your leader will speak.

चौ० आफताब अहमद : स्पीकर सर, इसके साथ-साथ शिक्षा एक ऐसा बिन्दु है जिसके बिना कोई भी समाज और कोई भी प्रदेश तरक्की नहीं कर सकता। इसमें बच्चों को शिक्षा के अधिकार का प्रावधान किया गया। जितनी भी आज तक सरकारें आई किसी ने भी मेरे इलाके की शिक्षा के प्रति ध्यान नहीं दिया। सर, मैं तो अपने ही इलाके की कह सकता हूं जो शैक्षणिक तौर से काफी पिछड़ा इलाका है। उसके लिए सरकार का मेवात कैडर अलग से सृजित करना अपने आप में सराहनीय कार्य है और बहुत जल्दी उसके परिणाम भी सामने आने लगेंगे। इसी तरह हरियाणा स्कूल अध्यापक चयन बोर्ड ने 9870 प्राथमिक स्कूल अध्यापक और लगभग 14000 स्नातकोत्तर अध्यापकों की भर्ती प्रक्रिया शुरू की है। क्योंकि हरियाणा की राजनीति में अध्यापकों की भर्ती की वजह से काफी उतार चढ़ाव आ रहे हैं इसलिए उसकी वजह से बोर्ड का गठन करना अपने आप में एक ऐसा कार्य है जिससे पारदर्शिता भी रहेगी और आगे आने वाले समय में अध्यापकों की कमी को जल्दी दूर किया जायेगा।

श्रीमती अनीता यादव : आफताब जी, जो आपने अध्यापकों की भर्ती में उतार-चढ़ाव की बात कही है उसे आपने अच्छी तरह एक्सप्लेन नहीं किया है?

चौ० आफताब अहमद : मैडम, मेरा उतार-चढ़ाव शब्द का प्रयोग करने का मतलब यही है कि अध्यापकों की भर्ती की वजह से ही हमारे कुछ प्रदेश के कुछ नेता अदालतों में निर्णय के बाद आज जेल में बंद हैं। (शोर एवं व्यवधान) सर, मेरे कहने का आशय यही है कि अध्यापकों की भर्ती में पारदर्शिता होनी चाहिए और उसमें इस चीज के लिए ..... (शोर एवं व्यवधान) मैं तो शिक्षा विभाग में अध्यापकों की भर्ती की प्रक्रिया की बात कर रहा हूं। (शोर एवं व्यवधान) इसी तरह स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा में जो बदलाव आज हरियाणा प्रदेश में हुए हैं उससे हरियाणा प्रदेश के ग्रामीणों को और शहरियों को जो इसका फायदा हुआ है वह भी अपने आप में एक सराहनीय कदम है। आज भी लाखों लोग हरियाणा की मुफ्त चिकित्सा योजनाओं का भरपूर फायदा उठा रहे हैं। डॉक्टरों की कमी को पूरा करने के लिए विशेषतौर पर जो चार-चार नये मैडीकल कॉलेज सृजित किये गये हैं उनमें खानपुर कलां मैडीकल कॉलेज भी शामिल है जिसमें एडमिशंज शुरू हो चुके हैं। हमारे इलाके में भी एक बहुत बड़ा शहीद हसन खां मेवाती मैडीकल कॉलेज बनकर तैयार हो चुका है जिसमें लाखों लोग चिकित्सा सुविधाओं का फायदा उठा रहे हैं और हमें उम्मीद है कि बहुत जल्द इस कालेज में एडमिशंज शुरू हो जायेंगे और अपने बच्चों को डॉक्टर बनाने का लोगों का सपना पूरा हो सकेगा, जिसकी वजह से जो हरियाणा में डॉक्टर्ज की कमी है उसे काफी हद तक दूर करने में फायदा होगा। इसी तरीके से कल्पना चावला मैडीकल कॉलेज, करनाल पर भी कार्य शुरू होने जा रहा है और ई.एस.आई. फरीदाबाद में भी यह स्थापित किया जा रहा है। इसके बाद मैं पेयजल एवं स्वच्छता के ऊपर भी अपने विचार रखना चाहूंगा। हरियाणा के मेवात क्षेत्र में पेयजल व्यवस्था न के बराबर होती थी जिसकी वजह से लोगों को पीने का पानी मुहैया नहीं हो पाता था। अब इस मेवात क्षेत्र में 300 करोड़ रुपये की लागत से 245 गांवों के अंदर राजीव गांधी पेयजल संवर्धन परियोजना क्रियान्वित की जा चुकी हैं 258 गांवों में रेनीवेल सैगमैंट के तहत पानी पहुंचाया गया है और ट्यूबवैल सैगमैंट के तहत 245 गांवों में पानी पहुंचाने का कार्य शुरू हो चुका है जोकि अपने आप में एक सराहनीय कार्य है। इसी तरीके से रिवाड़ी, महेन्द्रगढ़, भिवानी और अंबाला शहर में भी पीने के पानी की सुविधाओं को मजबूत करने की जो परियोजनाएं स्वीकृत कर दी गई हैं वह भी सरकार द्वारा गया एक सराहनीय कदम है। आज की परिस्थितियों में इस तरह के पग उठाये जाने की बहुत आवश्यकता थी। इसी तरके से शहरी विकास में चाहे वह मैट्रो रेल की बात हो, चाहे अन्य सुविधाओं की बात हो, आज हाउस ने भी एक रिजोल्यूशन पास करके प्रधानमंत्री जी और रेल मंत्री जी का जो धन्यवाद किया है उस संबंध में मैं सदन को बताना चाहता हूं कि हमारे मेवात क्षेत्र में रेलवे लिंक एक दशकों पुरानी मांग रही है। दिल्ली के नजदीक होने के बावजूद भी हमारा क्षेत्र रेलवे लिंक से वंचित रहा लेकिन आज पवन बंसल जी ने जो रेल बजट की घोषणा की है हम उसका स्वागत करते हैं तथा यह इच्छा भी करते हैं कि बहुत जल्दी हमारे इलाके में भी रेल परियोजनाओं का विस्तार होगा और हमारे इलाके को भी इस रेल बजट से अपना हिस्सा मिलेगा। हरियाणा में रेल कोच फैक्टरी की स्थापना करना अपने आप में एक ऐसा कदम है जिससे आने वाले समय में हजारों रोजगार सृजित होंगे तथा हरियाणा कि रेलवे की डिवैल्पमैंट के लिए मैप में भी कहीं हमारे क्षेत्र का हिस्सा और योगदान होगा। (शोर एवं व्यवधान) इसी के साथ-साथ जनहितैषी नीतियां और प्रभावी कार्य संस्कृति के

चलते हरियाणा के मुख्यमंत्री जी ने जो एक पोलिटिकल कल्चर हरियाणा में डिवैल्प करके एक ऐसा पोलिटिकल एटमोसफियर दिया है, उसकी वजह से न आज प्रदेश में भय है और न ही आतंक है। (इस समय मेजें थपथपाई गई).....(शोर एवं व्यवधान)

18.00 बजे

श्री रामपाल माजरा : अध्यक्ष महोदय, इन्होंने बैंक की जमीन पहले अपनी धरवाली के नाम पर करवा ली और मूटेशन उतरवाये बगैर अपने नाम करवा गए।

चौ० आफताब अहमद : अध्यक्ष महोदय, इस राजनीतिक परिवेश को बदलने के लिए मैं मुख्यमंत्री चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुड्डा जी को बधाई और धन्यवाद देना चाहता हूं। एक ऐसा समय भी था जब न राजनीतिक व्यवस्था थी और सारे फैसले द्वेष भावना से किए जाते थे। (शोर एवं व्यवधान) यह सब कुछ मापने में चुनाव ही हरियाणा की राजनीति में सबसे बड़ा मापदण्ड होता है। हरियाणा में पिछले 2004 के चुनाव में हरियाणा की जनता ने फैसला किया था और एक भी लोकसभा सीट इनैलो पार्टी के खाते में नहीं गई थी। (विघ्न)

श्री रामपाल माजरा : अध्यक्ष महोदय, ये पहले * * * *

श्री अध्यक्ष : माजरा जी जो बोल रहे हैं वह रिकार्ड न किया जाए।

चौ० आफताब अहमद : अध्यक्ष महोदय, 2004 के चुनाव में हरियाणा की जनता ने फैसला किया था और एक भी लोकसभा सीट इनके खाते में नहीं गई थी और 2009 के विधानसभा चुनावों में फिर से जनता ने अपना फैसला दिखाया क्योंकि हरियाणा प्रदेश की जनता इनके द्वारा दिया गया शासन काल देख चुकी थी। हरियाणा की जनता ने 2009 के लोकसभा चुनाव में भी इनको एक भी सीट नहीं दी और 2009 के विधान सभा चुनावों का जो रिजल्ट है वह भी आपके सामने ही है। लोकतंत्र में चुनाव से बड़ा कोई मापदण्ड नहीं होता है और उसमें कांग्रेस पार्टी चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में जनता की कसौटी पर खरी उतरी है। मैं यही कहना चाहूंगा कि हरियाणा में जो तरक्की हो रही है, जो विकास हो रहा है जो आर्थिक समृद्धि और विकास के पथ पर अग्रसर है, कुछ ताकतें उसको डिरेल करना चाहती हैं। समय आने पर जनता उनका भी पर्दाफाश कर देगी। पहले भी कर दिया है और आगे भी पर्दाफाश होता रहेगा। इन शब्दों के साथ में महामहिम राज्यपाल महोदय द्वारा दिये गये अभिभाषण का समर्थन करता हूं और हरियाणा की जनता की तरफ से, जो विकास की गति और विकास का पहिया चल रहा है उसके लिए मुख्यमंत्री हुड्डा जी को बधाई व धन्यवाद देता हूं और उम्मीद करता हूं कि हम इसी तरीके से विकास के पथ पर चलते रहेंगे। धन्यवाद।

श्री अशोक कुमार अरोड़ा (थानेसर) : अध्यक्ष महोदय, 22 फरवरी, 2013 को राज्यपाल महोदय ने सरकार की जो नीतियां हैं, उनके बारे में अभिभाषण यहां पढ़ा। राज्यपाल का अभिभाषण किसी भी सरकार का आइना होता है। उससे पता लगता है

---

*चेयर के आदेशानुसार रिकॉर्ड नहीं किया गया।

[श्री अशोक कुमार अरोड़ा]

कि सरकार ने क्या किया और आगे क्या करने जा रही है। इस अभिभाषण को देखकर यही लगा कि यह बिल्कुल ही नीरस है। इसमें कुछ भी नहीं दर्शाया गया है। (विघ्न) इसमें सरकार की तरफ से सबसे पहले यह दावे किए गए जैसाकि बोलते हुए कादयान साहब ने भी बड़ा जोर दिया कि हमने हरियाणा को नंबर वन बना दिया। इनके हरियाणा नंबर वन को तो हम रोज ही सुनते हैं। हरियाणा प्रदेश आज कहां पर खड़ा है? साक्षरता की जो दर है वह 76.6 है यानी कि 15वां स्थान है। इसी प्रकार से प्रति व्यक्ति आय है उसके बारे में कादयान साहब ने व उनसे पूर्व वक्ताओं ने भी कहा कि प्रति व्यक्ति आय के मामले में हरियाणा गोवा के बाद दूसरे स्थान पर है। प्रति व्यक्ति आय में जो इनकी इस साल और पिछले साल में बढ़ोतरी हुई है। स्पीकर सर, उसमें हमारा स्थान आठवें स्थान पर चला गया। दूसरी सात स्टेट्स ऐसी हैं जिनमें हमारे से ज्यादा बढ़ोतरी हुई है। जहां तक प्रति व्यक्ति आय की बात करते हैं, स्पीकर सर, मैं तो इस बात से बिल्कुल भी सहमत नहीं हूं कि जिस प्रदेश के अन्दर 21 प्रतिशत लोग गरीबी रेखा से नीचे हैं, जिनके कार्ड बने हुए हैं यानि कि देखा जाए तो टोटल नम्बर हैं उसमें से 24918310 के नाम कार्डों में दर्ज हैं उनमें से 5402956 लोग बी.पी.एल. श्रेणी में आते हैं। यानि आपकी 21 प्रतिशत जनता गरीबी रेखा से नीचे जीवन व्यतीत कर रही है प्रदेश का 37 प्रतिशत स्लम एरिया बढ़ा है जो हमारे पड़ौसी राज्य से दस प्रतिशत फालतू हो गया है। अगर इसमें चन्द लोगों को फायदा पहुंचाकर उनकी जो प्रोपर्टी बढ़ी है उसको यह कहें कि उनकी आय बढ़ी है तो मैं नहीं समझता कि इससे आप औसत निकाल सकते हैं। इसके लिए मैं यह कहना चाहूंगा कि मान लो आपकी जेब में 100 रुपये हैं और मेरी जेब में 10 रुपये हैं। अगर इसमें कुल 110 रुपये की आप औसत निकालोगे तो वह 55 प्रतिशत औसत आय निकलेगी लेकिन आपकी आय तो 100 रुपये रहेगी और मेरी आय 10 रुपये ही रहेगी। इसलिए इस प्रकार के आंकड़े सरकार को प्रस्तुत नहीं करने चाहिएं बल्कि यह बताना चाहिए कि कितने लोगों को इससे फायदा हुआ है। स्पीकर सर, दलितों पर अत्याचार के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं। बात हरियाणा नम्बर एक की बात करते हैं। प्रधानमंत्री जी ने स्वयं एक पत्र लिखकर यह कहा है कि जो दलितों के ऊपर अत्याचार के मामलों में जो न्याय होता है उसकी नेशनल औसत 30 प्रतिशत है जबकि यह बात बड़े दुख के साथ कहनी पड़ती है कि हरियाणा में यह औसत 13 प्रतिशत है जो नेशनल औसत से हमारे 17 प्रतिशत आंकड़े कम हो गया है। ये कहते हैं कि हमने हरियाणा को नम्बर एक बनाया है। इसी के साथ ही अब मैं हैल्थ के बारे में सदन को बताना चाहूंगा कि आज हरियाणा प्रदेश के अन्दर स्वाईन फलू फैल रहा है, कैंसर बहुत बुरी तरह से हरियाणा में फैल रहा है और हैपेटाईटस-सी फैल रहा है, लेकिन हरियाणा सरकार का हैल्थ के लिए जो बजट है, उसका खर्चा 3 करोड़ 29 लाख रुपये है जबकि राष्ट्रीय औसत है यह 4 करोड़ 34 लाख रुपये है। आज शिशु मृत्यु दर है उसमें हरियाणा 48 बच्चे प्रति हजार के हिसाब से बिहार के साथ 28वें स्थान पर है। इसी प्रकार मातृत्व मृत्यु दर में 153 प्रति हजार के साथ पश्चिम बंगाल के साथ 35 राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों में राष्ट्रीय औसत में हमारा प्रदेश 12वें स्थान पर चला गया है। फिर ये किस प्रकार हरियाणा नम्बर एक की बात करते हैं। इस प्रकार से तो हरियाणा के लोगों को गुमराह करने की बात करते

हैं। जहां तक प्रदेश में कानून-व्यवस्था की स्थिति की बात है, स्पीकर सर, कानून की हालत आज ऐसी हो गई है कि जो हरियाणा प्रदेश जिसको कभी हरि की भूमि कहते थे आज वह हरियाणा प्रदेश का नाम बलात्कारियों का प्रदेश के नाम से लिया जाने लगा है। कादियान साहब जी बता रहे थे कि वर्ष 2004 में जो हत्या के केस थे उनकी संख्या 733 थी जो अब बढ़कर 1126 हो गई है यानी मर्डर के अन्दर 54 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है। इसी प्रकार से बलात्कार के अन्दर संख्या 386 थी वह आज 733 हो गई है यानी 90 प्रतिशत की इन्क्रीज हुई है। इसी प्रकार से अपहरण की घटनाएं है जो पहले 423 थी वह अब बढ़कर 959 हो गई है यानी 127 प्रतिशत की इन्क्रीज हो गई है। इसी प्रकार से डकैती की घटनाएं 52 थी वह अब 167 हो गई है यानी 221 प्रतिशत की इन्क्रीज हुई है। इसी प्रकार से रोबरी की घटनाएं 244 से बढ़कर 638 यानी 162 प्रतिशत इन्क्रीज हो गई है। सेंधमारी की घटनाएं 2786 से बढ़कर 5011 हो गई यानि कि 80 परसैंट की इन्क्रीज हुई। महिलाओं के खिलाफ क्राइम की संख्या 217 से बढ़कर 408 हो गई यानि 88 परसैंट की बढ़ोतरी हुई। शिडयूल्ड कास्ट के अगेनस्ट क्राइम की संख्या 4276 से बढ़कर 5491 हुई यानि 28 परसैंट की इन्क्रीज हुई। टोटल स्टेट वाइज देखें तो 2004 में हरियाणा में टोटल क्राइम 39096 से बढ़कर 60741 हो गया यानि टोटल 55 परसैंट की इन्क्रीज हुई है। पंजाब में टोटल क्राइम की संख्या 25630 थी जो बढ़कर 34883 हो गई यानि 36 परसैंट की इन्क्रीज हुई है। हिमाचल में टोटल क्राइम 12326 से बढ़कर 14312 हो गया यानि 16 परसैंट इन्क्रीज हुआ है। दिल्ली में क्राइम माइनस 5 परसैंट इन्क्रीज हुआ है और ये सरकार कानून और व्यवस्था के दावे करती है कि हमने यह कर दिया वह कर दिया। अध्यक्ष महोदय, अभी यहां महिलाओं के ऊपर बढ़ते हुए अत्याचार के ऊपर एक कालिंग अटैंशन मोशन भी आया, लेकिन बड़े दुख की बात है कि महिलाओं के ऊपर लगातार क्राइम बढ़ते ही जा रहे हैं। महिलाओं के ऊपर क्राइम के बारे में सम्पत सिंह जी भी बात कर रहे थे कि सितम्बर, 2012 से लेकर दिसम्बर 2012 तक टोटल रेप केसिज 100 हुए तथा जनवरी और फरवरी के 50 दिनों के अंदर रेप केसिज की संख्या 115 हो गई। रेप केसिज की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। इससे भी सबक नहीं लिया गया और एस.सी/एस.टी. के चेयरमैन मिस्टर पुनिया यहां आकर कहते हैं कि बलात्कार की घटनाएं बढ़ती जा रही है और यह देश बलात्कारियों का देश हो गया है। दिल्ली की घटना के बाद लोगों में बहुत ज्यादा भय फैल गया है। कुरूक्षेत्र में स्वीटी नाम की लड़की से रेप हुआ और उसके बाद उसकी हत्या हो गई। आज वह दलित परिवार इतना डरा हुआ है कि वह कुरुक्षेत्र छोड़कर दिल्ली रहने के लिए चला गया है। यह हरियाणा प्रदेश में लॉ एण्ड आर्डर की स्थिति है। अध्यक्ष महोदय, इसी प्रकार आज हरियाणा के अंदर एक काम बहुत जोरों पर है कि किसानों की जमीन किस प्रकार हड़पी जाए। किसानों की जमीन हड़पने के नाम पर इन्होंने 2004 से अब तक 21000 एकड़ जमीन की सी.एल.यू. दे दी। मेरी नॉलेज के हिसाब से तो जमीन हड़पने के नाम पर हमारा हरियाणा प्रदेश पूरे देश में नम्बर एक पर है जहां 21000 एकड़ जमीन की सी.एल.यू. दे दी गई। यहां दफा 4 के नोटिस होते हैं। दफा 6 के नोटिस होते हैं और अवार्ड हो जाते हैं, अवार्ड के बाद जमीन बिल्डर्ज खरीद लेते हैं और सरकार उसको छोड़ने का काम करती है। किसान आंदोलन पर बैठते हैं तो उनकी कोई बात नहीं सुनता। कुरुक्षेत्र के अंदर सुन्दरपुर गांव के साथ लगती जमीन का

[श्री अशोक कुमार अरोड़ा]
दफा 4 का और दफा 6 का नोटिस हो गया। जिन किसानों ने बिल्डर्ज को जमीन बेच दी, उन किसानों की जमीन रिलीज कर दी गई (विघ्न)

श्री नरेश कुमार शर्मा : अध्यक्ष महोदय, हम भी हरियाणा के नागरिक हैं और कुरुक्षेत्र हरियाणा का पार्ट है और कुरुक्षेत्र हमारी देव भूमि है। ये अनावश्यक हाउस को मिसलीड कर रहे हैं और बड़े-बड़े * * * * बोल रहे हैं। गवर्नमैंट ने जमीन की सी.एल.यू. ही तो की है कोई जमीन छीनी तो नहीं है, ये लोग तो लोगों को भगाकर जमीन से बेदखल कर दिया करते थे और कब्जा कर लिया करते थे। (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : * * * * शब्द कार्यवाही से डिलीट कर दिया जाए। (शोर एवं व्यवधान) I Mr. Arora, please carry on. (Interruption)

श्री अशोक कुमार अरोड़ा : अध्यक्ष महोदय, जो मैं कह रहा था, इस बारे में हाउस की एक कमेटी बना दी जाए और वह कमेटी इन्कवायरी करे और यदि मेरी बात गलत हो तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। (शोर एवं व्यवधान)

श्री भारत भूषण बत्तरा : अध्यक्ष महोदय, जब किसी प्रदेश की तरक्की होती है तो सभी बातों का ध्यान में रखा जाता है। कितने हजार सी.एल.यू. हुए यह दर्शाता है कि हमारा प्रदेश डिवैल्पमैंट की तरफ बढ़ रहा है। सी.एल.यू. होने से नये-नये प्रोजैक्ट आ रहे हैं और इससे प्रदेश तरक्की करता है। विपक्ष यह कहे कि सी.एल.यू. क्यों कर दिए, यह गलत बात है। सी.एल.यू. से डिवैल्पमैंट होती है, कोई अनअथोराईज्ड कंस्ट्रैक्शन नहीं होती, यह बात विपक्ष के साथियों को समझ आनी चाहिए।

श्री अशोक कुमार अरोड़ा : अध्यक्ष महोदय, बत्तरा जी कह रहे हैं कि सी.एल.यू. से डिवैल्पमैंट हो रही है। यह डिवैल्पमैंट नहीं हो रही बल्कि लूट हो रही है। सी.एल.यू. के नाम पर आज जमीनों को लूटा जा रहा है।

श्री नरेश कुमार शर्मा : अध्यक्ष महोदय, पूरी दुनियां के उद्योगपति चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुड्डा जी की औद्योगिक नीति से प्रभावित हो रहे हैं और विदेशों के उद्योगपति भी हरियाणा में आकर सी.एल.यू. करवाकर उद्योग लगा रहे हैं जबकि विपक्ष की सरकार के समय में उद्योग प्रदेश से प्लायन कर रहे थे। ये लोग इण्डस्ट्रीज के आगे खाई खुदवा देते थे और इण्डस्ट्रीज को चलने नहीं दिया जाता था। इन लोगों की कथनी और करनी में फर्क है और पूरा प्रदेश इनके चरित्र और चेहरे को जानता है। उसका परिणाम भी सामने है, किसी से छिपा नहीं है।

श्री अशोक कुमार अरोड़ा : अध्यक्ष महोदय, कितनी अजीब बात हुई कि एक कंपनी को सारे कायदे-कानून तोड़कर जमीन दी जाती है। उसके बाद फाईनैंशियल कमीश्नर उस जमीन का इंतकाल रद्द कर देता है और जिस कंपनी की जमीन है उसका मालिक पार्टी

*चेयर के आदेशानुसार रिकॉर्ड नहीं किया गया।

भी नहीं बनता लेकिन सरकार अपने आप कमेटी गठित कर देती है। तीन सदस्य कमेटी गठित कर दी गई और चार डी.सीज. से रिपोर्ट मंगवा ली गई। इस बारे में सरकार बताये तो सही कि क्या करना चाहती है?

Shri Randeep Singh Surjewala : Speaker Sir, on a point of order. सर, इस बारे में माननीय साथी ने एडजर्नमैंट मोशन दिया हुआ है और कल के लिए अध्यक्ष महोदय आपने वह एडजर्नमैंट मोशन एडमिट भी किया हुआ है।

श्री अशोक कुमार अरोड़ा : अध्यक्ष महोदय, मैंने तो किसी कंपनी का नाम भी नहीं लिया है।

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : अध्यक्ष महोदय, माननीय साथी कंपनी का नाम लें, हम जवाब भी देंगे। इसमें क्या शर्म की बात है?

श्री अशोक कुमार अरोड़ा : अध्यक्ष महोदय, वह कंपनी सोनिया गांधी के दामाद वाड्रा जी की है।

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : अध्यक्ष महोदय, जो सदस्य इस सदन का मैंबर नहीं है उसका नाम यहां नहीं लेना चाहिए। अरोड़ा जी स्वयं भी अध्यक्ष रहे हैं इसलिए इनको यह बात मालूम होनी चाहिए और सदन की मर्यादाओं का उल्लंघन नहीं करना चाहिए।

श्री अशोक कुमार अरोड़ा : अध्यक्ष महोदय, मैं अपने शब्द वापिस लेता हूं और मैं कहना चाहूंगा कि इनकी पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षा के दामाद की कंपनी थी इसलिए उनको खुश करने के लिए हरियाणा प्रदेश में लूट मचाई गई। अध्यक्ष महोदय, इस प्रकार की लूट लगातार जारी है। यह लूट इस प्रकार की है जैसे एक सेठ के घर में डाका पड़ गया था और सेठ ने पुलिस को बुला लिया। एक थानेदार 4-5 सिपाही लेकर मौके पर आ गया और सेठ जी से पूछने लगा कि बताओं सेठ जी कहां से सामान उठा ले गये। सेठ जी ने अपनी तिजूरी थानेदार को दिखाई कि इसमें मेरे गिन्नी-सिक्के पड़े थे वे उठाकर ले गये। वहां पर 4-5 गिन्नी-सिक्के नीचे गिरे पड़े थे उनको थानेदार ने उठा लिया। उसके बाद थानेदार पूछने लगा कि आगे कहां से सामान गया उसके बाद सेठ ने अपने कपड़े की अलमारी दिखाई कि इसमें से कपड़े लूटकर ले गये। वहां 4-5 सूट पड़े थे वे सिपाहियों ने उठा लिये। उसके बाद थानेदार कहने लगा सेठ जी लिस्ट बनाओ कौन-कौन सा सामन लूटकर ले गये। सेठ जी ने कहा कि लिस्ट तो तब बनाऊंगा जब डाका खत्म हो जायेगा। अध्यक्ष महोदय, इसी तरह से सरकार के डाके तो लगातार जारी हैं। (शोर एवं व्यवधान)

मुख्यमंत्री (श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा) : अध्यक्ष महोदय, अरोड़ा साहब बहुत अच्छे इंसान हैं और इन्होंने अपनी सरकार के समय का तजुर्बा बताया है जो ये करते थे।

श्री अशोक कुमार अरोड़ा : अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी नहीं मौजूदा सरकार की बात बता रहा हूं।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : अध्यक्ष महोदय, उस समय जो ये बता रहे हैं इस तरह की लूट चल रही थी इसलिए लोगों ने इनको बाहर का रास्ता दिखाया। प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती।

श्री अशोक कुमार अरोड़ा : अध्यक्ष महोदय, हमारे मुख्यमंत्री जी किसान हितैषी होने की बड़ी-बड़ी बातें करते हैं कि किसानों के लिए बहुत कुछ किया है। मुख्यमंत्री जी ने एक कमेटी बनाई जिसमें मुख्यमंत्री जी की रिपोर्ट थी कि किसान की जितनी लागत आती है उसका 50 प्रतिशत प्रोफिट मिलना चाहिए। स्पीकर सर, मैं यह बात मानता हूं कि जो रेट तय करने का अधिकार है वह केन्द्र सरकार का है और स्टेट गवर्नमैंट अपनी रिकमण्डेशंज केन्द्र सरकार को भेज सकती है। परन्तु जो स्टेट के अंदर रेट बढ़ाने थे उनका अधिकार तो माननीय मुख्यमंत्री जी के पास था। जब यहां यह पढ़ा जा रहा था कि हमने गन्ने का रेट बढ़ाया तो मेरे साथी मेजें थपथपा रहे थें इस बारे में यह कहा जा रहा था कि गन्ने का रेट हमने पूरे देश में सबसे ज्यादा दे दिया है। अगर आज हम गन्ने के रेट की बात करें तो उत्तराखण्ड और उत्तर प्रदेश में गन्ने का रेट हरियाणा से ज्यादा है। मुख्यमंत्री जी ने कम से कम अपने जो रेट हैं उसके हिसाब से तो किसानों को 50 परसैंट प्रॉफिट देकर उनका फायदा किया होता जो कि उनकी मांग थी। (शोर एवं व्यवधान) स्पीकर सर, मैं एक बात और आपके सामने रखना चाहूंगा कि आज किसान की हर फसल के लिए लागत मूल्य लगातार बढ़ते जा रहे हैं। डीजल का मूल्य लगातार बढ़ रहा है, खाद, बीज और दवाइयों के दाम भी निरंतर बढ़ रहे हैं। सरकार की तरफ से सपोर्ट प्राईस तय होता है। स्पीकर सर, यह बात मैं आज आपसे कहूंगा और माननीय मुख्यमंत्री जी से भी कहूंगा कि पिछले दिनों जो यह लूट किसान के साथ हुई है उसको आप देखें। मैं आज आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को कहना चाहूंगा कि पिछले दिनों किसान की जीरी की फसल मण्डियों में आई तो उसका सपोर्ट प्राईस सरकार द्वारा तय किया गया था 1280 रुपये। इस प्रकार से जीरी के परचे तो 1280 रुपये के हिसाब से काटे गये लेकिन किसान को दाम मिले 1075 रुपये, 1100 रुपये और 1115 रुपये। मेरा यह कहना है कि यह एक बहुत गम्भीर मसला है। इसमें लगभग एक हजार करोड़ रुपये की किसानों को चपत लगाने का काम किया हैं इसलिए मैं यह मांग करता हूं कि इसके ऊपर हाउस की एक कमेटी गठित की जाये जो इसकी जांच करे कि कौन लोग इसके अंदर दोषी हैं जिन्होंने किसान का पैसा दस्ती खाया है। इसलिए मैं यह चाहता हूं कि किसानों को उनकी मेहनत का पैसा ज्यादा से ज्यादा मिलना चाहिए। स्पीकर सर, कल ही मैं माननीय मुख्यमंत्री जी की एडवरटाईजमैंट पढ़ रहा था कि पहले जो कानून हुआ करता था जिसमें किसानों की जमीन कुर्क हो जाया करती थी, उसको हमने बंद किया है। स्पीकर सर, आज भी कैथल और कुरुक्षेत्र के अंदर हजारों किसानों को नोटिस जारी कर दिये गये हैं कि आपकी जमीन कुर्क की जायेगी। अब इससे बड़ी बात क्या होगी? (विघ्न)

सहकारिता मंत्री (श्री सतपाल सांगवान) : स्पीकर सर, मैं इस बारे में आपके माध्यम से माननीय अरोड़ा जी को यह कहना चाहता हूं कि अगर उनके पास इस बारे में कोई नोटिफिकेशन है तो उसको हमें दिखाया जाये।

श्री अशोक कुमार अरोड़ा : स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को कहना चाहूंगा कि वे स्टेज पर जो घोषणा करते हैं नीचे उनका इम्पलीमैंटेशन नहीं होता। सरकार ने किसानों की जमीन की नीलामी के नोटिस निकाले हुए हैं इसके खिलाफ किसान एजीटेशन कर रहे हैं। ऐसा सतपाल जी से सम्बंधित सरकारी विभाग की तरफ से किया गया है।

श्री सतपाल : स्पीकर सर, जिन अधिकारियों ने यह किया था हमने उनके खिलाफ एक्शन ले लिया है। किसान की एक एकड़ भी जमीन नीलाम नहीं हुई है। अगर ऐसा कोई साबित कर दे तो मैं अभी यहां से छोड़कर अपने घर चला जाऊंगा। यहां ऐसे ही बातें करने से बात नहीं बनती। मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि हमने जमीन नीलाम नहीं होने दी है। (शोर एवं व्यवधान)

कर्नल रघबीर सिंह बाढड़ा : स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी को कहना चाहता हूं कि वे अपनी बात कहते हुए सदन की गरिमा का भी ध्यान रखें। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : रघबीर सिंह जी, क्या आपको गरिमा की बात अभी याद आई है। (शोर एवं व्यवधान) यह बात आपको पहले क्यों नहीं याद आई? (शोर एवं व्यवधान) गरिमा की बात को आप पहले भी याद दिला सकते थे।

कर्नल रघबीर सिंह बाढड़ा : स्पीकर सर, मैं तो हमेशा गरिमा में रहकर ही बात करता हूं।

श्री अध्यक्ष : रघबीर सिंह जी, मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूं। मैं तो आपको यह कह रहा हूं कि गरिमा की बात आपको अब याद आई है? जब इससे पहले यहां पर मर्यादाएं तोड़ी जा रही थी तब भी आप यह बात कह सकते थे। (शोर एवं व्यवधान) Yes Mr. Arora please continue.

श्री अशोक कुमार अरोड़ा : स्पीकर सर, बार-बार एक प्रचार किया जाता है कि हमने जो कृषि और जो कृषि से संबंधित लोन है उनके ऊपर ब्याज की दर 4 प्रतिशत निर्धारित कर दी है। सर, इस बारे में मैं यह कहना चाहता हूं कि आज भी जो खेती से जुड़े लघु उद्योग हैं उन पर 14 प्रतिशत ब्याज लिया जाता है। जो खेती से जुड़े लोन हैं उन पर आज भी 12 प्रतिशत इंट्रैस्ट लिया जाता है और प्रचार किया जाता है कि हमने खेती से जुड़े लोन पर ब्याज की दर को चार प्रतिशत निर्धारित कर दिया है।

Mr. Speaker : Yes, Hon'ble Minister please.

श्री सतपाल सांगवान : अध्यक्ष महोदय, जो किसान समय पर लोन चुकाते हैं उनको 4 परसैंट ब्याज पर ही लोन दिया जाता है। (विघ्न)

श्री अशोक कुमार अरोड़ा : अध्यक्ष महोदय, जो समय पर लोन चुकाते हैं उनको 5 परसैंट की सबसिडी दी जाती है और 14 परसैंट में से 5 परसैंट निकाल दें तो 9 परसैंट और 12 परसैंट में से 5 परसैंट निकाल दें तो 7 परसैंट रह जाता है। इतना ब्याज आज भी लिया जा रहा है। अगर इसमें कोई शक हो तो माननीय मुख्यमंत्री इसकी जांच करवा लें। (विघ्न)

श्री भारत भूषण बतरा : यह टाइम लोन एग्रीकल्चर की बात है और उस पर 4 परसैंट ही इन्ट्रैस्ट है। उससे ज्यादा किसी हालत में नहीं है। (विघ्न)

श्री अशोक कुमार अरोड़ा : अध्यक्ष महोदय, मैंने जो बात रखी है मंत्री जी उसका जवाब दे दें। (विघ्न)

Mr. Speaker : It is his own understanding and not a fact. (Interruption).

श्री सतपाल सांगवान : अध्यक्ष महोदय, जो किसान हमसे खाद के लिए, बीज के लिए था और कोई क्रॉप लोन लेता है और गुडपेई है जो टाइम पर पे करता है तो हम उससे 4 परसैंट ब्याज ही लेते हैं। (विघ्न)

श्री अशोक कुमार अरोड़ा : अध्यक्ष महोदय, मैं कह रहा हूं कि 7 परसैंट और 9 परसैंट लिया जा रहा है। (विघ्न)

श्री सतपाल : अध्यक्ष महोदय, अगर कोई विशेष केस हो तो माननीय सदस्य बता दें हम चैक करवा लेंगे। मैं कह रहा हूं गुडपेई। Do you know what is meant by good payee? (शोर एवं व्यवधान)

श्री अशोक कुमार अरोड़ा : मंत्री जी, जो गुडपेई हैं आप उनको 5 परसैंट की रियायत देते हैं परन्तु आपका रेट आफ इन्ट्रैस्ट 12 परसैंट और 14 परसैंट है। (विघ्न)

Mr. Speaker : I think the Government will clarify. आपको जो कहना है कह सकते हैं।

श्री अशोक कुमार अरोड़ा : अध्यक्ष महोदय, इसके साथ-साथ प्रदेश में जो भी मुख्यमंत्री बनता है वह पूरे प्रदेश का मुख्यमंत्री होता है। हम तो शुरू से कह रहे थे परन्तु आज इनकी पार्टी के लोग भी मुख्यमंत्री पर क्षेत्रवाद का आरोप लगा रहे हैं, क्षेत्रवाद में कितना भेदभाव होता है? (शोर एवं व्यवधान)

डॉ० रघुवीर सिंह कादियान : अध्यक्ष महोदय, कांग्रेस बहुत बड़ी पार्टी है और इसमें अलग-अलग आइडियोलॉजी के लोग रहते हैं। सिंक्रोनाईजेशन ऑफ दी थॉट्स पर हम इकट्ठे होते हैं। अगर इसमें कोई बदलाव हो तो हम किसी के हवाई जहाज में पैर नहीं तोड़ते, किसी का हाथ नहीं तोड़ते और किसी का कुछ नहीं करते। (विघ्न)

श्री अशोक कुमार अरोड़ा : अध्यक्ष महोदय, कादियान साहब कहते हैं कि बहुत बड़ी पार्टी है इसमें हर कोई अपनी बात रख सकता है। (विघ्न)

श्री नरेश कुमार शर्मा : अध्यक्ष महोदय, कांग्रेस एक राष्ट्रीय पार्टी है और इसमें अलग-अलग विचारधाराओं के लोग हैं लेकिन यहां पर किसी के पैर स्लिप नहीं होते। विधायक का पैर तोड़ दिया जाता है और वह हल्के में जाकर कहता है कि बाथरूम में पैर स्लिप हो गया। किसी का मुंह फोड़ दिया जाता है और कह दिया जाता है कि बाथरूम में स्लिप हो गया। किसी को हैलीकॉप्टर में पीटा जाता है, किसी को फार्म हाउस में पीटा जाता है। इनके समय में तो जेलों से राज चलाया जाता था। अरोड़ा जी, यह कांग्रेस पार्टी है और इसमें प्रजातंत्र का पूरा ख्याल रखा जाता हैं यह देश को स्वतंत्रता दिलाने वाली पार्टी है, राष्ट्र की धरोहर पार्टी है जिसके नेताओं ने बलिदान दिये थे। यह तुम्हारे की तरह प्राइवेट लिमिटेड पार्टी नहीं है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अशोक कुमार अरोड़ा : पिटाई तो आपकी भी होती हैं (शोर एवं व्यवधान)

श्री नरेश शर्मा : मेरी तो मेरे चाचा-ताऊ तब भी पिटाई करते थे जब मैं स्कूल नहीं जाता था और अब भी कान खींच कर कहते हैं कि अगर विपक्ष झूठ बोले तो नरेश उनकी चलने मत देना। (शोर एवं व्यवधान)

श्री आनन्द सिंह दांगी : अध्यक्ष महोदय, ये नरेश को कह रहे हैं कि तेरी पिटाई होती है। भाईचारा तो आदमी के साथ कभी भी कुछ भी कर सकता है लेकिन इनकी तरह से नहीं होता। (हंसी)

श्री नरेश शर्मा : अध्यक्ष महोदय, इनके नेता मंचों पर जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करते थे और कहते थे कि हरियाणा प्रदेश में ब्राह्मण, पंजाबी, बनिया और पाकिस्तानी लुटेरे हैं। इनका हम वोट डालने का अधिकार खत्म कर देंगे। अरोड़ा साहब उस पार्टी के विधायक हैं। (शोर एवं व्यवधान)

बैठक का समय बढ़ाना

Mr. Speaker : Is it the sense of the House that the time of the Sitting of the House be extended for ten minutes.

Voices : Yes, Sir.

Mr. Speaker : The time of the Sitting of the House is extended for ten minutes.

राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर चर्चा (पुनरारम्भण)

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : अध्यक्ष महोदय, इस प्रकार की अर्नगल और असंसदीय भाषा का इस्तेमाल सदन के अन्दर नहीं किया जा सकता। इन्होंने एक सम्मानित

[श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला]
सदस्य के अधिकार पर आक्षेप लगाया है। हमारे सम्मानित साथी ने यह कहा था कि इण्डियन नैशनल लोकदल के साथियों ने जब वह सत्ता में थे यह कहा था कि दो जातियों का नाम लेकर के बनिया और पंजाबी समुदाय को वोट का अधिकार नहीं होना चाहिए।

श्री अशोक कुमार अरोड़ा : सर, ये किस प्रकार के प्वाइंट उठा रहे हैं। ऐसा किसने कहा था ये बिना मतलब के मिस यूज कर रहे हैं। किस को कहा था? बिल्कुल नहीं कहा, वैसे ही बिना मतलब की बात करते हो। (Interruption)

Shri Randeep Singh Surjewala : Arora Sahib, I hope you are right क्योंकि वह सारी क्लीपिंग जो पीछे अभय सिंह जी और माजरा जी बैठे हैं और इनकी फोटो के साथ हम इनको दे सकते हैं उनकी मौजूदगी में कहा था वह पीछे बैठे हैं।

श्री अशोक कुमार अरोड़ा : किसी ने कुछ नहीं कहा, आप दे देना।

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : स्पीकर सर, इजाजत दें तो मैं सदन के सामने पटल पर रख दूंगा।

Mr. Speaker : Mr. Arora, please conclude.

श्री अशोक कुमार अरोड़ा : स्पीकर सर, मैं यह कह रहा था कि अब आपके सांसद राव इन्द्रजीत जी ने जो कहा (विघ्न) स्पीकर सर, ये कोई बात नहीं है यह कोई तरीका नहीं है।

श्री अध्यक्ष : अब पांच मिनट में हाउस का समय खत्म हो जाएगा। आप कल प्रकाश डालना प्लीज।

श्री अशोक कुमार अरोड़ा : स्पीकर सर, अब यह कहा जा रहा था कि हमारी तो राष्ट्रीय पार्टी है, बड़ी पार्टी है, इसमें कोई भी बोले सभी को अधिकार है अपनी बात कहने का अगर अपने क्षेत्र की बात कहने का अधिकार है तो राजपाल भूखड़ी को नोटिस क्यों दिया था? किस बात के लिए दिया था? (विघ्न) ये अखबारों में आया हुआ है? क्या यह अब भी आन्तरिक मामला रह गया।

Mr. Speaker : In five minutes you may conclude. Only five minutes are left, please conclude.

श्री अशोक कुमार अरोड़ा : स्पीकर सर, कोई अपनी बात रखना चाहे तो उसको अपनी बात करने का मौका नहीं दिया जाता।

डॉ० रघुवीर सिंह कादियान : स्पीकर सर, सदन के नेता जब इधर बैठे थे तो उस टाइम के मुख्यमंत्री जी ने ये कहा कि दो के बीच में मुख्यमंत्री कौन बनेगा तो इन्होंने जवाब दिया

कि अन्दर से बात आई कि कड़ा प्रसाद बन रहा है यह बोले। सानु की, तेरे लिए बन रहा है, बोला मेरे लिए बन रहा है, तो तवाहनू की, तो स्पीकर सर, इन्हानू की, कौन किसे नोटिस दे? कौन सी पार्टी है? आप अपने गवर्नर एड्रेस पर कन्टीन्यू करो। (noises & interruptions).

श्री अशोक कुमार अरोड़ा : स्पीकर सर, मैं यह कह रहा था कि क्षेत्रवाद को इतना बढ़ावा कर दिया गया कि मुख्यमंत्री केवल रोहतक के बनकर रह गए और जो कादियान जी बोल रहे थे स्पीकर साहब, जब ये वहां आपकी कुर्सी पर बैठते थे, स्पीकर होते हुए इन्होंने 13 क्लर्कों को भर्ती किया और 13 के 13 कलर्कों में से अगर देखोगे तो उनमें से 90% इन्होंने अपने हल्के के लगाए थे। ये तो इनका न्याय है। ये न्याय की बात करते हैं।

डॉ० रघुवीर सिंह कादियान : स्पीकर सर, मेरा प्वायंट आफ आर्डर है। सर रिकॉर्ड के लिए जो अरोड़ा जी ने बात कही है उसके उत्तर में मैं यह कहना चाहता हूं कि अगर उन 13 कर्मचारियों में से जो हरियाणा विधान सभा सचिवालय में लगाए गये हैं, उनमें मेरे हल्के से अगर 50 परसैंट आदमी सिद्ध हो जायें तो या तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा या फिर यह लोग राजनीति छोड़ देंगे। (शोर एवं व्यवधान) आज इस बात का फैसला होना चाहिए। अरोड़ा जी 90 परसैंट एक हल्के के आदमियों को लगाने की बात कर रहे हैं, यह बात सच है या झूठ। आज इस बात का फैसला हो जाना चाहिए। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : अरोड़ा जी आप अपनी बात विदड्रा कर लीजिये। (शोर एवं व्यवधान) He has withdrawn his words. Yes, he has withdrawn. (Interruption) You have withdrawn your words. Please do not expand on that.

श्री अशोक कुमार अरोड़ा : स्पीकर सर, आपके पास तो लिस्ट है आप उस लिस्ट को पढ़कर बता दो कि कहां-कहां के आदमी विधान सभा में नौकरी पर लगाये गये थे।

श्री आनन्द सिंह दांगी : कादियान जी, यदि यह इस बात को आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो आप दोनों कागज पर साइन करके दो कि यह बात झूठ हुई तो हम राजनीति छोड़ देंगे। (शोर एवं व्यवधान) जो भी झूठ बोल रहा है वह यह काम करो।

श्री अशोक कुमार अरोड़ा : मैं साइन करके क्यों दूं, मैं तो लिस्ट के हिसाब से बोल रहा हूं (शोर एवं व्यवधान) सारे आदमी कादियान जी ने अपने लगाये हैं (शोर एवं व्यवधान) इसी प्रकार स्पीकर सर, यह पंजाब केसरी की एक खबर है कि लैंड मोरगेज बैंक में 20 एल.वी.ओ. और क्लर्क लगाये गये ..... (विघ्न)

Mr. Speaker : Arora ji, please conclude your speech.

श्री अशोक कुमार अरोड़ा : स्पीकर सर, उसमें से 17 .....

श्री नरेश कुमार शर्मा : स्पीकर सर, अरोड़ा जी ने हमारे सीनियर लीडर डॉ० रघुबीर सिंह कादियान पर झूठा एलीगेशन लगाया है जो गलत साबित हो भी चुका है। जब

[श्री नरेश कुमार शर्मा]
अरोड़ा जी की पार्टी सत्ता में थी उस वक्त यू.पी. और राजस्थान के लोगों को फोरव्हीलर में भरकर हरियाणा में नौकरी पर लगाया जाता था जिसको मैं प्रूफ के साथ बता रहा हूं .... (विघ्न)

श्री अशोक कुमार अरोड़ा : स्पीकर सर, क्या ये नरेश जी का प्वायंट आफ आर्डर है? (शोर एवं व्यवधान)

श्री नरेश कुमार शर्मा : स्पीकर सर, कुरुक्षेत्र, जहां के हितों की रक्षा करना अरोड़ा जी का दायित्व है वहां पर जब 304 जे.बी.टी. की सीटों पर भर्ती हुई थी तो उसमें से 163 सीटें कहां गई थी? ..... (विघ्न)

श्री अशोक कुमार अरोड़ा : शर्मा जी, हमने तो 163 लोगों को नौकरी दे दी थी लेकिन आपने तो 63 आदमी भी नौकरी पर नहीं लगाये। (शोर एवं व्यवधान)

श्री नरेश कुमार शर्मा : स्पीकर सर, अम्बाला में 143 सीटों में से 57 कंडीडेट्स को तथा कैथल से 335 सीटों में से 224 कंडीडेट्स को नौकरियां दे दी गई थी। क्या यह लोगों के साथ अन्याय नहीं था? जब हम छोटे-छोटे थे तो यह सुना करते थे कि ''कबीरा तेरी झोंपड़ी गल कटियन के पास, अपनी करनी जायेंगे तुम क्यों भये उदास'' स्पीकर सर, मेरा आपसे एक नम्र निवेदन और है कि यहां सदन में एक कलैंडर और लगाया जाये कि ''जैसी करनी वैसी भरनी'' (इस समय मेजें थपथपाई गई) ताकि कोई भी व्यक्ति बुरा काम करने से पहले उस कलैंडर को देखे और प्रेरणा ले कि ..... (शोर एवं व्यवधान) जो किसी का हक मारता है ..... (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : शर्मा जी, आप बैठिये कल हम आपको बोलने का मौका देंगे। प्लीज आप अब कन्कलूड कीजिये।

श्री नरेश कुमार शर्मा : स्पीकर सर, उस कलैंडर के ऊपर स्पष्ट रूप से दर्शाया जाए कि जो गलत काम करता है उसकी गर्दन पर पैनी धार वाला कुल्हाड़ा रखा जाता है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : शर्मा जी, आप प्लीज बैठिये। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अशोक कुमार अरोड़ा : स्पीकर सर, ब्राह्मण पूजनीय होते हैं, लेकिन आप भी आज बिरादरीवाद में पड़ गये हैं। मेरे हिस्से का जो समय था वह भी आपने नरेश शर्मा जी को दे दिया है।

श्री अभय चौटाला : स्पीकर सर, जवाब तो मंत्री दिया करते हैं, लेकिन आप तो चुप करके इनको बोलने का मौका देते रहते हों (शोर एवं व्यवधान)

श्री अशोक कुमार अरोड़ा : स्पीकर सर, 20 क्लर्क और एल.वी.ओ. लगे 17 ..... (विघ्न) सांगवान जी मैं आपको उनकी लिस्ट दे दूंगा .....

Mr. Speaker : Hon'ble Members, no sitting commentary please.

श्री अशोक कुमार अरोड़ा : स्पीकर सर, रोहतक के अंदर 1237 कार्य घोषित किये अर्थात् 1237 कार्यों की सी.एम. अनाउंसमैंट हुई और 1082 कार्य उसमें से पूरे कर दिये गये। झज्जर में 436 की घोषणा हुई जिनमें 264 पूरे कर दिये गये, भिवानी में 415 कार्यों की घोषणा हुई जिनमें से 250 कार्य पूरे कर दिये और यमुनानगर में 43 की घोषणा हुई जिनमें 27 कार्यों को पूरा कर दिया गया। पंचकूला में 47, पानीपत में 61, इस प्रकार अगर आप कहो तो मैं सारा पढ़कर सुनाता हूं। सोनीपत के अंदर 372 घोषणाओं में से 214 पूरे कर दिये गये हैं हिसार के अंदर 270 घोषणाओं में से 165 कार्य पूरे कर दिये गये।

श्री आनन्द सिंह दांगी : अरोड़ा जी, आप यह बतायें कि हिसार किस प्रदेश का हिस्सा है?

श्री अशोक कुमार अरोड़ा : दांगी जी, हिसार हरियाणा प्रदेश का हिस्सा है।

श्री आनन्द सिंह दांगी : अरोड़ा जी, सारे हरियाणा का समान विकास हो रहा है (शोर एवं व्यवधान) आप इन आंकड़ों को दिखाकर क्या प्रदर्शित करना चाहते हो?

श्री अशोक कुमार अरोड़ा : दांगी जी, मैं इन आंकड़ों को दिखाकर सरकार द्वारा कार्यों में किये गये भेदभाव को बताना चाहता हूं (शोर एवं व्यवधान) आप काम करने के तरीकों में भेदभाव देखो। कहीं पर 100 परसेंट काम हो रहा है ..... (शोर एवं व्यवधान) कहीं पर 20 परसेंट भी काम नहीं हो पाया है। यह भेदभाव ही दर्शाता है कि हरियाणा में एक समान विकास कार्य नहीं किया जा रहा है। सावित्री जिंदल बहन जी यहां चुप बैठी हुई हैं। उनको इस बारे में बोलना चाहिए, जो बोल नहीं रही हैं। बहन जी, आप क्यों नहीं बोल रही हो? इसी तरह कैथल में भी 197 घोषणाओं में से 104 कार्य पूरे हुए हैं।

Mr. Speaker : Now, the House stands adjourned till 10.00 A.M. tomorrow, the 27th February, 2013.

*18.40 Hrs. (The Sabha then *adjourned till 10.00 A.M. on Wednesday, the 27th February, 2013.)

51173—H.V.S.—H.G.P., Chd.

Haryana Vidhan Sabha Secretariat Chandigarh LIBRARY